राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] बारहवीं विधान सभा के पंचम सत्र का तीसवां दिवस [संख्या : 20

बुधवार

29 मार्च, 2006

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीणा।

सहकारी संस्थाओं की परिसम्पत्तियों का बेचान

306. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में 23000 सहकारी समितियों में 92 लाख सदस्य तथा 13600/- करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है ? यदि हां, तो उक्त के उत्थान, फैलाव एवं प्रसार बाबत सरकार की क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि समाजवादी समाज की भावना एवं उद्देश्य को लेकर प्रारम्भ किया गया सहकारी आन्दोलन धीमा होता जा रहा है तथा इसकी गति खतम होती जा रही है ? यदि हां, तो किस कारण से तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश की सहकारी समितियों के पास मौजूद परिसम्पत्तियों की वर्तमान कीमत का आकलन करवाया गया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो अब कब तक आकलन करवा लिया जायेगा ?

(4) क्या सरकार उक्त में से कतिपय परिसम्पत्तियों को बेचान करने

(श्री रामनारायण मीणा)

का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों तथा किसे, व किस-किस सम्पत्ति को कितनी-कितनी कीमत पर ? पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): (1) जी हां। वर्तमान में प्रदेश में 23727 सहकारी समितियों में 93.57 लाख सदस्य एवं 15639.81 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। सहकारी समितियों के उत्थान, फैलाव व प्रसार हेतु नये-नये क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है, जैसे नई सदी नया सहकार कार्यक्रम के अन्तर्गत 845 सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इस वर्ष राज्य सरकार ने समग्र सहकारी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दौसा, हनुमानगढ़, बारां जिलों का चयन कर इनमें यह कार्यक्रम संचालित करने का निर्णय लिया गया है। उपभोक्ता सेवाओं में विस्तार हेतु सहकार व्यापार एवं मसाला मेलों, सरस डेयरी द्वारा संचालित डेयरी बूथों एवं सरस पार्लरों पर भी शुद्ध मसालों की उपलब्धता कराई जा रही है। दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक ने कार्य करना शुरू कर दिया है एवं बारां एवं हनुमानगढ़ जिलों में नये केन्द्रीय सहकारी बैंकों का गठन कर दिया गया है। नाबार्ड से अनुज्ञा पत्र प्राप्त होते ही यह बैंक कार्य करना शुरू कर देंगे। नये महिला सहकारी समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। सहकारी ऋण योजना का प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। प्रदेश की सहकारी सतितियों के पास मौजूद परिसम्पत्तियों की वर्तमान कीमत का आकलन सहकारी संस्थाओं के द्वारा ही करवाया जाता है।

(4) कुछ सहकारी संस्थाओं की परिसम्पत्तियों को बेचना है। यह संस्थाएं/परियोजना पूर्ण रूप से बंद हैं। राज्य सरकार/सहकारी विभाग द्वारा गठित समिति की देखरेख में विज्ञप्ति प्रकाशित/निविदा आमंत्रित कर निविदा में प्राप्त अधिकतम राशि के आधार पर इन सम्पत्तियों का बेचान नियमानुसार किया जायेगा। इनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. तिलम संघ, जयपुर
   गंगापुर सिटी इकाई
   मेड़ता सिटी इकाई

(श्री मदन दिलावर)

2.श्रीगंगानगर कोआपरेटिव आयलसीड प्रोसेसिंग इकाई गजसिंहपुर

3. केशोरायपाटन शुगर मिल लिमिटेड, बूंदी

4. श्रीगंगानगर काटन काम्पलेक्स लिमिटेड।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने यह नहीं बताया है कि जो आज आपने आंकड़े दिये हैं, मैं आपके माध्यम से जानकारी करूंगा क्या यह आंकड़े जनवरी, फरवरी, 2006 तक के हैं या 2004-05 के हैं। वास्तविकता यह है आपने जो आंकड़े उपलब्ध कराये हैं वह सही नहीं है। पहली बात तो यह है कि आज की तारीख में ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रश्न पूछें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): प्रश्न पूछ रहा हूं। आपने कुल सदस्य संख्या बतायी है 93 लाख, यह सदस्य संख्या 94 लाख से ज्यादा आपकी हो गयी है। कार्यशील पूंजी जो आपने बतायी है वह 15639 करोड़ के स्थान पर 16 करोड़ से ऊपर हो गयी है, तो क्या आप सही आंकड़े बता सकते हैं, नम्बर वन।

मैंने माननीय मंत्रीजी आपसे पूछा है इन संस्थाओं के बारे में । आपने कहा नहीं आंकड़ों के बारे में जानकारी नहीं की है। कितनी क्या प्रोपर्टी है, क्या यह सही आपने केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल के बारे में और सभी संस्थाओं के बारे में जांच करवायी है और केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल की आपने जो 7 करोड़ 84 लाख तो उसका वेल्यूएशन बताया है और उसके ऊपर व्यय जो है आज की तारीख में ऋण मिलाकर वह आपने बतायी है 13 करोड़ 95 लाख। तो ऐसी स्थिति में माननीय मंत्रीजी, क्या आप सदन को सही आंकड़े बता पायेंगे, नम्बर दो।

क्या यह सही है कि आप जो संस्थाओं को बेच रहे हैं, 13 सितम्बर, 2004 को मैं स्पेसिफिक डेट बता रहा हूं जब केशोरायपाटन से आने वाले माननीय विधायक आपके मंत्रिमण्डल के सदस्य थे। 13 सितम्बर, 2004 स्पेसिफिक डेट है। आपने केशोरायपाटन शुगर मिल को बेचने की कार्यवाही करने के निर्देश देकर अंतिम निर्णय मंत्रिमण्डल में लिया था, पहले के निर्णय हो सकते हैं तो ऐसी स्थिति में माननीय मुख्य मंत्रीजी भी चुनाव में जाएं, सारे नेता जाएं, आप भी जाओ। केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल को चलाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ मंत्रिमण्डल निर्णय लेता है, वहां के किसान

(श्री रामनारायण मीणा)

केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल को चलाना चाहते हैं। तो मेरी आपसे अर्ज है अध्यक्ष महोदय के माध्यम से। आप सहकारी शुगर मिल को बेचने के लिये जो निविदाएं आमंत्रित कर रहे हो उनको कब तक कैंसिल कर दोगे ? या पैसा सरकार के ऊपर बकाया है, सरकार अंश पूंजी या हिस्सा राशि कब तक दे देगी ? दूसरी सहकारी संस्थाओं को आप कब तक चला दोगे ? मैं इसलिये प्रश्न पूछता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता का प्रारम्भ गांधीजी ने किया था। एक सबके लिये, सब एक के लिये। नेहरूजी ने उसको आगे बढ़ाया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जूझने के लिये, निपटने के लिये सहकारी आन्दोलन चलाया था। आप कृपया यह बता दें।

श्री अध्यक्ष: इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सब इस बात को जानते हैं कि सदस्य संख्या रोज बढ़ती है इसलिये एग्जेक्ट आंकड़ा एक-एक का संभव नहीं है देना। यह सच है कि मेरे पास जो सूची है वह दस दिन पहले की है। निश्चित रूप से इस दस दिन में सदस्य बने होंगे, हमारी कार्यशील पूंजी बढ़ी होगी। एग्जेक्ट बिलकुल एक-एक पैसे वाला देना संभव नहीं है। परन्तु अनुमानित जो हमने दिया है यह बिलकुल ठीक है।

दूसरा, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि प्रोपर्टी का आकलन आपने नहीं किया। हमने बताया है। इन्होंने पूछा है कि राज्य सरकार ने प्रोपर्टी का आकलन किया है क्या ? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोपर्टी का आकलन सहकारी समितियां जो कि स्वतन्त्र हैं, वही इसका आकलन करती हैं।

तीसरा, आपने पूछा है कि...

श्री अध्यक्ष: तो उन्होंने आपको कह दिया कि यह बेचो, यह बताओ आप तो।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मेरा पूरा निवेदन तो सुनें। तीन प्रश्न...

श्री अध्यक्ष: आपने कहा है ना कि सहकारी समितियां ही तय करती हैं कि बेचना है कि नहीं बेचना है ? चलाना है कि नहीं चलाना है ? वही तय करती हैं। अब बताओ उन्होंने कहा है क्या ?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): नो-नो। मैंने यह नहीं कहा।

(श्री मदन दिलावर)

मेरा निवेदन सुनें। तीन इन्होंने पूरक प्रश्न किये हैं। एक प्रश्न तो इन्होंने आंकड़ों के बारे किया है। दूसरा प्रश्न इन्होंने किया है सम्पत्तियां कितनी हैं, उसका आपने आकलन किया है क्या ? तीसरा, इन्होंने बेचने वाला, जितनी भी सहकारी समितियां हैं राजस्थान में, उन सबका। इन्होंने पूछा है कि उनकी सम्पत्तियां कुल कितनी हो गयी ? इसलिये निवेदन करना चाहता हूं दूसरे प्रश्न के सन्दर्भ में कि उनकी सम्पत्तियों का आकलन राज्य सरकार नहीं करती बल्कि वह समितियां ही अपना आकलन करती हैं। मैंने जो संख्या बतायी है आपको 23727 समितियां, इसका इकजाई करना इतनी जल्दी संभव नहीं है। अपने-अपने हिसाब से समय नियत करके आकलन करती है।

तीसरा, आपने यह कहा है, जो मूल बात की है कि केशोरायपाटन जो शुगर मिल है, क्या उसको चालू करेंगे ? क्या उसको बेचेंगे ? सारी वस्तुस्थिति जानना चाही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी आपको दे दूं कि यह लगभग अभी आज की तारीख में चलने की स्थिति में नहीं है और न ही उस क्षेत्र में गन्ना है। इतना इसमें नुकसान हो गया है कि उसकी भरपाई करना, यानि संचित हानि इतनी हो गयी है कि इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। इसलिये अभी क्योंकि हमने इसको बेचने के लिये निविदाएं आमंत्रित की थी। उन निविदाओं में सबसे ज्यादा निविदा सुवालाका एण्ड कम्पनी करके जिसकी 14 करोड़ समथिंग की निविदा आयी थी और इस पर डिसीजन राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः पहले मूल प्रश्नकर्ता।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय मंत्रीजी, आपने प्रश्न के चार में बताया है, तिलम संघ की इकाइयों के नाम बताये हैं। गंगापुर, मेड़ता, गंगानगर कोआपरेटिव आयलसीड मिल, केशोरायपाटन शुगर मिल, गंगानगर काटन। देखिये माननीय मंत्रीजी, मैं आपको याद दिलाऊं फिर से मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 82/2004 जब आप मंत्री थे कोआपरेटिव विभाग के, आपने आर्डर दिया है। किसानों से क्या कहते हैं, यह आप जानो। फरमाते हो, आप जानो। आप हमें स्पेसिफिक बताइये राजस्थान की जनता को। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आकलन करना क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है। आप बतायें कि विडियो कांफ्रेंसिंग पर बात करते हैं । बड़ी-बड़ी इकाइयों की आप वैल्युऐशन नहीं बता रहे हैं । आप बेचना चाह रहे हैं और इसको बचाने में जनता का हित निहित है । पैसा लगा हुआ है, शेयर हैं पब्लिक के । आप

(श्री रामनारायण मीणा)

कृपया करके यह बतायें कि जिन इकाइयों को आप बेचना चाह रहें हैं यह वापस चलने की स्थिति में है या नहीं ? सहकारिता को जिंदा करने के लिए आप अंशदत्त पूंजी देने की स्थिति में है ? राज्य सरकार पूंजीवादी व्यवस्था के हिसाब से गरीबों के पक्ष में, आप आदिवासी एरिये में चले जायें जहां भी आप कॉपरेटिव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में सहकारिता को आगे चलाना, मैंने साफ लिखा है...

श्री अध्यक्षः आप भाषण नहीं प्रश्न पूछें । प्रश्न पूछें, प्रश्न ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, जिस भावना और उद्देश्य से सहकारिता को चलाया था । उस भावना और उद्देश्य को राज्य सरकार ध्यान में रखते हुए इन संस्थाओं को बचाने की बजाय अपनी ओर से पूंजी देकर के इसको वापस चलाये और मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 82/2004 जो कॉपरेटिव सहकारी शुगर मिल केशोरायपाटन के बारे में है उसको निरस्त करें । मेरा आपसे स्पेसिफिक सवाल है । चम्बल का एरिया है। किसान गन्ना करना चाहते हैं । किसान कॉपरेटिव सोसायटी चलाकर के उसको वापस चलाना चाहते हैं । आप उनको सहयोग करके चलायें । जिन संपत्तियों को आप बेच रहे हैं उनको बेचने के बजाय सहकारिता की भावना रखते हुए क्या यह सरकार नेहरूजी की और गांधीजी की जो भावना है उसके अनुरूप काम करेगी ।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक केशोरायपाटन शुगर मिल का सवाल है, इसकी जो क्षमता है पर डे गन्ना पिराई करने की ...

श्री अध्यक्षः क्या यह बात सही है, आप यह बता दें कि शुगर मिल को किसानों ने खुद चलाने के लिए दस करोड़ रुपये गवर्नमेंट को देकर के खुद चलाने की इच्छा प्रकट की थी ।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): नहीं ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): किसानों ने ।

श्री अध्यक्ष: किसानों ने, कॉपरेटिव सोसायटी के मेम्बर हैं उन्होंने ।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): नहीं । आप सुनें तो सहीं । अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बातें कह रहा हूं । वही बताऊंगा, मैं बता रहा हूं वह भी आप सुन लें क्योंकि इसकी केपेसिटी 1250 मैट्रिक टन रोज गन्ना पिराई की है और जो नई फैक्ट्रियां लगी हैं, मील लगी हैं वह 25000 मैट्रिक टन पर

(श्री मदन दिलावर)

डे की लगी हैं और इस हिसाब से वहां गन्ना पिराई सस्ती पड़ती है और हमारे यहां इसमें महंगी पड़ती है इसलिए ऐसा जवाब है । दूसरी बात आपने जैसा कहा कि क्या किसानों ने कहा कि हम 10 करोड़ का योगदान करके चलाने की बात कही । निश्चित रूप से किसान मेरे पास आये थे और माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी मिले थे । मेरे से भी मिले थे और मैंने उनको कहा था कि आप प्लान बनाकर के लायें कि इसे चलाया जा सकता है क्या तो फिर विचार किया जा सकता है । एक महीने का समय मैं आपको देता हूं । मैंने एक महीने का समय दिया ।

श्री अध्यक्ष: उन बातों को तो साल भर हो गया ।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): सुनें आप । किसान आये नहीं अभी तक, उन्होंने किसी प्रकार का जवाब मेरे को दिया नहीं, केवल एक ही बात करते हैं कि इसको चलाओ और इसके ऊपर इतनी देनदारियां हैं कि चुकाना असंभव है और क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गयी है और यह पुरानी मशीने हैं । किसी भी कीमत पर चलाना संभव नहीं है इसलिए जो माननीय सदस्य ने कहा है कि आप यह बतायें कि क्या इसको चलायेंगे तो मैं इतना कह सकता हूं कि इसका चलना और चलाना कुछ संभव नहीं । बेचना ही इसका अंतिम उपाय है ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम प्रश्न पूछूंगा, वहां जमीन की कीमत इतनी ज्यादा है और नई टेक्नोलॉजी को जब सेठ अपना रहा है उसको पुनर्जीवित करके सेठ चला रहा है । सरकार भी बहुत से इंस्टीट्यूट चला रही है कॉपरेटिव के माध्यम से, वहां किसान है जो वहां संगठित है, हिस्सेदार है, वह हिस्सेदार चलाना चाहते हैं । आप हिस्सेदारों की मीटिंग बुलाकर के निर्णय नहीं करना चाह रहे हैं । क्या मैं सरकार से आशा कर सकता हूं । मुझे स्पष्ट जवाब दें क्योंकि किसान आंदोलित हैं और आ रहा है । क्या आप किसानों की मीटिंग बुलाकर के, सब हिस्सेदार हैं उसमें, मैं खुद भी हिस्सेदार हूं । हिस्सेदार होने के नाते हम आपसे अर्ज कर रहे हैं कि सरकार सहकारिता की भावना रखते हुए सहयोग करें, पुर्ननिर्माण में, उसको पुर्नजीवित करने के लिए...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप हिस्सेदार हो तब तो आप मत पूछें । तब तो आप मत पूछें ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, गन्ना उत्पादक एरिया है । आप कृपा करके स्पष्ट जवाब दें...(व्यवधान) तो मेहरबानी होगी सरकार की ।

श्री अध्यक्ष: तब तो इस मंच का उपयोग मत करें आप...(व्यवधान) भरत सिंहजी ।

श्री भरत सिंह (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आप तो केवल यह बता दें कि आपके निर्णय से किसानों का भला होगा क्या ? क्या शुगर मिल बंद करने से उस क्षेत्र के किसानों का भला होगा । क्या तिलम संघ भंग करने से जयपुर के किसानों का भला होगा और इसमें घाटे में जाने से किसानों का क्या दोष है, यह बतायें ।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी आप यह और बता दें । आप एक तरफ तो प्रश्न दो के जवाब में दे रहे हैं कि जी नहीं, क्या यह सही है कि समाजवादी समाज की भावना एवं उद्देश्य को लेकर प्रारंभ किया गया सहकारिता आंदोलन धीमा होता जा रहा है । इसकी गति खतम होती जा रही है । यह आप कह रहे हैं कि जी नहीं और दूसरी तरफ यह जो इकाइयां हैं इनको आप बेच रहे हैं । फिर जब वह खरीदने को तैयार है, आपको बेचना तो है ही। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, मैं भी पूछ लूं, साथ का साथ जवाब दे देंगे । एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष: नहीं, पहले इस प्रश्न का जवाब आने दीजिये । बाद में पूछना...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ।

श्री अध्यक्ष: मैंने प्रश्न नहीं पूछा है ।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मैंने जी नहीं इसलिए कहा है कि कॉपरेटिव विभाग या हमारी संस्थाएं उत्तरोत्तर प्रगति कर रही हैं । आप सब जानते हैं कि जहां किसान को लोन लेने के लिए भागना पड़ता था । आज हमने राजस्थान में 26 लाख क्रेडिट कार्ड बना दिया । आज किसान को भागने की जरूरत नहीं है । हम उसको लोन दे रहे हैं । आपको जानकारी और देना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें ।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): यह लगातार हम प्रगति कर रहे हैं । राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी बैंकों का उत्पादन और मानदंडों का तुलनात्मक विवरण मैं आपको बताना चाहता हूं । प्रत्येक शाखा के हिसाब से हम कितना काम कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष: विवरण नहीं, मेरी शंका का समाधान कर दीजिये... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): हां, आपकी शंका का समाधान...(व्यवधान) मैं बताना चाहता हूं प्रगति विवरण, हां वही बताना चाह रहा हूं आप सुनें तो सही...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सारी तुलना...(व्यवधान) एक प्रश्न पूछने दें आप मेरे को...(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपकी बात नहीं सुनना चाहते हैं ।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जहां प्रति शाखा जमा है 496 और वहीं हमारे यहां 8764 और अग्रिम 4192 रुपये है राष्ट्रीय स्तर पर वहीं हमारे राज्य स्तर पर है 11742 और व्यवसाय जहां राष्ट्रीय स्तर पर है 9168 वहीं हम है 20506 । यदि प्रति कर्मचारी की तुलना करते हैं तो आप देखगें कि राष्ट्रीय स्तर पर जहां 293 है वहीं राज्य स्तर पर 511 और जहां अग्रिम में राष्ट्रीय स्तर पर 247 है वहीं राज्य स्तर पर 684 और व्यवसाय जहां प्रति कर्मचारी राष्ट्रीय स्तर पर है 540 वहीं हमारा है 1195 और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भारत सरकार ने हमें फसली ऋण तीन साल में दुगुना करने के लिए कहा था हमने उस टार्गेट को दो साल में पूरा कर लिया है । अनेक बाते हैं, आप यदि समय दे दें तो मैं एक घंटे तक इसकी जानकारी माननीय सदन को दे सकता हूं क्योंकि इतनी प्रगति हुई है और बेच इसलिए रहे हैं कि क्योंकि हमने सारी संभावनाएं तलाश ली कि किसानों के हित भी ध्यान में रखते हुए कैसे इसका विकास किया जा सकता है...(व्यवधान) सारी संभावनाएं तलाशने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसको बेचने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः श्री संयम लोढ़ा । जवाब खतम होने के बाद, उसके बाद पूछिये...(व्यवधान) आप खड़े क्यों हैं, आप बिराजें । श्री संयम लोढ़ा ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में वे सहकारी संस्थाएं जिनमें सरकार का कोई पैसा लगा हुआ नहीं है वह मुनाफे में चलती है और जिनमें सरकार का पैसा लगा हुआ है वह घाटे में जा रही हैं । इसका क्या करना है और सरकार उनको दूर करने के लिए क्या उपाय करने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्षः यह आ जायेगा । फिर काफी है न ।

श्री रामलाल (बनेड़ा): अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही आ जायेगा, हरिमोहनजी, एक मिनट...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप उनको कनफ्यूज करेंगे । सब पूछकर के एक साथ कनफ्यूज करेंगे उनको । आ जाने दें जवाब?

एक माननीय सदस्य: इसलिए तो बता दें आप ।

श्री रामलाल (बनेड़ा): अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ आ जायेगा । किसानों का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्षः आप कनफ्यूज करेंगे । किसानों के प्रश्न पर उनको । आप बैठें । पहले उनका जवाब आ जाने दीजिये ।

श्री रामलाल (बनेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार सहकारिता में विश्वास रखती है यदि हां तो राजस्थान में भरतपुर, अलवर, बीकानेर में प्राइवेट कंपनियों जो दूध खरीद रही हैं...(व्यवधान) उसको रोकने का कोई उपाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बाहर का प्रश्न है, यह बाहर की बात है।

श्री रामलाल (बनेड़ा): आप सहकारिता की व्यवस्था देख रहे हैं । नया सहकारिता कानून बनाया है उसमें आप व्यवस्था रख रहे हैं । कॉपरेटिव की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट कंपनियों मोदी, रिलायंस जो दूध खरीद रही हैं ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्पेसीफिक सवाल यह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राज्य मंत्रिमण्डल के सम्माननीय सदस्य, बाबूलालजी की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से इस बात

(श्री हरिमोहन शर्मा)

की घोषणा की थी बून्दी की केशोरायपाटन शुगर मिल को हम चलाएंगे। क्या आपने यह सारी बात कहने से पूर्व माननीय मुख्य मंत्रीजी से सलाह ली है?

श्री रामलाल (बनेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब भी इसी के साथ दिला दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आप स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जब निवेदन किया कि हमने सारी सम्भावनाओं को तलाशा है तो इसमें निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी से चर्चा किए बिना यह कोई बात हो ही नहीं सकती थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में लाया गया, उन्होंने भी इसको देखा है और यह सारा निष्कर्ष निकाला कि इसको चलाना सम्भव नहीं है। यह है कि हम चाहते थे कि हमारी घोषणा के मुताबिक इसको चालू करें लेकिन सारी सम्भावनाएं तलाशने के बाद किसी भी कीमत पर इसको चलाना सम्भव नहीं है। क्योंकि लोगों की देनदारियां देनी है इसलिए इसको बेचने के अलावा हमारे पास कोई ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह बिना सम्भावना तलाशे घोषणा कैसे कर दी थी? उस समय यह कहा जाना चाहिए था कि सम्भावना तलाशेंगे। आपने चुनाव के समय तो सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि हमको वोट दो, हम इसको चालू करेंगे, अब आप सम्भावना तलाश रहे हैं।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो हां-ना में ही इनसे जवाब मांगा है, वह भी नहीं दे रहे। क्या इससे किसानों का भला होगा? इतना सा बता दें।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रश्न का ही जवाब नहीं दिया, जो आपका क्या देंगे?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): यह सरकार हर काम किसानों के भले के लिए करती है और किसानों के हित के लिए करती है, किसानों के अहित के लिए कोई काम करती ही नहीं। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि केशोरायपाटन मिल को बन्द नहीं किया जाएगा? सरकार इसको चलाएगी, यह आश्वासन दिया था, बोलिए हां या नहीं।

श्री अध्यक्ष: यह पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री ने भी दिया था, यह मेरी जानकारी में है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की बात कह रहा हूं, औरों की तो जाने दो।

श्री अध्यक्ष: पूर्व मुख्य मंत्री ने दिया था, इन मुख्य मंत्री का तो मुझे पता नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया था, आपने उनसे सलाह करके उत्तर दिया है या अपने आप ही दिया है?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष ने इस प्रकार का आश्वासन दिया होगा, वह मेरी जानकारी में नहीं है, पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): क्या आज के वर्तमान मुख्य मंत्री उस समय भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष थी? यह बता दो आप। वसुन्धराजी ने दिया है आश्वासन, वसुन्धराजी ने।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): निश्चित रूप से दिया था, उसके बाद सारी सम्भावनाएं तलाशी हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो फिर वसुन्धराजी के आश्वासन को आप अब टालना चाहते हैं? ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): उन्होंने पूरी कोशिश की कि इसको चलाएं लेकिन सारी सम्भावनाएं तलाशने के बाद...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह कहती क्या हैं और करती क्या हैं। ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय मुख्य मंत्रीजी की सलाह मशाविरा से यह निर्णय लिया गया है। मेरे अकेले का निर्णय नहीं है।

श्री बाबूलाल नागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, सम्भावनाएं तलाश करने की बात की गई थी और इस केशोरायपाटन शुगर मिल के मामले में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह लगभग 1980 से बराबर सिक यूनिट के रूप में चलती रही है और कांग्रेस पार्टी के शासन काल में लगातार वहां के किसान इस चीज को कहते रहे कि

(श्री बाबूलाल नागर)

आप लोग इस मिल को चालू कीजिए। पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस टाइम वहां के किसानों ने आन्दोलन किया लेकिन उसके बावजूद भी बून्दी जिले के साथ जो कुठाराघात किया, यह बड़े दु:ख की बात है। लेकिन उसके बाद भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सम्भावना तलाश करने के लिए कहा, इसके लिए मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सम्भावना तलाशने के लिए नहीं कहा था, स्पष्ट कहा था। बाबूलालजी, आप हर मीटिंग में यह भाषण देते थे कि माननीय मुख्य मंत्रीजी शुगर मिल को चलाएंगी और अब आप इन्कार करते हैं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी डाक्टर यह कहता है कि इसको जीवनदान की कोशिश की जा रही है, अब मान लो उसको जीवन नहीं दे सका तो उसकी गारण्टी तो कोई भी डाक्टर ले नहीं सकता। अब यह जितनी भी सहकारी मिलें, वह जब कांग्रेस का शासन था तो घाटे में गई हैं, नुकसान में गई हैं।, उनका भट्ठा किसी ने बैठाया है तो कांग्रेस पार्टी ने बैठाया है। और उन्होंने अनापशनाप भर्तियां की और अपने लोगों को संरक्षण दिया, आपने ऐसा संकट पैदा कर दिया कि वह मिल चल नहीं सकती, उसके लिए आप दोषी हो। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप ऐसी परिस्थिति मत पैदा करो कि माननीय बाबूलालजी उस विधान सभा क्षेत्र में न घूम पाए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बाबूलालजी के अतिरिक्त कोई दूसरा वहां जीत नहीं सकता।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मुख्य सचेतकजी, कांग्रेस ने काम नहीं किया, आप नैतिकता की राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस ने तो मूल्यों के आधार पर राजनीति की है। कांग्रेस ने क्या किया उसको तो आप भूल जाओ, आप क्या कर रहे हो वह बताओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मिल क्या नैतिकता से चलेगी? आपकी सरकार के समय में गंगानगर और हनुमानगढ़ की सारी

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

स्पिनिंग मिलें बन्द हो गई, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वह बन्द मिलें नैतिकता से चलेगी?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): झूठे आश्वासन देकर सरकार बनाना अच्छी बात नहीं, जिन आश्वासनों को आप पूरा नहीं कर सकें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसके लिए कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी दोषी है, आपने अपने लोगों को लूट का अवसर दिया।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): हम आपके पापों को ढो रहे हैं, कांग्रेस ने जनता को इतने जख्म दिए हैं कि वह सौ साल तक भूल नहीं सकती।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ...(व्यवधान) आप वहां जानबूझकर इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं कि बाबूलालजी जो अनुसूचित जाति ...(व्यवधान) कोई अनुसूचित जाति का आदमी वहां से जीतकर आगे न आ जाए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न के जवाब में 26 मिनट हो गए और भी माननीय सदस्यों ने प्रश्न लगा रखे हैं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन।

आगरकी पथरोडा व बुलाहेडी ग्राम (अलवर) का विद्युतीकरण

307. श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के ग्राम आगरकी, पथरोडा व बुलाहेडी का अब तक वास्तविक विद्युतीकरण नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त ग्रामों में आज तक भी वियुत नहीं पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है?

(3) सरकार उक्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): (1) पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के ग्राम आगरकी, पथरोडा व बुलाहेडी का विद्युतीकरण क्रमशः वर्ष 1978, 1992, 1996 व में किया गया था। ग्राम आगरकी व पथरोडा को वर्ष 2005 में डि-इलेक्ट्रिफाइड घोषित किया गया है। इन ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) परिशिष्ट 'अ' में अंकित तथ्यों के आधार पर कोई भी अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

(3) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, आप स्वयं देखेंगे कि 1978, 1992 और 1996 में जिन गांवों को राज्य सरकार ने या विद्युत मण्डल ने विद्युतीकृत घोषित किया और आज 2006 में भी उन गांवों में विद्युत नहीं है, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उन गांवों में क्या व्यवस्था रही होगी। अब आपने कहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना में इनको सम्मिलित कर लिया गया है। फरवरी, 2006 में काम करने की बात आपने कही है, फरवरी, 2006 में आपने टेण्डर कराए हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप इतने ही शब्द कह दें कि इन गांवों को कब तक आप इलेक्ट्रिफिकेशन करवा देंगे, यह आश्वासन प्लीज आप दे दीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तीनों गांवों में कार्य शुरू होने वाला है। एक अप्रैल से शुरू हो जाएगा और अगस्त महीने तक तीनों गांव विद्युतीकृत पाए जाएंगे, यह आश्वासन देता हूं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह फर्स्ट अप्रैल है क्या? या वास्तव में एक अप्रैल है?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एज पर ओल्ड डेफिनिशन, जो परिभाषा थी उसमें राजस्व ग्रामों में विद्युत किसी भी प्रयोजन से उपयोग होती है उसको विद्युतीकृत मान लिया जाता है। और एज पर 2001 सेंसस, 40,263 गांव, आउट ऑफ 41,353, उनको विद्युतीकृत घोषित किया गया, यानि 97.3 प्रतिशत। हमने पिछले वर्ष जो सर्वे किया, उसमें पाया कि जो नई परिभाषा है उसके अन्दर आबादी क्षेत्र में एक ट्रांसफार्मर होना जरूरी है। नम्बर दो, दलित बस्ती के अन्दर एक लाइन बिजली की होनी

(श्री गजेन्द्र सिंह)

चाहिए। नम्बर तीन, जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, स्कूल, पंचायत हैड क्वाटर, पशु पालन केन्द्र, हॉस्पिटल, इन सबके अन्दर विद्युत का कनेक्शन होना चाहिए। तो नई परिभाषा के आधार पर पाया गया कि खाली 25,685 गांव ही एक्चुअली इलेक्ट्रीफाइड हैं। यानि की प्रतिशत में 62.11 प्रतिशत है।

पहले 97.36 था, अब जो बैलेंस है 15868 गांव हैं इनके अंदर 1600 तो गैर आबाद हैं, जो 14268 बचे हैं इनमें एमएनईएस हैं जो नॉन कनवेंशनल एनर्जी है वो 417 गांव उनके थ्रू कवर होंगे। यानी राजस्थान के अंदर 13751 As per new definition have to be electrified**.**

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इन सब गांवों को कब तक इलेक्ट्रिफाइड करा देंगे आप यह डेडलाइन बता दीजिए कृपा करके।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, अगले दो वर्ष का जो हमारा टार्गेट है un-electrified villages to be electrified; 4017, un-electrified dhanis to be electrified; 6596 और जो सामान्य घर हैं टोटल हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 24 लाख ग्रामीण कनेक्शन देने वाले हैं अगले दो वर्षों में। इन कनेक्शनों के अंदर जो बीपीएल परिवार हैं उनको फ्री कनेक्शन 17.5 लाख दिये जाएंगे और अदर को 6.5 लाख अगले दो वर्ष में।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वश्चन, श्री राकेश मेघवाल।

पथ परिवहन निगम के चालक/परिचालकों द्वारा अनुज्ञा-पत्र की शर्तों की पालना

308. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों के चालक एवं परिचालकों को जारी किये गये अनुज्ञापत्र की शर्तें निर्धारित हैं? यदि हां, तो शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निगम के चालक/परिचालकों द्वारा उक्त सभी शर्तों का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो ऐसे चालक/परिचालकों के विरुद्ध गत दो वर्षों में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निगम द्वारा वाहन चालक/परिचालकों को प्रतिवर्ष वर्दी दी जाती है? यदि हां, तो वर्दी पर होने वाले प्रतिवर्ष व्यय का आगारवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राकेश मेघवाल)

(4) क्या यह सही है कि अधिकांश वाहन चालक/परिचालकों द्वारा उक्त वर्दी अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान नहीं पहनी जा रही है तथा न ही अपने नामों की पट्टिका लगाई जा रही है? यदि हां, तो ऐसे चालक/परिचालकों के विरुद्ध निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई व नहीं तो क्यों?

(5) क्या सरकार अब कर्मचारियों को अनुज्ञापत्र की शर्तें पूर्ण रूप से पालन करने हेतु पाबन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): (1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के चालक और परिचालकों को विभाग की ओर से कोई अनुज्ञापत्र जारी नहीं किये जाते हैं बल्कि चालक को परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस तथा परिचालकों को परिचालक लाइसेंस विभाग द्वारा जारी किये जाते हैं। मंजिली वाहनों और संविदा वाहनों के चालकों के आचरण और कर्तव्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है। तथा मंजिली वाहनों के परिचालकों के संबंध में कर्तव्य व आचरण का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर उपलब्ध है। ये कर्तव्य और आचरण निजी व परिवहन निगम दोनों के चालक/परिचालकों पर समान रूप से लागू होते हैं। राज्य परिवहन निगमों के चालक/परिचालकों के लिए अलग से कोई कर्तव्य व आचरण निर्धारित नहीं है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। शर्तों की पालना हेतु निगम द्वारा इन कर्मचारियों को नियमित रूप से पाबन्द किया जाता रहा है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्रीजी चालक और परिचालकों को वर्दी देने का विचार रखते हैं? आम आदमी के साथ में जब चालक और परिचालक खड़ा हो जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि वह चालक है या परिचालक है? नियमों में नेमप्लेट लगाने का भी है ताकि पता लगे कि यह चालक है या परिचालक है। बस में धूम्रपान। जब सरकार ने पूरी पाबंदी लगा रखी है तो बस में चालक और परिचालक गुटका, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं तो आम जनता का क्या होगा

(श्री राकेश मेघवाल)

माननीय मंत्रीजी? क्या आप यह विचार रखते हैं बस जहां भी रुकेगी वहां जो बुजुर्ग आदमी है गांव का किसान बैठता है आपका परिचालक उसको सहारा देकर बिठाता है क्या? आपकी राजस्थान रोडवेज की बसें इतनी खराब हैं और इतनी गंदी हैं उनकी सफाई की व्यवस्था आप करने का विचार रखते हैं क्या?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ..(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह वोल्वो की बात नहीं है, वोल्वो में आप और हम बैठ जाते हैं गांव का किसान नहीं बैठता। माननीय मंत्रीजी, क्या वोल्वो गांव में चलाने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: कृपया जवाब सुनें।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय सदस्य ने अभी पूछा कि क्या परिवहन निगम वर्दी देने का विचार रखती है। अंतिम 1999 में चालक, परिचालकों को परिवहन निगम द्वारा वर्दी दी गई थी उसके बाद 2006 तक किसी तरह की वर्दी नहीं दी गई। लगातार परिवहन निगम घाटे की स्थिति में है इसलिए अभी तो परिवहन निगम का कोई विचार नहीं है। जहां तक वर्दी का कानून में या नियमों में प्रावधान है उसमें यह है कि वह स्वयं ही अपने खर्चे से सिलवाए, उसमें परिवहन निगम के चालक और परिचालकों पर भी यह आचरण लागू है। तथा जो निजी ड्राइवर हैं ईवन हमारे माननीय सदस्य भी ड्राईवर रखते हैं उन सब पर भी लागू है। पर व्यवहार में ऐसा पाया नहीं जाता है। तो हम एक अभियान चलाकर अगले महीने हमारा अभियान चलेगा तो इस तरीके की जन-जागृति लाएंगे।

आपने यह कहा कि जो किसान बैठता है या कोई बुजुर्ग गाड़ी के अंदर बैठता है उसको क्या चालक सहारा देकर बैठाता है। चालक तो नहीं, परिचालक के आचरण में इस तरीके का बताया गया है कि वह इस तरह के कोई वृद्ध, बीमार या और कोई बेसहारा तरीके का यात्री आता है तो उसको जरूर सहारा दें और प्रयास करके उसको सीट भी दिलाएं चाहे वह मंजिली वाहन राज्य परिवहन निगम की है या अन्य निजी वाहन है सबमें इस तरह के प्रावधान की व्यवस्था है।

जहां तक धूम्रपान की बात है धूम्रपान निश्चित रूप से सार्वजनिक जगह पर वर्जित है। इसके लिए कानून बना हुआ है। और हमारे चालक व परिचालक की परिवहन निगम में इस तरह की शिकायत आती है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है और कार्यवाही की भी गई है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आपके चालक और परिचालक मोबाइल रखते हैं, आगे अगर आपकी टीम जांच करने वाली खड़ी होती है तो मोबाइल पर उसको सूचना मिल जाती है। इसलिए घाटे में चलते हैं। क्या उनके मोबाइल जब्त करने का विचार रखते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री सांगसिंह भाटी।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिला मुख्यालय जैसलमेर पर क्या रोडवेज डिपो खोलने की मंशा रखते हैं? अगर मंशा रखते हैं तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में मेरी बात कहना चाहूंगी जहां-जहां पर भी बस स्टेण्ड हैं और जहां बसें रुकती हैं वहां बाथरूम इतने गंदे रहते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहूंगी कि वहां बाथरूमों की बस स्टेण्ड वाले क्यों नहीं सफाई करते?

श्री अध्यक्ष: यह तो अलग से प्रश्न है। माननीय सदस्या, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात जोधपुर के बारे में कहना चाहूंगी। जोधपुर के अंदर जो बस स्टेण्ड है उसकी आगे विस्तार करने की मंत्री महोदय ने क्या योजना बनायी है, आगे क्या व्यवस्था करना चाहते हैं? वहां बस स्टेण्ड की बहुत कंजेस्टेड जगह है, आगे उसकी योजना बनाने का क्या विचार रखते हैं? यह बताइए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि किसी चालक को ऐसी आदत है कि उसने बीड़ी नहीं पी तो उसको नींद आ जाएगी उस चालक को भी बीड़ी पीना बंद करवाएंगे क्या आप?

श्री अध्यक्ष: आप जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या का जवाब तो देने दीजिए।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार और राजस्थान रोडवेज को घाटे से उबारने के लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। माननीय मत्री महोदय, यह पाबंदी लगाएंगे कि चालक और परिचालक जब गाड़ी में होंगे तो उसको सीज करने का विचार रखते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण है। आगे-आगे प्राइवेट बसें चलती हैं पीछे-पीछे रोडवेज चलती हैं। इसीलिए घाटे में चलती हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रश्न के जवाब में खण्ड एक में उत्तर दिया गया है कि मंजिली गाड़ियों और ठेका वाहनों के संबंध में। तो क्या राजस्थान रोडवेज की सभी बसों से संबंधित यह जवाब है या किन्हीं विशेष बसों के संबंध में जवाब है?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): दूसरा जो इनकी चैकिंग पार्टी है उसमें उन्हीं का आदमी रहता है और वह मोबाइल कर देता है कि चैकिंग पार्टी है तो वह अपनी व्यवस्था ठीक कर लेते हैं। इसलिए यह घाटे से उबर सकती है। चालक और परिचालक दोनों मोबाइल नहीं रखें। जब बस में सफर करें उधर से ड्राईवर गाड़ी चला रहा है और इधर से मोबाइल आ रहा है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): जो बस में बैठेंगे उनके पास मोबाइल होंगे वे यूज कर लेंगे इसलिए यह संभावना नहीं बनती कि इस पर रोक लगा दी जाए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न के जवाब में परिशिष्ट 'क' और 'ख' का हवाला दिया जा रहा है। क्या यह राजस्थान पथ परिवहन निगम से संबंधित सभी चालक और परिचालकों पर लागू होता है या सिर्फ संविदा वाहनों या मंजिली वाहनों पर ही लागू होता है? कृपया इसको स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: रोडवेज की बसों पर।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि सीनियर सिटीजंस के लिए राजस्थान पथ परिवहन निगम में जो सुविधाएं दी जाती हैं, जयपुर शहर, जोधपुर शहर में राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसें चलती हैं उनको सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती। मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा इस तरह का कोई विचार रखते हैं?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पत्रकारों को रोडवेज में फ्री पास की सुविधा दी गई है। क्या वह सभी प्रकार के पत्रकारों के लिए है या कोई कैटेगरी ऑफ पत्रकारों के लिए है, स्पष्ट करें।

श्री यूनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न था उससे बाहर के बहुत सारे क्वश्चन आ गये। आप कहें तो मैं जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष: आप जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या का दे दें।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्देश हुआ है कि आप सिर्फ जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य का जवाब दें। ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पत्रकारों वाला जरूरी है। सभी पत्रकार यह कहते हैं कि हमको यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो अखबार समूह के मालिक हैं उनको ही यह सुविधा उपलब्ध है।

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं यह एक नया सवाल आ गया।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने हमारे जो बस स्टॉप्स हैं उन पर जो मूत्रालय वगैरह हैं उनकी गंदगी की स्थिति के बारे में बात कही। जहां तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के चिह्नित बस स्टैंड हैं उनमें से सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी और कई नगरपालिका क्षेत्र में भी और बड़े शहरों में भी जो हमारे बस स्टैंड बने हुए हैं उसके लिए अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निर्देशित किया है। 2006 के वर्ष में सभी जिला मुख्यालयों पर नये बस स्टैंड बनाकर उनमें पीने के पानी स्वच्छता और सब का हम प्रावधान कर रहे हैं। और उसी कड़ी के अन्दर लगभग हमने 12-13 बीओटी सिस्टम पर, बूट सिस्टम पर जो इस तरीके के शुरूआत की है और लोगों से हमने प्रस्ताव मांगें हैं और जहां तक सफाई की व्यवस्था की बात है निश्चित रूप से सरकार इसका ध्यान रखेगी। और आपने जोधपुर की बात कही है, जोधपुर के बस स्टैंड को बहुत अच्छा 2006 के वर्ष में बना दिया जाएगा और अगले साल इस तरह की कोई शिकायत नहीं रहेगी, यह मैं कहूंगा। आपने मोबाइल जब्त करने की बात कही। आपने कहा कोई चालक गाड़ी चलाते हुए, खाली परिवहन निगम पर ही लागू नहीं है, अगर गाड़ी चलाते हुए कोई भी ड्राइवर अगर मोबाइल का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ, अगर वह देखा जाता है तो जो हमारी पुलिस है या परिवहन विभाग के लोग देख लेते हैं, उसके खिलाफ कार्यवाही करते हैं, दण्ड हैं। लेकिन फिर भी लोग व्यवहार में इसका उपयोग करते हैं। हम जन जागृति समय-समय पर लाते हैं, करेंगे, जहां तक आपने घाटे की बात कही और इस मोबाइल व्यवस्था से इस तरह की हमारे पास शिकायतें आई हैं। हमने सारी व्यवस्थाओं को बदला है और हमारे सेंट्रल आफिस से, जो

(श्री युनूस खान)

रोडवेज का है उससे फ्लाइंग भेजी जाती है और जगह-जगह चेक किया जाता है। आजकल पांच से अधिक अगर कोई बिना टिकट के यात्रा, किसी सवारी को कराते हैं तो उसको टरमिनेशन तक का प्रावधान किया गया है। तो इस पर बहुत ज्यादा रोक लगी है। जहां तक मोबाइल जब्त करने की बात है तो जब्त करने का तो उसको दण्ड है, रखने के लिए तो कोई इस तरह के प्रावधान हैं नहीं।

और जो दूसरी बात पत्रकारों के बारे में आपने पूछी तो पूरी छूट है। उसमें कोई कैटेगरी जो क्वालिफिकेशन यहां से निकला हुआ है वह सब पत्रकारों को यहां से छूट मिलती है और आपने सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के पास जिनके पास कार्ड है हमारे यहां से जो कार्ड लेते हैं उन सब को छूट दी जाती है। और यहां पर सिर्फ अंतरराज्यीय मार्गों पर जो स्टेट के बाहर जो जाते हैं उन पर हम सीनियर सिटीजन को छूट नहीं देते हैं। बाकी जिनके पास कार्ड होता है उन सब को तो सीनियर सिटीजन की जो रियायतें दी गई हैं वह सारी मिलती हैं और जितने माननीय सदस्यों ने पूछा है उनका मैंने जवाब दे दिया।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती ममता शर्मा। ...(व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया था। ...(व्यवधान) मैंने कहा जितने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के चालक, परिचालक हो या निजी क्षेत्र के चालक परिचालक हो, सब पर ये हमारे नियम लागू होते हैं।

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): मेरे यहां बस स्टैंड बना हुआ है, क्या बस स्टैंड चालू करने का विचार रखते हैं ?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): नियमों की पालना करें।

श्री अध्यक्ष: नियमों की पालना नहीं होती है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): राजस्थान रोडवेज सभी नियमों को तोड़ रहा है तो उससे क्या आशा करेंगे ?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस 3 अप्रैल से 10 अप्रैल तक हम इसका अभियान चलाकर कार्यवाही करेंगे, हमने पहले से ही यह निश्चित कर रखा है कि जो अवैध संचालन है और जो नियमों का उल्लंघन हो रहा है हम जन जागृति भी लाएंगे और इस तरीके की

(श्री युनूस खान)

कार्यवाही भी करेंगे। ...(व्यवधान) जैसा डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही इनका बस स्टैंड तैयार है, थोड़ा विवाद है। आपसे मैंने उसके संबंध में सारे कागजात मांगे हैं, किसी एक हमारे राज्य के प्रवासी ने वह बस स्टैंड बनाकर तैयार किया है। तो आपस में, डूंगरगढ़ के स्थायी निवासियों की आपस में दो गुट हैं, उनको बैठा कर चर्चा करके उसको जल्दी से चालू करवाया जाएगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): और जहां बस स्टैंड नहीं बने हैं वहां भी बन रहे हैं क्या ?

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय मंत्रीजी, बस स्टैंड तो रोडवेज का है इसमें विवाद की कोई बात ही नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने ममता शर्मा का नाम पुकार लिया। ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि .....

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पर कितने पूरक प्रश्न होंगे, यह दूसरा प्रश्न ही चल रहा है।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): कि क्या आप डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर वोल्वो बस की सेवा देने का विचार रखते हैं या नहीं ?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): और भी आगे प्रश्न आने वाले हैं, साहब, 11.44 हो गये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): और जो आपकी वोल्वो बसें देहली के रास्ते में चल रही हैं उनके मेंटीनेंस के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): दूसरा ही प्रश्न चल रहा है, अब क्या आगे का प्रश्न बताइए।

श्री अध्यक्ष: आप मुझे डाइरेक्शन देने वाले कौन हैं ?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): निवेदन कर रहा हूं आपसे।

श्री अध्यक्ष: आप भी पूछ लीजिए।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जिन कस्बों और शहरों में प्राइवेट बसों ने अपने मन से जो बस अड्डे बना रखे हैं और वहां

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

सरकार की जमीन आवंटित की हुई है, क्या माननीय मंत्री महोदय वहां बस अड्डे ले जाने का विचार रखते हैं ? यदि रखते हैं तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री यूनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इस मूल प्रश्न के बाहर सवाल होने लग गये। लेकिन फिर भी आपकी इजाजत हो तो, मैं दो माननीय सदस्यों ने पूछा है, एक तो बूंदी से आने वाली माननीय सदस्य ने पूछा है कि वोल्वो बस का डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर ले जाने का विचार रखते हैं, वोल्वो बस तो हम कहीं भी ले जा सकते हैं। सिर्फ यह देखने वाली बात है कि वोल्वो बस का जो किराया है वह बहुत महंगा है इसलिए लोड फेक्टर मिलता नहीं है इसलिए अगर कोई इस तरह का प्रस्ताव आएगा और कोई इस तरह का लगेगा कि यात्री भार मिल सकता है तो वोल्वो बस चलाई जा सकती है। डिवीजनल हैड क्वार्टर्स पर कोई मनाही नहीं है, निगम चलाने के लिए तैयार है, जहां तक माननीय डेगाना से आने वाले सदस्य ने बात पूछी क्योंकि यह सवाल से बाहर है फिर भी मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आपने पहले भी यह मुद्दा उठाया था। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस तरह का डेगाना में कार्यक्रम रखिए, वहां के स्थानीय लोगों और आपके साथ बैठकर मैं इस समस्या के समाधान के लिए वहां स्वयं डेगाना आ सकता हूं। इतनी ही बात कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर): एक इतना ही निवेदन है कि जो आज डीलक्स बसें जो एसी बसें हैं उन बसों की आप हालत देखें। क्या मंत्री महोदय, आप एक दफा जाकर के, उन बसों का सुधार तो करें। बैठने के लिए सीटें तक नहीं हैं और उसका नाम एसी है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने मेरा नाम पुकार लिया है अध्यक्ष महोदय।

श्री यूनूस खान (यातायात मंत्री): इनका भी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य का, कल मैं स्वयं हमारा जो यहां डीलक्स आगार है जिसमें एसी, नॉन एसी बसें चलती हैं, सब को मैं स्वयं देखकर आया हूं। और सब की स्थिति ठीक है और कोई एक दो सीटें कोई माननीय सदस्यों के सामने इस तरह की आई हैं उसको भी ठीक करवा देंगे।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर): यह रात को जो साढ़े 11 बजे बसें चलती हैं उनको आप देख लें।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

स्थगित प्रश्न

(3 मार्च, 2006)

राजकीय सेवा में खिलाड़ियों हेतु आरक्षण की क्रियान्विति

42. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या युवा एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2005-06 के दौरान कितने खिलाडियों को नौकरी प्रदान की गई ?

(2) राज्य के कितने विभागों में भर्ती के दौरान खिलाडियों के आरक्षण के नियमों की पालना की गई ?

युवा एवं खेलकूद मंत्री (श्री युनूस खान): (1) सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2005-06 द्वारा राज्य में वर्ष 2005-06 के दौरान खिलाड़ियों को नौकरी प्रदान नहीं की गई।

(2) वर्ष 2005-06 में किसी भी विभाग द्वारा खिलाड़ियों की आरक्षण के अन्तर्गत भर्ती नहीं की गई।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि राजस्थान में सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों के लिए दो प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है ? आपने 2005-06 में जैसा कि सरकार दावा करती है कि उसने हजारों की तादाद में भर्ती की है तो जिन अधिकारियों ने इन नियमों की पालना नहीं की है उनकी जवाबदेही सुनिश्चित कराने के लिए क्या सरकार इस संबंध में जांच कराने का विचार रखती है, नम्बर वन, नम्बर टू, आगे के लिए इस नियम की पालना सुनिश्चित की जाए दो प्रतिशत आरक्षण की उसके संबंध में क्या कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है? नम्बर थ्री, कीड़ा परिषद् ने 2005-06 में संविदा के आधार पर कितने लोगों को नौकरी पर रखा गया है और क्या-क्या प्रक्रिया उसके लिए अपनाई गई है।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात पूछी दिनांक 23.9.1997 का यह सर्कूलर है जिसके तहत दो प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण

(श्री युनूस खान)

का प्रावधान है। उसमें जो यहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके अलावा जो भर्ती ली है, उसके अलावा जो वर्ग बने हुए हैं, तो यह लगभग 47 ऐसे वर्ग हैं जिनमें इस तरह की नौकरी का प्रावधान है। और मैं आपसे यह कहूं कि मैंने सारे आंकड़े देख लिए, पिछले शासन के भी और हमारे शासन के भी, इसकी पालना नहीं हुई। निश्चित रूप से उसमें कुछ कठिनाइयां हैं जिसको हम, आपने जो दूसरा सवाल पूछा है उसके तहत इसमें क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए प्रावधान किया गया है। चाहे वह ओलम्पिक है या एशियाड है या अन्य कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्द्धा है इस तरह की। इस तरह का कोई भी खिलाड़ी होता है तो वह कांस्टेबल या चपरासी बनने के लिए तैयार नहीं होता। उसको वैसे ही निजी क्षेत्र में ...

श्री अध्यक्ष: अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को उसके खुद के स्टेट में ही मिल जाएगी वह आपके यहां क्यों आएगा ?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): इसमें आपने जो दूसरा यह कहा कि क्या सरकार आगे इस तरह की कार्यवाही करने का विचार रखती है, निश्चित रूप से सरकार विचार रखती है। हमारी नई खेल नीति बन कर तैयार है। वित्त विभाग में यह हमारी नीति अभी गई हुई है। इसमें हमने नौकरी के आरक्षण की और इसमें चूंकि जो विशेष रूप से जो कठिनाइयां आ रही थी, अभी आपने देखा होगा कि अभी शिक्षा विभाग ने भी जो अध्यापक लिए भर्ती, उनकी भर्ती की, राजस्थान लोक सेवा आयोग से लिये हैं, इस तरह के खिलाड़ी वगैरह कोई अध्यापक बनना चाहें और खिलाड़ी हो तो उसमें आरक्षण की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। इसलिए हमने इसमें थोड़ा संशोधन करने का सरकार विचार कर रही है, और अतिशीघ्र ही इसका संशोधन नियमानुसार हम करेंगे।

आपने तीसरा सवाल यह पूछा है कि क्रीड़ा परिषद् के अन्दर 2005-06 में क्या कोई संविदा पर आपने इस तरीके के खिलाड़ी लिये हैं। निश्चित रूप से हमने लिये हैं। जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनमें श्री श्याम लाल तीरंदाजी में, श्रीमती निर्मलेश माथुर कबड्डी में, श्री सुरेश खरड़िया तीरंदाजी में, दीपक वर्मा कराटे में और विवेक सिंह बास्केटबाल में लिया है। ये संविदा पर इस तरीके के खिलाड़ी हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप दर बताओ, रेट बताओ। संविदा पर मासिक क्या दे रहे हो मानदेय ? यह देखिये आप।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): चार हजार रुपये दे रहे हैं। जो कानून में प्रावधान है उससे ज्यादा हम दे नहीं सकते। एक मिनट आप विराज जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी 13 खिलाड़ी ऐसे हैं जो संविदा पर हैं और उनको भी लगभग 9-10 साल हो गये, वो भी लगे हुए हैं। चूंकि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् में अभी सेवा नियम भी नहीं बने हुए हैं, न कोई खेल नीति बनी हुई है तो हमने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के सेवा नियम पूरे फ्रेम करके वित्त विभाग में और अन्य विभागों में, विधि विभाग में भेज रखे हैं और यह खेल नीति भी हमारी लगभग अंतिम स्टेज पर है। एक-दो क्वेरीज हैं जो पूरी होने के बाद में इस खेल नीति को हम लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री रघुवीर मीणा।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि यह बात सही है कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को चार हजार रुपये संविदा पर देते हैं यह बहुत कम है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी मुझे तीन दिन पहले निर्देशित किया है कि जो इस तरीके के अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनको चाहे हमें कानून के प्रावधान में परिवर्तन करना पड़े, उनको सरकारी नौकरियों में लें। वह सारा प्रस्ताव तैयार होकर आज मेरे पास आया है, निश्चित रूप से हम अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को नौकरी देंगे।

जहां तक दो प्रतिशत के आरक्षण की बात है, इसमें जो 1997 का सर्कुलर है उसमें संशोधन करके करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस खेल नीति का जिक्र करते-करते इस सरकार का तीसरा बजट तो आ गया, अब आपका टाइम पूरा होना है। मैं आपके माध्यम से बहुत स्पष्ट जानना चाहता हूं कि आपने पिछले सत्र में यह कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे कि खिलाड़ियों के आरक्षण के प्रावधान की पालना हो और उसके लिए हम कानून लायेंगे। आप यह संशोधन की बात, आप अपनी बात से पलट रहे हो। पिछली विधान सभा में यह आश्वासन दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय कि हम इस पर कानून लायेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री रघुवीर मीणा।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो मैंने पिछली बार कहा था उसमें और इसमें हमने आज तक पूरा यह डाकूमेंट बनाकर के तैयार कर लिया है। राजस्थान में आजादी के बाद आज

(श्री युनूस खान)

तक कई सरकारें आईं और गईं लेकिन किसी भी सरकार ने इस तरीके का डाकूमेंट तैयार नहीं किया। चूंकि इसमें सारी चीजें लागू होती हैं, नोकरी से जुडा हुआ सवाल है, डी ओ पी भी इसमें इन्वॉल्व होता है, फाइनेंस भी इसमें इन्वॉल्व होता है, सारे सरकारी विभागों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। खाली खेल विभाग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए इसमें समय लगना निश्चित था। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर इस पर चर्चा हुई और इसमें जो हमारे को कठिनाइयां आ रही थीं उनको हमने दूर किया। और राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जो ओलम्पिक संघ हैं, और अन्य जो हमारे संघ बने हुए हैं उनसे भी हमने विचार-विमर्श किया है। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं मानता हूं कि आप बड़े खेल प्रेमी हैं और आप इस तरह के खिलाडियों के हित में बात उठाते हैं उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और निश्चित रूप से मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार के कार्यकाल में अगला बजट आयेगा उसके पूर्व हम इन सब चीजों पर कार्यवाही करेंगे। उसमें सदन के सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या यह सही है कि मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन हुआ है ? यदि हां, तो कब से ? और गठन होने के बाद कितनी मीटिंग हुई और कितने-कितने समय में मीटिंग होने का प्रावधान है ?

दूसरा, अर्जुन अवार्डी हैं या ओलम्पियन हैं उनके लिए आवेदन करने का क्या मापदण्ड है या उनको नौकरी देने का क्या मापदण्ड है ? लिम्बाराम जैसे व्यक्ति ने क्या आपके यहां नौकरी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है ? यदि हां, तो आपने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या ये जो राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनको रियायती दर पर भूखण्ड आबंटन करने का प्रावधान खेल विभाग के द्वारा स्वायत्त शासन विभाग को गया है? और क्या स्वायत्त शासन विभाग इस बात की पूर्ति कर रहा है ? क्योंकि इस प्रकार का एक प्रावधान भी है कि ऐसे खिलाडियों को रियायती दर पर भूखण्ड दिये जाएं, प्रायोरिटी पर दिये जाएं।

श्री अध्यक्षः आप सब खेल प्रेमी हो गये। सारा सदन ही खेल प्रेमी हो रहा है।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। यह जो नौकरी देने वाला मामला है इसमें प्रमोशन का भी है। जैसे लिम्बा राम वाली बात निकली है तो अन्तरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होने के बाद भी वह एक पियोन की नौकरी कर रहा है। उसके लिए प्रमोशन का कोई विचार करते हैं क्या ?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो बात कही, मैंने अभी कहा कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के सेवा नियम नहीं बने होने की वजह से इस दुविधा का हमें सामना करना पड़ा। आपने यह कहा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में कोई इस तरीके की खेल से सम्बन्धित हाई पावर की कमेटी बनी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी तो वैसे ही हाई पावर हैं, इस तरीके की कोई कमेटी नहीं है। लेकिन उनका खेल प्रेम इतना है कि जिस तरीके से उन्होंने खेलों में रूचि लेकर के राजस्थान को खेलों में बढ़ावा दिया है, निश्चित रूप से चाहे सरकार किसी की भी रही हो, खेलों के प्रति इतना ध्यान किसी भी सरकार के समय में नहीं रहा। जिस तरीके के अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खेल के मैदान...

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी गलत बयानी कर रहे हैं। मैं स्वयं मंत्री था उस समय हाई पावर कमेटी का गठन हुआ है। मुख्य मंत्रीजी ने एक मीटिंग भी ली थी। मैं यह जानना चाह रहा हूं कि यह सरकार बनने के बाद कितनी मीटिंग हुई उस हाई पावर कमेटी की और उस कमेटी में कौन-कौन से विभागों के मंत्री मैम्बर थे? आप बताइये।

श्री अध्यक्षः हुई हो तो बता दीजिये, नहीं हुई हो तो नहीं कहिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): आप सदन को गुमराह कर रहे हो। आप बता रहे हो कि कमेटी ही नहीं है।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): पूर्ववर्ती सरकार के शासन में अगर कोई मुख्य मंत्रीजी के और माननीय सदस्य खेल मंत्री थे उनके समय में कोई इस तरीके का होगा तो मैं दिखवा लूंगा। और जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, इस तरीके की बैठक नहीं हुई है, मैं यह निश्चित रूप से कहूंगा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): इससे जाहिर होता है कि यह सरकार

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

कितनी गंभीर है खिलाड़ियों और खेलों के विकास के लिए। राजस्थान के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में 7-7 विभागों के मंत्री उसके मैम्बर हैं। पहले मीटिंग भी हुई हैं। शिक्षा विभाग ने, बोर्ड का यह मानना भी था कि सभी स्कूलों में खेल के लिए पीरियड फिक्स किये जाएंगे। मिडल तक कितने होंगे, सैकण्डरी तक कितने होंगे, मोरली मान भी लिया था। एक पीरियड, एक सब्जैक्ट सम्मिलित करने की बात थी। यह जो आप कह रहे हो कि यह हमने तैयार कर दिया तो यह तो हमारे समय ही तैयार हो गया था। अब तो आप इसको इम्प्लीमेंट करने की सोचो और आप यह जो अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो ओलम्पियन हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः भाषण नहीं, आप प्रश्न पूछें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): इनको किसी तरह से नियमों में रिलैक्सेशन देकर के नौकरी दो। लिम्बा राम ने आपके यहां 4-4 बार, कई बार, कई सालों से वह घूम रहा है। इतना बड़ा अन्तरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है जो देश का गौरव है...

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछें। नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री बद्रीलाल जाट।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): उनके लिए सरकार कोई गंभीर ही नहीं है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी मात्र क्रिकेट को ही बढ़ावा देना चाह रही हैं और ट्रेडिशनल खेलों को या दूसरे खेलों को कोई बढ़ावा नहीं देना चाह रही हैं।

श्री अध्यक्षः ये मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): ऐसा नहीं है, आपने इतनी गंभीर बात कही है, आप भी खेल मंत्री रहे हैं, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि अगर आप उस समय खेल नीति या सेवा नियम बना जाते तो आज अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भटकते हुए नहीं फिरते। यह कमी आपने रखी और मैंने आपसे कहा कि सारे विभाग इससे जुडे हुए हैं, हमने यह बनाई है...

श्री अध्यक्षः अब आप बना दीजिये, कोई बात नहीं है।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): हमारी सरकार पूरी चिंतित है और आपको, सदन को विश्वास दिलाया कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाडियों को मौका देंगे। जहां तक लिम्बा राम की बात है...

श्री अध्यक्षः आप शीघ्रातिशीघ्र बना दीजिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): हम जहां छोड़कर के गये वहां के वहां ही हो, वहां से एक कदम आगे नहीं बढ़े हो।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): बना देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, लिम्बा रामजी की आपने भी बात कही, लिम्बा रामजी का प्रस्ताव हमारे पास आया है...

एक माननीय सदस्य: लिम्बा रामजी को रोजगार दो। अन्तरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है उसको तो दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये तो सही।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): आप सुनेंगे तब बोलूं। आपने लिम्बा रामजी की बात कही, मैंने अभी हाउस में इसी सत्र के दौरान भी कहा था कि लिम्बा रामजी का प्रस्ताव हमारे पास आया हुआ है और लिम्बा रामजी की चूंकि क्वालिफिकेशन...

एक माननीय सदस्य: इन्होंने किया कुछ नहीं और अब दूसरों को दोष दे रहे हैं।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): एक मिनट, शैक्षणिक योग्यता है उसमें शिथिलता चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निर्देशित कर दिया कि यह फाइल मेरे पास भिजवा दो, इसमें शिथिलता भी दे देंगे और उसकी योग्यता के अनुसार प्रावधान भी कर देंगे। तो चार खिलाडियों के हमारे पास हैं, हम कर रहे हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जमीन के बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष: योग्यताएं बदली भी जाती हैं।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): हम बदल रहे हैं। बदलने के लिए ही फाइल जा रही है और बिलकुल बदल देंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये चार जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं इनको हम शिथिलता प्रदान करके नौकरी उनकी योग्यता के अनुसार दे देंगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उनको रियायती दर पर जमीन के बारे में क्या आपका विचार है ?

श्री अध्यक्ष: श्री बद्रीलाल जाट।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय अध्यक्षजी, लिम्बा राम,

(श्री शांतिलाल चपलोत)

श्याम लाल और नरेश डामोर तीन ही खिलाड़ी हैं ऐसे। श्याम लाल, नरेश डामोर और धूलचन्द। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बस, अब नहीं। नैक्स्ट क्वेश्चन। मैंने दूसरा नाम पुकार लिया है। श्री बद्रीलाल जाट।

कपासन (चित्तौड़गढ़) में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर योजनान्तर्गत निर्मित एनीकट

309. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा भूजल संरक्षण एवं वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्कीम के अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ जिले की विभिन्न पंचायत समितियों को वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं उसमें से कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) उक्त योजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कपासन में पंचायत समिति वार स्वीकृत एनीकटों पर स्वीकृति व लागत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(समय : 12.00 बजे)

श्री बाबूलाल (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत): (1) चित्तौड़गढ़ जिले में "भूजल संरक्षण एवं वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्कीम" नाम से कोई योजना संचालित नहीं है। जिले में जलग्रहण आधारित योजनाओं में कार्य करवाये जा रहे हैं जिनके अन्तर्गत जिले की विभिन्न पंचायत समितियों को वित्तीय वर्ष 2003-2004 से माह जनवरी, 2006 तक कुल रुपये 1569.39 लाख की राशि प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध रुपये 1493.75 लाख का व्यय किया गया है।

(2) जलग्रहण क्षेत्र आधारित योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कपासन में पंचायत समितिवार एनीकटों पर स्वीकृत राशि एवं माह जनवरी, 2006 तक व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि भू-संरक्षण एवं वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्कीम राजस्थान में कहां-कहां संचालित हैं एवं इसमें जलग्रहण के माध्यम से कपासन विधान सभा क्षेत्र में जो कर रहे हैं, इन दोनों

(श्री बद्रीलाल जाट)

में क्या अन्तर है? मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि जलग्रहण समितियां ग्रामवार बनी हुई है या ग्राम पंचायतवार बनी हुई है? चौथा प्रश्न यह है कि जो समितियां जलग्रहण की गांवों में बनी हुई हैं, उनमें जिन-जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और भ्रष्टाचार के आरोप साबित होने के बाद मंत्री महोदय ने क्या कार्यवाही की है? पांचवां प्रश्न यह है कि इनमें किस-किस श्रेणी के भू-संरक्षण के काम कराये जा रहे हैं और छठा प्रश्न, जो एनीकट कपासन विधान सभा क्षेत्र में बनाये हैं, वे पूर्ण हैं और शेष राशि कब तक व्यय हो जायेगी?

श्री बाबूलाल (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने विधान सभा क्षेत्र कपासन के बारे में प्रश्न पूछा है, कपासन विधान सभा क्षेत्र में तीन पंचायत समितियों का एरिया आता है, जिसमें कपासन पंचायत समिति में 94 एनीकट स्वीकृत किये हैं। जिनकी स्वीकृत राशि 171 लाख रुपये में से 167 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। भोपालसागर पंचायत समिति भी माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में आती है, इसमें 39 एनीकट स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 71.80 लाख रुपये की स्वीकृत राशि के अगैन्स्ट 68.70 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। भदेसर पंचायत समिति के लिए मैं कहना चाहूंगा कि इनके सात एनीकट स्वीकृत किये गये हैं। कुल मिलाकर विधान सभा क्षेत्र में 140 एनीकट स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें 255 लाख रुपये की राशि के अगैन्स्ट 248 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। दूसरी चीज, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसमें ऐसी कोई शिकायत हमारे पास प्राप्त नहीं हुई है और फिर भी यदि माननीय सदस्य की जानकारी में है तो निश्चित रूप से बता देता हूं कि उस पर कार्यवाही कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों के वेतन निर्धारण में भेदभाव के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्ताव के रूप में तो अनुमति देने में असमर्थ हूं लेकिन मैं चाहूंगी कि माननीय मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करेंगे।

(2) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से तीन वर्ष से कम उम्र के बछड़ों को राज्य से बाहर ले जाने पर रोक से पशुपालकों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।

(3) श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़) एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से जिला श्रीगंगानगर में सैन्य गतिविधियों से प्रभावित कृषकों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(4) श्री अमराराम (धोद) एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से सीकर की मण्डी में किसानों को प्याज का उचित मूल्य नहीं मिलने के सम्बन्ध में।

(5) श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा की ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगी, हैल्पर के चयन में अनियमितता के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि जिन पर सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः स्थगन प्रस्ताव पर तो अनुमति देने में असमर्थ हूं, फिर भी माननीय सदस्य श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, श्री मंगलाराम गोदारा, श्री अमराराम धोद एवं श्री जीतमल खांट को अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दो मिनट का मतलब दो मिनट ही है?

श्री अध्यक्ष: कोशिश मैं तो करती हूं कि दो ही मिनट में अपनी बात समाप्त करें लेकिन जो हठधर्मी करते हैं, उसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): डाक्टर सी.पी. जोशी बोले और दो मिनट बोले, यह सम्भव ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, सी.पी. जोशी तो नहीं बोलेंगे, वह तो सरकार स्थिति स्पष्ट करेगी, माननीय मंत्री महोदय करेंगे, तब पूछेंगे प्रश्न वह।

(6) श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर) एवं श्री जुबेर खान (रामगढ़) सदस्य की ओर से अलवर स्थित सैनी उच्च माध्यमिक विद्यालय के आर्थिक तंगी के कारण बिकने की स्थिति में होने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी जुबेर खान केवल दो मिनट में अपनी बात कह सकेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव के पहले प्रस्तावक सदन में है जितेन्द्र सिंहजी, पहले वह बोल लें, उसके बाद जुबेर खानजी बोल लें।

श्री अध्यक्ष: नहीं, पहले प्रक्रिया के नियम 295 हैं, उनको पढ़ूंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, पहले प्रस्तावक जितेन्द्र सिंहजी हैं।

श्री अध्यक्ष: पहले प्रस्तावक जितेन्द्र सिंहजी हैं तो वह बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हां, बिलकुल जितेन्द्र सिंहजी बोलेंगे।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कृषि उपज मण्डी द्वारा बनाई गई सड़कों का पुनः डामरीकरण करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री बनवारी लाल (धौलपुर) सदस्य की ओर से जिला धौलपुर के ग्राम किरारपुरा के आराजी खसरा नम्बर 231 रकबा दो बीघा 04 बिस्वा से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ के सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय में हुई अनियमितताओं की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) सदस्य की ओर से पाली जिले से पलायन कर अन्य राज्यों में जाने वाले भेड़पालकों की दुर्दशा एवं क्षेत्र की फसल को रोजड़ों से बचाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) सदस्य की ओर से तहसील नैनवां के ग्राम कैथूना एवं अरियाली की चारागाह भूमि पर कब्जेकाश्त काश्तकारों की भूमि को नियमित करने के सम्बन्ध में।

(6) प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) सदस्य की ओर से अजमेर रोड, जयपुर की रानी सती योजना को जनहित में निरस्त करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्रीमती स्नेहलता (डग) सदस्य की ओर से डग नगर के एक अनुदानित संस्कृत विद्यालय को सरकारी करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) सदस्य की ओर से जमवारामगढ़ के महल, शिकारगाह हवा ओदी आदि स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित कर इनका जीर्णोद्धार करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) सदस्य की ओर से जिला चित्तौड़गढ़ में अत्यधिक भूजल दोहन होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर के थाना कल्याणपुरा के एक पुलिसकर्मी स्व0 श्री गंगाराम को शहीद का दर्जा दिलवाकर सम्मान करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री सी. डी. देवल (रायपुर) सदस्य की ओर से ग्राम मूण्डिया थाना देवली के एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का ट्रेक्टर पुलिस की मिलीभगत से ट्रेक्टर विक्रेता द्वारा अपने कब्जे में रख लेने के सम्बन्ध में।

(12) श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) सदस्य की ओर से शाहपुरा कस्बे में पानी की निकासी अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति आज नहीं होगी क्योंकि आज एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल, दोनों पर विचार होगा, इसलिए इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा। श्री रिछपाल सिंह मिर्धा। प्लीज, दो ही मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

(नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

स्थगन प्रस्तावों आदि पर चर्चा

तीन वर्ष से कम उम्र के बछड़ों को राज्य से बाहर ले जाने पर रोक

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मैं दो मिनट में ही अपनी बात कह दूंगा। दो से तीन हो जाये तो आप मत कहना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का और पशुपालन मंत्रीजी का ध्यान...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। यह अफरा-तफरी क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या हो जाता है आप लोगों को, सारे के सारे खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): एक मिनट तो यह ऐसे ही कर दिया खराब। पशुपालन मंत्रीजी का ध्यान हमारे नागौर जिले के जो एशिया का

(श्री रिछपाल सिहं मिर्धा)

प्रसिद्ध पशु मेला भरता है, उनकी तरफ ले जाना चाहता हूं। तीन वर्ष से कम उम्र के बछड़ों पर राज्य सरकार से रोक लगी हुई है कि उनको बाहर नहीं ले जा सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि तीन वर्ष के बछड़े, तीन वर्ष तक उसको रोक लें तो वह सांड हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता और जो हमारे मेले भरते हैं, उन मेलों में यू.पी., हरियाणा, पंजाब और बाहर के अन्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के काश्तकार आते हैं, वे बछड़ों को खरीदकर कृषि हेतु हल जोतने के लिए ले जाते हैं, न कि ये बछड़े कटने के लिए जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से यह रोक लगी हुई है, उस रोक को हटाकर जिनका जीवन निर्वहन करने का एकमात्र सहारा कृषि और पशुपालन है। हमारे जिले में वैसे भी गाय की अभी दुर्दशा है, सब जगह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा दुर्गति हो गई है, न कोई लोग गाय रखना चाहते हैं, क्योंकि बछड़े बिकते नहीं हैं, मेले लगते नहीं, मेले सब खतम हो गये। इसलिए मैं आपके माध्यम से पशुपालन मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में एक लाइन का संशोधन अगर राज्य सरकार करके नियम को हल कर दे कि ये राज्य से बाहर ले जा सकते हैं तो हमारे कृषि और पशुपालक इनका आभार मानेंगे। मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: एक बार तो रोक हट गई थी यह।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा: नहीं हटी साहब, मैं लगातार सात वर्ष से इस सदन में यह बात कह रहा हूं। पांच वर्ष इनके शासन में यह रोक नहीं हटी। और अब भी मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में नागौर की नस्ल समाप्त होने के कगार पर है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): किसानों का और पशुपालकों का अहम मुद्दा है अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान का मुद्दा है।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले और नागौरी बछड़े की दुर्दशा हो रही है माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तीन साल की जो रोक है वह हटवाने में आपकी कृपा करायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा: आपसे ज्यादा इस संबंध में कोई जानता नहीं है अध्यक्ष महोदय, आपको इस प्रकरण की पूरी जानकारी है।

श्री श्रवण कुमार: बहुत अहम मुद्दा है माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसानों और पशुपालकों के लिए अहम मुद्दा है पूरे राजस्थान में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उस रोक को खतम किया जाय।

श्री अध्यक्ष: जो लोग नियमों का ध्यान नहीं रखते, मैं नोट कर रही हूं और जो नियम का ध्यान नहीं रखें, नियम का पालन नहीं करते, मैं उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दूंगी।

श्री श्रवण कुमार: किसान को अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: हां, माननीय मंत्रीजी, वैसे तो नीतिगत प्रश्न है, फिर भी...

श्री रामचन्द्र जारोड़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पशुपालन मंत्रीजी से मेरा अनुरोध है कि जो तीन साल के जो बछड़े हैं उनमें जो रोक लगाई है..

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठें, वह बात हो चुकी है।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा: उससे जो नुकसान हुआ है किसानों को, सरकार क्या कर रही है किसानों की इसको सुधारने में?

श्री अध्यक्ष: वह बात कह दी उन्होंने। आप स्थान ग्रहण कर लें। माननीय मंत्रीजी, इस बारे में आप केबिनेट में विचार-विमर्श करके कोई फैसला लें। क्योंकि यह बात सही है कि इसकी वजह से वह जो अच्छी नस्ल के हमारे बछड़े हैं उसी की वजह से गायें हैं, उन गायों के दूध ज्यादा नहीं होता है। लेकिन वह चूंकि अच्छी किस्म के हैं बछड़े, बछड़ों की वजह से ही लोग गायें पालते हैं नागौरी किस्म की तो इस बारे में आप कोई विचार-विमर्श करके कुछ फैसला लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़: जरूर अध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं से मुख्य मंत्रीजी को जरूर अवगत करा देंगे।

श्री प्रभुलाल सैनी (पशुपालन मंत्री): एक मिनट आप, मुझे ही बोलने दो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): इनका वक्तव्य तो मत करवाओ, सोच-समझ करके करिये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वक्तव्य कब करा रही हूं, यही तो मैंने कहा कि सोच समझ कर फैसला लें। (व्यवधान) वक्तव्य पेश कर रहे हैं आप?

श्री प्रभुलाल सैनी: आपकी भावना की कद्र करते हुए मैं कुछ कहना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: सी.एम. से आप, केबिनेट में, सी.एम. से बात करिये, केबिनेट में फैसला लीजिये, उसके बिना क्या कहेंगे आप, are you in a position?

श्री प्रभुलाल सैनी: एक मिनट मेरी...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी: आप बात करो सी.एम. साहब से । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको क्या मतलब है जब अगले दे रहे हैं तो, आप फाइनल डिसीजन हो क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़: अब जो स्थिति है वह तो स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष: हां जी, हां जी, बोलिये। बोलिये आप।

श्री प्रभुलाल सैनी: माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में राजस्थान गौवंश वध प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रवर्जन और निर्यात का विनियमन 1995 में एक अध्यादेश पारित हुआ।

श्री अध्यक्ष: वह तो मालूम है हमको।

श्री प्रभुलाल सैनी: मैं उसके बारे में आगे बता रहा हूं। उसकी धारा 2 में यह प्रावधान किया गया था कि जो बछड़े की परिभाषा दी गई है उसमें यह अंकित हुआ है कि तीन वर्ष से छोटे बछड़े न तो खेती के काम आते हैं और न ही वह किसी डेयरी के काम आते हैं इसलिए इस पर रोक लगी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट पिटीशन में यह निर्णय हुआ था कि यह धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और तीन साल से छोटे जो बछड़े हैं उनके बारे में एक बार फिर इनके समय में, जब तत्कालीन सरकार थी, यह केबिनेट में भी गया, लेकिन वहां भी इसका कोई निर्णय नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह विषय जैसा कि आपकी भावना है, उसके अनुरूप केबिनेट में इस पर पुनर्विचार किया जायेगा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने किसानों और पशुपालकों के लिए भावनाएं दर्शाई उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, यह बाहर सरकार नहीं ले जाने दे तीन साल के बछड़ों को...

श्री अध्यक्ष: श्री मंगलाराम गोदारा।

श्री हेमाराम चौधरी: तो सरकार इन बछड़ों को रखने के लिए तैयार है क्या? लोगों ने बछड़ों को छोड़ दिया है। सिणदरी के अंदर पशु मेला लगा वहां हजारों बछड़ों को लोग छोड़ कर चले गये। कटारियाजी, आप कह रहे हैं, आज अभी मेरे साथ चलो, सिणदरी में अभी मैं देख कर आया हूं, बछड़े खड़े हैं और वहां के लोगों ने उनको व्यवस्था की...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, बात हो गई, खतम हुई बात।

श्री हेमाराम चौधरी: बछड़े छोड़ कर गये हैं साहब, लोग, सिणदरी की बात कह रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: ना, स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करिये।

श्री हेमाराम चौधरी: सिणदरी में आप पता कर लें।

श्री अध्यक्ष: श्री मंगलाराम गोदारा। (व्यवधान) अब वह राज था, उन्होंने जो कुछ भी किया, क्यों बीच में बोलते हैं आप लोग?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप लोगों ने भी पूरे साल तक...

श्री अध्यक्ष: श्री मंगलाराम गोदारा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: अध्यक्ष महोदय, पूरे पांच साल तक आपकी सरकार ने इस विषय में बहुत गम्भीरता से दो-तीन बार विचार किया, आप इसमें कोई फैसला नहीं कर पाये, विषय गम्भीर है इसमें कोई दो राय नहीं है। अपन विधान सभा में थे तब भी इस विषय को बिल लेकर के भी आये लेकिन उस पर भी आप फाइनल निर्णय पर नहीं पहुंच सके। कोर्ट के इस आदेश के कारण से भी अभी कुछ रास्ते में अड़चनें आईं। मंत्री महोदय ने कहा कि हम मंत्रिमण्डल में विचार करेंगे, उसके बाद क्या निर्णय निकलेगा, देखा जायेगा।

गंगानगर जिले में सैन्य गतिविधियों से प्रभावित कृषकों को मुआवजा

श्री मंगला राम गोदारा (श्री डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सैन्य गतिविधियों के दौरान मुआवजे के भुगतान के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं मंत्रीजी से। केन्द्र सरकार से 2002-2005 तक प्राप्त राशि 8709 करोड़ रुपये,

(श्री मंगला राम गोदारा)

उक्त राशि से किसानों को अब तक किया गया भुगतान 79037 करोड़ रुपये, मुआवजे की राशि बची 772 करोड़ रुपये। मेरे कहने का है कि किसानों को मुआवजा मिला, वह सेंटर से मिल गया और उसके बाद किसानों को तो नहीं मिला है और सरकार में, बैंक में जमा रहे पैसे, वह पैसे जमा रहे, उनके 64 लाख रुपये किसानों के ब्याज के पैसे थे, वह सरकार ने नहीं दिये। मेरा आपसे अनुरोध है माननीय अध्यक्षजी, उन किसानों के जो 64 लाख रुपये हैं उनका भुगतान किसानों को किया जाये क्योंकि वह किसानों के पैसे हैं, किसानों का ब्याज है, सरकार का ब्याज नहीं है, सरकार को तो वहां से मिल गये थे पैसे।

श्री अध्यक्ष: खड़े होकर बात नहीं करें। माननीय सदस्य। निवाई से आने वाले माननीय सदस्य, खड़े होकर बात न करें।

श्री मंगला राम गोदारा: माननीय अध्यक्षजी, आपसे अनुरोध है कि इन किसानों के जो पैसे हैं, जो सूद के पैसे हैं, वह कोई रखता ही नहीं है। सरकार क्यों रखे उस पैसे को? वह तो किसानों के पैसे हैं, किसानों को ही मिलने चाहिए। जैसलमेर साइड के भी बहुत पैसे हैं, बोर्डर साइड के जो पैसे सैन्य गतिविधियों में जो किसानों को नुकसान हुआ, वह पैसा सरकार को सेंटर से तो मिल गया और किसानों को दिया नहीं, किसानों को लेट दिया, उन पैसों का ब्याज है, वह पैसे ब्याज के पैसे हैं, वह किसानों को मिलने चाहिए और किसानों को दिलवाने चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि वह अपना वक्तव्य दें और उन किसानों को मुआवजा दें।

श्री अध्यक्ष: कृषि मंत्रीजी, यह आपसे संबंधित है प्रश्न। कृषकों को सैन्य गतिविधियों की वजह से जो उनका नुकसान हुआ है और उसका मुआवजा जो भारत सरकार ने दिया उन्हें, उस बारे में 64 करोड़ रुपये बकाया बता रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है, 64 लाख रुपया ब्याज का है।

श्री अमराराम (धोद): जो भारत सरकार ने पैसा दिया, उस पैसे को इन्होंने बैंक में रख दिया, किसानों को नहीं दिया, उसका ब्याज है, वह ब्याज भी उनको मिले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 64 करोड़ है या 64 लाख है?

श्री अमराराम (धोद): वह पैसा जमा रहा, उसका ब्याज जो बैंक में है, वह 64 लाख रुपये, वह उन किसानों को मिलने चाहिए, न कि सरकार को। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया: अध्यक्ष महोदय, यह वैसे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित है क्योंकि इसका वितरण कलक्टर करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सीमावर्ती जिला जो गंगानगर है उसमें किसानों को जो केन्द्र सरकार द्वारा जो मुआवजा दिया गया था वह मुआवजा कुछ काश्तकार ऐसे हैं जिनको समय पर नहीं देने के कारण से उसका जो ब्याज जितने समय का हुआ वह किसानों को नहीं दिया गया। किसी विवाद के कारण से मुआवजा नहीं लिया जा सका। कई मामले कोर्ट में थे, कई लोगों को ऐसे ही देने में देरी कर दी, ऐसे काश्तकारों का जो ब्याज बकाया है सरकार की तरफ से, वह देने की बात कह रहे हैं।

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: यह कह रहे हैं मुझसे संबंधित नहीं है।

श्री गुरजंट सिंह बराड़: ऐसा है साहब, जो पैसा दिया जा चुका है, आठ करोड़ के लगभग तो इनके पास पड़ा है। और ग्यारह सौ केस ऐसे हैं कि जिसमें जीवीदारों का विवाद है, किसी ने हिस्से पर बटाई की या किसी के दूसरे में और ऐसा पैसा जो दिया जा चुका है उसका है ब्याज का 65 लाख। वह पैसा जब सेना से हमारा नुकसान हुआ फसल का, वह पैसा जब सेंटर से आ गया, वह पैसा काश्तकार का हो गया। वह हमारे से देने में कोई हमारे से गलती हुई या वितरण नहीं हुआ, वह पैसा जो 65 लाख है हम वह चाहते हैं कि वह पैसा, मेरा ख्याल ऐसा है कि कोई कलक्टर वगैरह उस पैसे को रोक कर रखे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वह पैसा दिया जाय, वह अपने काम में ले रहे हैं। मेरे को ऐसा भी ज्ञान हुआ है, जानकारी है कि उस पैसे को कुछ कलक्टर ने अपने वहां कुछ...

श्री अध्यक्ष: ठीक है, कह दिया आपने।

श्री गुरजंट सिंह बराड़: मेरा ऐसा है कि उसने कोई खरीद-फरोख्त करी है उस पैसे से। मेरा यह कहना है कि वह पैसा किसानों का है, किसानों को मिले।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम धोद।

सीकर मण्डी में किसानों को प्याज का उचित मूल्य दिलवाने विषयक

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर प्याज के मामले में राजस्थान में सबसे बड़ी मण्डी है।

श्री अध्यक्ष: प्याज आ गया क्या बाजार में?

श्री अमराराम (धोद): आते पन्द्रह-पन्द्रह दिन हो गये और उसमें हालत यह है कि अभी दो महीने पहले, तीन महीने पहले प्याज, 20 से 25 रूपये किलो आम उपभोक्ता को मिला है। और वही प्याज जब किसान बेचने के लिए गया था एक रुपये में और आज पन्द्रह दिन आते हुए हुए और आज मण्डी की हालत यह है कि 70 से 80 रुपये मण के हिसाब से आ रहा है। और यह तो अभी दस-बारह दिन हुए हैं, अभी तीन महीने तक प्याज आयेगा तो उसकी क्या हालत होगी। मैं समझता हूं राजस्थान का किसान जो फसल को डाइवर्ट करके जिस प्याज को जहां सर्दी से नहीं मारा जाय, दूसरी बीमारियों से नहीं मारा जाय, और उसको कुछ न कुछ लाभ मिले, इसको लेकर के गेहूं और दूसरी फसल से प्याज में किसान गया था और सीकर और आस-पास के जो नागौर का इलाका है, वहां से प्याज की पूरी मण्डी सीकर में मण्डी है और उस किसान के साथ जो यह हो रहा है भाव में, मैं समझता हूं कि इसमें सरकार ने दो साल पहले बाजार हस्तक्षेप योजना के माध्यम से प्याज खरीदने का काम किया था। दो साल पहले 105 रुपये प्रति मन के हिसाब से और वो हस्तक्षेप योजना यह है कि दो साल पहले जो कीमत थी आज लागत मूल्य उससे भी कई गुना चाहे, वो डीजल है, खाद है, दूसरी चीजें हैं सब में बढ़ोतरी हुई है। तो तय रूप से अगर किसान को आप बचाना चाहते हैं तो सीकर की उस मण्डी में एक तो हस्तक्षेप योजना के माध्यम से उसके प्याज की कीमत 105 रुपये से बढ़ाकर सरकार खरीदने के लिए इन्टरफियर करे। और दूसरा उसमें सबसे प्रमुख कारण राजस्थान में दूसरी जगह जहां भी थोड़ा बहुत प्याज होता है वहां भाव नहीं गिरता है और सीकर में गिरने का प्रमुख कारण है कि वहां के जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उन्होंने यूनियन बनाकर दूसरे राज्यों से वही अगर दिल्ली से ट्रक माल लेकर सीकर आता है। उससे दो गुना से ढाई गुना कीमत और मनमर्जी ट्रांसपोर्ट विभाग में रेट निश्चित है। दूसरा पंजाब से

(श्री अमराराम (धोद)

हरियाणा, यूपी और पश्चिमी बंगाल तक सीकर का प्याज पश्चिमी बंगाल तक जाता है और ट्रकों से जाता है रेल से नहीं जाता ट्रक यूनियन ने जिस तरह से मनमर्जी कर रखी है इसलिए ...

श्री अध्यक्षः आपने कह दी अपनी बात। दो मिनट का ही तो समय था दो मिनट का था आपने 6 मिनट ले लिये।

श्री अमराराम (धोद): नहीं अध्यक्ष महोदय, उनके साथ जो ...

श्री अध्यक्ष: नहीं कैसे । बात आ गयी आपकी। बात आ गयी। मंत्री जी कहना चाहते हैं।

श्री अमराराम (धोद): सैकड़ों करोड़ों का नुकसान है न पैदा करने वाले को मिलता है न आम उपभोक्ता को मिलता है।

श्री अध्यक्षः मंत्रीजी कहना चाहते हैं। मंत्रीजी आपको जवाब दे रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद): और मिडियेटर उस मेहनत का खामियाजा किसान भोगता है और फायदा दूसरे लोग भोगते हैं।

श्री अध्यक्षः अब स्थान ग्रहण कर लें।

श्री अमराराम (धोद): इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि एक तो इस...

श्री अध्यक्ष: सरकार बोलेगी न।

श्री अमराराम (धोद): ट्रक ऑपरेटर यूनियन की जो मनमर्जी है इसके खिलाफ आप हस्तक्षेप योजना के अनुसार खरीद करके उस किसान को बचाने का काम करें।

श्री अध्यक्षः सरकार बोलेगी अब।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है। सीकर मण्डी में अभी इक्कीस तारीख से प्याज का आना प्रारंभ हुआ है।

श्री अध्यक्षः नहीं, सदस्य की तो चिन्ता है, लेकिन आपको चिन्ता है कि नहीं सवाल यह है।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): मैं यह चिन्ता ही तो आपको बता रहा हूं आपके माध्यम से। तो अभी वर्तमान में 170 रुपये पर क्विंटल औसतन वहां पर उसके भाव चल रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, समर्थन मूल्य में तो प्याज आता नहीं है। और गत वर्षों में हम लोगों ने 2004 और 2005 में इन्टरवेंशन ऑफ द मार्केट यानी बाजार में हस्तक्षेप योजना लागू कर 280 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से प्याज क्रय किये गये थे। इस वर्ष भी हम लोग उसका आकलन करवा रहे हैं और जो उसकी लागत है उसका अनुमान करके भारत सरकार को इन्टरवेंशन करने के लिए प्रस्ताव शीघ्र हम भिजवायेंगे। वहां से स्वीकृति प्राप्त होने के तुरन्त बाद बाजार में हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत प्याज खरीदने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, एक सवाल। प्लीज।

श्री अध्यक्ष: अब नहीं । कुछ नहीं। नथिंग। नथिंग मोर। नो । जीतमल खांट।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : एक ही। एक सवाल । मंत्रीजी भारत सरकार को आप कागज भेजेंगे तो इससे भारत सरकार...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री जीतमल खांट।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, हस्तेक्षप योजना का दे दिया लेकिन जो ट्रक यूनियन है जो मर्जी से गुंडागर्दी करके दो से ढाई गुना रेट पर माल, नुकसान कर रहे हैं उस पर भी सरकार ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री जीतमल खांट। माननीय सदस्य श्री जीतमल खांट, बहरे हैं क्या? आप हार्ड ऑफ हियरिंग हो क्या?

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष: नहीं अब कुछ नहीं। कोई अब माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं। नौ-नौ।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): सीकर में ट्रक यूनियन वालों ने अपनी मर्जी से ढाई गुना किराया लेकर के वहां के व्यापरियों और किसानों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): कि एक ट्रक से नवलगढ़ से जयपुर का 45 रुपये लेते हैं नवलगढ़ से और सीकर से वो ही ट्रक वाला 55 रुपये लगाता है और यदि दूसरा ट्रक वहां माल भरता है ...

श्री अध्यक्ष: आपने तो दस्तख्त किया नहीं पर्ची पर आपके तो कोई दस्तख्त है नहीं क्या बोल रहे हैं आप?

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): तो उनको पीटा जाता है आज आठ रोज से सीकर में स्ट्राइक चल रही है और वहां कलक्टर को ज्ञापन दे दिया गया है आठ रोज से मण्डी बंद पड़ी हुई है ।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी ने जवाब दे दिया न।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, पूरे जिले के किसानों को उसका नुकसान है अनाज सीकर की मण्डी में नहीं जाता दूसरी जगह जाता है और सरकार अगर इन ट्रक मालिकों की गुंडागर्दी के पक्ष में है तो सरकार यह कह दे कि हम उनकी गुंडागर्दी के पक्ष में हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ...(व्यवधान) किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। सीकर में किसानों और व्यापरियों के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री अमराराम (धोद): ...(व्यवधान) 27 मुकदमे दर्ज हैं अध्यक्ष महोदय, जो भी माल भर लिए उनके खिलाफ मारपीट करने के ट्रक यूनियन पर 27 मुकदमे हैं और एक भी मुकदमे में कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब-जब भी इस प्रकार की स्थिति ट्रक यूनियनों की मनमर्जी जहां-जहां भी हुई हम लोगों ने पूरी कोशिश करके उन सारी ट्रक यूनियनों को इस गुंडागर्दी से मुक्त कराया । बीकानेर का एक लंबा आंदोलन इसी बात का चला हमने उसको किसी तरह से तोड़कर उसमें सफलता हासिल की। बहरोड़ का भी इसी प्रकार का मामला हुआ उसमें भी हमने दखलंदाजी करके जो भी हमारे अधिकार हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो कुछ किया जा सकता है वो किया। यहां की बात आज सामने आयी है। हमारा विभाग इस पर बैठकर विचार करेगा। और किस तरह से ये जो गुंडागर्दी के आधार पर जो कुछ रेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक दिन में यूनियन नहीं टूटी। आपने देखा होगा बीकानेर में हमको एक महीना लग गया। बहरोड़ में भी लगभग हमको कोई पच्चीस से सत्ताईस दिन लगे तब जाकर के यूनियन का यह सारा हुआ। सीकर का आप ध्यान में लाये हम उसी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रकार से कोशिश करेंगे कि न तो कंजूमर को और न किसान को किसी प्रकार की अड़चन आये। हम इसकी कोशिश करेंगे लेकिन हम एकदम कोई उनके ऊपर हमला कर दें या कोई आक्रमण करें, हम समझाइश के आधार पर कोशिश करके उसका रास्ता निकालेंगे। जैसे दो स्थानों पर निकला है तो यहां भी निकलेगा ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): बाड़मेर में भी निकाला है आपने बाड़मेर में भी यूनियन मनमर्जी करती थी । हल हो गया मामला।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह है सरकार ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: और ये हैं सरकारी मुख्य सचेतक। ...(व्यवधान)

बागीडोरा की ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगी, हैल्पर की नियुक्तियों में अनियमितताएं

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के इस पूरे राज्य में अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किये गये हैं और हमारे...

श्री अध्यक्ष: आपको दो मिनट में ही तो कहनी है अपनी बात।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): हां, हां दो मिनट में ही अपनी बात को समाप्त करूंगा।

...और राज्य सरकार की मंशा है कि बच्चों और महिलाओं का समग्र रूप से विकास हो इसी तत्वावधान में राज्य सरकार ने पिछली बार ग्राम सभाओं के माध्यम से जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सहयोगिनियों को और हैल्परों के चयन की जो प्रक्रिया सारी जवाबदारी ग्राम सभाओं के माध्यम से सुनिश्चित की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन पूरी ग्राम पंचायतों के जो हालात हैं जिन-जिन ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के, हैल्परों के और सहयोगिनियों के जो आवेदन ग्राम पंचायत के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं वहां का सरपंच को ग्राम सभा के माध्यम से मजमेआम में जिसका चयन होना चाहिए। और उसी ग्राम सभा के माध्यम से उसका वहां पर उस बैठक के रजिस्टर के अन्दर इन्द्राज होना चाहिए और वहां पर घोषणा होनी चाहिए कि फलां व्यक्ति को यहां पर चयन किया गया हैल्पर में, सहयोगिनी में और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में।

(श्री जीतमल खांट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कह सकता हूं कि पूरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जितने भी सरंपच लोग हैं सारे अपने भाई भतीजों और अपने परिवार के लोगों को लगाने के सारे तौर तरीके अपना करके, माननीय मंत्रीजी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने इस चयन प्रक्रिया के अन्दर कोई नार्म्स तैयार कर रखे हैं? जब आप द्वारा नार्म्स तैयार कर रखे हैं तो इन नार्म्स में सारे के सारे को ताक में रख करके जो सरपंच सारे ग्राम राज की सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है। उस परम्परा को तोड़ रहा है आपके निर्देशों की पालना नहीं कर रहा है क्या आप उनके लिए कुछ कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं ? मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगा यह मेरे बागीदौरा विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं पूरे जिले में यह हालत है। और मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि आपकी जो गाइड लाइन्स का जो उल्लंघन कर रहे हैं कोई ग्राम पंचायत को पूरा पॉवर थोड़े दे दिया आपने कि वो जो कहे उसी का चयन हो जाए । आपके कम से कम सुपरविजन करने वाले वहां पर सीडीपीओ हैं वहां पर आपके इंस्पेक्टर हैं आपके जिलास्तर पर डिप्टी डाइरेक्टर है आप जिले के ऐसे सारे प्रकरणों को मंगवाकर जिन लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज करायी है इन सारे प्रकरणों को आप जिला स्तर पर मंगाइये और इनको सही तरीके से आप सुपरविजन करके जो व्यक्ति पात्र हैं उन्हीं को उसका लाभ मिले, यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद । श्री जीतेन्द्र सिंह ।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बागीडौरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो वेदना बताई है वह पूरे राजस्थान की भी बताई है। और वास्तव में पंचायत क्षेत्र में जहां-जहां प्रकिया का काम, आंगनबाडी सहयोगिनी का काम ग्राम पंचायतें करती हैं इस प्रकार की स्थितियां जहां-जहां आई हैं मैं व्यक्तिश: बुलाकर इसके समाधान की कोशिश करता हूं और आपके जिले में और आपके विधान सभा क्षेत्र के बारे में आपने जो बात मेरे ध्यान में दिलाई है मैं इसकी जांच करवा कर जो प्रक्रिया है, उसके तहत ही चयन करने के निर्देश जारी करूंगा ताकि सही प्रकार से उसका चयन होगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई आवश्यकता नहीं है कि आप हर बात पर बोले । कोई आवश्यक नहीं है कि हर विषय पर आप बोलने के लिये खड़े हो जाये । (व्यवधान) सबको मालूम है । श्री जीतेन्द्र सिंह ।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, इस विषय की जानकारी श्री जुबेर खानजी को ज्यादा है तो श्री जुबेर खानजी बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, आप थोडा नियंत्रित करें अपने सदस्यों को।

अलवर के सैनी उच्च माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों को भुगतान विषयक

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह सैनी उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर में एक ऐतिहासिक विद्यालय है । 1940 में चूंकि राजस्थान की रियासत काफी डेमोक्रेटिक और पंचायती राज सिस्टम आजादी के पहले ही लागू कर दिया था ।

श्री अध्यक्ष: आप भूमिका मत बांधिए केवल आपको दो मिनट दिए हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 1940 में इस शिक्षा समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ । 1995 में प्राथमिक शाला चली और 1960 से हाई स्कूल वहां चल रही है और ढाई हजार के लगभग बच्चे बच्चियां उसमें पढते हैं, मैरिट में आते रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पूर्व जब अख़बार में आया कि सैनी स्कूल की बिल्डिंग की कुर्की के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दे दिये हैं। तो पता चला कि क्या परिस्थिति हुई संस्था के साथ कि इसकी कुर्की के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये हैं । तो पता चला जो पदाधिकारी उस संस्था में थे पिछले 20-25 साल से यह स्थिति हो गई कि जो टीचर रिटायर हुए उनका प्रोविडेंड फंड, ग्रेच्युएटी और जो उनको फंड मिलना चाहिये वह लाखों में हो गया, उनको दे नहीं पाये । आज स्थिति यह है कि 12 अगस्त, 2005 को एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है ।

श्री अध्यक्ष: प्राइवेट स्कूल रोज बनती है और रोज बंद होती है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। और 12 अगस्त, 2005 को इस संबंध में एफआईआर 263/5 कोतवाली अलवर में दर्ज हुई है और यहां सैनी समाज के लोग अलवर में 26 जनवरी से धरना दिये हुए हैं, गृह मंत्रीजी से मिले हैं और गृह मंत्रीजी ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि इसमें कार्यवाही होनी चाहिये । सवाल यह नहीं है कि इसमें घपला कम हुआ है या ज्यादा हुआ । स्थिति यह है कि स्कूल बंद होने के कगार पर है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकरण की जांच करें, इसकी फाइल जो पिछले 8-9 महीने से आपने जयपुर में रख रखी है इस फाइल को अलवर में भेज दीजिए ताकि इस पर कार्यवाही हो।

श्री अध्यक्षः श्री मांगीलाल गरासिया पर्ची पर बोलेंगे ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी इसमें कुछ कहना चाहेंगे पूरे समाज के लोग इनसे मिलकर गये हैं ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस विषय में एफआईआर दर्ज हुई थी उसकी जांच हुई । उस जांच पर कुछ लोगों को एतराज था कि यह ठीक नहीं हुई । उसकी जांच हमने यहां मंगाई और वह जांच सीआईडी में चल रही है । जैसे ही उसकी जांच पूरी होगी उसके आधार पर जो भी कार्यवाही करनी है वह हम करेंगे । क्योंकि कोई भी पक्ष किसी से संतुष्टि जाहिर नहीं करता है तो स्वाभाविक है क्योंकि इतनी पुरानी संस्था है और उसके मैनेजमेंट के बारे में जो उनको शंकाएं हैं उसको पुख्ता जब तक हम नहीं कर तब तक किसी पर कोई कार्यवाही करने की स्थिति नहीं बनती है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं जहां भी जांच है जल्दी से जल्दी पूरी करके उसका निस्तारण करेंगे ।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, भाजपा के नेता उसमें इन्वाल्वड है इसलिए उन्होंने जांच मंगाई है । सारी जांच आ गई है क्या, कोई भी एफआर्इआर लाज होती है उसकी जांच सीधे यह मंगा लेते हैं क्या, उसमें इनके नेता इन्वाल्वड है इसलिए जांच मंगाई है ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उस एफआईआर में उन्होने जो गबन लिखा है कि इस संस्था में इस तरह से दो लाख रुपये गबन हुए । उनका यह कहना है कि वकीलों को जो पेमेंट उन्होंने दिखाया है वह वकीलों को पेमेंट नहीं कर के पेमेंट रिकार्ड पर शो कर रखा है। इस तरह से कई बिन्दु उन्होंने खड़े कर रखे हैं जिनके बारे में जब तक उनसे पूछताछ नहीं होगी उसके कारण से उसमें थोड़ा विलंब हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जैसा मैंने आपको कहा कि जब मैं हाउस में यह कह रहा हूं तो मैं निश्चित रूप से इस जांच को जितना जल्दी संभव हो सकेगा पूरी करेंगे ।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): माननीय मंत्रीजी आप जितना इसको लेट करेंगे उतना संस्था को नुकसान हो रहा है ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप इसको प्रभावित तो नहीं करोगे ना? आपके दल के सदस्य हैं, ईमानदारी से न्याय होगा ना?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): कोई सवाल ही नहीं चाहे हमारा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सदस्य हो चाहे मैं स्वयं भी हूं अगर उसमें गलती होगी 100 प्रतिशत उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, कोई सवाल पैदा नहीं होता इसमें ।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, इनको टाइम बाउंड कीजिए एक-एक दिन वहां भारी पड़ रहा है, वह संस्था बंद होने वाली है, पुरानी संस्था है दो ढाई हजार बच्चे उसमें पढते थे वह बंद हो जायेगी । यह दो साल तक यहां फाइल लेकर बैठे रहे।

श्री अध्यक्ष: सवाल यह है कि शिक्षा मंत्रीजी वह गबन करते रहे और ग्रांट इन एड मिलती रही ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह मसला आया लेकिन दोनों तरफ से इस प्रकार की शिकायतें की जा रही हैं जिससे अभी विनिश्चय की स्थिति नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि वहां पर जैसा मेरे अब तक ध्यान में आया है जब तक प्रशासक लग कर उसका कार्यभार नहीं संभालेगा तब तक उस संस्था में शिकायतें चलती रहेंगी । बहुत प्रतिष्ठित वह संस्था है और बहुत पुरानी संस्था है मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से तीन दिन में उसकी रिपोर्ट ले लूंगा और रिपोर्ट लेने के बाद में शिक्षा विभाग उस संस्था को बंद होने से जो कुछ कर सकता है वह हम करेंगे

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष: श्री मांगीलाल गरासिया ।

डा. सी. पी. जोशी: अध्यक्ष महोदय, हमारे स्थगन प्रस्ताव पर आपने व्यवस्था दी है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी एक सैकण्ड में थोडे ही बोलेंगे । मंत्रीजी को स्पष्टीकरण हेतु मैंने कहा है। जब उनको सुविधा होगी उस समय दे देंगे ।

डा. सी. पी. जोशी: आप बता दें आप जब भी समय देंगे हमें कोई तकलीफ नहीं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे पता ही नहीं है क्या है।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने आज स्थगन प्रस्ताव दिया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों के वेतन निर्धारण में भेदभाव है । जो पहले अपाइंट हो गये उनको तो रेगुलर वेतन मिल रहा है और जो एक पर्टीकूलर तारीख के बाद हुए हैं उनको फिक्स वेतन मिल रहा है । उस बारे में इनका स्थगन प्रस्ताव है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप मुझे थोड़ा समय दें यह बात तो मेरी समझ में ही नहीं आई ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सब समझ में आया हुआ है आपको । आरपीएससी ने चयन किया एक साथ ।

श्री अध्यक्ष: आप कल दे दीजिए ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ इन्फोरमेशन है ।

श्री अध्यक्ष: कोई इन्फोरमेशन नहीं होती है यह जीरो आवर है, जीरो आवर में कोई इन्फोरमेशन नहीं होती है । बैठिए, बैठिए । स्थान ग्रहण करें ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): स्टेच्यु सर्किल पर लाखों किसानों के बेटे जो पंचायती राज के सदस्य हैं वह स्टेच्यु सर्किल पर खड़े हैं ।

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष कंट्रोल करें इन्हें । श्री मांगीलाल गरासिया । नेता प्रतिपक्ष ने सिर चढा दिया इन्हें हर बात पर खड़े हो जाते हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): किसानों की बात तो सुना आप कम से कम हजारों किसानों के बेटे खड़े हैं स्टेच्यु सर्किल पर ।

श्री अध्यक्ष: किसान की बात सुना, किसान आप ही हैं बाकी के यहां कोई किसान है ही नहीं, अकेले किसान हो ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): पंचायती राज में कुछ मिल नहीं रहा है और नगर पालिकाओं में भत्ता दे रहे हैं और किसानों के बेटे जो चुनाव लड़कर आते हैं ...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो । मेरी बिना अनुमति के जो कोई बोलता है उसका अंकित नहीं किया जायेगा । श्री मांगीलाल गरासिया ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण विषयक

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संविधान के 73वें संशोधन के तहत यह था कि पंचायती राज को किस तरह से सशक्तीकरण और मजबूती मिले । अध्यक्ष महोदय, 73वें संशोधन के तहत पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पंचायती राज में चुनाव

(श्री मांगीलाल गरासिया)

लड़कर आते हैं और पंचायत समिति सदस्य तीन-तीन पंचायतों पर चुनाव लड़कर आते हैं और जिला परिषद सदस्य 15-15 पंचायतों पर चुनाव लड़कर आते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूं उन पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों को चुनाव तो लड़ा दिया और लड़ाने के बाद उनको अधिकार नहीं दिये गये । प्रधान को दो हजार रुपये तनख्वाह मिलती है और जिला प्रमुख को तीन हजार रुपये मिलते हैं । जिला प्रमुख को गाड़ी और पंचायत के प्रधान को भी एरिये में जाने के लिये, अवलोकन करने के लिये उनके पास भी कुछ अधिकार है । परन्तु मैं मानता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य केवल पंचायत समिति प्रधान बनाने तक, जिला परिषद सदस्य जिला प्रमुख बनाने के बाद में और कोई अधिकारी नहीं दिया गया है। हम यह कल्पना करते हैं कि पंचायती राज में पंचायतों के जो ग्रासरूट में काम करने वाले हैं, प्रजातंत्र में प्रहरी है उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा तो पंचायती राज एक पंगु के रूप में होगा।

मैं निवेदन करूंगा कि हमारे राजस्थान में गांवों में रहने वाले आम आदमी के लिए इज्जत की जिंदगी का पेगाम, यह दिया तो पंचायती राज प्रतिनिधियों को अधिकार दिये जाने के बाद में, जो संविधान के 73वें संशोधन से खतम हो रहा है, 50 साल की आजादी, गुलामी सहित, दो सदियों का काला इतिहास जिसमें गांव समाज को तोड़ा, पुलिसिया राज कायम किया और हर बात के लिए गांव वालों को शहर और सरकार का मोहताज बना दिया। गांव की खुली लूट की खेती, किसानों में मेहनत की हकदारी को बुरी तरह दबाकर खेती को घाटे का सौदा बना दिया। किसान को विकास के नाम पर कर्ज के खूनी फंदे में फंसाकर उसकी जमीन हरण का रास्ता साफ कर दिया।

इस तरह से पंचायती राज में सरपंच हो या पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद सदस्य हो, जो काम करते हैं उनको अधिकार दिये जाए और अधिकार देकर उनको, सशक्तीकण के रूप में उन्हें अधिकार देते हुए उनको पूरी तरह से उनके पंचायती राज में, प्राथमिक शिक्षा विभाग पंचायती राज में अमेंडमेंट किया गया। पशुपालन, डेयरी और महिला विकास विभाग, रसद विभाग, आयुर्वेद विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया। लेकिन पंचायतों को नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर आपको जो कुछ कहना है ऐसे ही कह दीजिए। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): मैं ऐसे ही कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, और ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने अधिकार नहीं दिया।

पंचायती राज मंत्री यहां बैठे हैं और पंचायती राज मंत्रीजी मैं अनुरोध करूंगा कि उनको अधिकार के लिए इस सदन में अपनी बात कहें और अधिकार उनको मिले। आज हजारों जनप्रतिनिधि जयपुर आये हुए हैं। जयपुर में आकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि हमारा हक-अधिकार दिया जाए, जिस तरह से एमएलए को, एमपी को काम दिया गया है। उनके चुनाव लड़ने के बाद में केवल असहाय की तरह रखा गया है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि 73वें संविधान में संशोधन में, जिस तरह से प्रधानमंत्री वाजपेयीजी और माननीया सोनिया गांधी के दिल में एक कल्पना थी कि फण्ड फंक्शन और फंक्शनरी को पंचायती राज में दिया जाकर उनको, बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन करके पंचायती राज को सशक्त और मजबूत करने की जिस तरह से कल्पना थी उसको साकार रूप प्रदान किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, पंचायती राज मंत्री यहां हैं, जिस तरह से उनके हक-अधिकारों के साथ कुठाराघात हो रहा है। उनको एरिया में आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। उनको काम करने के लिए जिस शक्ति और मुस्तैदी के साथ में उनको एरिया में जाना पड़ता है। उनके अधिकारी उनको गांठते नहीं है। अधिकारी लोग उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। उनको और कोई अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, शिक्षा मंत्रीजी भी क्योंकि सरकार में है इसलिए निवेदन करूंगा, पंचायती राज मंत्रीजी अपनी बात रखे, उनको हक-अधिकार दिलाने में अपना वक्तव्य प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री अमराराम (धोद): ग्रामीण और शहरी लोकल बाड़ी जनप्रतिनिधियों के बीच में जो भेद है, जो लोकल बाड़ी नगर निगम में एक हजार भत्ता दिया जाता है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नौ, पर्ची पर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्लीज स्थान ग्रहण करें।

श्री अमराराम (धोद): और ग्रामीण जो जिला परिषद है और पंचायत समिति के हैं उनमें एक नया पैसा भी भत्ते के रूप में नहीं दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं कुछ नहीं, प्लीज स्थान ग्रहण करें। यह क्या तरीका अपना लिया आप लोगों ने, मर्जी आये जो खड़ा हो जाए, मर्जी आये जो कहने लग जाए ?

लालकृष्ण आडवाणी की एक मई से प्रस्तावित राजस्थान यात्रा

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय लालकृष्ण आडवाणीजी की राजस्थान में एक मई से यात्रा प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: एक मई तो बहुत दूर है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप मेरी बात तो सुन लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सुरक्षा का भार इन पर आ गया क्या ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आ भी सकता है। आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): महावीरजी किस रूल से खड़े हो रहे हैं? महावीरजी किस रूल से खड़े होते हैं? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सुरक्षा का भार आप पर है इसलिए चेता रहे हैं कि आप तैयार रहो एक अप्रैल को क्या स्थिति बनेगी राजस्थान में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने पर्ची दी है। दो मिनिट में अपनी बात कह दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले ही खड़े हो रहे हैं, मैंने शुरू ही नहीं किया।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, हम खड़े हो जाते हैं तो आप बिठा देते हो, महावीरजी खड़े होते हैं तो आप इनको बिठाते नहीं(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकारा मोहम्मद माहिर आजाद का, जो बिना मेरी अनुमति के बोले वह अंकित नहीं हो।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: जो मेरी अनुमति बिना बोलते हैं उसे अंकित नहीं किया जाए।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। आप बोलिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आडवाणीजी की यह यात्रा निम्बाहेडा से शुरू होगी और निम्बाहेडा, चित्तौड़, गंगरार, भीलवाड़ा, माडल, आसींद, ब्यावर, अजमेर, दूदू, जयपुर, दौसा, महुवा और भरतपुर, इनमें अधिकांशतः अतिसंवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पहले भी कोमी एकता को खतरा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों आडवाणीजी ने कन्याकुमारी से अपनी भारत उदय यात्रा शुरू की थी तो उसको हरी झण्डी उन्होंने अजमेर की दरगाह ख्वाजा साहब के गद्दीनशीन जियानुलावेदिन साहब से दिखाकर शुरू की थी। अभी हाल ही में श्री आडवाणीजी जब पाकिस्तान गये वहां भी उन्होंने

जिन्नाजी को धर्मनिरपेक्ष कह दिया। जब देश का बंटवारा हुआ उस समय जो जिन्ना समर्थक और पाकिस्तान समर्थक मुसलमान थे वह पाकिस्तान चले गये, जो देश प्रेमी और राष्टभक्त थे....(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं डाले। (व्यवधान) आप कृपया दो मिनिट में अपनी बात समाप्त करें, आपको जो कुछ कहना है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुझे डिस्टर्ब नहीं करें तो दो मिनिट में ही कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान) इतना भड़कने की आवश्यकता नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरी भी बात सुन लें। कहीं एक शब्द गलत हो तो मुझे बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि उन्होंने जब जिन्ना को धर्म-निरपेक्ष बताया।

श्री अध्यक्ष: अब आप क्यों बीच में (व्यवधान) आप सुरक्षा की बात कहिये, साम्प्रदायिक सदभाव की कहिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इसी पर तो कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अब उन्होंने कराची में जाकर क्या किया, क्या नहीं किया, क्या मतलब है इस बात से?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि वे जब वापस हिन्दुस्तान आये तो विश्व हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल के लोगों ने उनके पुतले जलाये। आर.एस.एस. ने उनसे इस्तीफा मांगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे खतरा यह है कि जब आडवाणीजी राजस्थान की यात्रा पर आयेंगे तो यही कट्टरवादी हिन्दू संगठन विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल और शिवसेना के लोग उनकी यात्रा में विघ्न नहीं डालें। उससे दंगे भड़केंगे, इसलिये उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आपको कोई आवश्यकता नहीं है बोलने की। आप शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठे रहें।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) नहीं हाथ ऊंचा करने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगी। बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आपके लिये बोलना आवश्यक नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। आपने सुरक्षा की बात कही, उन्होंने सुन ली, अब आप समाप्त करें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक मिनट में, सिर्फ एक मिनट में (व्यवधान) एक ही मिनट में कह रहा हूं, एक ही मिनट में खतम कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि इसमें कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं दंगे भड़कें, कौमी एकता को खतरा पैदा हो। दंगे तो भड़काएं ये कट्टरवादी हिन्दू संगठन और इल्जाम मुसलमानों पर आ जाए तथा राजस्थान की कौमी एकता पर खतरा पैदा न हो जाए। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से अनुरोध करुंगा।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने कोई आरोप नहीं लगाया।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य कितनी बार मैं आपको कह चुकी हूं कि यह जो सदन है इस सदन में जो सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र की वह है सहिष्णुता। सहिष्णुता ही लोकतंत्र का प्राण-तत्व है। फिर समझाइश, एक दूसरे को समझाने की बात और फिर सामूहिक निर्णय। क्यों बीच में खड़े होकर आप कुछ कहने लग जाते हैं? सहनशीलता रखें, इतनी सहिष्णुता रखें कि जो कुछ बोलते हैं सुनें उसे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री अध्यक्ष: अब आप क्यों खड़े हो गये। आप क्यों खड़े हो गये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन इस तरह कर रहा था।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री अध्यक्ष: कौन भड़का रहा है। आप कर रहे हो भड़काने का काम, इस तरह से कहकर के।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान का साम्प्रदायिक सदभाव बना रहे और मैं एक शेर के साथ मेरी बात खतम कर रहा हूं कि 'छिपा लिया जो सिर फूलों में तो पांव जले, न जाने कितने जहन्नुम हैं इस भाजपा शासन के तले'।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो कभी आडवाणीजी को देखकर रात में भी चौंका करते थे और जिनकी सरकार, जिनकी अयोध्या यात्रा के समय, पूरी की पूरी दिल्ली की सरकार हिलती रही थी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब अयोध्या जा ही नहीं रहे वे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): और इस कारण से उनकी दो यात्राएं पहले हो चुकी हैं, सुरक्षा उस समय भी रही और आज भी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। चाहे आडवाणीजी की यात्रा हो, चाहे किसी की कोई धार्मिक यात्रा भी निकलेगी, मेरी और मेरे विभाग की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था को बनाये रखने की । केवल किसी दल या कोई विश्व हिन्दू परिषद नहीं, मैं बाकी को भी आपके माध्यम से, उनको भी यह आगाह कर देना चाहता हूं। उनके अलावा भी किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की तो कठोर से कठोर दण्ड उसे मिलेगा। यह आज आपके माध्यम से इस सदन के माध्यम से राजस्थान की पूरी जनता को भी आगाह कर देता हूं कि किसी ने जाने-अनजाने भी गलती करने की कोशिश की तो उसका परिणाम भुगतने के लिये तैयार रहे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

रीको में हो रही अनियमितताएं

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसे वक्त बोलने का आदेश दिया है जबकि राजस्थान के माननीय गृह मंत्रीजी ने कानून तोड़ने वालों को दण्ड देने की बात कही है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान में रीको के अन्दर जो अनियमितता हो रही है उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कानून की पालना रीको में किस रूप में की जा रही है। मैंने बजट पर अपने भाषण में भी दो मामलों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था और सरकार की नीयत जनता के सामने लाने और प्रकट करने की

(श्री संयम लोढ़ा)

बात की थी। अब तक सरकार ने उन मामलों पर भी जानकारी नहीं दी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रीको में लगातार यह मानदण्ड रहे हैं कि जितने भी भूखण्ड हैं उनको नीलामी से बेचा जाता है। इस सरकार ने विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में प्लाट नम्बर जी-857-ए व जी-857-बी, लगभग 2060 वर्गमीटर भूमि को सार्वजनिक नीलामी से बेचने के लिये राजस्थान पत्रिका में 22 जनवरी को विज्ञापन प्रकाशित किया और पिछले 10 साल से रीको में लगातार यह मानदण्ड बने हुए हैं कि सारे भू-खण्ड नीलामी से ही बेचे जाते हैं। लेकिन पता नहीं, किन अपरिहार्य कारणों से वह विज्ञापन जारी करने के बाद वह विज्ञापन रद्द करने का फैसला किया। उसके बाद उन्हीं भू-खण्डों के लिये मैसर्स आर.के. पोलिटेक्स लिमिटेड की तरफ से एक प्रार्थना-पत्र रीको को दिया गया कि यह भू-खण्ड हमें आबंटित कर दिया जाए। रीको के तत्कालीन अधिशासी निदेशक ने इन भू-खण्डों को नियमानुसार आबंटित नहीं करने और नीलामी से बेचने की बहुत स्पष्ट अभिशंसा की। औद्योगिक क्षेत्रों में किसी इकाई के बगल में पड़ने वाले प्लाट को, चूंकि इन भूखण्डों को देना था, रीको ने एक नया नियम बना दिया, किसी के बगल पड़ेगा तो उसको दो गुना आरक्षित दर पर देंगे, नीलामी से नहीं बेचेंगे। अब उसके बाद भी चूंकि इस आर.के. पोलिटेक्स को फायदा देना था लेकिन यह नियम बनने के बाद भी वह आर.के. पोलिटेक्स उस पात्रता में नहीं आता था क्योंकि इन दो भूखण्डों के बीच में और पहले वाले भूखण्ड के बीच में 1200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की एक सड़क थी। तो भौतिक रूप से वह बगल का प्लाट नहीं था। इसलिये रीको ने मद संख्या 4 में वर्णित नियम के अनुसार यह नहीं आता था, इसलिये उस सड़क को भी प्लाट में आबंटित करने का फैसला किया। वह भौतिक रूप से सड़क चूंकि बीच की थी, वह भी जब आप भू-खण्ड में दे रहे हो तो वह प्लाट में तब्दील हो गयी। जो 4500 में प्रति वर्ग मीटर पर भूखण्ड नीलामी में बेचे गये, गड्डे तक के प्लाट 3200 रुपये में बिक गये, मात्र 1600 रुपये वर्ग मीटर पर नियम बदलकर के इस संस्था को फायदा पहुंचाने के लिये रीको ने यह भूखण्ड आबंटित करने का काम किया। 30-35 साल पुरानी सड़क थी। उस सड़क को भू-खण्ड में बदलकर उसको देना चाहते थे, क्या रीको ने उसमें प्लानिंग शाखा से पूछा। आसपास की फैक्ट्री वालों को, किस रूप में, उस सड़क को भू-खण्ड में देने से उनके बाधा हो रही है, उनको कठिनाई हो रही है उससे कोई आपत्ति नहीं मांगी, उनसे कोई पूछा, कोई जानकारी ली? माननीय

(श्री संयम लोढ़ा)

अध्यक्ष महोदय, यह जो भू-खण्ड आबंटित करने का रीको ने फैसला किया उस विस्तारीकरण के नाम पर किया कि आर.के. पोलिटेक्स के विस्तारीकरण के लिये यह भू-खण्ड दे रहे हैं। आपको जानकर, अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब होगा कि आर.के. पोलिटेक्स का कोई उत्पादन नहीं चल रहा, उसकी एग्जिस्टेंस में, उत्पादन में आया नहीं, आज भी उस समय, जिस समय आबंटित किया गया, पहले वाले भू-खण्ड पर भी घास उग रही थी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, उस संस्था को फायदा पहुंचाने के लिये माननीय उद्योग मंत्रीजी ने यह भू-खण्ड नियम बदलकर सड़क देकर के देने का फैसला किया। रीको को हानि पहुंचाने का काम किया क्योंकि यह आर.के. पोलिटेक्स वाला जयपुर में आर.एस.एस. की शाखा लगाने का काम करता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से रीको को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले करके एक के बाद एक लगातार फैसले करके रीको को करोड़ों रुपये के नुकसान में धकेलने का काम यह सरकार कर रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, अगर यह सरकार पारदर्शी है, अगर यह सरकार संवेदनशील है, अगर यह सरकार किसी व्यक्ति विशेष को, किसी संस्था को नियम बदलकर लाभ पहुंचाने में विश्वास नहीं रखती है तो यह भू-खण्ड जो 1600 में आबंटित किये, निरस्त करके उनकी नीलामी करके बतायें। 3500-4000-5000 रुपये का भाव नहीं आये तो आप जैसे कहें, मैं तैयार हूं। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में आकृष्ट करना चाहता हूं।

(समय : 13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): एक मिनट थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्योंकि आरोप लगाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: हां, मंत्रीजी।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। यह बात सही है कि नीलामी के लिए प्लाट्स की विज्ञप्ति जारी की गयी और यह बात भी सही है कि दोनों प्लाट्स के बीच में सड़क होकर गुजरती थी। उस सड़क को इनक्लूड अगर नहीं करें, अगर वह किसी उपयोग में आ रही है और उपयोग में आ रही है और बंद कर

(श्री नरपत सिंह राजवी)

दें तो वैसे परेशानी। वह 30 साल से कभी भी उपयोग में नहीं आयी और रेवेन्यू लोस रीको को नहीं हो, सड़क को दोनों प्लाट्स के बीच में मिलाकर टोटल जमीन दी जाए लेकिन इसके पहले मैं आपसे इस बात पर सहमत हूं कि री-प्लानिंग करनी चाहिए थी। री-प्लानिंग करने के बाद में उस जमीन को अगर देते तो निश्चित तौर पर रीको को लाभ होता लेकिन री-प्लानिंग नहीं की इसकी मैं निश्चित तौर पर जांच करवाऊंगा और दोषी होगा उसको दंडित करूंगा।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): लेकिन एक बात आपने गुमराह करने की कही है कि इसमें कहीं उत्पादन नहीं है। घास उगी हुई है। घास तो इतना बड़ा विधान सभा का क्षेत्र है, घास कहीं कोने में अपने यहां पर उगी हुई होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि विधान सभा संचालित नहीं होती। 20 करोड़ रुपये की बिक्री हुई है और 2 करोड़ 40 लाख का कर उसने चुकाया है । वह उत्पादन में नहीं है । वह है एक्सपेंशन किया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने जिस समय आबंटित किया उस समय उत्पादन हो रहा था क्या?

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): क्या?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जिस समय विस्तारीकरण के नाम पर आपने आबंटन किया उस समय उत्पादन हो रहा था क्या?

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): मुर्गी से पहले अण्डा कहां से आ गया उसका उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अब इसका विस्तारीकरण किस बात का कर रहे हैं आप? जो प्रोडक्शन में नहीं आयी तब विस्तारीकरण, आप बता दीजिए यह जिसकी फैक्ट्री है वह भारतीय जनता पार्टी के नेता का भाई नहीं है क्या? आप इसका जवाब दो न। मैं यह कहना चाहता हूं कि नियम बदल करके, प्रमाणित कानून बदल कर, मानदण्ड बदलकर, सड़क की भूमि का आबंटन आपने एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए यह आबंटन किया है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सदस्य, आपके पिताजी आ रहे थे ... (व्यवधान) माननीय सदस्य के पिताजी आ रहे थे, इसमें नहीं थे।

श्री अध्यक्ष: आपने पर्ची के माध्यम से अपनी बात उठा दी। आपने पर्ची के माध्यम से अपनी बात उठा दी। अब आप मंत्रीजी का जवाब सुन लें और बीच में आप कोई तर्क-वितर्क नहीं करें।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर गलती रही है वह मैंने स्वीकार ... (व्यवधान) उसमें इन्क्वायरी की, जांच के लिए भी मैंने कहा है और जहां तक बी.जे.पी. का, कांग्रेस का या किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता। हमारे पास तो जो भी आया है, हमने कोशिश की है कि उसको मदद की जाए और आज तक करते आये हैं। प्रश्न उसका नहीं है अगर उसकी री-प्लानिंग हो गयी होती, आपको निश्चित तौर पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, री-प्लानिंग के बारे में मैं जांच करवाऊंगा। रेवेन्यू लोस उस पर निश्चित तौर पर नहीं हुआ है। अगर एक रुपये का भी रेवेन्यू लोस हुआ है तो उसके संबंध में भी जांच करवाऊंगा। रेवेन्यू लोस नहीं हुआ है और सड़क को बंद करने से रेवेन्यू का अगर फायदा हुआ है तो उस आबंटन को मैं गलत नहीं मानता, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करूंगा और अगर रेवेन्यू लोस हुआ है तो निश्चित तौर पर उस अधिकारी पर भी और झूठी सूचना देने वाले पर भी, दोनों पर ही कार्यवाही करूंगा। ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जांच में आप रेवेन्यू लोस के बिन्दु को भी शामिल करेंगे न?

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): बिलकुल करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 1600 से ज्यादा भाव आते कि नहीं आते?

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिये माननीय सदस्य। श्री हरिसिंहजी रावत।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): आज तो पांच हजार से भी आ जाएंगे, उस समय संबंधित ... (व्यवधान) जिनका किया है वह है यह। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री हरिसिंहजी रावत।

मर्चेण्ट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी

श्री हरीसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में बेरोजगार युवा व्यक्तियों के साथ एक धोखाधड़ी की है और उस धोखाधड़ी के अन्तर्गत उन युवा जवानों को यह बोलकर उनके साथ धोखाधड़ी की है कि हम

(श्री हरीसिंह रावत)

तुमको मर्चेण्ट नेवी में नौकरी लगाएंगे। उसमें जयपुर की एक वर्ल्ड मेरीन शिप मैनेजमेंट रजिस्टर्ड कम्पनी है जिसका हैड आफिस है एस-5, सैकिण्ड फ्लोर, गोविन्दम कॉम्प्लेक्स, संसारचंद रोड, नियर सिटी सेंटर, जयपुर और उनके फोन नम्बर है- 5113139 और उनका इंस्टीट्यूट का एड्रेस है, 15, योगी मार्ग, मदरामपुरा बिहाइंड बाइबल चर्च, अजमेर रोड, जयपुर, फोन नम्बर है 3958662, 3020147 ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस फर्म ने मेरे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को ठगी के जाल में फँसाने का कैसा एक नायाब तरीका ढूंढा है। उनको यह कहकर बुलाया कि हम तुमको नेवी में भर्ती करेंगे और इसके लिए तुमको 70-70 हजार रुपये देने पड़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन युवाओं से 70-70 हजार रुपये इकट्ठे करके दिये उनके साथ छल किया, धोखा किया और उनको बोला कि तुमको ट्रेनिंग के लिए हम बाम्बे भेजेंगे। बाम्बे ट्रेनिंग के लिए भी उनको भेजा गया और वहां पर एक झोंपड़-पट्टी में यह बोलकर रखा कि तुमको यहां पर ट्रेनिंग दे रहे हैं और वहां पर उन गरीबों के साथ, जो मकान बनते हैं उसके अन्दर जो रेती ढोने का जो जहाज होता है उनमें उनको लगाया गया और रेती ढोने के लिए भी उन्होंने एक महीने के करीब वहां पर मजदूरी की और उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया और सर्टिफिकेट में यह लिखा गया कि तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गयी है और हम बहुत जल्दी, मर्चेन्ट नेवी में भेज देंगे। इन्फोरमेशन दी उसमें-

World Marine Ship Management,
Marine and aviation related courses

To,
Amar Singh S/o Shri Prem Singh,
Rajsamand.

Subject: Information regarding registration and joining.

Dear Applicant,

We are glad to inform that you have been selected for Seaman. So you are required to be present in our Head Office on 8.10.05 at 2.00 p.m.

You are informed to bring Rs. 5000 for registration fees and the list of given document.

(श्री हरीसिंह रावत)

Character Certificate. 2 Bonafied Certificate. 3. 30 photographs (colour, background Red). 4. All the Educational Certificate.

Thank you,

World Marine Ship Management.

अध्यक्ष महोदय, इस तरह का इनके साथ धोखा किया और उनको बोला कि अभी पासपोर्ट के लिए और 18 हजार रुपये लेकर आओ जब यह सब वारदातें हुईं तो मेरे से इन्होंने कन्सल्ट किया और मेरे को बोला कि हमारे से साहब 70-70 हजार रुपये ले लिये और इस तरह हमारे साथ धोखा किया है। हम तुमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं बॉम्बे की एक कम्पनी का। जो सर्टिफिकेट दिया उसका भी मैं आपको एड्रेस बता दूं। एस.एस. शिपिंग सर्विसेज डेलिमा स्ट्रीट, मजगांव, मुम्बई। इसका एड्रेस है- ग्रीन गेट, मॉल स्टेशन, बिलाड पायर, मुम्बई, 400 038. इसमें लिखा है-

S.S. SHIPPING SERVICE
D'lima Street,
Mazagon, Mumbai

Green Gate Mole Station,
Ballard Pier,
Mumbai

To,
Mr. Suresh Kumar

Dear Suresh,

You have been selected in our company for the post of Seaman on our vessel and your salary will be Rs. 3000/- per month. You have to join our vessel on dated 21st January, 2006. Your contract of Service is for the period of 9 months only. After seeing your performance, contract will be extended.

We hope you will do the duty sincerely and honestly.

For S.S. SHIPPING SERVICES

PROPRIETOR

(श्री हरीसिंह रावत)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, इस नाम की वहां पर कोई कम्पनी नहीं है और उनके नाम से जब इसको एनरोलमेंट और पैसे लिये हैं। नाम था इसका प्रभुसिंह सर्टिफिकेट दिया सुरेश कुमार का। साहब, मेरो नाम तो प्रभुसिंह है। आप सुरेश कुमार लिख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि तुमको आम खाने से मतलब है, पेड़ मत गिनो। तुम्हारी नौकरी लग जाएगी और जहां पर जाना है, हम तुमको भेज देंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब यहां गये जब इनको इन्फोरमेशन दी और मुझे जब बताया गया तो मैंने कहा कि तुम एक बार कांटेक्ट कर लो।

अभी कुछ दिन पहले ही यह गये तो इनको बताया कि तुम मेरे को 25 हजार रुपये दो। लेकिन अगर किसी को इन्फोरमेशन की और तुमने किसी को पुलिस में इन्फोरमेशन की तो तुमको मैं अंदर करवा दूंगा, मर्डर करवा दूंगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो भी इस टाइप के लोग हैं उनके साथ सख्ती से कार्यवाही की जाए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस टाइप के यह दो ही आदमी नहीं हैं, इसी प्रकार प्रभुसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह, अमर सिंह, प्रेमसिंह और इस टाइप के तीन व्यक्ति और हैं जिनका मेरे पास अभी नाम नहीं है, लेकिन वह भी मैं बहुत जल्दी बता दूंगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी रिपोर्ट सी.बी.आई. में, सी.बी.आई. के थ्रू इसकी इंवेस्टीगेशन करवायी जाए और जो गरीब ठगे गये हैं। उनको वापस पैसे दिलाये जाए, यह पैसे भी इन्होंने किस हिसाब से लिये । अपने-अपने खेत को गिरवी रखकर और अपनी औरतों के जेवर गिरवी रखकर इन्होंने पैसे कलेक्ट किये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस टाइप के बेरोजगार युवाओं के साथ में जो यह घटना घटी है, यही नहीं मैं समझता हूं कि इसी प्रकार से इनकी अगर सी.बी.आई. की जांच की जाएगी तो मैं सोचता हूं कि पूरे राजस्थान में इस तरह के कई केस खुलेंगे। इसी प्रकार से एक केस और है हमारे क्षेत्र में जो हुआ है वह भी साथ ही, दिल्ली की एक कम्पनी है जिन्होंने कई हमारे यहां से कोई 15 जवानों को लेबर के रूप में ले गये और युगांडा में उनसे काम करवाया छह महीने तक, उनसे काम करवाने के बाद में उनको कुछ भी, नहीं दिया। खाने के अलावा एक भी पैसा दिया नहीं। लास्ट में जब फिर उन्होंने तीन महीने के बाद मुझे फोन किया कि एम.एल.ए. साहब, हम आपके एरिये के रहने वाले हैं। यह हमें युगांडा ले गये। हम वहां मजदूरी कर रहे हैं। हमको

(श्री हरीसिंह रावत)

एक भी पैसा नहीं दिया और खाने के लिए भी हमारे पैसे खतम हो गये। जो मैनेजर था दिल्ली का वह भी गायब हो गया है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैंने वहां पता किया और दिल्ली में जो मुझे फोन नम्बर दिये गये। वहां पर मैंने पता किया तो वहां से पता चला कि यह फ्रॉड कम्पनी है, यहां पर तो न कोई इस तरह की कम्पनी है, टेलीफोन नम्बर भी फ्रॉड है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस टाइप के जो जालसाज लोग हैं उनके साथ उचित कार्यवाही करके उनको उचित सज़ा दिलायी जाए और यह जो ठगे गये हैं उन व्यक्तियों को वापस 70-70 हजार रुपये वापस दिलाने का आदेश प्रदान करें। इसी आशा के साथ, जय भारत, धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही गम्भीर विषय उठाया है लेकिन मैंने अभी तक जो हमारा पुलिस रिकार्ड के अनुसार जानकारी करने की कोशिश की। क्योंकि यह पर्ची के माध्यम से पहले भी एक दिन आया था लेकिन हाउस उस दिन चल नहीं पाया था इस कारण से उस पर्ची पर कोई बातचीत हमारे सामने नहीं आयी। उस दिन भी इन्होंने कहा था कोई वर्ड मेरीन मैनेजमेंट नाम की कोई संस्था है और उसका आपने एड्रेस भी बताया कि यह शिप मैनेजमेंट एस-15, गोविन्द मार्ग, सिटी सेंटर है। ऐसा उस दिन अपनी पर्ची के माध्यम से उठाया था उसमें आपने एड्रेस भी लिखा। मैंने यहां सारे थानों पर ढूंढाया कि जयपुर में कोई केस किसी थाने में दर्ज हुआ है क्या? मेरे तो सारे ढूंढने के बाद में भी मुझे इस तरह का केस न तो किसी थाने में रजिस्टर हुआ, जयपुर के पूरे 40 थानों में इसके लिये बराबर कोशिश की कि किसी भी थाने में इस प्रकार की कोई शिकायत दर्ज हुई क्या? तो जानकारी करने के बाद भी कोई शिकायत इस नाम से तो नहीं मिली। लेकिन वैशाली नगर में जरूर एक शिकायत इस प्रकार की थी लेकिन दोनों के नामों में अंतर है, एक इस प्रकार की एफ.आई.आर. 1-3-2006 को जरूर दर्ज हुई है और उसमें इसी प्रकार का सेम स्टारशिप मैनेजमेंट के नाम से कोई एक फर्म है, उसमें त्रिलोक चन्द शर्मा और रामकिशोर शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 21 वर्ष, गांव खेड़ा थाना टहला जिला अलवर हाल सौंखियों का रास्ता, राजौरिया भवन, किशनपोल बाजार, जयपुर। इसने उपस्थित होकर अपनी एक रिपोर्ट इस बारे में जरूरी लिखाई कि इस फर्म ने पहले फार्म दिया, उसके 200 रूपये लिये और उसके बाद नौकरी के लिये

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उन्होंने मुझसे 56 हजार लिये। और उससे ही नहीं लिये, और भी राहुल शर्मा से, मधुसूदन से और अमित से और इस स्वयं से उन्होंने 56-56 हजार रूपये लेकर इनको जरूर उसने केरल की तरफ भेजा था। उनकी एक एफ.आई.आर. तो जरूर दर्ज हुई है वैशाली नगर थाने में, उसके बारे में तो हमने कार्यवाही प्रारम्भ की और उनके बयान भी लिये। और बयान लेकर हमने उसके आगे का जो भी प्रोसेस होता है, उसमें दो लोगों के बयान अभी बाकी हैं। क्योंकि केस सिमिलर था और आपका केस किसी थाने में हमारी पकड़ में नहीं आ रहा था कि इस प्रकार का कोई केस दर्ज हुआ है क्या। और इस कारण से उसके बारे में तो जैसा आपने बताया यह बिल्कुल भिन्न है, आपके जो पास है, लेकिन अभी मेरे रिकार्ड में या आपके जो भी इसमें संबंधित पक्ष है, उसने किसी थाने पर इसकी न तो रिपोर्ट दी, न सूचना दी, न अपनी बात कुछ कही। इस आपके केस के कारण से एक सिमिलर केस जरूर हमारे ध्यान में आया है उस पर हमने कार्यवाही शुरू कर दी है। मैं सोचता हूं क्योंकि यह दोनों ही अलवर के रहने वाले हैं, जिन बच्चों से पैसे लिये वह भी अलवर के रहने वाले हैं और यह जो कुलदीप यादव है यह भी अलवर का ही रहने वाला है। इसलिए इस केस में तो हमने जरूर कार्यवाही शुरू की।

लेकिन आप जो बात कर रहे हैं यह इससे बिलकुल भिन्न है। आपके क्षेत्र के लोगों के साथ चीटिंग हुई है तो आप एफ.आई.आर. दर्ज करायें, जो भी सबूत आपके पास हैं, उनको आप देंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति नामजद है, एड्रेस है, टेलीफोन नम्बर है, बोम्बे में उन्होंने कहां काम किया, उसकी सूचना आपके पास है तो मैं सोचता हूं कि आपकी सूचना के आधार पर निश्चित रूप से केस भी दर्ज करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके माध्यम से कोई पूरी की पूरी गैंग कहीं और भी संबंधित होगी, जो इस प्रकार का चीटिंग का काम कर रही है तो निश्चित रूप से हम उसकी पुख्ता कार्यवाही करेंगे। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था जब यह आपकी पर्ची लगी थी, उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि आप इसकी कुछ डिटेल दें क्योंकि थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराये तब तो मैं आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करता हूं। लेकिन जब आज आपने इसकी जानकारी दी तो इसके साथ जो संबंधित क्षेत्र है, जहां से यह आफिस चलता है, वहां आप लिखवाएं। अभी हमने हमारी तरफ से जानकारी की कि एस-15, गोविन्द मार्ग, सिटी सेंटर इसमें आज की तारीख में

कोई आफिस नहीं है। हमारी पुलिस जाकर आई है। या तो इन्होंने जब कभी किया होगा तब वहां का एड्रेस दे रखा होगा। अब इन्होंने कोई जगह बदली होगी या और कोई होगा। अभी हमारे ध्यान में इस एड्रेस पर इस प्रकार की कोई फर्म है, यह हमारी पकड़ में नहीं आया है। आप इसकी पूरी डिटेल देंगे और जो संबंधित बच्चे हैं जिनसे पैसे लिये हैं अगर उनके बयान भी पुलिस में होंगे तो निश्चित रूप से इस सारी गैंग को वर्क आउट करेंगे। मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि इस काम को जितनी तीव्रता से किया जा सकता है करेंगे और बच्चों का जिस प्रकार से नौकरी के लालच में उनको एक तरह से धोखा देकर उनका शोषण किया है तो निश्चित रूप से कानून के तहत जो भी कठोर से कठोर कार्यवाही हो सकती है वह हम करेंगे, लेकिन मैं आपको इस बात के लिये, क्योंकि आपकी इस पर्ची के माध्यम से मुझे एक केस जो वैशाली नगर में जरूर पिछले 1-3-06 को लगा था जिसमें जितनी तेज गति से काम बढ़ना चाहिये था, वह तेज गति से नहीं बढ़ा। आपकी इस पर्ची के माध्यम से हम जरूर इसके पीछे लगे और उस कारण से उसमें हम जरूर थोड़ा आगे बढ़े हैं और इसमें जो अभियुक्त हैं, जिन्होंने बच्चों से 56-56 हजार रूपया लेकर केरल नौकरी के लालच में भेजा था, उनके विरूद्ध जरूर कार्यवाही हमारी आगे बढ़ी है। आप इसकी पूरी जानकारी, डिटेल और कागज हमें देंगे और जो क्षेत्र जिसमें आपने बताया, वहां थाने पर आप रिपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से पुलिस इस पूरे केस को खोलने का अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी और उनको पकड़कर लायेगी और अगर सम्भव हुआ और आपका एड्रेस सही निकले तो शायद सत्र समाप्त होने के पहले-पहले भी मैं इसके बारे में कुछ कहने की स्थिति में आ जाऊंगा। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा एक दूसरा एड्रेस और है इंस्टीट्यूट 15, योगी मार्ग, मदरामपुरा बिहाइंड बाइबल चर्च, अजमेर रोड, जयपुर। और अध्यक्ष महोदय, मैं इनके मोबाइल नम्बर देना चाहता हूं एजेन्ट का नाम है अक्षय सिंह, मोबाइल नम्बर हैं- 9819123224.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप पूरी डिटेल कागज में दे दें।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): सैकिण्ड नम्बर है , उसमें वहां पर पिंकी गुप्ता करके इसके साथ है। पिंकी गुप्ता के नम्बर भी हैं इसमें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह संबंधित कागज मुझे दे दें और जो संबंधित थाना है वहां एफ.आई.आर. लिखाकर जो डाकुमेंट आपके पास हैं और जो बालक हैं जिनका शोषण हुआ है, उनको भी वहां पेश करेंगे तो जाकर केस के रूप में आगे बढ़ेगा । मुझे दे दें और वहां भी इसके एफ.आई.आर. जरूरी लिखायें जिसके कारण से हम कार्यवाही कर सकें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा है तो मैं एक पांइट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं, आज्ञा हो तो?

श्री अध्यक्ष: फरमायें।

व्यवस्था का प्रश्न

राज्य के वित्तीय लेखों पर महालेखाकार के प्रतिवेदनों का सदन पटल पर उपस्थापन

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 148 में कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल ऑफ इंडिया का प्रोविजन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, और आर्टिकल 151 में आडिट रिपोर्ट कांस्टीट्यूशन में प्रोविजन किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है -"The reports of the Controller and Auditor-General of India relating to the accounts of a State shall be submitted to the Governor of the State who shall cause them to be laid before the Legislature of the State." संविधान में यह व्यवस्था इसलिए की गयी कि राज्य के वित्तीय लेखे हैं उस संबंध में अकाउंटेंट जनरल अपनी रिपोर्ट गवर्नर साहब को रखेगा और गवर्नर साहब के माध्यम से सदन में ले करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं हमने आपसे अप्रोच की और हमने यह पाया कि राजस्थान में यह प्रेक्टिस नहीं है, परम्पराओं के आधार पर हमने शेलटर लिया है कि परम्पराएं रही हैं कि रिपोर्ट को जब हमारा विधान सभा में बजट का डिस्कशन होता है तब ले नहीं की जाती है। फाइनेंस और एप्रोप्रियेशन बिल करते हैं तब ले नहीं की जाती है और जब बजट पास हो जाता है तब सदन में यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट ले की जाती है। आपकी कृपा से आपने इनीशियेटिव लिया, हम सबके मन में यह है कि राजस्थान के जो हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वह बजट के बारे में विस्तृत चर्चा करें। और चर्चा करने के बाद सरकारी अधिकारी को यह मालूम होना चाहिये कि जन प्रतिनिधि अपनी इस कार्य

(डा. सी.पी. जोशी)

क्षमता में कुशल हैं। और इनके ऊपर लगाम लगाकर यह बात कह सकें कि सरकार के वित्तीय लेखों का किस तरह से प्रबन्धन करना चाहिये। पर दुर्भाग्य से पिछले समय में प्रेक्टिस रही और प्रेक्टिस के आधार पर हमें यह कहा गया कि आपकी सरकार ने नहीं रखे इसलिए हम भी नहीं रखना चाहते हैं। आपके इनीशियेटिव के बाद में सरकार ने दो रिपोर्ट– एक तो कॉमर्शियल और एक रेवेन्यू रिसीट, दो रिपोर्टें तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके कहने से रख दीं। लेकिन बराबर आश्वासन देने के बाद भी जो सी.ए.जी. की सिविल रिपोर्ट है वह हाउस में ले नहीं की गयी और राजस्थान में आज हमारे पास केवल मात्र 2003-04 की एक्चुअल्स सी.ए.जी. की रिपोर्ट है। आज हम 2005-06 के बजट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं लेकिन 2004-05 के एक्चुअल्स के बारे में जानकारी नहीं है। 2005-06 के एक्चुअल्स के बारे में हमें जानकारी बाद में आयेगी । इन परम्पराओं के आधार पर यदि हम सदन को चलाना चाहते हैं तो बजट की अनभिज्ञता का बहुत बड़ा नुकसान राजस्थान की जनता को होने वाला है। और मैंने पिछले बजट भाषण में भी कहा था कि राजस्थान में जब 2002-03 एक हजार करोड़ जब बाकी थे रेवेन्यू एरियर के, आज वह अकाउंट हो गया 2900 करोड़। मतलब राजस्थान में इस सरकार के आने के बाद लगभग 1900 करोड़ रूपये का रेवेन्यू रियलाइजेशन एरियर है, वह बाकी हो गया। यह क्या हमारा धर्म नहीं बनता, यह हमारा कर्तव्य नहीं कि 1900 करोड़ रूपये का रेवेन्यू रियलाइजेशन में हमारा कम हुआ। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते तो ज्यादा ढंग से इकट्ठा कर सकते थे। यदि यह इकट्ठा कर लेते तो टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, आज अध्यक्ष महोदय, आप यह भी रूलिंग दें कि जब भी सरकार के पास सी.ए.जी. की रिपोर्ट आ जाये चाहे वह कामर्शियल की आये, चाहे वह रेवेन्यू रिसीट की आये। क्योंकि यह रिपोर्टें अलग-अलग समय में आती हैं। इस सरकार के पास दिसम्बर में रिपोर्ट आ गयी, फरवरी में रिपोर्ट आ गयी और सी.ए.जी. की जो रिपोर्ट सिविल की है वह एक मार्च को आपके पास आ गयी। एक मार्च को रिपोर्ट आपके पास आ जाए, केबिनेट उस पर डिस्कस करने में 31 मार्च का समय लगा दे। केबिनेट उसको डिस्कस नहीं करे, उसको एप्रूव

(डा. सी.पी. जोशी)

नहीं करे और हाउस में ले नहीं करे और हाउस में बजट डिस्कस कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि पास्ट में कोई परम्परा रही, परम्पराएं हमारे कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, आपने जितना प्रयत्न किया है उसके लिए बहत-बहुत धन्यवाद, सरकार ने जो रिपोर्टें कीं उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन आने वाले समय में हम अभी भी सचेत हों, सरकार को आप निर्देश दें, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आने वाले वर्षों में राजस्थान में सी.ए.जी. की रिपोर्ट चाहे रेवेन्यु रिसीट हो, चाहे कामर्शियल हो, चाहे सी.ए.जी. की रिपोर्ट हो जब भी सरकार को मिलेगी, सात दिन में सरकार केबिनेट में फैसला कर के हाउस में ले करेगी। ऐसा आप निर्देश दें जिससे हम बजट पर सार्थक चर्चा कर सकें।

यही, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए निवेदन करना चाहता हूं और मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके प्रयत्न से आज बाहर के माध्यम से भी बजट के बारे में लोग चिंता कर रहे हैं, समझ रहे हैं रेवेन्यु रिसीट क्या है, सकल राजकोषीय घाटा क्या है, कैसे हम बजट के डिस्कशन में भाग ले सकते हैं। यह एक अच्छी परम्परा है जिसका आपने निर्वहन किया, उसके लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत साधुवाद। लेकिन आप आज यह रूलिंग दें, इस रूलिंग के आधार पर आने वाली सरकारें प्रैक्टिस के नाम पर कि हम बजट ले नहीं कर सके हैं, इसका शैल्टर नहीं ले सके और हम सार्थक चर्चा कर सकें। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप निश्चित तौर पर यह रूलिंग दें कि आने वाले समय में जब सरकार के पास रिपोर्ट आये, बजट रखने के पहले तीनों रिपोर्टें सदन में रखी जानी चाहिए जिससे हम सार्थक बहस कर सकें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने ए.जी. की रिपोर्ट सदन में समय पर प्रस्तुत हो, इस पर चिंता प्रकट की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि यह संवैधानिक प्रावधान है कि कोई भी सरकार हो, उसके साधारण लेखे हों चाहे ऑडिटेड लेखे हों, इनके संधारण का काम संविधान के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अनुच्छेद 152(2) के तहत ए.जी. करते हैं। और, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि ए.जी. की रिपोर्ट के आधार पर इस विधान सभा में कई बार चर्चाएं हुई हैं। और यह भी शाश्वत सत्य है, लम्बा तो मेरा अनुभव नहीं पर पिछले 15-16 वर्षों में अगर आप उठाकर देखें तो कोई सा ऐसा वर्ष रहा हो जिस वर्ष में ए.जी. की रिपोर्ट प्राप्त होते ही सदन में ले हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि संविधान में जो प्रावधान हैं, ए.जी. की रिपोर्ट जब प्राप्त होती है सबसे पहले वित्त विभाग उसका परीक्षण करता है। और वित्त विभाग के परीक्षण करने के पश्चात्, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल के अन्दर वह अनुमोदन के लिए रिपोर्ट जाती है और मंत्रिमण्डल की अनुमति के पश्चात् महामहिम राज्यपाल महोदय के पास भी स्वीकृति के लिए रिपोर्ट जाती है। और महामहिम की स्वीकृति के बाद यह रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों के रिकार्ड कि कब-कब यह ए.जी. की रिपोर्ट है, निश्चित तौर पर यह भी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने सही कहा कि ए.जी. की रिपोर्ट कॉमर्शियल, रेवेन्यु और रिसीट, यह तीनों अलग-अलग समय में अलग-अलग प्रस्तुत की जाती हैं। और, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की कोई मंशा भी नहीं रहती है परन्तु यह तो संवैधानिक प्रावधान हैं। यह रिपोर्ट आज नहीं तो कल आयेगी और रिपोर्ट के अन्दर किसी तरह की कोई छिपाने की बात भी नहीं। आपने किस आधार पर कैसे 1900 करोड़ के रियलाइजेशन की बात कह दी, इस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, आप शायद एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलें तब आप खुलासा कर दें कि आप सरकार का, इस पाइंट ऑफ आर्डर के माध्यम से आपने कह दिया कि आज राजस्थान की सरकार की जिस तरह की वितीय प्रणाली या वित्तीय व्यवस्था कर रखी है, उसमें रियलाइजेशन के लिए 1900 करोड़ रुपये, उस पर मैं बात नहीं करता। पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपका बड़ा लम्बा अनुभव रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कई बसंत इस विधान सभा के सदन में देखे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी भी अगर समय पर कोई प्रस्तुत हुआ हो तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। यह परम्परा है। निश्चित तौर पर आपने जो बात उठायी वह संवैधानिक बात भी है और मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस रिपोर्ट की आपने बात कही, इस बार जो हमारे पास, माननीय अध्यक्ष महोदय, कॉमर्शियल रिपोर्ट आयी ए.जी. की, वह जनवरी के महीने में हमारे पास आयी और मंत्रिमण्डल ने उसको मार्च में अनुमोदन किया और मार्च के अन्दर राज्यपाल महोदय के पास भेज दिया और वह रिपोर्ट आपके पास पहुंच गयी।

दूसरी रिपोर्ट, यह भी पिछली बार बातचीत के दरमियान इन्होंने कहा कि तीनों रिपोर्ट एक साथ आती हैं। तीनों रिपोर्ट एक साथ आये यह आवश्यक नहीं। जो हमारे पास रेवेन्यु की ए.जी. रिपोर्ट आयी वह 17.12.05 की है और हमने चार मार्च को मंत्रिमण्डल की बैठक में उसका अनुमोदन किया, मुख्यमंत्रीजी से उसकी अनुमति ली और मुख्यमंत्री से अनुमति लेने के बाद हमने उसको महामहिम के अनुमोदन के लिए भेज दिया।

अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का खड़ा होता है कि जिस ए.जी. की सिविल रिपोर्ट की चर्चा माननीय सदस्य ने की, निश्चित तौर पर सरकार उस ए.जी. की रिपोर्ट से कोई बचना चाहे, छिपाना चाहे ऐसी कोई सरकार की मंशा नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह ए.जी. की रिपोर्ट, सिविल रिपोर्ट है। यह हमें 26 फरवरी को प्राप्त हुई और 24 मार्च को, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास अनुभव भी है, मंत्रिमण्डल की बैठक हर महीने हो, हर पखवाड़े में जरूरी नहीं। क्योंकि विधान सभा का सत्र आहूत हो गया था, 26 मार्च के बाद मंत्रिमण्डल की बैठक 24 मार्च को विशेष तौर पर इसीलिए आहूत की गयी कि मंत्रिमण्डल की बैठक में ए.जी. की रिपोर्ट का अनुमोदन हम करें।

मंत्रिमण्डल की बैठक में आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसी दिन उस पर अपनी स्वीकृति दे दी और 25 मार्च को हमने महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के पास यह भेज दी। महामहिम राज्यपाल महोदय से जब भी स्वीकृति हमें प्राप्त हो जायेगी तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत कर देंगे। इस रिपोर्ट के माध्यम से किसी तरह की कोई तथ्य छिपाने की हमारी मंशा नहीं और बाकी आपकी अगर कोई यहां से रूलिंग होती उस रूलिंग की पालना करना सरकार का धर्म है, फर्ज है, हम उसकी पूरी पालना करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि इस पर व्यवस्था आप सारे, आपको वैसे सब ज्ञान है लेकिन यह सदन परम्पराओं से भी चलता है और यह सदन नियमों से भी चलता है। और यह जो संवैधानिक प्रावधान है वह केवल राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान के सब राज्यों की विधान सभाओं में, पार्लियामेंट में लागू है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे संसदीय कार्य मंत्रीजी ने विस्तृत ब्यौरेवार दिया, कब हम को प्राप्त हुई कब मंत्रिमण्डल की मीटिंग हुई, कब राज्यपाल महोदय को भेजा। और आपकी जो व्यवस्था होगी यह व्यवस्था आगे आने वाली सभी सरकारों पर या रिपोर्ट्स पर लागू होगी। इसलिए मेरा आपसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन है कि माननीय सदस्य ने अपने तर्क दिये हैं, उन्होंने दिये हैं, आपकी व्यवस्था एक बार सुविचारित रूप से, इस पाइंट ऑफ आर्डर पर तुरन्त व्यवस्था करने के बजाय आप ठीक ढंग से इसको देखकर और सारे राज्यों की विधान सभाओं की परम्पराओं को और उनके नियमों को मंगा कर अगर आप व्यवस्था करेंगे तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी व्यवस्था आ जायेगी और एक नयी परम्परा, अच्छी परम्परा सदन में कायम होगी।

इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सारे इसको पढ़ कर, इसको देखकर, वैसे, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा में अभी तक की जो प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने बतायी है, इस प्रकार की रही है कि इस बात को नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी स्वीकारा है। लेकिन आपने यह कहा है कि हम चर्चा जब करना चाहते हैं तो हमारे पास जो चीज होनी चाहिए वह जब बजट आये उसके पहले हमारे पास होनी चाहिए तो चर्चा ठीक ढंग से की जा सकती है।

इन सारे प्रश्नों पर आप सारी बातों को सुन कर और एक ऐसी व्यवस्था आए जिससे भविष्य में मार्गदर्शन सदन का भी हो सके और माननीय सदस्यों का भी हो सके। और सरकार आपके मार्गदर्शन में चलती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर सुविचारित निर्णय आये तो ही उचित रहेगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं एक लाइन में।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इस विषय में?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इसके विषय में नहीं।

श्री अध्यक्ष: इसके सम्बन्ध में दे रहे हैं या कोई और दे रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पाइंट ऑफ आर्डर का जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं कर दें, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पाइंट ऑफ आर्डर डिस्पोज ऑफ कर देंगे उसके बाद नयी कोई बात करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां कर रहे हैं, कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: हां, बिलकुल।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत वैलिड पाइंट उठाया है कि जहां संविधान की पालना नहीं हो रही हो, संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, संविधान से ऊपर कोई चीज नहीं है। केन्द्र सरकार में हमेशा इस रिपोर्ट को पहले रखा जाता है ताकि माननीय सदस्य उसके आधार पर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर बात को घुमा रहे हैं, आप कहो तो मैं चिट्ठियां पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष: मैंने सुन ली बात। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप शासन में विराजते थे जब आपने कितनी बार रखा?

श्री अध्यक्ष: मैंने सुन ली बात। आपकी सुन ली, इनकी सुन ली। आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो फिर यह चार्ज करने की बात कर रहे हैं न।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इनसे पूछो तो सही कब-कब रखी गयी थी?

श्री अध्यक्ष: फिर वही बात कर रहे हैं। कह लेने दो उन्हें।

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): राजस्थान विधान सभा में मान लीजिए कोई गलती के कारण किसी के ध्यान में नहीं आया...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपका रिकार्ड है पूरा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने कहा न, लेकिन अब यह पाइंट आउट हो गया कि यह संवैधानिक बाध्यता है और आप संविधान की पालना कराने के लिए इस कुर्सी पर विराजमान हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं दे दूंगी जवाब, आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसलिए संविधान के अनुच्छेद 148 में जो दिये गये प्रावधान हैं उनकी पालना निश्चित रूप से सदन में करवायी जानी चाहिए ताकि इस सदन में बहस से पहले माननीय सदस्यों के पास एक्चुअल फिगर आ जायेंगे तो निश्चित रूप से वो अपने विचार सही रूप से प्रकट कर पायेंगे।

इसमें मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बजट एस्टीमेट, उसके बाद रिवाइज एस्टीमेट, फिर एक्चुअल एक्सपेंडीचर, इसमें बड़ा फर्क रहता है। और इस फर्क को जब तक माननीय सदस्यों के सामने नहीं लाया जायेगा तो वे अपने विचार सही रूप से पेश नहीं कर पायेंगे।

इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि संविधान में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुरूप यहां पर सी.ए.जी. की रिपोर्ट निश्चित रूप से पहले रखी जानी चाहिए ताकि माननीय सदस्यों को अपने विचार अभिव्यक्त करने में एक तरीके से सहूलियत रहे और उन आंकड़ों को देखकर सही रूप में अपने विचार व्यक्त कर सकें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य गण, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सीएजी की रिपोर्ट कब पेश की जाए, बजट से पूर्व पेश की जाए इस बारे में जो पढ़कर सुनाया कांस्टीट्यूशन का प्रोवीजन मैं उसको फिर दोहरना चाहूंगी

''The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of a State shall be submitted to the Governor of the State, who shall cause them to be laid before the Legislature of the State.''

यह कहीं नहीं है इसमें कि उससे पूर्व किया जाएगा, यह नहीं लिखा है 'before that' फिर भी अन्य स्टे्टस में क्या व्यवस्था है, पार्लियामैंट में क्या व्यवस्था इस बारे में चूंकि मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं और इसलिए मैं इसके ऊपर व्यवस्था अपनी कल या परसों, जब मैं पूरी जानकारी कर लूंगी सब स्टेट्स से मेरी जानकारी प्राप्त कर लूंगी और पार्लियामैंट में क्या प्रैक्टिस है इस बारे में जानकारी कर लूंगी, उसके बाद इस बारे में मैं व्यवस्था दे सकती हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी भावना से हम सहमत हैं। हम तो केवल एक निवेदन करना चाहते हैं कि जो रिपोर्ट सरकार के पास आ जाए और गवर्नर को भेजना है उसके बीच में गेप नहीं हो because I am not condemning the Government. शिक्षा मंत्री जी ने कहा अच्छी बात कही, आप कामनवैल्थ के एक्जीक्यूटिव के मैम्बर बन गए। हम आशा करते हैं कि आप सब देखकर ऐसी परम्पराएं बनाएंगे कि आने वाले समय में राजस्थान इसका लाभ उठा सके।

श्री अध्यक्ष: और स्टेट्स का भी जान लें ना कि क्या-क्या व्यवस्था है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आज राजस्थान समग्र सेवा संघ के नेतृत्व में माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आंदोलन चल रहा है यहां विधान सभा में सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं । राजस्थान में 1980 में शराबबंदी लागू की गई थी।

श्री अध्यक्ष: क्या इन्फार्मेशन दे रहे हैं आप ?

सूचना

राजस्थान समग्र सेवा संघ द्वारा शराबबंदी की मांग को लेकर विधान सभा के सामने प्रदर्शन

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): राजस्थान समग्र सेवा संघ के नेतृत्व में आज सैंकड़ो कार्यकर्ता शराबबंदी की मांग लेकर के विधान सभा के सामने आए हैं, 1980 में राजस्थान में शराबबंदी लागू की गई थी । आज गली-गली, मौहल्ले-मौहल्ले में ग्रहणियां परेशान हैं शराब के ठेके चल रहे हैं उसकी मांग करने वह आए हैं । हम आपके माध्यम से आशा करते हैं उनकी बात को सुना जाए। और राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री जी इस नीति को ठीक करने और दूसरी तरफ से हमारा क्योंकि शांत प्रदेश है उसका माहौल कैसे ठीक किया जाए, इस नीति के आधार पर इसको ठीक करके यह दुकानें कैसे हटें इस तरह से फालतू की बातें जो की जाती हैं माननीय गृह मंत्री जी, उन सबके लिए आज उनसे मिलकर के विचार करके, पुराने सारे आदमी आए हुए हैं, बात करके आप इसका निराकरण करें तो ज्यादा ठीक होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): 1977 में भैरोंसिंह जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब राजस्थान में पहली बार शराबबंदी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से आने वाली सरकार ने उसे वापस खोला।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): वह आपकी थी श्रीमान्।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उसके बारे में भी अपने इन आए हुए सभी लोगों को जानकारी दे दो कि राजस्थान में शराबबंदी किसने की थी और वापस किसने खोली।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हम तो गांधी जी के अनुयायी हैं शराबबंदी के हिमायती हैं और हम चाहते हैं शराबबंदी हो। और ...(व्यवधान) और दूसरे तरीके से रेवेन्यू कर लीजिएगा ...(व्यवधान) इसलिए कृपा करके इसके बारे में ध्यान दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मुझे याद है उस समय आप गृह मंत्री थे उस समय आपने खोली।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं कहां था गृह मंत्री?

श्री अध्यक्ष: तब थे तो थे, कुछ तो थे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरा निवेदन यह है कि यह बात सही है कि भैरोंसिंह जी की सरकार जब आयी 1977 के अन्दर, उस वक्त मोरारजी देसाई की सरकार दिल्ली में थी। और मोरारजी भाई प्रोहिबिशन के बहुत बड़े समर्थक थे। और उन्होंने जहां-जहां भी जनता पार्टी की सरकारें थीं उनके ऊपर उन्होंने एक तरह से मोरल दबाव डाला कि वह अपने प्रदेशों के अन्दर प्रोहिबिशन लागू करें। और उस सन्दर्भ में आदरणीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने राजस्थान के अन्दर शराबबंदी लागू की । यह बात भी सही है कि प्रोहिबिशन फेल हुआ। बुरी तरह से फेल हुआ प्रोहिबिशन। और जो समाज के अन्दर असामाजिक तत्व थे वह उससे पैसा कमा रहे थे, पुलिस में भ्रष्टाचार बढ़ा उस सारे सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए जो हमारे ऊपर आरोपित कर रहे हैं, because prohibition policy was failed, इसलिए तो बंशीलाल जी ने लगाई थी हरियाणा के अन्दर।

श्री अध्यक्ष: छोड़ दीजिए इन बातों को । अब वह आए हैं बाहर तो पहले आप जा आओ मिल आओ फिर ..

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं जो आरोपित करने की चेष्टा की माननीय गृह मंत्री महोदय ने, मैं उस सन्दर्भ में उस क्लेरिफिकेशन को दे रहा हूं, because prohibition policy was failed in the state. That's why it was re-imposed. मैंने कहा था इसको समाप्त किया जाए, मैंने खुद कहा था।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने विरोध किया था उस समय हम बोले थे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब आप विराजो तो सही। पहाड़िया जी की सरकार आई उस समय मैंने कहा कि आप जहर पिला रहे हो लोगों को, कच्ची पक्की शराब बनकर बिक रही है । लोग जहर पी रहे हैं, मौतें हो रही हैं इसको बंद करिए आप। मैं आज भी कहता हूं इस चीज को लेकिन साथ-साथ इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आप गली-गली के अन्दर चौराहों के ऊपर शराब की दुकानें खोल दें । उसकी सीमा निश्चित करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: इसकी चर्चा बाद में करिएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): जब आपकी सरकार ने यह कहा था कि शराबबंदी की गई है लेकिन वह मुझे याद है अच्छी तरह से लेकिन हम गांधी जी के अनुयायी हैं हम समझा कर शराबबंदी करेंगे, कानून से नहीं करेंगे। तो हम वह अनुसरण कर रहे हैं महात्मा गांधी का ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यहां विराजमान हैं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य, अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी विराजमान हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी भी विराजमान हैं, विपक्षी दल के नेता भी विराजमान हैं। और उस अकाल के मामले में जो फैसला करना था आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहां विराजमान हैं ..

श्री अध्यक्ष: उस समय आप कुछ भी कह सकते हो, कह देना ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राजस्व विभाग ने यह लिख दिया कि उस फसल में चारा शामिल नहीं है और वह रिलीफ में पैसा पड़ा हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि सब विराजमान हैं उसका फैसला करवाएं।

श्री अध्यक्ष: एप्रोप्रिएशन बहुत वाइड स्कोप होता है आप कह देना उस वक्त अपनी बात । मुख्यमंत्री जी जवाब देंगी । विधायी कार्य, माननीय मुख्य मंत्री जी ।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2006

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्षः दूसरा भी कर दें साथ ही ।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2006

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना कर रहा था क्योंकि दोनों बिल एक साथ प्रस्तुत किए गए हैं इसलिए दोनों पर विचार भी एक साथ आ जाए, दोनों पर उत्तर भी एक साथ हो जाए।

श्री अध्यक्षः साथ ही होंगे। मतलब भी यही है दोनों पर होगा साथ ही विचार। राव राजेन्द्र सिंह ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): एक रिपोर्ट भी रखनी थी यातायात मंत्री को।

श्री अध्यक्षः आपके भाषण से पूर्व यह सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि हैं इनको रखवा दें । श्री युनूस खान।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

परिवहन विभाग

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या-6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/1 एल दिनांक 27.3.2006 जिसमें द्वारा अधिसूचना संख्या-6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/05/1 जे दिनांक 30.10.2002 (समय-समय पर यथासंशोधित) को अतिष्ठित करते हुए एक बारीय कर की दरों में परिवर्तन एवं ऐसे गैर परिवहन वाहन जिन पर एक बारीय कर देय नहीं है, को एक बारीय कर की परिधि में लाया गया है।

(श्री युनूस खान)

2. अधिसूचना संख्या-6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/2 ई दिनांक 27.3.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/2 सी दिनांक 1.3.2002 (समय-समय पर यथासंशोधित) को तुरन्त प्रभाव से विखण्डित किया गया है।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2006

राजस्थान वित्त विधेयक, 2006

श्री अध्यक्षः श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक बड़ा प्रान्त है भौगोलिक दृष्टि से हमारे यहां विषमताएं अपनी विविधताओं में एक साथ मौजूद हैं । पूरे प्रदेश को एक साथ विकास के मार्ग पर ले आना शासन और समाज दोनों के लिए चुनौती है । मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि व्याख्याओं और विश्लेषणों से पटा पडा है संसार। जो है या नहीं हैं उसके बारे में अपनी-अपनी बात कहकर और उसको अन्तिम मान लेना यही प्रवृत्ति वाद विवाद के घेरे निर्मित करती है। और शायद यही बात यहां आकर ठहर जाती है कि जैसे नेत्रहीन चार व्यक्ति किसी हाथी के सम्बन्ध में उद्विग्न हो रहे हों। विचार और विचारधाराओं की यह कवायद दलगत सीमाओं में बंधकर आम जन सामान्य व्यक्ति की व्यथा को कुंठित करते हुए इस सदन में आकर दम तोड़ देती हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, करूणा जनित सहानुभूति का उल्लेख जन प्रतिनिधि का धर्म है । पर दुःख आतुरता और परोपकारिता की भावना में संलग्नता उसका क्रियात्मक प्रतिफल है । जन सामान्य की व्यथा और वेदना के समाहार के लिए जब उच्च और पवित्र मनोभावों से प्रेरित पुण्य आत्माएं और मनस्वी जीव संघबद्ध होते हैं, और सामाजिक संताप के परिहार के लिये उचित कार्यक्रमों का सृजन करते हैं तब जाकर कहीं ऐसे पत्रों का संकलन होता है जो कि आज का बजट इसका एक जीता जागता उदाहरण है।

अध्यक्ष महोदय, इन सारी व्यवस्थाओं के बीच में जिस तरीके से वास्तविक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए जो उल्लेखित परिपत्र बजट के स्वरूप में हमारे सामने आया वह सराहनीय है। यहां यह कहना और कहीं गलत नहीं होगा कि व्यवस्था हो सकती है। विश्लेषकों के विश्लेषण में इस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

बात के लिये प्रश्न उठ सकते हैं इस राज की आर्थिक स्थिति और इस राज के आर्थिक स्वास्थ्य पर कई प्रश्न उठ सकते हैं। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा यह पाँच दशक का एक सफर किसी एक के माथे और किसी एक के कंधे पर बैठकर नहीं किया गया। पिछले 55 वर्ष से ज्यादा का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि जहां कहीं भी गलती हुई, जिस किसी भी शासन व्यवस्था से गलती हुई उसको सुधारने का प्रयास किया गया। चाहे विपक्ष की सत्ता हो या आज के सत्ता पक्ष की सत्ता हो। जब-जब यह कारण मिले जन-प्रतिनिधि ने उसको सुधारने और उसको दिशा देने की कोशिश की। हम यह बात मानते हैं कि आज के इस बजट के प्रतिवेदन पर कई लोगों के बीच में कई तरह के प्रश्न उठ सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई जन-प्रतिनिधि और जनता से चुनी हुई सरकार और वहां की व्यवस्था किसी भी ऐसी बात को जन्म नहीं दे सकती जो जन विरोधी है। लोक कल्याणकारी इस बजट का स्वरूप इस बात से उद्धृत होता है कि समस्त व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिये एक गृहिणी के घर से लेकर और राज्य के उस प्रशासन तक को सुदृढ़ करने की जो चेष्टा की गयी है उसके लिये मुख्य मंत्रीजी बधाई की पात्रता रखती हैं।

(समय : 13.42 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

आदरणीय सभापति महोदय, ग्रामीण पृष्ठभूमि में एक बात सर्वाधिक विदित होती है सुबह चार बजे से एक व्यक्ति अपने घर के काम काज में लग जाता है। पशुधन का संरक्षण, पशुओं को चारा देना, बच्चों को खाना खिलाना, घरेलू काम करना। और फिर जाकर काश्तकार की काश्त में सिंचाई करना, खेत की देखभाल करना और रात को ग्यारह बजे तक अपने आपको पूरे के पूरे उस रोजमर्रा के कार्यक्रम में समय व्यतीत करना, यह आज की महिला का वास्तविक स्वरूप है। चिंतन बहुत हुए लेकिन वास्तविक प्रयास कभी भी इसके बारे में नहीं हुआ। काश्तकार और किसान के नाम पर हम कई बार यहां आकर भाषण देते हैं, वास्तविकता में अगर कोई व्यक्ति व्यथित था और दुःखी था तो वह काश्तकार की गृहिणी थी। किसान के नाम पर बहुत कुछ हुए लेकिन किसान की गृहिणी के नाम पर बहुत कम हुए और पहली बार जेंडर आडिटिंग के अन्दर इस बात को हमने तलाशने की कोशिश की, इस बात को अंजाम देने की कोशिश की । उस गृहिणी के चूल्हे से लगाकर खेत तक का जो रास्ता है,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सशक्त हो, स्वाभिमान परक हो और मुख्य मंत्रीजी इसकी बधाई की पात्रता रखती हैं। साधारण सी बात है। सब लोग अपने आपको किसान कहते हैं और हम भी ग्रामीण अंचल से निर्वाचित होकर आये हैं। सुबह से शाम तक का ग्रामीण पुरुष का सफर है, वह सुबह उठ कर किसी चौपाल पर जाकर ताश पत्ती खेलने तक सीमित रहता है। वास्तविकता में अगर किसान के घर में कोई काम कर रहा है तो उसकी गृहिणी काम कर रही है। फसल को पानी पिलाने से काटने तक, बच्चों का लालन पालन करने तक, घर का रख रखाव करने तक, पशुधन का संरक्षण करने से रख रखाव करने तक अगर कोई व्यक्ति है तो वह महिला है। इस महिला सशक्तीकरण के वर्ष में इससे ज्यादा कोई संवेदनशील नहीं रह सकता था कि सम्पूर्ण बजट की प्रमुख धुरी अगर महिला के विकास के लिये, उसके परिवार और उसके बच्चों के विकास के लिये अगर हो तो इस बात के लिये हम इस सरकार को और इस शासन को बधाई देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सी ऐसी चीजें है निरंतर स्टेटिटिक्स के अन्दर और निरंतर आडिटिंग की प्रक्रिया के अन्दर बहुत सी बातें आती हैं, उंगलियां भी उठती हैं कि जो हमारी योजनाएं थीं उनका क्रियान्वयन पूरे तरीके से नहीं हुआ। वाद-विवाद के अन्दर यह बात भी सामने आयेगी कि जो कुछ हमने कहा था उसका शत-प्रतिशत हमने पूरा नहीं किया। यह आक्षेप और सारी व्यथाएं विश्लेषणों तक सीमित रह जाती हैं। वास्तविक स्वरूप तो वह है कि आम आदमी क्या महसूस करता है, उसके घर तक वह बात और योजना क्रियान्वित हुई कि नहीं हुई ? आम जन सामान्य के मस्तिष्क पर किस बात का चिंतन है ? क्या वह इस शासन व्यवस्था से खुश है, संतुष्ट है ? इस बात का इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं दे सकता कि जिस वक्त इस शासन की नेता ग्रामीण अंचल में ग्रामीण जनों के बीच में आती हैं तो ऐसा लगता है स्वाभाविक रूप में जन सैलाब उस व्यक्तित्व से मिलने को उसके दर्शन के लिये उपलब्ध हो जाता है। यह ऐसा मापदंड है जो किसी अर्थशास्त्र के विश्लेषण से आपको प्राप्त नहीं हो सकता। आंकड़ों के मायाजाल से यह बात कह सकते हैं कि शासन की व्यवस्था सुदृढ़ है। आंकड़ों के मायाजाल से विपरीत तरीके का भी हम आलोचनात्मक रवैया अपना सकते हैं।

एक बात मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि जिस धर्म के हम सब अनुयायी हैं, उसमें जो वास्तविक सार है जिसको कई बार इस सदन में उद्धृत

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

किया गया, वसुधैव कुटुम्बकम् के नाम पर कई तरीके की परिभाषा दी है। यह मैं मानता हूं कि जिस परिस्थिति से राजस्थान गुजर रहा है, जिस विषमताओं से यह और यहां का निवासी अपने आपको पाता है उसमें सरकार ने सम्पूर्ण संसार के प्रति जो प्रतिबद्धता थी उसको भी नहीं छोड़ा। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वह प्रदूषण के सम्बन्ध में हमारी जो प्रतिबद्धता थी, ओजोन लेयर के अन्दर जो उस परत की कमजोरी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि शासन व्यवस्था जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये कर्मशील है, इसके बावजूद भी संसार में पर्यावरण के प्रति कितनी संवेदनशील है। सीडियम जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से कार्बन सिम्स और कार्बन ग्रेडिंग जैसी चीज को 11 महीने की अल्प अवधि में प्राप्त कर पंजीकृत कर दिया। यह इस शासन व्यवस्था की इस बात को पूरे तरीके से परिभाषित करता है कि वसुधैव कुटुम्बकम् का नाम ही नहीं लेते अपने चरित्र में भी उसको अपनाते हैं। अपने शासन की व्यवस्था में भी उसको अंजाम देने का हम लोहा मानते हैं।

सभापति महोदय, एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा। 1955 में स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने सोवियत रूस की यात्रा के पहले एक बात कही। 1955 में अगर सोवियत रूस की यात्रा की जाए तो उस पृष्ठभूमि में यह माना जाता था कि उस टाइम पर यू.एस.एस.आर. को आइरन कटर कहते थे कि उसके यहां से कुछ लाना और वहां से कुछ पाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने एक बात कही थी कि सबसे बड़ा लोह यवनिक जिसको आइरन कटर कहते हैं, मनुष्य का दिमाग होता है। इसके दिमाग में अगर कोई चीज पड़ जाए और अगर वह उसमें परदे बंद कर ले तो चाहे कितनी ही बात आप उनके सामने की उसे वह दिखती नहीं है। इस आइरन कटर को हमें खोलना पड़ेगा। चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हो पूरे तरीके से हमें यह देखना पड़ेगा। और अगर कोई सराहनीय काम है तो उसको सराहना पड़ेगा कि आखिर कुछ कदम चले तो सही। और चले तो ऐसी मंजिल की तरफ चले जिसमें सबकी भलाई हो सबकी खुशहाली हो। इस पात्रता के अन्दर वर्तमान शासन की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।

मैं आदरणीय सभापति महोदय, एक बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको इस बजट के अन्दर लाने की कोशिश की गयी है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं सिर्फ सुझाव के रूप में निवेदन करना

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

चाहता हूं। विश्लेषक यहां मौजूद हैं, वह उसको तराश लें और अगर वह ऐसा मानें कि इनकी भी यहां कुछ अहम भूमिका हो सकती है तो उसमें जरूर इस पर ध्यान दें।

सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि सरकार का जो रेवेन्यु है, जो राजस्व है उसमें जो सबसे बड़ा कम्पोनेंट है वह कामर्शियल टैक्सेज है। और उनमें करों का है और वाणिज्यिक करों में भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनका सबसे बड़ा हिस्सा होता है । कुछ दिनों से स्टेटिस्टिमस इस बात को कहते हैं कि अगर सम्पूर्ण भारतवर्ष का हम स्टेटिटिम्स देखें तो 2002-03 तक निरंतर 6 प्रतिशत से 5.3 प्रतिशत तक की वार्षिक बढ़ोतरी पर्सेन्टेज पाइंट पर हुई है। और अगर कामर्शियल टैक्सेज में जो हमारा रेवेन्यु इंटेक है, यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि रेवेन्यु इंक्रीज हुई है । लेकिन अगर रेवेन्यु को लीटर्स में देखें, वाल्युम में हम देखें तो माइन्स 4 पर्सेंट का डेफिसिट हुआ है । रेवेन्यु इंक्रीज इसलिए हुआ है कि जब कीमत बढ़ गयी तो पर्सेन्टेज पाइंट अपने आप बढ़ गया । लेकिन लीटर्स और वोल्युम्स को पर्सेन्टेज पाइंट पर देखते हैं तो हम यह पायेंगे कि जहां संपूर्ण भारतवर्ष में एक असेंडिंग ट्रेंड है वहीं हमारे प्रदेश के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्टस के कंजम्पसन में एक डिसेंडिंग ट्रेड आया है । कामर्शियल टैक्सेज के वाल्यूम में इजाफा हुआ है। लेकिन अगर मैटेरियल वोल्युम हम देखें कि इतने लीटर उस वक्त बिकता था उस लीटर के हिसाब से कितना लीटर आज बिकना चाहिए । उसमें यह पायेंगे कि अगर लीटर्स में वोल्युम देखेंगे तो माइन्स 4 प्रतिशत हमारी ग्रोथ रेट है । यह एक चिंता का विषय है । यह चिंता का विषय इसलिए है कि यहां की इकानोमिक्स जो है उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है । आटोमोबाइल की सेल्स में 12 से 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है । आखिर पेट्रोलियम प्रोडेक्ट का जो वोल्युम है वह क्यों गिरा? इसका सीधा सा कारण है कि हमारे जो पड़ोसी प्रदेश हैं जहां हम 20 से 28 प्रतिशत के बीच में सेल्स टैक्स लगा रहे हैं वह 12 और साढ़े 12 के बीच में, इस चीज को हमें रोकना होगा । यह एक ऐसी आय है जो 6 प्रतिशत के हिसाब से भी अगर हम भारतवर्ष का एवरेज देखें तो कम से कम पाँच सौ से हजार करोड़ का इजाफा कर सकती है । मैं यही चाहूंगा कि यह जो छीजत हो रही है उसको यहां के जो अर्थशास्त्री हैं और सरकार के जो विशेषज्ञ हैं वह बैठकर के इस चीज को देखें । अगर वह सही पायें तो इसको भी निश्चित समयावधि में रोकने की आवश्यकता है ।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय, दूसरी एक बात और मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूंगा । पेट्रोल की जो कंपनियां हैं उनमें दो तरह का पेट्रोल या डीजल आता है । एक तो वह जो स्वयं की रिफाइनरी से आता है और एक वह जो यह इंपोर्ट करके लाते हैं । इम्पोर्ट करके लाने वाले पेट्रोलियम कंपनियों को तीन प्रतिशत का टैक्स देकर और बाकी स्वयं का जो इस्तेमाल करती हैं उस पर रिबेट मिलती है । 20 प्रतिशत इनके सेल्स टैक्स का कंपोनेंट हैं । जो कंपनियां स्वयं का पेट्रोल इम्पोर्ट करती हैं और स्वयं के खपत के लिए जो पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करती हैं उस पर सिर्फ तीन प्रतिशत इम्पोर्ट टैक्स दे देती हैं बाकी की उनको छूट मिल जाती है । ऐसा मेरी जानकारी में है। जो कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं उसका मुख्य कारण यह है कि इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अपने एंड से दूसरे तक डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए उनकी जो गाडियों में डीजल खर्च होता है उस पर यह छूट है । कुछ कंपनियों ने अपनी ट्रांसपोर्ट फ्लीट कार्ड बना लिया है, गाड़ी उनकी है, पेट्रोलियम के प्रोडक्टस पर खुद की लोजिस्टिक खोल दी हैं । उस लोजिस्टिक में यह गाडियां पंजीकृत हैं । लेकिन यह वास्तव में पेट्रोलियम प्रोडक्टस को इधर से उधर ले जाने में काम नहीं आती है । वह वो लोजिस्टिक भी करती हैं जिसमें पेट्रोलियम प्रोडेक्ट नहीं होता क्योंकि वह पेट्रोलियम कंपनी से पंजीकृत हैं, इसलिए अपने लेखा खाते के अंदर तीन प्रतिशत ही टैक्स देकर के 17 प्रतिशंत की छूट लेते हैं । वास्तविकता में यह जो गाडियां हैं वह ऐसा काम कर रही हैं जो या तो दवाइयां सप्लाई कर रही हैं या और कोई गुड्स सप्लाई कर रही हैं। क्योंकि उनकी लोजिस्टिक फ्लीट्स में हैं इसलिए वह उनसे माल ले लेते हैं, उनकी डीजल की खपत में बढ़ोतरी हुई हैं । वोल्युम ऑफ टैक्स में बढ़ोतरी हुई है लेकिन वास्तविक टैक्स को बचा रहे हैं । हम आपसे यह निवेदन करना चाह रहे हैं कि इस बात को भी ध्यान देकर के इस चीज को भी तराशें ।

जो चीज मैं आपके ध्यान में करना चाहूंगा कि हमारी जो परिस्थिति है उन परिस्थितियों को देखते हुए हमें उन सेक्टर्स में भी जाना पड़ेगा जिस सेक्टर में पावर इंटेक कम हो । पावर के जो प्लांट लग रहे हैं इनको आने में कम से कम तीन से पाँच साल का समय लगेगा । आज की तारीख में इकानामी और इकानामी डवलपमेंट सिर्फ इस वजह से नहीं रोका जा सकता है कि जब पावर प्लांट आयेंगे तब हम कुछ इसमें इजाफा करेंगे । हमको ऐसी योजनाएं भी बनानी पड़ेंगी जो पावर हंगरी ना हो । जो इलेक्ट्रिक पावर हंगरी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

ना हो । ऐसी योजना और ऐसी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी जिसमें पावर एनर्जी का इंटेक कम हो । दूसरी ऐसी व्यवस्था भी हमको करनी पड़ेगी जिसके अंदर जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है उसमें कई ऐसी चीज हैं जैसे इंटेक ऑफ वाटर की कमी हो, वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री यहां ना आये । इसके लिये जो सबसे बड़ी चीज वैट लागू होने के बाद होगी लोजिस्टिक पार्क की । हमारे सारे लोगों ने बहुत अच्छा इस चीज को बनाया है लेकिन लोजिस्टिक पार्क का विचार क्यों नहीं आया? लोजिस्टिक पार्क का मतलब यह होता है कि जब वैट लागू हो जायेगा तो जितनी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं इस पूरे के पूरे देश को चार या पाँच रीजन्स में डिवाइड कर देंगी । यह छोटे-छोटे सी एंड एफ एजेंट जो हर प्रदेश में बैठे हुए हैं इनका कंगलोमटेशन होकर के रीजन तक सीमित हो जायेगा । लोजिस्टिक पार्क में यह है कि ना तो उनको एनर्जी चाहिये, जो आपकी घरेलू व्यवस्था होती है उतनी ही एनर्जी इंटेक होती है । वाटर इंटेसिव भी नहीं हैं । लेकिन सर्विस ओरिएंटेड है । पाँच हजार से दस हजार व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है । आपका पर्यावरण कई तरीके से डिस्टर्ब नहीं होता। इसलिए राजस्थान, क्योंकि दिल्ली से नजदीक है, सांगानेर एयरपोर्ट को आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रखा है इंटरनेशनल हब्स यहां हैं। कंटेनर डिपो यहां हैं । हम यह चाहते हैं कि लोजिस्टिक पार्क की भी कम से कम स्कीम लागू करें । जिससे आज के इकानामी डवलपमेंट में एक संपूर्ण भागीदारी यह निभा सकें । इमर्जिंग फील्ड नहीं हैं एग्जेंस्टिंग फील्ड है । लेकिन इसका कंसन्ट्रेशन होगा और इससे पहले कि मध्य प्रदेश या कोई और कवायद कर जाये राजस्थान को तत्परता करनी पड़ेगी ।

सभापति महोदय, दूसरी बात जो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं हमारे यहां रिसर्च और डवलपमेंट का सेक्टर नहीं है । हमने सेज लगायी बहुत अच्छी बात है । हम सिलिकॉन वैली की पद्वति पर कम्प्युटराइजेशन और आई.टी. इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं । लेकिन यह वो फील्डस हैं जो ऑलरेडी कम्पिटेटिव हो चुकी हैं । हैदराबाद को देखें तो दस साल का समय गुजर चुका है । अगर हम बैंगलौर को देखें तो दस से बारह साल का समय गुजर चुका है । इनके यहां जो व्यवस्थाएं हैं उनसे आपको कंम्पिट करना पड़ेगा । लेकिन ऐसी भी चीजें हैं ऐसी भी रिसर्च और डवलपमेंट की चीजें हैं जिनकी यहां लैब्स लग सकती हैं । लैब्स लगकर के अगर उसका कामर्शियल प्रोडेक्शन हो जाता है तो पेटेंटेड यहां होंगी, नैनो-टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

जिसकी बहुत आवश्यकता है । मेडिकल साइंस के अंदर, कम्प्यूटर साइंस के अंदर, एनर्जी साइंस के अंदर और मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि 28 फरवरी को आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने जब नेशनल साइंस डे पर अपना भाषण दिया तो उन्होंने इस बात को अहमता से लिया कि कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी, एनर्जी इंटेंशन इंट्रोडयुस एनर्जी माइल्ड हैं उनकी हो सकती है । नैनो टेक्नोलॉजी में पैथोलॉजी का सैक्टर है । माइक्रो टेक्नोलॉजी के अंदर लेकिन रिसर्च एंड डवलपमेंट में अगर आप फ्रेम और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा करेंगे तो कोई नहीं आयेगा । मैं इस शासन की व्यवस्था में इस शासन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि नैनो टेक्नोलॉजी जैसे व्यक्तित्व जो यहां आये हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्टस इनके पास दिये हैं जिन्होंने शायद अगले कुछ महीनों में इस बात को अंजाम देंगे कि रिसर्च और डवलपमेंट में पहला ऐसा प्रदेश होगा जो अपनी पूरी की पूरी दरवाजे खोलकर के रिसर्च और टेक्नोलॉजी को स्थापित करने के बाद में, पेटेंट करने के बाद में इकानामिक डवलपमेंट में उसका जो योगदान होगा । जहां कहीं भी वह प्रोडेक्ट बिकेगा, आपके यहां रायल्टी आयेगी । आपके यहां पेटेंटेड हुआ है । आपका इकानामिक डवलपमेंट होगा । अगर यह सारी चीजें एक जगह मिला दी जायें तो आपकी जो वार्षिक योजना है और आपका जो इस वर्ष का जो वोल्युम है वह पूरा एक सेक्टर दे सकता है । इस सारे सेक्टर में एक सबसे बड़ी चीज है । कल मुझे समय नहीं मिला आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी की ग्रांट पर बोलने का। आपके पास में सर्विस सेक्टर में बीपीओ सबसे बड़ा सेक्टर है । आपके बीपीओ तो यहां स्थापित हो गये । सेंटर्स तो यहां स्थापित हो गये । लेकिन बच्चे जो आ रहे हैं वह ऐसी जगह से आ रहे हैं क्योंकि आपके पास में पर्याप्त उनके यहां वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है । यह सेक्टर ऐसा है जो 15-20 हजार लोगों को रोजगार दे रहा है । लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हरियाणा, गुड़गांव या महाराष्ट्र से लोग यहां आकर के कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं क्योंकि आपका नौजवान के पास में वह वोकेशनल फैसेलिटी नहीं है । जिसको हम यह कहते हैं कि किसी जमाने में अंग्रेजों के जमाने में कहा जाता था कि फिनिंशिग स्कूल्स नहीं है। हमारे पास में एकेडेमिक स्कूल हैं । हमारे पास में एकेडेमिक फैसेलिटी हैं । फिनिशिग स्कूल्स नहीं हैं । फिनिशिंग स्कूल में इन सारे सेक्टर्स में ध्यान देना पड़ेगा । अगर इस चीज में कवायद हो जाये तो इनका ज्यादा से ज्यादा 6 से 12 महिने का कार्यकाल होता है । 6 से 12 महीने के बीच में वह व्यक्ति और वह

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

बच्चा चाहे किसी भी सेक्टर से आया हुआ हो, कितने ही ग्रामीण अंचल से आया हुआ हो पारंगतता हासिल कर लेता है । बच्चों को ट्रेनिंग करके बीपीओ में हम भेज दें । लेकिन जो बाहर के प्रदेश के लोग यहां आकर के लाभ उठा रहे हैं वह नहीं उठा पायेंगे और रोजगार का संसाधन उपलब्ध हो जायेगा ।

(समय : 14.00 बजे)

आदरणीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बात को आपके बीच में दोहराना चाहूंगा। कई बार यह देखने को मिला है कि हम जो सोचते हैं, जब तक उसकी क्रियान्विति नहीं हो पाती तब तक कई शंकाएं उत्पन्न होती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ideas do not come with drumbeats and actions are never performed in silence. यह आइडियाज हैं, इनोवेशन्स हैं। सरकार के पास इनोवेटिव्ज और इन्सेन्टिव्ज हैं, इनिशिएटिव्ज की कवायद की है। Wait for the actions to take place and I am sure, the public and the House will hear the drum-beats because actions speak loudly and clearly. They are in the interest of the public at large. We feel that the Government has done ample enough under the restrictive field for the welfare of the public at large.

और इसी के साथ में इस बात को कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि शिव खेड़ा ने एक बात कही है, 'यह जरूर है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, उनका काम करने का ढंग अलग होता है'। और शायद इसी भाषा से अपनी सारी की सारी बात को आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के प्रति समर्पित करते हुए, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापतिः माननीय श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, विनियोग विधेयक संख्या 2, सन् 2006 और वित्त विधेयक, दोनों ही पारित होने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज ही के दिन, 29 मार्च को 54 साल पहले राजस्थान विधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यह संयोग ही है कि इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया वह अपने जन्म दिन पर पेश किया। और जितना शानदार बजट पेश हुआ, माननीय सभापति महोदय, मैं इस मौके पर एप्रोप्रिएशन बिल पर आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि हमारे यहां लीज डीड का सिस्टम है जबकि सबसे पहले लीज डीड दिल्ली

(श्री विष्णु मोदी)

में शुरू हुई थी। तो दिल्ली की सरकार ने भी लीज डीड को समाप्त करके फ्री होल्ड कर दिया। हमारे यहां जो भी अलॉटमेण्ट होते हैं, जिस किसी का भी अलोटमेण्ट हैं, सभी 99 इयर्स लीज पर है। आप कल्पना कीजिए जब 99 इयर्स पूरे होंगे उस समय क्या वह डाक्यूमेण्ट भी सुरक्षित होंगे? तो इस चीज में पहल करने की आवश्यकता है कि हमारा स्टेट फ्री होल्ड हो। उसमें सरकार को जो लीज मनी मिलती है उसमें मेरा सुझाव है कि जितनी लीज मनी आपको मिलनी है उतनी आप वसूल कर लें, आप उसकी किश्त बना लें, जो भी उसकी एक कमेटी बनाए और इस लीज डीड का सिलसिला समाप्त करें।

माननीय सभापति महोदय, आज भी जो सरकारी ऋण और पेनेल्टी हैं वह 18 से 24 प्रतिशत तक हैं1 राज्य सरकार ने भी अपने जो लोन ले रखें हैं उनको स्वैप कराया है और जो इन्टरनेशनल फाइनेंशल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, बैंक हैं, उन्होंने भी अपनी दर को घटाया है। हम उसी लीक पर चले जा रहे हैं, जिस लीक पर पहले चले जा रहे थे। आज बदलते हुए परिदृश्य में आवश्यकता है कि आगे से 8 मार्च को बजट पेश किया, तो माननीय मुख्य मंत्रीजी, 8 मार्च के आगे से सरकार के जो भी पेनेल्टी या डिफाल्टी हो, उसमें 12 प्रतिशत, 11 प्रतिशत या जो भी वह ठीक समझे, करे। यह जो रेट ऑफ इन्टरेस्ट और पेनेल्टी हैं, उनको तर्क संगत बनाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपका और मेरा विधान सभा क्षेत्र लगता हुआ है और हम दोनों को ही ब्यावर होकर जाना पड़ता है। आज पूरे प्रदेश में और खासकर ब्यावर में जिस रूप से इल्लीगल माइनिंग हैं, उसमें आवश्यकता है इस बात की कि हम इल्लीगल माइनिंग पर लगाम कसें। इतना ही नहीं, आज आपका जो कानून है वह सफिशिएन्ट नहीं है। आप जब तक कानून नहीं बदलेंगे जब तक उस वाहन को जिसमें वह मिनरल ले जाया जा रहा है, उसको जब्त नहीं करेंगे, उस मिनरल को जहां काम में लिया जा रहा है, जो फैक्ट्री वाला उसको ग्राइण्डिंग में काम ले रहा है या फिर उसको जो आगे काम ले रहा है, उसको भी हम उसके दायरे में नहीं लाएंगे, तो मैं समझता हूं कि हम इल्लीगल माइनिंग को नहीं रोक पाएंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इल्लीगत माइनिंग को रोकें। और कम से कम भीम, आसींद और ब्यावर, इन क्षेत्रों के लिए तो एक दूसरा प्रस्ताव और है कि हम जितनी ज्यादा से ज्यादा माइनिंग लीज सेंक्शन कर सकें, करें जिससे कि इल्लीगल माइनिंग से जो हानि हो रही है उससे भी बचा जा सके।

(श्री विष्णु मोदी)

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने बिजली के क्षेत्र में काफी काम किया है और वेस्ट पावर कॉर्पोरेशन को लिग्नाइट की लीज दी है। लिग्नाइट पर आधारित कारखाना गिराल में भी शुरू होने वाला है, धौलपुर में भी गैस पर आधारित शुरू होने वाला है। लेकिन हमारे स्टेट की जो बड़ी धरोहर है, मैं समझता हूं कि मैं जब 1993 से 1998 में इस सदन का सदस्य था तब भी मैंने बहुत जोर देकर कहा था कि हमारे यहां कुछ इस तरह के डिपोजिट्स हैं कि वह लिग्नाइट माइनिंग हो सकती है। क्योंकि डीप सीडेड प्रिजर्व्स हैं, उनमें दुनियाभर में, आस्ट्रेलिया, थाईलैण्ड और रसिया में यू सी जी, अण्डरग्राउण्ड कोल गैसीफिकेशन जिसे कहते हैं, उसके ऊपर आधारित बिजली उत्पादन हो रहा है। यह इन्वायरनमेण्ट फ्रेंण्डली है। हमारे यहां जालौर और बाड़मेर में इसके काफी मात्रा में डिपोजिट्स हैं तो उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, क्रूड ऑयल। हम जो रिफायनरी की बात करने लगे हैं, वह तो ठीक है, वह तो बाड़मेर में मंगला में तेल जो निकला उसके ऊपर रिफायनरी लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जितना तेल हमें मिलने वाला है उससे ज्यादा डिपोजिट्स हमारे स्टेट में हैवी क्रूड ऑयल के हैं और हैवी क्रूड ऑयल पर भी दुनियाभर में कनाड़ा तो एक उदाहरण है, उसमें कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है। लेकिन जितना हमारे पास ऑपन कास्ट लिग्नाइट होगा उससे ज्यादा तो हमारे पास डीप सीडेड लिग्नाइट है, जितना हमारे ऑयल निकलेगा उससे ज्यादा हमारे हैवी क्रूड ऑयल की डिपोजिट्स हैं और वास्तव में अगर हम इन सब डिपोजिट्स को एक्सप्लोर करें तो राजस्थान की इकोनॉमी पावर बेस्ड हो सकती है। मतलब आज जितने हमारे बजटीय प्रावधान हैं, उतना पैसा तो हम इन सब स्रोतों से बिजली बनाकर जो पावर हंगरी स्टेट हमारे चारों तरफ हैं, उनको बेचकर कमा सकते हैं। तो आवश्यकता है कि जितना काम हो रहा है, उस दिशा में अण्डरग्राउण्ड गैसीफिकेशन और हैवी क्रूड ऑयल पर भी यह सरकार ध्यान दें और उसमें हमारा बिजली उत्पादन हो तो हमारी काफी समस्या का निदान हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, काफी दिनों से, साल, सवा साल पहले से यह बात सुनने में आई कि सरकार नई माइनिंग पॉलिसी लेकर आ रही है। लेकिन मुझे खेद है कि आज तक सुनने में ही आया है कि नई पॉलिसी आ रही है लेकिन वह आज तक नहीं आई।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, मेरा पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में जो व्यक्ति जिस काम से सम्बन्धित है, उन इश्यूज के बारे में यहां बात नहीं कर सकता। इसलिए आप माननीय सदस्य को हिदायत दें कि वह माइनिंग के कार्यों से सम्बन्धित है इसलिए माइनिंग कार्यों के बारे में कोई प्रश्न यहां पर कोई ऐसी पॉलिसी के बारे में, इस बारे में डिस्कस न करें। बोलते समय पालनीय नियमों को पढ़ ले।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, मुझे नियमों की और सब प्रक्रियाओं की जानकारी है। मैं जितनी भी बात कर रहा हूं, कोई स्पेसीफिक अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेट की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति: आपने बिजनस की बात नहीं की है, आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, पॉलिसी की बात कर सकते हैं। ...(व्यवधान)... माइन्स के सम्बन्ध में बात की हो ...(व्यवधान)... ।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): मुझे नियमों और प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वह भी नहीं कर सकते।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): जो माइनिंग मैं करता हूं उस माइनिंग की बात मैं नहीं करता। मैंने आज तक कभी माइनिंग डिपार्टमेण्ट का सवाल नहीं पूछा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पॉलिसी मैटर हम नहीं लेते।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): मैं आपसे माइनिंग पॉलिसी की बात कर रहा हूं और वह पॉलिसी मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं उसके बारे में सुझाव दे रहा हूं कि जो आपने कहा है कि नई माइनिंग पॉलिसी लेकर आएंगे। ...(व्यवधान)...

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): सत्ता पक्ष के सदस्य होकर खेद प्रकट किया है, इससे ज्यादा यह सरकार के बारे में क्या कह सकते हैं?

श्री विष्णु मोदी (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से माइनिंग से 700 करोड़ की आय हुई है। मैं मानता हूं यह इल्लीगल माइनिंग से, गैसीफिकेशन से हैवी क्रूड ऑयल इनको मिलाकर हम दो-तीन हजार करोड़ रुपये कर सकते हैं. Sky is the limit.

(श्री विष्णु मोदी)

इसी तरह से सुनने में आया था कि यहां होटल पालिसी आयी है। अभी आंकड़े मैंने देखे हैं राजस्थान में 14 हजार रूम्स की कमी है। जिस मात्रा में ट्यूरिस्ट आ रहे हैं। जिस तरह से ट्यूरिस्ट का ग्राफ बढ़ रहा है और जब से वसुन्धरा जी मुख्यमंत्री बनी हैं तब से दोनों साल से जितना ट्यूरिस्ट बढ़ा है उसमें यह एक आकड़ा है कि राजस्थान में 14 हजार रूम्स की कमी है। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि होटल पालिसी भी जल्दी से जल्दी लाएं जिससे कि ट्यूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा मिले।

माननीय सभापति महोदय, आज एक सबसे बड़ी आवश्यकता राजस्थान की और है कि खारा पानी है। आप पूरे वेस्टर्न राजस्थान को देखें कि वहां पानी है, लेकिन सेलाइन वाटर है। माननीय सभापति महोदय, तमिलनाडु, चेन्नई में समुद्र के पानी को मीठा करके वहां काम में लिया जा रहा है। आज नागौर जिले में कसनाऊ में लिग्नाइट का काम बंद है तो इस कारण बंद है कि वहां सेलाइन वाटर है और इतनी मात्रा में है कि अगर कसनाऊ माइन्स का पानी ही डिसेलाइन कर लिया जाए तो नागौर जिले में पूर्ण रूप से पीने के पानी की व्यवस्था की जा सकती है और उससे निकलने वाला नमक का भी उपयोग हो सकता है। वहां लाइमस्टोन है, पास में वहां नागौर में लिग्नाइट है। वहां पानी होगा, साल्ट होगा तो हम कैमिकल इंडस्ट्री बड़ी संख्या में वहां लगा सकते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि ..(व्यवधान).. खर्चा बहुत नहीं आता है आजकल रिवर्स ओसमोसिस एक टेक्नोलॉजी आई है उसके अंदर जो खर्चा है वह पावर का खर्चा आता है। अगर आप उसके साथ पावर प्रोड्यूस का लाइसेंस भी दे दें तो आपको मुश्किल से, उसको किलोलीटर में बोलते हैं तो कोई 7-8 पैसे किलोलीटर की उसमें कॉस्ट आती है।

माननीय सभापति महोदय, परसों ही प्रिंस चार्ल्स हमारे देश में आये हैं। वे देश में सबसे पहले पंजाब में आये। और मैंने अपने बजट भाषण में भी कहा था कि उन्होंने वहां एग्रीकल्चर फूड पार्क की फाउंडेशन रखी है। जिस तरह से हम आईटी इंडस्ट्री के लिए और दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए सेज जैसी इंस्टीट्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं उसी तरह से आज दुनिया भर में आर्गेनिक खेती की मांग बढ़ती जा रही है। आज पेस्टीसाइड्स और फर्टीलाइजर की बजाय, क्योंकि पंजाब में एक जगह से एक साल में करीब 200 कैंसर के पेशेंट हुए तो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिन पाइंट किया और वहां

(श्री विष्णु मोदी)

पर जांच करवायी तो पता लगा कि वहां फर्टीलाइजर और पेस्टीसाइड्स के कारण यह बीमारी बढ़ी है। आज दुनिया भर में आर्गेनिक फलों और खेती की आवश्यकता बढ़ रही है, देश में भी बढ़ रही है, बल्कि दिल्ली और मुम्बई में जहां रिटेल काउंटर्स हैं वहां आर्गेनिग, नॉन आर्गेनिक दोनों तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। तो जिस तर्ज पर पंजाब में एग्रीकल्चर फूड पार्क की प्रिंस चार्ल्स ने फाउंडेशन रखी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे उदयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, अहमदाबाद भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पानी की भी कमी नहीं है। अगर हम एक एग्रीकल्चर फूड पार्क की उस बैल्ट के अंदर स्थापना करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं बड़ा फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के पुलिस विभाग में एक एसओजी बनाया है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी को, माननीय मुख्यमंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि वह एसओजी इतना बढिया काम कर रहा है कि जो एनिमल्स की तस्करी हो रही थी, जो शिकार हो रहा था उसका उन्होंने रणथम्भोर से लेकर सरिस्का तक, बल्कि उदयपुर से लेकर सरिस्का तक शिकारियों को भी पकड़ा, उनके इण्डियन खरीदने वाले थे उनको पकड़ा। और उनको ही नहीं जो इंटरनेशनल रैकेट था उसको भी उन्होंने पकड़ने में सफलता पायी। यहां बैंक डकैती हुई, मर्डर हुआ, उसको उन्होंने खोला। जितने पुराने और सीरियस नेचर के केसेज हैं उसमें वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें काम करने वालों को, गृह मंत्रीजी को और मुख्यमंत्रीजी को मैं बधाई देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अतिथि देवो भव, हम अतिथि को भगवान के बराबर, देवताओं के बराबर मानते हैं। पिछले दो साल से ट्यूरिस्ट बढ़े तो राजस्थान के अंदर जितनी होटल इंडस्ट्री हैं उन्होंने इतना नंगा नाच कर रखा है कि पिछली साल से इस साल 40 परसेंट टैरिफ बढ़ा दिया। मैंने सरकार में कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है जो हम उनको किसी तरह से रोक सकें। माननीय सभापति महोदय, इस साल के फीगर्स हैं, पहले हमारे यहां राजस्थान में जो ट्यूरिस्ट आता था वो ग्रुप ट्यूरिस्ट आता था। लेकिन चूंकि होटल की इतनी रेट्स बढ़ गईं कि ग्रुप्स में ट्यूरिस्ट कम आया और फ्री लांसर के रूप में ज्यादा आया। आज

(श्री विष्णु मोदी)

आवश्यकता है जिस तरह से राजस्थान दुनिया के नक्शे पर उभरकर आया है, ट्यूरिज्म के नक्शे पर उभरकर आया है तो हम कोई मैकेनिज्म बनाएं जिससे कम से कम मनमाने रूप से साल दर साल इसको हम बढ़ा नहीं सकें, होटल वाले नहीं बढ़ा सकें क्योंकि यदि एक बार अनपोपुलर हो गया तो फिर बड़ी मुश्किल होगी उसको नेट में आने की।

माननीय सभापति महोदय, हम एप्रोप्रिएशन के साथ-साथ फाइनेंस बिल भी पास करने जा रहे हैं। हमारे यहां एक तारीख से वैट लागू होने जा रहा है। वैट में स्लैब तो हैं, लेकिन जो मेरे ध्यान में लाया गया और अच्छा है सरकार ने एक कमेटी बनायी गुप्ताजी की अध्यक्षता में, मैंने उनको भी ज्ञापन दिया है। मैं इस मौके पर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रस्सी, प्लास्टिक की रस्सी जो कि गांव में हर जगह काम में आती है, निवार जो कि पलंग में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा काम में आती है, क्योंकि शहरों में तो डनलप के गद्दे होते हैं, लेकिन गांव की पृष्ठभूमि में खाट ही होती है। गुलाब, गुलाब की पत्ती, गुलाबजल और गुलकंद, ये भी वैट के दायरे में आने की बात सुनने में आयी है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो रोजमर्रा की चीज है और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की चीज है उसको कम से कम वैट से दूर रखा जाए।

माननीय सभापति महोदय, अंत में, हम एंट्री टैक्स लगाते हैं। मैंने तो हमेशा यही सुना है कि एंट्री टैक्स हम उस आइटम पर लगाते हैं जिससे कि हमारे स्टेट की इंडस्ट्री या स्टेट में होने वाली चीज को ज्यादा बढ़ावा मिले। लेकिन आपके क्षेत्र में भी सीमेंट प्लांट हैं, मेरे क्षेत्र में भी सीमेंट प्लांट हैं और पेट कॉक जो रिफाइनरी से निकलता है, जो राजस्थान में बनता नहीं है, राजस्थान में निकलता नहीं है उसके ऊपर भी एंट्री टैक्स है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पहले बिजली पर ड्यूटी लगायी थी, फिर आपको रिलाइज हुआ कि यह ड्यूटी गलत थी तो आपने इस साल हटा ली। इस तरह से पेट कॉक के ऊपर जो एंट्री टैक्स लगा हुआ है वह किसी तरह से हमारे राज्य हित में नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पेट कॉक पर एंट्री टैक्स हटाया जाए, धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापतिः धन्यवाद। माननीय श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्रीमती स्नेहलता (डग)ः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके

(श्रीमती स्नेहलता)

माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि बारां, झालावाड़, चित्तौड़ जिले में अफीम की खेती बहुत मात्रा में होती है और केन्द्र सरकार ने राजनैतिक कारणों से अफीम के पट्टे तोड़ दिये हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्रीजी से और सरकार से निवेदन करना चाहूंगी ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: अभी यह बात करने का समय नहीं है माननीय सदस्य, अभी एप्रोप्रिएशन ..(व्यवधान)..

श्रीमती स्नेहलता (डग): केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर जिनके पट्टे खत्म कर दिये हैं उनको वापस दिलाने का अनुरोध करती हूं।

श्री सभापति: आप विराजें। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां डूंगरगढ़ के किसान कई दिनों से चोरी हो रही है उस कारण से पहले तो थाने पर धरना लग रहा था और आज आईजी के यहां धरना लगा हुआ है, हजारों आदमी वहां हैं, कोई भी जान माल का खतरा हो सकता है।

श्री सभापति: अब आप बिराजें, कोई भी पाइंट आफ आर्डर नहीं है, हां बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): साहब, भयंकर स्थिति है, आप कोई व्यवस्था कराइए।

श्री सभापति: अमान्य कर दिया, आप बिराजें।

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): पाइंट आफ इंफार्मेशन है साहब। साहब, कई दिनों से धरना लग रहा है थाने का पूरा घेराव कर रखा है, आज आईजी के यहां पूरा घेराव कर रखा है।

श्री सभापति: आप मंत्री जी से मिल लेना, बिराजिए।

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): वहां दो तीन हजार आदमी हैं, कोई भी जान माल का खतरा हो सकता है, आप उसकी व्यवस्था करवाइए।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, आज चल रही चर्चा में आपने राजस्थान विनियोग विधेयक पर मुझे बोलने का मौका

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

दिया। राज्य सरकार द्वारा प्रेषित बजट, इस बजट के अन्दर किये गये प्रावधान जो मुख्य रूप से राज्य के आम जन के हितों को ध्यान में रखते हुए किये जाने चाहिए थे। और हमारा वह बहुसंख्यक वर्ग जो कि गांव में निवास करता है जिसके रोजगार उपार्जन अपनी रोजी रोटी चलाने का मुख्य जरिया कृषि या पशुपालन होता है उनको, उस वर्ग को इस बजट में किये गये प्रावधानों में पूर्णतया नजरअंदाज किया गया। हालात माननीय सदस्यों ने अपने अपने स्तर पर बयान किये, यह सही है। कि सत्ता पक्ष का कार्य राज के किये गये कार्यों की प्रशंसा करना है लेकिन गत दिनों जब तक चर्चा चलती रही हर सदस्य ने यह तो जरूर कहा कि सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, शिक्षा मंत्री जी विराजमान थे कल, सभी ने कहा कि शिक्षा मंत्री जी ने जो कार्य किये हैं वह ऐतिहासिक कार्य हैं और आने वाले समय में कोई इतना अच्छा कार्य नहीं कर सकता। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्कूल एक भी नहीं खोला या मेरे विधान सभा क्षेत्र में कालेज एक भी नहीं खोला या मेरे विधान सभा क्षेत्र में अध्यापक नहीं हैं या मेरी पत्नी का स्थानान्तरण मेरी मनचाही जगह पर नहीं किया गया। अगर हम उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग की चर्चा में भी यही आता है कि मेरे इलाके में एक यह औद्योगिक संस्थान हैं जो सिक यूनिट हो गई या यह औद्योगिक संस्थान वहां प्रस्तावित किया जाना चाहिए था। सिंचाई की बात करते हैं या पेयजल की बात करते हैं, मतलब, हर व्यक्ति ने, हर माननीय सदस्य ने राज की प्रशंसा तो की लेकिन उस प्रशंसा की आड़ में अपनी पीड़ा का जो इजहार किया वह हमारे यहां रेकार्ड में उपलब्ध है जो इस बात को इंगित करता है कि सरकार के प्रावधान, इससे न सिर्फ आमजन बल्कि इस सदन के सदस्य भी नाखुश हैं।

मैं इसी क्रम में आपको अपना पक्ष निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, चूंकि जैसा मैंने निवेदन किया कि हम मुख्यतया आधारित हैं कृषि पर और पशुपालन पर। इसलिए मैं सबसे पहले आपके समक्ष यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर कृषि करने की अपनी यह जो कृषि उत्पाद प्राप्त करने के तीन जरिए हैं, एक विशुद्ध रूप से बारानी भूमि जो ईश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं या मानसून अच्छा हो तो हमें उसमें कुछ प्राप्त होता है, दूसरा वह क्षेत्र जो पूर्णतया बिजली पर है, कृषि कुओं का क्षेत्र है और तीसरा क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है। माननीय सभापति महोदय, अभी कुछ दिनों पूर्व तक जब हमारा यह बजट सत्र प्रारंभ हुआ उससे पहले तक फसल पकने की स्थिति में

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

थीं और कृषि कुओं के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर मांग थी तो विद्युत की आपूर्ति की, हालात मौके के थे बिजली की उपलब्धता महज दो या तीन घंटे की जा रही थी जबकि राज्य सरकार का वादा 8 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का था। सभापति महोदय, दु:ख की बात है हम ग्रामीण परिवेश के लोगों को आगे लाने की बात करते हैं, हम किसानों को हर प्रकार की राहत देने की बात करते हैं लेकिन उसकी आवश्यकता की बात होती है तो हमारा मुंह दूसरी ओर हो जाता है। उसी कड़ी में गत समय में जैसे ही यह समाचार आया कि अब फसल पकने की स्थिति में आ चुकी है और अब उसको बिजली की आवश्यकता नहीं है तो तुरन्त प्रभाव से कटौती जो थी उस कटौती को निरस्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आज कृषक को बिजली की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब सरकार की सोच यह है कि किसान को अगर बिजली की आवश्यकता है तो बिजली की कटौती और अगर किसान को बिजली की आवश्यकता न हो तो बिजली की भरपूर उपलब्धता। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य, बीकानेर में बिजली के बिल कितने सालों से नहीं भरे थे वे माफ हुए कि नहीं हुए, उनके जो पैसे ब्याज चढ़ा हुआ था वह कम हुए कि नहीं ? किसानों के लिए इस सरकार ने क्या क्या नहीं किया। आपको मालूम नहीं है, सही बात तो कहें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): सही बात ही कहने के लिए मंत्री महोदय, मैं सभापति महोदय की आज्ञा से यहां पर खड़ा हुआ हूं और मेरी बात में जो जो आपको असत्य लगे उस असत्यता को अगर आप रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा और जहां बात अगर हम वादों की और उसकी करें आप, मेरा क्या है वह क्रम टूट जाएगा। मैं निवेदन करूंगा आपको।

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): कोई बिल माफ नहीं हुआ है, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय वक्तव्य दे रहे हैं कोई भी बिल माफ नहीं हुए हैं, किसानों के ट्रांसफार्मर उतार उतार कर ले जा रहे हो और पुलिस की गाड़ी से किसानों को बाँध बाँध कर मारा है। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): सब मुद्दे पानी, चिकित्सा, शिक्षा के कहां हैं ?

श्री मंगला राम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय मंत्री महोदय, किसानों

(श्री मंगला राम गोदारा)

को गाड़ियों के पीछे बाँध बाँध कर ला रहे हैं और ट्रांसफार्मर उतार उतार कर ला रहे हैं, कोई बिल माफ नहीं हुआ है, आपको गलत सूचना है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः मानानीय डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराजें, माननीय सदस्य को बोलने दें, इनका समय जाया नहीं करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): दूसरा मैं निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति महोदय, एक ओर तो कृषि कुओं पर विद्युत की आपूर्ति की बात हुई, उसी के साथ दूसरा पक्ष आ जाता है उनके गांवों में विद्युत की आपूर्ति। सरकार की यह घोषणा कि रात को 6 से 10 बजे और सुबह 5 से 7 बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू विद्युत आपूर्ति की जाएगी। शहरों के अन्दर विद्युत कितनी आपूर्ति की जाती है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, आप जहां पर भी जितनी भी उपलब्ध कराएंगे, यह आपकी सोच है। लेकिन जो आपका वादा था कि ग्रामीण क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करने का वादा सरासर असत्य साबित हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में जब छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, कभी भी बिजली की आपकी आपूर्ति वहां पर नहीं हो पाई। इसी के साथ एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, जो हम बात करते हैं सिंचाई के लिए पानी की सरकार के वादे रहे कि हमने बहुत कुछ किया और हमारे द्वारा जो कार्य किये गये उन कार्यों के बूत पर हर सिंचित क्षेत्र का काश्तकार खुश है। और हमारे राज में आने के साथ ही जो सुविधाएं काश्तकारों को उपलब्ध कराया इन सुविधाओं की पोल और इन किये गये वादों की पोल उस समय खुलती है जब माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के साथ ही माननीय मुख्य मंत्री महोदय का मेरी ही विधान सभा क्षेत्र में तहसील लूणकरणसर के केकड़ा गांव के पास नहर टूटने का जो हादसा हुआ था वहां पर जाने का रहा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सिंचाई मंत्री महोदय दोनों वहां पर पधारे। और उन्होंने वहां पर गये तो थे आमजन को राहत उपलब्ध कराने के लिए गये, पीड़ितों के आंसू पोंछने के लिए। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने जो अपने कार्यकाल के अन्तिम दिन थे उन दिनों के अन्दर उस क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए जो कुछ प्रदान किया उन्होंने वहां पर यही माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कि आपको जो कुछ मिला यह बहुत ज्यादा मिला। लेकिन जिन काश्तकारों की नहर टूटने के कारण सिंचाई सुविधा भंग हो गई थी उन काश्तकारों को,

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

आज सवा दो साल व्यतीत होने जा रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, आज दिन तक उनकी सिंचाई सुविधा बहाल नहीं हो पाई। मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि ये किये गये वादों का हाल है। इसके साथ-साथ मुआवजा जो वादा भूमि सिंचित से असिंचित हो गई थी उसके मुआवजे की बात तो कोसों दूर हो जाती है।

सभापति महोदय, सिंचित क्षेत्र के अन्दर टेल तक पानी नहीं पहुंचने की समस्या से आम काश्तकार पूर्व में पीडित था और आज भी पीडित है, समय-समय पर स्थान-स्थान की समस्याओं को लेकर काश्तकारों द्वारा ज्ञापन भी दिये गये लेकिन राज की सोच नये बजट को नये क्षेत्रों तक खर्च करने तक तो सीमित रही। लेकिन किसानों की जो समस्याएं थीं जो पूर्व में प्रोजेक्ट में जो कमियां थीं उन कमियों को दूर करने की तरह कोई भी ध्यान नहीं दिया। घड़साना, रावला और खाजूवाला के अन्दर आम काश्तकार ने आन्दोलन किया, अपने प्राणों की बलिदानी दी, अपने लहू को बहाया। उसके उपरांत अगर उन्होंने कुछ फसल हासिल की तो क्या हसिल की, वह इलाका आज भी बरबादी के कगार पर खड़ा है। आज उस इलाके के अन्दर सिंचाई के लिए पानी की समस्या है। हमने एक ऐसा प्रस्ताव यहां पर गत समय में रखा माननीय ऊर्जा मंत्री जी के पास कि जो सेम प्रभावित क्षेत्र है वहां पर अगर हम काश्तकारों को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दें तो जो पानी ऊपर पड़ता है जो भूमि सिंचाई योग्य नहीं रही और उसको सिंचित बनाने के लिए आम काश्तकार अपने डीजल इंजन के मार्फत नहर के अन्दर पानी डालेंगे। और उसके ऊपर हजारों और लाखों रुपये प्रति वर्ष खर्च करता है अगर आप उसको एक कम हार्स पावर का कनेक्शन उपलब्ध करा देंगे तो निश्चित रूप से वह इस देश की अर्थव्यवस्था के अन्दर कुछ सहयोग करेगा। लेकिन उस बात को भी हवा कर दिया गया।

आज हर क्षेत्र के अन्दर आप हजारों काश्तकारों को कनेक्शन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आवश्यकता के हिसाब से मांगने वाले एक को भी देने को तैयार नहीं है। पूर्व की इस मांग को भी नजरअंदाज कर दिया गया, यह सोच जाहिर करता है वर्तमान सरकार का।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि आज आवश्यकता है कृषि के क्षेत्र में नई-नई टैक्नोलॉजी की, हम नये प्रयोग करें। किस प्रकार से हम अपने ट्रेडिशनल सोर्सेज से अलग हटते हुए

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

खेती में कह लीजिये कि जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है वहां पर उसके किये गये नये-नये ईजाद हैं उनको अपने खेतों पर पहुंचायें लेकिन यह पहुंचाने की प्रक्रिया कब हो सकती है ? एक सफेद हाथी तो वहां लाकर के हमने खड़ा कर दिया, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी, प्रतिवर्ष उसको करोड़ों रुपये का बजट दे दिया। लेकिन आज वहां की स्थिति यह है कि वहां पर साइंटिस्ट मौके पर नहीं हैं, उनके पद खाली हैं जो वास्तव में जाकर के इस कृषि विश्वविद्यालय में रहकर के कोई रिसर्च वर्क करते और रिसर्च वर्क का रिजल्ट आम काश्तकार तक पहुंचा पाते। इसी कमी के चलते आज आम काश्तकार पुनः फसल का समय आता है, ग्वार की बिजाई कर लेगा, मोठ की बिजाई कर लेगा, सरसों की बिजाई कर लेगा। आज वक्त आ गया है कि वो आज हर प्लांटेशन के अन्दर जाए, फ्रूट प्लांटेशन के अन्दर वो जाए, ड्रिप इर्रिगेशन के सिस्टम को अपने यहां पर एडॉप्ट करते हुए अपनी खेती को और उन्नत बनाये। इस बात की तरफ वर्तमान सरकार की कोई सोच नहीं है। हमारा वहां पर संभागीय मुख्यालय होने के बावजूद भी आज तक हॉर्टिकल्चर का आफिस तक कायम नहीं हो पाया, वहां पर जो असिस्टेंट डायरेक्टर, हॉर्टिकल्चर की पोस्ट होनी चाहिए वह भी कायम नहीं हो पाई है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमने उपज की बात कर ली तो उसके बाद में आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता चिकित्सा की होती है। आज अस्पताल खोलने की घोषणा तो कर दी जाती है, बजट में भी प्रावधान कर दिया जाता है कि जिला विशेष के अन्दर सैंकड़ों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये जाएंगे, सैंकड़ों ए एन एम की पोस्ट खोल दी जाएंगी, एक ही जिला विशेष इसमें क्यों ? सभापति महोदय, आवश्यकता ग्रामीण परिवेश के सभी क्षेत्रों की है। मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान का हमारा बीकानेर जिला, चूरू जिला भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। सीमांत क्षेत्र होने के साथ-साथ यहां के लोगों का जीवन कष्टकर है लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने एक जिला विशेष के लिए तो सैंकड़ों पदों का प्रावधान कर दिया लेकिन लगते हुए सीमांत क्षेत्र के अन्य जिलों के अन्दर कोई भी प्रावधान नहीं किया जो इस बात का इजहार करता है कि वर्तमान सरकार की सोच, कथनी और करनी में अंतर है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज वन विभाग की

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

कार्यशैली के ऊपर हर सदस्य द्वारा अंगुली उठाई जा रही है और समाज के हर वर्ग द्वारा अंगुली उठाई जा रही है। आज पौधारोपण के नाम पर करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष वन विभाग को दिया जाता है। वाटरशेड से और इन स्कीम से जोड़ते हुए बंजर भूमि को डवलप करने के नाम पर, टीबा स्थिरीकरण के नाम पर और न जाने किन-किन योजनाओं में वन विभाग को पैसा दिया जाता है। वन विभाग को इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वह कमेटियां बनाकर के कमेटियों के मार्फत् से आम काश्तकार को, आमजन को उसके अन्दर जोड़ते हुए काम कराये। लेकिन दुःख का विषय है कि खर्च की जाने वाली राशि को ठेके के आधार पर किया जाता है। पौधारोपण के नाम पर अगर आज हम गणना करें तो हमारी इस धरती का एक इंच भी खाली नहीं रहना चाहिए। पर उससे अलग हटते हुए स्थिति यह है कि आज पेड़ों का कहीं नामोनिशान नहीं है और अगर कहीं पर पेड़ हैं तो अवैध कटाई का जो दौर चल रहा है। जो दोहन का काम चल रहा है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। वन विभाग एक ओर बंदिश लगाता है पशुओं को संरक्षित करने के लिए, लेकिन दूसरी ओर वो ही पशु आम काश्तकार के खेत में घुस कर के उसकी फसल को उजाड़ते हैं तो वन विभाग अपने आपको लाचार महसूस करते हुए यह कह देता है कि इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते और यह हमारी सीमाओं से परे की बात है। वन विभाग कब्जे की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। काश्तकार की जमीन पर वन विभाग कब्जा कर लेता है और पौधारोपण करने की बात करता है। ऐसे प्रकरण हजारों की संख्या में काश्तकारों के आज भी लम्बित हैं और वो काश्तकार दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन उनका आज तक समाधान होने की कोई स्थिति नहीं बन पाई है जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने इस ओर अपने प्रयास करते हुए विशेष रूप से मेरे विधान सभा क्षेत्र की खाजूवाला तहसील के अन्दर एक तहसीलदार की नियुक्ति की थी जिसके आधार पर वहां पर सुनवाई की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। लेकिन वो किस ठंडे बस्ते में चली गई, उसका आज तक पता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि आज राजस्व के क्षेत्र के अन्दर अनेकों ऐसे कार्य लम्बित हैं जिनका हम यहां पर बयान करें तो हमारे कई दिन बीत जाएंगे। गत समय के अन्दर सरकार ने अपनी सोच रखते हुए शिविरों का आयोजन किया, राजस्व शिविरों के माध्यम से आमजन की समस्या का समाधान करने की बात कही लेकिन

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

इस हकीकत की तह में कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं जा पाया कि जो कार्य वहां पर किये गये हैं वो कार्य किन पटवारियों के किये गये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो लम्बित रह गये वो कार्य किनके लम्बित रह गये? माननीय सभापति महोदय, दुःख की बात है कि वहां पर जो कार्य किये जा रहे हैं वो कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत तो वहां पर पेश करके किये गये, सरकार आज आंकड़े उपस्थित करके वाह-वाही तो लूटने का प्रयास कर रही है। लेकिन यह जानने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रही है कि वह कार्य आज दिन तक लम्बित क्यों रहे? और जो कार्य आज भी लम्बित हैं उन कार्यों की जिम्मेदारी किस अधिकारी की बनती है? माननीय राजस्व मंत्री जी विराजमान हैं, सभापति महोदय, मैं इनका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर कार्यवाही करते हुए यह चिह्नित करें कि कौन से ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जो आम काश्तकार को गुमराह करते हुए उसकी जमीन का मालिकाना हक देने में आज भी उसको घुमा रहे हैं।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ मेरे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कुछ गांवों को उठाकर के की गई थी। 33 गांवों को गैर-आबाद किया गया। वो 33 गांव सैंकड़ों सालों से वहां बसे हुए थे उन गांवों के जो विस्थापित हैं वो विस्थापित आज भी पुनर्स्थापित होने की प्रक्रिया में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसी क्रम में तहसील खाजूवाला के अन्दर 506 बीघा भूमि चिह्नित की गई थी उनकी आबादी के लिए। सभापति महोदय, दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्ष 1986-87 में जो भूमि रिजर्व की गई थी, आज 2006 जा रहा है। लेकिन आज तक उन काश्तकारों को भूमि आबंटित नहीं की गई। इसका दूसरा पक्ष यह आता है कि कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा अपनी इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों से मिलीभगत करते हुए उस आरक्षित भूमि को निरस्त करवा दिया और निरस्त करवाकर के उसको महज 130 बीघा पर कायम करवा दिया गया। उस 130 बीघा में से भी जो डिग्गियां, नर्सरी के लिए भूमि आरक्षित थी उस भूमि को भी किन्हीं अन्य लोगों को आबंटित कर दिया गया और आज तक वो विस्थापित काश्तकार रिहायशी भूमि के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनका कोई समाधान नहीं किया जा रहा है।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज पशुपालन ही हमारा एक ऐसा जरिया है जो आम काश्तकार को, आम ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति को सीधा धन उपलब्ध कराता है क्योंकि वो पशुपालन व्यवसाय ही उसका वास्तविक धन है। लेकिन उस पशुपालन व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। हमारी उरमूल डेयरी जो अपने आपमें हिन्दुस्तान की नामी डेयरियों में से एक डेयरी होती थी, जो दिल्ली तक दूध की आपूर्ति करती थी। आज वो उरमूल डेयरी रूग्ण संस्थान के रूप में बनती चली जा रही है। उसकी आर्थिक स्थिति दिनोंदिन कमजोर होती जा रही है। उस आर्थिक स्थिति को सम्बल प्रदान करने के लिए वर्तमान सरकार ने बजट में न तो किसी तरीके का प्रावधान किया और अगर किया तो वर्तमान प्रशासन ने डेयरी की राठी गौ संवर्धन के लिए जो भूमि आरक्षित थी उस भूमि को एक निजी बस स्टैण्ड के लिए आबंटित कर दिया गया। करोड़ों रुपये की वो भूमि, जिस भूमि को अगर डेयरी बेच देती तो डेयरी अपने कर्जे से भी मुक्ति पाती और अपने आपको आर्थिक स्वावलम्बन भी प्रदान करती। जो हमारा प्राइवेट बस स्टैण्ड गंगानगर रोड पर है वह डेयरी की भूमि है। इसी के साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): आज शिक्षा की बात की जा रही है, आज यह बात बार-बार की जाती है कि ग्रामीण परिवेश के लोगों को हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं, हम बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहते हैं, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रामीण परिवेश में, किसी ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर महाविद्यालय की स्थापना की मांग आती है तो बजट की कमी को दर्शाते हुए महाविद्यालय वहां पर कायम नहीं किया जाएगा, यह बात की जाती है। आज हम यह बात तो करते हैं कि हमारा बालक, हमारा छात्र कृषि के क्षेत्र में आगे बढे लेकिन उसके विद्यालय में जब तक आप कृषि संकाय नहीं खोलेंगे वो कृषि के बारे में क्या जानकारी लेगा। किस तरीके से वो आने वाले समय में आगे कृषि महाविद्यालय में अपना एडमिशन लेकर के नई-नई जानकारियां हासिल करेगा।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में आज हालत खराब है। बीकानेर का पी बी एम हास्पिटल है वहां पर

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

बी पी एल पेशेंट दर-दर की ठोकरें खाता रहता है। उसकी दवा की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। उसको दवा उपलब्ध कराने के नाम पर जो व्यवस्था कायम की गई थी उस व्यवस्था को वहां से हटा दिया गया और मोर्चरी के पास में एक नई व्यवस्था कायम की गई । अब पूरे दिन का थका-हारा आदमी धूप में दवा के लिए वहां खड़ा रहता है लेकिन दवा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गांव में डाक्टर उपलब्ध नहीं होते। अगर कहीं पर डाक्टर आपने उपलब्ध भी करा दिया, आपने पदस्थापित भी करा दिया तो उसका डेपुटेशन शहर के किसी सेटेलाइट हास्पिटल में, किसी डिस्पेंसरी में कर दिया जाता है। वह गांव में पोस्टिंग के नाम पर, गांव की किसी पी एच सी के अन्दर अपनी तनख्वाह उठाता है और शहर के अन्दर अपनी पोस्टिंग देता है। आज हम बात करते हैं कि दुर्घटनाओं का बचाव करने के लिए नेशनल हाईवे के ऊपर मेडिकल इक्विपमेंट ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराने के लिए, पी एच सीज को ज्यादा सक्षम करने के लिए, पी एच सीज की स्थापना करने के लिए लेकिन हम अगर मांग करते हैं किसी नेशनल हाईवे के ऊपर किसी पी एच सी को क्रमोन्नत करने की तो बजट में प्रावधान नहीं होने की दुहाई दी जाती है, पदों की कमी की दुहाई दी जाती है।...

श्री सभापतिः समाप्त करें माननीय सदस्य। 10 मिनट हो गये हैं आपको।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): साथ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं दो बात कहना चाहता हूं। आज का समय है, आज यह मांग चल रही थी रोडवेज की व्यवस्था की। एक ओर हमारी मांग चल रही है कि हम प्राइवेट सैक्टर से कम्पीटिशन करते हुए लोगों को, यात्रा करने वालों को अपने गन्तव्य स्थल पर उचित किराया लेकर वहां तक पहुंचाएं। दूसरी ओर, रोडवेज विभाग की जो वर्तमान स्थिति है, उसको सुधारने की बात की जाती है तो उसके ऊपर मंत्री महोदय का जवाब यह दिया जाता है कि रोडवेज की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बीकानेर सम्भागीय मुख्यालय है। यहां आज ही बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या ने अपनी ओर से एक प्रश्न रखा था, क्या सम्भागीय मुख्यालयों को वोल्वो बसों से जोड़ने का प्रावधान है? मंत्री महोदय ने उसके अन्दर यह दुहाई दी थी कि यात्रियों की वहां पर उपलब्धता के ऊपर यह निर्भर करता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बड़े दुःख के साथ सूचित कर रहा हूं कि हमारा

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

सम्भागीय मुख्यालय बीकानेर है। वहां पर रोडवेज की मेरे ख्याल से सात-आठ प्रकार की बसें चल रही हैं। वहां महज ब्ल्यू लाइन की बसें चल रही हैं। वहां न सिल्वर लाइन का पता है, न आपकी गोल्डन लाइन का पता है और पता नहीं, कौन-कौनसी बसेज होती हैं, मुझे तो पूरे नाम भी नहीं पता माननीय सभापति महोदय। लेकिन स्थिति यह है कि वहां पर आम जन आज प्राइवेट बसों के अन्दर अगर यात्रा करके आता है बीकानेर से जयपुर, 100 रुपये में पहुंच जाता है और रोडवेज की ब्ल्यू लाइन की बस के अन्दर अगर वह आता है तो उसको 157 रुपये देने पड़ते हैं। यह दर्शाता है कि हम खुद उसको प्रेरित कर रहे हैं कि आम जन रोडवेज की बसों में यात्रा नहीं करते हुए प्राइवेट बसों में यात्रा करें।

सभापति महोदय, साथ ही मेरा यह निवेदन है कि वर्तमान समय में आज उद्योगों के प्रोत्साहन की बात करें। बीकानेर में ऊन उद्योग अपने आपमें, एक अपनी अलग स्थिति रखता था, ऊन का वहां का व्यवसाय बहुत दूर-दूर तक वहां पर व्यापारी आया करते थे ऊन खरीदने के लिए, धीरे-धीरे वहां परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुईं कि यह व्यवसाय हमारा स्थानान्तरित हो गया मिर्जापुर और भदोई के अन्दर, वहां पर दरी और कारपेट बनाने का काम ज्यादा किया जाने लगा। आज समय है कि वहां पर वापस ऊन व्यवसाय अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में अगर हमारे उद्योग मंत्रीजी इसके ऊपर कोई अपना प्रयास करे, वहां पर कोई ई.पी.आई.पी. की स्थापना की जाये तो निश्चित रूप से हमारा ऊन उद्योग भी अपनी ऊंचाइयों को छू सकता है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अंत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वहां पर कृषि के क्षेत्र के अन्दर नये-नये फार्म्स तो बनाये गये हैं लेकिन उन फार्म्स के अन्दर पद रिक्त हैं। वास्तव में यह सरकार किसान की हितैषी है तो इस सरकार को चाहिए कि कृषि के क्षेत्र के अन्दर जो नये-नये साइंटिस्टों के पद रिक्त हैं, उन पदों को भरा जाये। कृषि फार्म्स के अन्दर जो रिक्त पद हैं, उन पदों को भरा जाये। पशुपालन के क्षेत्र में डेयरी को स्ट्रेंथन किया जाये, विद्युत की पूरी आपूर्ति की जाये, शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर आप बालिका विद्यालय खोलें, आप महाविद्यालय खोलें। लूणकरणसर में लम्बे समय से महाविद्यालय की मांग चल रही है, उस मांग

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

की पूर्ति करें और विद्यालयों में जो सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं, उनके अन्दर आप कृषि संकाय को खोलते हुए वहां के छात्रों को पूरी इसकी जानकारी उपलब्ध करायें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पर चर्चा है। हमारे यहां कहते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है पर उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है कमाये हुए पैसे का सही रूप में खर्च करना। और हमारी जो यशस्वी मुख्य मंत्रीजी हैं, उन्होंने मुश्किल काम भी कर दिखाया और ज्यादा मुश्किल काम भी आसानी से कर दिखाया। कहां से राशि जुटाई जाये, इसकी भी पूरी चिंता, इसका भी पूरा प्रयास और इसमें भी सफलता और कहां-कहां राशि खर्च करनी है, चाहे राजस्थान की कैसी भी भौगोलिक दृष्टि हो, कहां कैसी आवश्यकता है, पूरी जानकारी उनको और उस जानकारी ही वह बहुत बड़ा कारण बनी कि जिस वर्ग को, जिस क्षेत्र को आवश्यकता थी राशि की, उस वर्ग को भी, उस क्षेत्र को भी विकास और राहत के लिए हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में पर्याप्त राशि दी। यहां पर जितने भी सदस्य हैं, ये लोग प्रतिपक्ष के सदस्य ऐसे ही मानते हैं कि काम बहुत हुए, काम महसूस भी किया हमने क्योंकि हमारे क्षेत्र में हुआ है। लेकिन फिर भी यह काम नहीं हुआ, वह काम नहीं हुआ, कहीं न कहीं कमी निकालने की बात हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अपनी चर्चा के दौरान अवश्य की। अब यह बात बिलकुल सही है कि हमारी मुख्य मंत्रीजी का जो व्यक्तित्व है वह बिलकुल जादुई है। सवा दो साल में जनता को अहसास भी करा दिया अपने काम से कि वह ऐसे परिणाम दे सकती हैं जिसकी उम्मीद जनता नहीं कर सकती पर उनके पास जादू का डंडा नहीं कि डंडा घुमाया और सारी समस्याओं का समाधान हो। लेकिन काम के माध्यम से जो आपने कह दिया, जो आपने काम किया है, जो आवश्यकता है, जो कमियां हैं, निश्चित रूप से वह भी बहुत जल्दी पूरी होगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके मुख्य मंत्री थे, वह तो जादूगर थे। अब कैसे जादू दिखाया राजस्थान में उन्होंने, एक के बाद एक सारी चीजें गायब और उनके कार्यकाल में पानी गायब, बिजली गायब, रोजगार गायब, यहां तक कि हमारा पूरा खजाना ही गायब... (व्यवधान) उनको भी गायब कर दिया काफी हद तक। हमने कहीं

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

हमारी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। जनता ने ज्योंही शासन दिया, ईमानदारी से हमारी मुख्य मंत्री ने जनता की उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास किया। अब देख लो आप, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कैसी है, राजस्थान की आबादी कितनी है और बसावट ऐसी कि छोटे-छोटे गांव और दूर चले जाओ तो छोटी-छोटी ढाणियां हैं और जहां निश्चित रूप से बहुत सारी आवश्यकताएं जो उनको मिलनी चाहिए उनकी कमी, कहीं पानी कम हो सकता है, कहीं बिजली नहीं पहुंची होगी, कहीं सड़क का साधन नहीं हुआ होगा। लेकिन हमारा प्रयास देखो आप, हमारी मुख्य मंत्रीजी का प्रयास देखो आप, चाहे छोटी ढाणी भी हो, चाहे छोटे गांव भी हो, वहां पर रहने वाले व्यक्ति को पानी मिल जाये, बिजली मिल जाये, गांव सड़क से मिल जाये, रोजगार के साधन कहीं उसको नजदीक मिल जाये, इन सारी बातों का प्रावधान जो मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया है, उसमें निश्चित रूप से रखा और आने वाले कल में एक-एक करके वह आवश्यकता है उनकी, वह पूरी भी होगी। और वहां पर व्यक्तित्व का ढांचा देख लो आप, अशिक्षा भी बहुत ज्यादा है यहां पर, गरीबी बहुत ज्यादा है, जो अन्तर है आपस में वर्गों में, उसमें बहुत ज्यादा गैप है। अब उस बात का प्रयास इस बजट में है। अशिक्षा के अंधकार को कैसे मिटाया जाये। गांव में रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वह कहीं ढाणी में बैठा हो, उसको भी एक किलोमीटर की परिधि में कम से कम प्राथमिक विद्यालय मिल जाये तो यह व्यवस्था भी हमने की। पेयजल की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनकी आवश्यकता जनता महसूस करती थी और जिनकी मांग जनता कई वर्षों से करती आ रही थी, एक-एक करके उन सारी योजनाओं की मंजूरी की ताकि गांव में बैठे हुए व्यक्ति को पानी मिल जाये। रोजगार का साधन, उसके लिए भी पूरा प्रयास और चिकित्सा सुविधा के मामले में भी हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचे। जितना धन्यवाद हमारी मुख्य मंत्रीजी को दें, वह कम पड़ेगा क्योंकि सवा दो साल में जो राजस्थान की जनता ने काम देखा है, काम का लाभ प्राप्त किया है, उसकी अन्तरात्मा, उसका मन वैसे ही धन्यवाद दे रहा है। हम चाहें कोई भी कमी निकाल दें क्योंकि इतनी कमी रहती है, क्योंकि कमी निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं फिर भी निश्चित रूप से आपको इस बार कमी निकालने में पसीना आया होगा क्योंकि इतने काम किये, कहां कमी निकालें, फिर भी कहीं कमी निकाली और हमारी मुख्य मंत्रीजी निश्चित रूप से उनको पूरा करेंगी।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय सभापतिजी, जब भी कोई चुनाव आता है जनता यह देखती है कि कौन सी पार्टी चुनाव में जीतने के बाद हमारा कितना भला कर सकती है, हमारे कितने काम कर सकती है और एक बार वह देखकर उसी अनुरूप मतदान करती है और उसको शासन भी सौंपती है। यह भी देखती है कि इस पार्टी को पहले सत्ता दी थी उस समय उसने क्या वायदे किये थे और सत्ता देने के बाद, सत्ता प्राप्त करने के बाद में उसने कैसे काम किये। यह सारी बातें जनता देखती है और एक अच्छी उम्मीद के साथ अपना मतदान करके सरकार बनाती है। लेकिन जिसकी भी सरकार बनी चाहे आपकी बनी, चाहे हमारी बनी, जितनी आवश्यकता है, जितनी समस्या है, उसकी तुलना में हमारे संसाधन, हमारे प्रदेश के पास उतने हैं नहीं, बहुत ज्यादा गेप है संसाधन और आवश्यकताओं में और उस गेप को दूर करना बहुत बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है। कड़ी चुनौती हर सरकार के सामने है। इस कड़ी चुनौती को हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरीके से स्वीकार करके इसमें सफलता अर्जित की, सवा दो वर्ष उस बात के गवाह हैं, हमारे किये गये कार्य उस बात के गवाह हैं कि हमने चुनौतियों को आसानी से झेला है, उसको स्वीकार किया है, उसमें सफल रहे। और इतना ही नहीं, यह कोई जरूरी नहीं है हर सरकार सारे वायदे पूरे कर दे, किसी सरकार के वश में नहीं कि वह अपने सारे वायदे पूरे कर दे या सारे काम पूरे कर दे। परीक्षा होती है न, पेपर आता है, पेपर में कोई बच्चा नब्बे प्रतिशत अंक लाता है, कोई अस्सी, कोई सत्तर, कोई फेल होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सवा दो साल के कार्यकाल को देखकर, हो सकता है हमने सौ में से सौ अंक प्राप्त नहीं किये पर हमने सौ में से नब्बे अंक जरूर इन सवा दो साल में प्राप्त कर लिये, यह कोई कम बात नहीं वरना आप तो पूरे फेल हुए थे, कुछ कर नहीं पाये थे सवा दो साल तक। जब यह सदन विभिन्न मांगों पर चर्चा में अपनी बात कह रहा था और हमारे जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक हैं, सदस्य हैं, हमने जो काम किये, हमने जो राहत दी, लाभ दिये, समस्याओं से छुटकारा दिलाया जनता को, उसकी बात यहां कही तो हमारे प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों को यह बात रास नहीं आई।

श्री श्रवण कुमारः काम करोगे, आ जायेगी।

श्री ज्ञानचन्द पारख: काम करके दिखाया है, आप जाकर क्षेत्र में देख लें। रास नहीं आई, पचा नहीं पाये हमारे कामों को वह।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री ज्ञानचन्द पारखः पचा नहीं पाये हमारे कामों को वह और कल हमारे सिरोही से आने वाले जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के बारे में, महारानी, महारानी है, कोई दिक्कत नहीं, पर जिस व्यंग्य से कहा, मैं बिलकुल कह सकता हूं आपको, वह राजमहल से आई हैं, महारानी हैं और राजमहल से आकर गरीब की झोंपड़ी तक वह पहुंची है और गरीब को राहत देने के लिए राजमहल, सत्ता का पैसा भी वहां पर खर्च किया, शासन का पैसा भी वहां ज्यादा लगाया। महारानी है वह लेकिन जनता का दुःख-दर्द जितना उसने समझा, जनता की आवश्यकताओं को, राजस्थान के विकास की संभावनाओं को, गांव-गांव घूम कर उसने जो समझा और महसूस किया, जनता की सेवक बनकर वह महारानी राजस्थान प्रदेश की जनता की सेवा कर रही है। और कभी आपने अपनी मैडम के बारे में देखा, सोनियाजी के बारे में, साधारण परिवार की थीं वह। वह साधारण परिवार की आज महलों में, राजमहल में जाने का सपना देख रही हैं वह और यह महल से गरीब की झोंपड़ी तक जाने की इच्छा रखती है, इतना अंतर, कुछ नहीं, कोई कहीं उसका राजनैतिक, पालिटिकल बेकग्राउंड नहीं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवालः गलत है यह।

श्री ज्ञानचन्द पारखः कोई बेकग्राउण्ड नहीं, लेकिन ख्वाब ऐसे हैं...

श्रीमती ममता शर्माः आप किसकी बात कर रहे हैं, आप एप्रोप्रियेशन बिल पर बोल रहे हैं, सोनियाजी की बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आप यह तो कहें कि किस बात पर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवालः महारानी शब्द पर आपत्ति नहीं है और.. (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारखः कल सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को....

श्री सभापतिः अब आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्रीमती ममता शर्माः आपकी महारानी साहब से ज्यादा झोंपड़ियों तक जाती हैं वह।

श्री ज्ञानचन्द पारखः हमारी मुख्य मंत्रीजी को महारानी के रूप में व्यंग्य किया।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल: उस त्याग तक पहुंचने के लिए बहुत बार मरना पड़ेगा, उस त्याग तक पहुंचने के लिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्रीमती ममता शर्मा: महारानी के लिए क्या, सभापति महोदय, महारानी को कोई गलत थोड़े ही किया, इसका मतलब आप उनको महारानी मानते ही नहीं हैं, इसका तो यह मतलब है। (व्यवधान) कह दिया तो क्या गजब हो गया।

श्री मदन दिलावर: सोनियाजी आपका तो मुकाबला कर ही नहीं सकती, आप तो विद्वान हैं, विद्वान हैं, आपका क्या मुकाबला करेंगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी।

श्री ज्ञानचन्द पारख: मैंने सोनियाजी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा वह साधारण परिवार से आई, साधारण परिवार से आई...

श्री सभापति: अब आप अपने मुद्दे पर आ जायें, मुद्दे की बात कहें।

श्री ज्ञानचन्द पारख: और देश की महारानी बनने का ख्वाब देख रही हैं, मैंने यही कहा न आपको।

एक माननीय सदस्य: नहीं, दिल्ली में नम्बर बढ़ गया।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल: यह कहा कि राजमहल में...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख: आप मना कर दो, आप मना कर दो ना?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल: आज राज परिवार की बात यहां पर नहीं करें, महारानी कहां से बनायेंगे, कहीं तख्ते-ताज हैं आज।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप मुद्दे की बात पर आयें।

श्री मदन राठौड़: आप ममताजी को कहो महारानी।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, प्लीज।

श्री ज्ञानचन्द पारख: चार-पाँच मिनट मात्र।

श्री सभापति: जल्दी बोलो फिर।

श्री ज्ञानचन्द पारख: और मात्र यही नहीं, निश्चित रूप से यदि हमारे मुख्य मंत्री के ऊपर आप कटाक्ष करेंगे तो आपको हमारी बात भी सुनने की ताकत रखनी होगी। बिलकुल रखनी होगी आपको। आप जो चाहो कटाक्ष कर लो और हम सही बात कह दें, सच्ची बात कह दें और आप उत्तेजित हो जाओ,

इतने कमजोर मत बनो आप। और मैं यह भी कह दूं आपको कि हमारी मुख्य मंत्री हमारी नेता इसलिए हैं कि वह बहुत विद्वान हैं और आपकी मैडम आपकी नेता इसलिए हैं कि...

श्री श्रवण कुमार: डाउट है आपको?

श्री ज्ञानचन्द पारख: मैं बता दूं आपको। वह नेता क्यों है।

श्री श्रवण कुमार: आप बार-बार बोल रहे हैं, कोई डाउट है क्या आपको?

श्री ज्ञानचन्द पारख: और आपकी नेता क्यों, इसका अंतर बता दूं आपको। हमारी मुख्य मंत्री नेता इसलिए है कि बहुत ज्यादा विद्वान है और और जो आपकी नेता है, सिर्फ न का अंतर है, हमारी मुख्य मंत्री विद्वान हैं इसलिए हमारी नेता है और आपकी सोनिया गांधी, राजीव गांधी की +++ पत्नि है इसलिए आपकी नेता है।

श्री सभापति: अब आप, सोनिया गांधीजी इस सदन की सदस्य नहीं हैं, आप अपनी बात करें। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: आप गलत शब्द का उपयोग नहीं करें, कल कोई भी .. पत्नि हो सकती है।

श्रीमती ममता शर्मा: माननीय सभापति महोदय, यह कोई बोलने का तरीका नहीं है कि राजीव गांधी की +++ पत्नि है, यह क्या तमाशा है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: यह मत कहिये।

श्री श्रवण कुमार: कोई बात करें तो कोई...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: माननीय सदस्य, आपसे हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख: आपकी नेता क्यों है वह, आपकी नेता होने का एकमात्र यह है कि वह...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा: माननीय सभापति महोदय, यह कोई बात नहीं है, आप इनको टोकिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: आप जैसे संजीदा सदस्य से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप श्रीमती सोनियाजी के बारे में ऐसे टिप्पणी करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्माः यह क्या तमाशा है, यहां सदन में +++ पत्नि और यह, यह क्या तमाशा है।

श्री ज्ञानचन्द पारखः मैंने कोई गलत बात नहीं कही।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावरः आप जैसा शालीन व्यक्ति अगर ऐसी बात करेगा तो फिर क्या होगा? (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारखः अगर वह स्वर्गीय राजीव गांधीजी की...

श्रीमती ममता शर्माः यह क्या है, +++ पत्नि की आप यह क्या, क्या तुलना की, आप अपने आप को बहुत ऊँचा समझ रहे हो, आपने क्या तुलना की है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमारः ×××

श्री सभापतिः आप विराजें ।

श्री श्रवण कुमारः ×××

श्रीमती ममता शर्माः ×××

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्रीमती ममता शर्माः ×××

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचन्द पारखः ×××

श्रीमती ममता शर्माः ×××

श्री ज्ञानचन्द पारखः ×××

श्रीमती ममता शर्माः ×××

श्री ज्ञानचन्द पारखः ×××

श्री सभापतिः आप विराजें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमारः ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावरः×××

श्री सभापतिः आप विराजें।

श्रीमती ममता शर्माः ×××

श्री सभापतिः आब्जेक्शन है तो मैंने बोल दिया इनको कि आप बार-बार..(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख: ×××

श्रीमती ममता शर्मा: ×××

श्री सभापति: पाली से आने वाले माननीय सदस्य, आप व्यर्थ में जो माननीय सदस्य इस हाउस का नहीं है उसके बारे में आप उल्लेख न करें।

श्री श्रवण कुमार: ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: ×××

श्री श्रवण कुमार: ×××....

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़: ×××

श्री ज्ञानचन्द पारख:×××

श्री जालम सिंह रावलोत: ×××

श्री सभापति: आप विराज जायं। आप क्यों खड़े हो गये। आसन पैरों पर।

श्री जालम सिंह रावलोत:×××

श्री सभापति: अब आप विराजिये। अंकित नहीं हो रहा।

श्री श्रवण कुमार: ×××

श्री सभापति: आप बीच-बीच में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। माननीय सदस्य, आप भी अपने मुद्दे की बात करें, फालतू व्यर्थ में क्यों आप उलझ रहे हैं, सदन का समय जाया कर रहे हैं।

(समय : 15.00 बजे)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति जी, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है लेकिन जिस तरीके से प्रतिपक्ष का व्यवहार रहा थोड़ी मेरे मन में पीड़ा थी मैंने उनको एहसास कराने का अपना फर्ज समझा । जब आपको मेरी बात बुरी लग सकती है तो आपकी बातें तो हमको भी कितनी चुभती होंगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): नहीं-नहीं, लगे तो लगे, सही बात तो कहनी पड़ेगी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): हां, बात तो सही कही गलत कही नहीं मैंने। मैंने जो दुबारा बात कही वो भी गलत नहीं कही।

श्री सभापति: आप फालतू में क्यों उलझ रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रही बात।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति जी, ये जो राजस्थान है और यहां की जो जनता है ये दोनों हमारी मुख्यमंत्री से उम्मीदें रखते हैं और जो सवा दो साल का कार्यकाल रहा उससे उम्मीदें और बढ़ गयीं। धन्यवाद आपको। उम्मीदें बढ़ गईं।

श्री सभापति: कौन-कौन सी बढ़ी हैं। फटाफट बताओ आप। देखो टाइम खराब मत करो। आपको बीस मिनट हो गये हैं।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): मुद्दा नहीं है क्या आपके पास बोलने के लिए? मुद्दा नहीं है क्या बोलने के लिए तो बैठ जाओ न क्यों तकलीफ पा रहे हैं?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आप विराजें। आप विराजें। मुद्दे की बात आपकी बारी आये तब मुद्दे की बात कह देना।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): कोई मुद्दा नहीं है आपके पास ऐसा लगता है कि मुद्दा नहीं है मुद्दा होता तो बोलता रहता आदमी।

श्री सभापति: आप विराजिये माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आपकी बारी आये तो मुद्दे की बात आप कह देना।

श्री सभापति: आज एप्रोप्रियेशन और फाइनेंस बिल पर काफी माननीय सदस्य बोलने हैं ।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): और ज्यों ही उम्मीदें बढ़ीं तो हमने योजना का आकार बढ़ाया आगामी वर्ष 2006-07 की वार्षिक योजना जिसमें बजट का प्रावधान किया है 8562 करोड़ 54 लाख रुपये जो पिछले वर्ष 2005-06 के संशोधित आकार से 407 करोड़ रुपये अधिक है और उसका लाभ भी गरीब जनता को मिल जाए गरीब व्यक्ति को मिल जाए इसका बजट में प्रावधान है।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें प्लीज।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): और रोजगार के क्षेत्र में भी जो हमने प्रयास किया आज प्रदेश का बेराजगार युवक हृदय से हमारी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहा है 31 हजार नये अध्यापकों की भर्ती 52 हजार पहले हुई।

और इस बजट में 31 हजार और साथ में 100 चिकित्सक, 200 एएनएम, 700 नर्सेज ये भी बहुत बड़ा काम है। एक तरफ रोजगार मिलेगा और दूसरी तरफ हमारी व्यवस्था भी ठीक होगी। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको हमारी मुख्यमंत्री जी ने नहीं छुआ हो।

श्री सभापति: अब आप प्लीज बाइंड अप करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): चाहे बीपीएल परिवार हो तो उसके लाभ की योजना है, चाहे मेवात क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति हो तो उसके लाभ की योजना भी है । चाहे समाज कल्याण के छात्रावास में पढ़ने वाला व्यक्ति हो बच्चा हो, तो उसकी राशि भी बढ़ाई। चाहे कोई जाति हो, कोई समाज हो, कोई वर्ग हो जिसको सरकार की मदद की, सरकार के सहयोग की जरूरत थी ...।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): हमारी मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर दी और हमारे प्रदेश की जो बहुत बड़ी समस्या है उसके लिए जो प्रावधान किये, पानी की बहुत बड़ी समस्या से हमारा प्रदेश पिछले कई वर्षों से जूझ रहा है।

श्री सभापति: अब आप विराजें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): पहला प्रयास नर्मदा का पानी जालौर बाड़मेर चला जाए और दो सालों में साढ़े पाँच करोड़ रुपये की राशि दे दी उनको मात्र बजट में प्रावधान नहीं, दे दी ताकि जल्दी पानी आ जाए और यही नहीं हमारे जिले के लिए जवाई बाँध के पानी की आवक कैसे बढ़े उदयपुर से होकर जो गुजरात पानी चला जाता है बह कर उसको रोक कर सही बाँध के जरिये पानी जवाई बाँध तक पहुंचा दिया जाए उसकी जितनी राशि की आवश्यकता बताई उतनी मंजूरी और साथ में शिलान्यास । चाहे पेयजल की कितनी बड़ी योजना है मेरे पाली के लिए 354 करोड़ की योजना चाहे पानी का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, जितने साधन जुटाने हैं, जितने उपकरण देने हैं जितनी बिल्डिंग बनानी हैं ये काम भी हमारी सरकार ने...।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): पाँच मिनट साहब।

श्री सभापति: नहीं, कोई पाँच मिनट नहीं, अब आपको समाप्त करना पड़ेगा। आसन के आदेश की पालना करनी होगी और आपको विराजना पड़ेगा अब।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): वो मेरी जो आवश्यकताएं हैं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ...।

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्यों को टाइम देना है मुझे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): कुछ जो मेरी आवश्यकताएं हैं।

श्री सभापति: नहीं पच्चीस मिनट हो गये हैं आपको।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): पाँच मिनट।

श्री सभापति: नो, कोई पाँच मिनट नहीं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): दो मिनट। जो मेरी आवश्यकताएं हैं मैं इस सदन के माध्यम से, जो हमारी आवश्यकता है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बिलकुल अपनी भावना पहुंचाना चाहूंगा। कुछ कमियां रह गयी हैं आपने प्राइमरी, अपर प्राइमरी स्कूलें बहुत ज्यादा दे दीं शायद जितनी आवश्यकता है सारी पूर्ति हो जाएगी। एक साल में सारी पूर्ति हो जाएगी आगे आवश्यकता भी नहीं होगी लेकिन इस बार के बजट में सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी का प्रावधान नहीं किया । मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जितनी प्राइमरी, अपर प्राइमरी दी हैं उसके अनुपात में सेकेण्डरी, सीनियर सेकेण्डरी भी आज वो प्रदेश की जनता को दे दें तो प्रदेश की जनता उनकी शुक्रगुजार होगी। मैं उद्योगों के बारे में कहूंगा उद्योगों के बारे में बहुत ज्यादा प्रावधान नहीं किये जितनी भी रुग्ण उद्योग इकाइयां हैं उनकी राहत का कोई पैकेज हेतु मैं मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि उनका कोई पैकेज दें ताकि जो हमारे बंद हैं बीमार हैं रुग्ण इकाइयां हैं वो पुनर्जीवित हो सकें और अंत में आपने मुझे जो मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2006, राजस्थान वित्त विधेयक, 2006 पर चर्चा हो रही है ...(व्यवधान)... क्या तकलीफ हो गयी आपको?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय सभापति जी, जूनियर अटल बिहारी जी बोल रहे हैं।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): आपके मुंह में घी शक्कर ...(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सोनिया जी बोल रहे हैं।

श्री सभापति: आप बैठे-बैठे बातें नहीं करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, विनियोग विधेयक पारित होने के बाद राज्य की समेकित निधि में से 35159 करोड़ 18 लाख 92 हजार रुपये की राशि संदत और उपायोजित की जा सकेगी। ऐसा इसमें उल्लेख है और इस निमित्त वोटेड मद में से और प्रभृत मद में से, वोटेड मद में राजस्व के पेटे 19004 करोड़ 15 लाख 26 हजार रुपये की राशि और पूंजी पेटे 5905 करोड़ 73 लाख 23 हजार की राशि और चार्ज्ड प्रभृत मद में से राजस्व के पेटे 5831 करोड़ 25 लाख 46 हजार रुपये की राशि और पूंजी पेटे 4380 करोड़ 67 लाख 57 हजार रुपये की राशि उपयोग में ली जा सकेगी। मैंने ये आंकड़े इसलिए पढ़कर सुनाये माननीय सभापति महोदय, कि आंकड़े इतने बड़े हैं कि सामान्यत: अगर हम इसको बहुत जल्दी में पढ़ने का प्रयास करें तो इकाई, दहाई, सैंकड़ा, हजार, दस हजार, करोड़ एकदम से पढ़ पाना सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल है। बजट पर चर्चा हो गयी और कल व्यापक चर्चा के बाद और मुखबंद के प्रयोग से सभी 51 मांगें पारित कर दी गईं। माननीय सभापति महोदय, बहुत व्यापक चर्चा बजट पर हुई । 8562 करोड़ 54 लाख रुपये की वार्षिक योजना वाला बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया।

मैंने गत बार भी विनियोग विधेयक पर बोलते समय एक बात का जिक्र किया था कि विधायिका का दायित्व बजट के संदर्भ में आज बजट पारित होने के बाद लगभग गौण हो जाता है और सरकार की भूमिका प्रभावी हो जाती है । ईमानदारी से हम यह चर्चा करें, यह विचार करें कि विधायिका की भावना के अनुरूप सरकार का काम काज कैसा है उसका मूल्यांकन करें। और यह मूल्यांकन खाली इस बजट की चर्चा का नहीं सभापति महोदय, मैं पाँच छ: साल की बात आपको बताना चाहता हूं । बहुत जोर से हम व्यापक चर्चा करते हैं और न केवल व्यापक चर्चा करते हैं बहुत जोर से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के आधार पर बजट के आंकडों के पक्ष विपक्ष के तर्क इस सदन में रखते हैं । लेकिन सभापति महोदय, बजट पारित करके उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सरकार को सौंप कर जब अगले बजट पर हम चर्चा करते हैं बहुत जोर से यह बात आती है क्या हुआ उस बजट का जो इस सदन ने पारित किया । जिस हज़ारों करोड़ों रुपये की योजना को बनाकर हम राजस्थान की जनता के कल्याण की योजना बनाते हैं हम राजस्थान की जनता के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं और जब राजस्थान का

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सदन चलता है तो राजस्थान की जनता की आंखों में सपना पलता है कि वहां निर्णय होगा, फैसला होगा । उसके सपने को अपनी आंखों में पालकर विधायिका में बैठे हुए लोग उसके साथ न्याय करें। और जब इस विषय में विचार करते हैं तो देखें पिछले राज में 2001,02,03 प्रत्येक वर्ष में जितना योजना का आकार घटा अपने आप में दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति रही । मैं इस सुखद स्थिति के लिये आज धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की मुख्य मंत्री जी को इस चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिये चाहे वह 12वें वित्त आयोग की गाइड लाइन थी लेकिन सरकार की चिंता भी थी बजट का प्रबन्धन ठीक हो, राजस्व घाटे में कमी हो, राजकोषीय घाटे में कमी हो और पिछले सदन में विधेयक लेकर आये। और न केवल विधेयक लेकर आये सभापति महोदय, हमारी योजना का बजट लेखों से वास्तविक लेखों में बढोतरी हुई है । यह राजस्थान के लिये सुखद स्थिति है लेकिन यह सुखद स्थिति केवल हमारे संतोष के लिये पर्याप्त हो सकती है । हमें इससे आगे बढना पडेगा । हमें यह विचार करना पडेगा 50-55 साल में हम राजस्थान को कहां तक ले जा सके । सभापति महोदय, इस सदन का इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि लगतार 10 विभागों की महत्वपूर्ण मांगे राजस्व, वन, कृषि, ग्रामीण विकास, नगर आयोजना, उद्योग, खनिज, पेयजल, सिंचाई, राजस्व जैसी मूलभूत आम जन की आवश्यकताओं पर चर्चा होती, हम बहुत घड़ियाली आंसू सदन में चर्चा करते समय एक दूसरे को कटघरे में राजनीतिक दृष्टि से खड़ा करने का प्रयास करते हैं, बहुत जोर से किसान हितैषी बनने का दावा अपने शब्दों में करना चाहते हैं । सभापति महोदय, इस सदन में उन 10 महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा, उस पर विचार हंगामे की भेंट चढ गया इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राजस्थान का नहीं हो सकता । सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर बात है । हम यहां बैठकर कितने दावे करें, कितनी सफलता की बातें करें लेकिन आज राजस्थान का गरीब, गरीब होता जा रहा है । राजस्थान के किसान की माली हालत बदतर होती जा रही है । इस विषय में गंभीर विचार करने की आवश्यकता है । जब इस विषय में विचार करेंगे तो मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के सिंचाई मंत्री जी को, राजस्थान की मुख्य मंत्री जी को राजस्थान में किसान के जीवन में हरित क्रान्ति का संदेश पैदा करने वाली बनास और चंबल दो बेसिन ऐसे हैं जिन पर अभी किसान का भरोसा है, उम्मीद है । राजनीतिक कारणों से पिछले 50-55 सालों में इन दोनो बेसिनों पर राजस्थान के किसानों को हरा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

करने के लिये कोई योजना ही नहीं बनी और उसका नतीजा हुआ कि लाखों हैक्टेयर जमीन जिसको पानी मिलना चाहिये था आज सूखी पडी है । बनास के बेसिन में तो कई योजनाएं बनी हैं। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज राजस्थान की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि चंबल के बेसिन में कई सारी नदियां बहती हैं जिनमें समय समय पर मांग उठती रही है काली सिंध और उजाड जैसी नदियां जो उफान पर आती हैं तो रास्ते बंद कर देती है वह सतही जल बहकर समुद्र में मिलता है । काली सिंध के किनारे पर बैठा हुआ किसान 15 दिन तक इटावा खातौली से कोटा का रास्ता पार नहीं कर सकता लेकिन उफान पर बहकर पानी के समाप्त होने के बाद उस पानी की एक बूंद को भी अपने खेत में सिंचाई के उपयोग में नहीं ले सकता इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राजस्थान के किसान का कुछ नहीं हो सकता । पहली बार योजना बनी लेकिन इस योजना पर गंभीरता से विचार करना चाहिये ।

सभापति महोदय, हम केवल राजनीतिक भाषणों में अपनी बातों की क्रियान्विति और पक्ष विपक्ष की राजनीति के खेल में चलते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब ज्योतिषी ने घोषणा की थी कि दुनिया का दूसरा, तीसरा विश्व युद्ध केवल पानी के लिये होगा । हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। वनों का घनत्व घट रहा है, प्रकृति का संतुलन आज बिगड रहा है और प्रकृति ने हमको एक चुनौती भरा नोटिस ओजोन परत में छेद के रूप में दे दिया । यह नोटिस मानव सभ्यता को समझना चाहिये और इसको समझ कर विचार करने की दिशा में आगे बढना चाहिये । इस दिशा में विचार कर आगे बढने का एक महत्वपूर्ण रास्ता राजस्थान की धरती पर जो भी नदी नाला जिसमें बहकर सतही पानी चला जाता है समुद्र की तह में उसकी एक एक बूंद के उपयोग की कार्य योजना बननी चाहिये तो हम यहां बैठकर राजस्थान के बारे में न्याय कर पायेंगे । 50 साल बीत गये हम लगातार चिंता करते हैं, लगातार उसकी चर्चा करते हैं, गंभीरता पूर्वक इस दिशा में विचार करना पड़ेगा । सरकार का कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है । सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी भी पधार चुके हैं, कल उनकी घोषणा से राजस्थान प्रफुल्लित है कि राजस्थान की मिडिल शिक्षा का सार्वजनिकीकरण करेंगे और आने वाले तीन साल में 15 हजार मिडिल स्कूल राजस्थान में देकर इस

(श्री प्रहलाद गुंजल)

राजस्थान के गरीब बालक को मिडिल शिक्षा तक अवसर प्रदान करेंगे । सभापति महोदय, मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कल भी मुझे बोलने का अवसर मिलता तो मैं निश्चित रूप से कहता राजस्थान के यशस्वी शिक्षा मंत्री जी यह राजस्थान आपसे बहुत उम्मीद कर रहा है, आपने राजस्थान की उम्मीद को और जगाया है । मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं मैंने पिछली बार भी शिक्षा पर बोलते समय कहा था आपको यह विचार करना पड़ेगा हम कम्प्यूटर के युग की बात कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के युग की बात कर रहे हैं, नये स्कूल भी लगातार खोल रहे हैं लेकिन जितने स्कूल खोल रहे हैं उनमें केवल कला संकाय के विषय के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं खोला जा रहा है ।

(समय : 15.19 बजे)

(डा. एन. एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

हम ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के जमाने में बच्चों को विज्ञान की शिक्षा नहीं दे पा रहे, बच्चों को वाणिज्य की शिक्षा नहीं दे पा रहे । इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा के अभाव में इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हम बच्चों को किस दिशा में ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं यह विचार करने की आवश्यकता है। और अगर यही हालात रहे, सभापति महोदय, राजस्थान में मैंने पिछली बार भी कहा था जिन विद्यालयों में 40 साल पहले साइंस, मैथेमेटिक पढाई जाती थी, जिन विद्यालयों में 30 साल पहले साइंस बायलोजी और कामर्स पढाई जाती थी उनमें विभिन्न प्रकार के कोर्सेज बढाना तो बहुत दूर उसमें सब्जेक्ट साइंस मैथेमेटिक को तोड़ दिया गया । क्या कारण रहे मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन अगर यही हालात राजस्थान के शिक्षा के जगत में रहे तो मैं आज कहना चाहता हूं वह दिन दूर नहीं जब ग्लोबलाइजेशन के व्यापक प्रभाव के बाद हम हमारी चिंता का समाधान करने के लिये राजस्थान में विज्ञान को पढाने के लिये कोई केरल जैसे पड़ौसी राज्यों से अध्यापकों का आयात करना पड जाये, इस दिशा में चिंता करनी पड़ेगी । और चौमूं के सीनियर सैकण्डरी स्कूल के बच्चे के अंतर को आंको। इस स्टेण्डर्ड के जब अंतर को आंकेंगे तो हमारा सामान्य विचार आयेगा कि हम कहां खड़े हैं। कभी-कभी हमको यह कहना बहुत अच्छा लगता है कि राजस्थान के तमाम आई.ए.एस., आई.पी.एस. इनमें से अधिकांश सरकारी स्कूलों में से निकले हुए हैं। आज सरकारी शिक्षा की इतनी बड़ी दुर्दशा हो रही है, मैं आप

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी सम्पन्न घराने का व्यक्ति सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को प्रवेश नहीं दिलाना चाहता। कोई भी सरकारी नौकर, मैं समझता हूं कि यहां विधायिका में बैठे हुए व्यक्ति भी अपने बच्चे को प्रवेश नहीं दिलाना चाहते। आपको इसके लिए यह करना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल में आपके अध्यापक की तुलना में कम पढ़े लिखे अध्यापक हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, रामगंजमण्डी से आये सदस्य कह रहे हैं कि चौमूं और सेंट जेवियर की तुलना...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): रामंगजमण्डी कह देता लेकिन बहुत दूर पड़ती है। चौमूं नजदीक है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मैं मेरे क्षेत्र की बताऊं, मेरे क्षेत्र में इस वर्ष जो परिणाम आया उसमें 5 आरएएस बने, पहले से तीन आईएएस हैं, दो कुलपति हैं। ऐसी बात नहीं है हमारा क्षेत्र बहुत..(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): और एक एमएलए भी हैं साथ में, यह मान रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं हमको इस स्वभाव को, टीचर को, बच्चों के साथ समर्पण भाव से शिक्षा दिलाने के को बदलना पड़ेगा।

माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं आप राजस्थान के उन शिक्षकों की आदत में सुधार कर दीजिए जिसको 365 दिन काम करने का भुगतान करते हैं। कलैण्डर में 52 सण्डे के साथ 84 सरकारी अवकाश, 45 ग्रीष्मकालीन, 15 शीतकालीन, 7 दीपावली, सीएल, पीएल और मेडिकल मिलाकर 258 दिन की छुट्टी और 137 दिन वह स्कूल में पढ़ाने जाता है। 137 दिन पढ़ाता है उसमें भी वह आपके कलैण्डर से नहीं जाता। देहरादून कब जा रही है, कब आ रही है उस शिडयूल से स्कूल खुलता है। रोडवेज की बस कब आ रही है, कब जा रही है उस शिडयूल से स्कूल खुलता है। शिक्षकों की यह प्रवृति, राजस्थान के बालक के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप राजस्थान को शिक्षा की दृष्टि से समग्र विकास की चिंता कर रहे हैं, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं लेकिन इस दिशा में भी आपको चिंता करनी पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी बातें इस अवसर पर कहने को हैं पर राजस्थान का बजट राजस्थान के आम जन के सपनों की पूर्ति करेगा। लेकिन मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, बहुत सी चर्चाएं, चिकित्सा के क्षेत्र में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने टेलीमेडीसन का प्रयोग पूरे जिले में करने की बात कही, स्वागत योग्य कदम। सिंचाई के क्षेत्र में चम्बल बेसिन पर करोड़ों की योजनाएं बनाने का विचार चल रहा है, स्वागत योग्य कदम।

आज वित्त विधेयक और वैट भी लागू हो रहा है मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं कोटा जिले से आता हूं और कोटा जिले में कोटा स्टोन, कचौरी, कोटा साड़ी की बहुत प्रसिद्ध है। कभी-कभी देशभर से कोई जानकार टेलीफोन करता है, कभी उसके मकान का निर्माण होता है तो कहता है कि कोटा स्टोन खरीदना है या फिर राजस्थान में कहीं दूसरी जगह कोई रिश्तेदार चर्चा करता है तो कोटा की कचौरी की चर्चा करता है या कोटा साड़ी की चर्चा करता है।

माननीय सभापति महोदय, इस वैट के अंदर कोटा स्टोन और कचौरी पर टैक्स का प्रावधान किया है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कचौरी, नमकीन कोटा का बहुत बड़ा व्यापार है, आम आदमी इससे जुड़ा हुआ है, इन करों में कटौती की जानी चाहिये। मैं समझता हूं इनमें बिल्कुल छूट देने का प्रावधान किया जाना चाहिये।

कोटा स्टोन, 12.5 प्रतिशत का प्रावधान किया और लगभग 35 फीट पत्थर प्रतिवर्ष पैदा होता है जिसमें से 24.5 करोड़ पतला जो डी फार्म पर आता है, 10.5 करोड़ पत्थर मोटा 1 प्रतिशत की दर से परचेज टैक्स पर लिया जाता है और अगर 12 प्रतिशत की दर से टैक्स लागू हो जाता है तो सरकार को 26 करोड़ का राजस्व अतिरिक्त मिलेगा जो पहले एक करोड़ मिलता था। हालत क्या होगी इस व्यापार की, क्या दुर्दशा होगी ?

कोटा का एक मात्र उद्योग, जिसके आधार पर लोगों को रोजगार मिल रहा है, मजदूर को रोजगार मिल रहा है, बेकार को काम मिल रहा है अगर इन हालात में अगर उस पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लगा दिया जाएगा तो कोटा के पत्थर का उद्योग है उसका गला घुट जाएगा। वहां पर बेरोजगारी के हालात खड़े हो जाएंगे। हेजीटेशन के हालात खड़े हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं जब विनियोग विधेयक पर, वित्त विधेयक के पारण पर माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपनी बात कहें तो इस दिशा में कोटा की जनता और वहां के बेरोजगार और वहां की व्यवस्था के साथ में न्याय करने के बारे में निश्चित रूप से कचौरी और कोटा स्टोन के बारे में कोई न कोई बात कहेंगी।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय सभापति महोदय, इसमें एक और विसंगति पैदा कर दी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। इस पत्थर की 80 प्रतिशत बिक्री राजस्थान के बाहर जाती है उसमें सीएसटी पर 2 प्रतिशत की दर से वैट देय होगा और 10.5 प्रतिशत की दर से सेटअप होगा, वह खजाने में जमा हो जाएगा सरकार के, बाद में मिलेगा। सभापति महोदय यह कोई टैण्डर का बिल नहीं है जो कमीशन देकर आदमी रोज चक्कर काटकर लेगा, 10.5 प्रतिशत रूपया लाखो-करोड़ों सेल टैक्स में जमा होगा। घर की निजी पूंजी जो कि ब्याज पर लाकर भी उसको देनी पड़ती है उसको वापस लेने के लिए, सैलटैक्स के बाबू को जब तक पैसा नहीं देगा तब तक चेक नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार की नई व्यवस्था को हम जन्म देने की कोशिश कर देंगे। इस दिशा में सार्थक प्रयास हमको उठाये जाने चाहिये।

खल चोरी पर टैक्स, माननीय सभापति महोदय, आप भी उसी वर्ग से बिलोंग करते हैं जो ट्रडिशनल रूप से इस राजस्थान में दूध का व्यवसाय करते हैं। कितनी चुनौतियां हैं, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में अकाल पड़ता है। राजस्थान के आम आदमी के सामने चुनौतियों भरा वातावरण रहता है। बरसों के दूध के भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दूध का व्यवसाय वह व्यक्ति करता है जिसकी आर्थिक माली स्थिति राजस्थान में, चाहे वह आय का बहुत बड़ा जीडीपी का हिस्सा हो, लेकिन कोई बहुत अच्छी माली हालत नहीं है। उसकी माली हालत को सुधारने के बारे में एक तरफ तो हमें चिंता करनी चाहिये, दूसरी तरफ हम खल पर टैक्स लगा रहे हैं।

मध्य प्रदेश की सरकार ने खल पर जो टैक्स था उसको दुग्ध उत्पादक, पशुपालक की दशा को देखते हुए समाप्त किया। मैं राजस्थान की मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि खल पर टैक्स लगाया है उसको माफ किया जाना चाहिये।

मावे पर लगाया। मावा कौन लोग पैदा करते हैं, जो जंगल के दूरस्थ इलाकों में रहते हैं, दूध को ले जाकर बाजार में नहीं बेच पाते। अब उसको मावे पर टैक्स देना पड़ेगा, इस स्थिति पर भी विचार करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, किसानों के बारे में दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। पोश्तदाना और कृषि उपकरण पर टैक्स लगाया है। उत्तम बीज पर टैक्स लगाया। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि 8.5 लाख टन बीज उत्तम

(श्री प्रहलाद गुंजल)

क्वालिटी का पैदा करने का लक्ष्य इस बार बढ़ाकर हमने इस बार राजस्थान में रखा। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उत्तम बीज पर 4 प्रतिशत टैक्स लगेगा। कृषि उपकरणों पर टैक्स लगेगा। नमकीन पर टैक्स लगेगा। सारे राजस्थान में किसानों के बारे में रियायत करने का, सब्सिडी देने का, कभी कभी यूरिया पर सब्सिडी हटाने की बात करने के बावजूद भी किसानों की माली हालत के कारण कोई सरकार साहस नहीं कर पाती कि उस सब्सिडी को घटा लिया जाए और हम किसानों के उपकरण पर टैक्स लगाने की बात करते हैं।

सभापति महोदय, पोश्तदाने के बारे में कहना चाहता हूं किसान, जो काश्तकार है अफीम का इसके पट्टे वेसे ही केन्द्र की सरकार ने वज्रपात करके कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड में आधे पट्टे कर दिये। और इसके पोश्तदाने पर, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले साल ही तो पोश्तदाना के भावों को दुगना किया, उस किसान को और उस पर 12.5 प्रतिशत टैक्स। एक किसान अगर 10-15 हजार रूपये क्विण्टल का पोश्ता है उस पर 12.5 प्रतिशत टैक्स देगा तो क्या खायेगा, क्या कमाएगा? इससे स्मंगलिग बढेगी। वह दो नम्बर में बेचेगा। एक ट्रक भरकर पोश्तदाना बेचने जा रहा है तो दो लाख रूपये टैक्स देगा। नाकेदारों को हजार-हजार रूपये देगा और गलत तरीके से बेचने का प्रयास करेगा। मैं समझता हूं कि किसानों को ऐसे रास्ते पर नहीं ले जाना चाहिये। जिससे उसको भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ेगा और गलत तरीके के रास्ते को अख्तियार करना पड़ेगा, इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इन सारी बातों पर राजस्थान की मुख्यमंत्री विचार करेगी और राजस्थान के किसानों के साथ न्याय होगा। पोश्तदाना पर टैक्स घटेगा, कृषि उपकरण, कोटा स्टोन, कचौरी पर टैक्स माफ होगा। चम्बल के बेसीन जैसी नदियों पर बाँध बनाने की विस्तृत योजना, सवाल चम्बल का नहीं है, राजस्थान के किसी भी कोने में कोई सतही भूजल स्त्रोत है तो उस पर पानी को रोकने की योजना बनाई जानी चाहिये। यह सब मानव सभ्यता के लिए बहुत जरूरी है। समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है। राजस्थान के समग्र विकास के लिए बहुत जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जिस पारदर्शी तरीके से राजस्थान के विकास का रथ राजस्थान की मुख्यमंत्री हांक रही है वह इस दिशा में विचार करके विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक के पारण पर राजस्थान

(श्री प्रहलाद गुंजल)

और कोटा की जनता के साथ न्याय करेगी। राजस्थान के किसानों के साथ न्याय करेगी इस विश्वास के साथ धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री श्रवणकुमार।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): चुनाव कराने की बात भी करो ना दुग्ध डेयरी वाली, को-आपरेटिव मिनिस्टर से, चुनाव भी करा देंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): फिर आप क्या करेंगे?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, आज एप्रोप्रिएशन बिल पर, फाइनेंस बिल पर बोलने का समय दिया, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं इस राजस्थान के पंचायत राज को जिस तरह से आपने कमजोर किया है, पंचायत राज को आपने जिस तरह पंगु बनाया है, वह सपना 1954 में नेहरूजी का था, 80 प्रतिशत जनता जो गरीब किसान खेतों में रहता है, गांव और गली में रहता है, उनका सपना था कि देश की आजादी का प्रतिबिम्ब खेत और खलिहान से गुजरेगा और पंचायत राज मजबूत होगा। मैं इस सरकार को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपने पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कार्यालयों के ताला लगा देंगे तो मैं खुशी का अहसास महसूस करुंगा। (व्यवधान) अब आप पीड़ित क्यों हो, सुनिये ना।

श्री सभापति: बैठे-बैठे नहीं।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): 13 साल चुनाव ही नहीं करवाये आपने तो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, no interruption.

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आपको टिकट मिल जाएगा, जीतना आपके हाथ की बात है। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): श्रवणजी, आज आपको पूरा टाइम मिलेगा, बोलना।

श्री सभापति: No interruption please.

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आपको टिकट मिल जाएगा, जीतने का मौका मिल जाए तो आगे की बात है, चिन्ता मत करो। (व्यवधान)

(श्री श्रवण कुमार)

मैं आज कहना चाहता हूं कि झुंझुनूं में 8 पंचायत समिति, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, माननीय राजेन्द्रजी, आप ध्यान से सुनें, झुंझुनूं जिले में आज 8 पंचायत समितियां हैं, जिसमें से 6 प्रसार अधिकारी बी.डी.ओ. के रूप में काम कर रहे हैं और यू.डी.सी. काम कर रहे हैं। इससे बड़ी दुःख की बात कोई हो नहीं सकती है, जो किसान के साथ अन्याय हो रहा है, विकास जैसी भूमिका को आपने एक बाबू के हाथ में सौंप दिया, इससे बड़ी दुःख की बात और क्या होगी।

श्री सभापतिः आसन को सम्बोधित करके बोलिये, प्लीज।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ठीक है। सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि इस तरह का जो अन्याय हुआ है, न कोई प्रसार अधिकारी, न शिक्षा प्रसार अधिकारी, न कोई कृषि प्रसार अधिकारी, न पंचायत प्रसार अधिकारी, न गाड़ियों में ड्राइवर, आफिसों में बाबू नहीं, आखिर आप क्या चाहते हैं? इस बात की आपको पीड़ा महसूस करनी पड़ेगी कि राजस्थान की जनता के साथ जो गरीब किसान खेत में बसता है, उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, आपने सुधार किया जे.डी.ए. में, आपने सुधार किया नगर निगम में, आपने सुधार किया नगरपालिकाओं में। क्या राजस्थान की जनता नगर निगम में रहती है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इनको तो धन्यवाद दे दीजिए।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): वह बाद में मैं आपके कारनामे बताऊंगा, आपके कारनामें तो साथ में लेकर आया हूं।

श्री सभापतिः बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे, प्लीज।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यह अख़बार बोल रहा है, मैं क्या बोलूंगा।

पंचायत राज को किस तरह से पंगु बनाया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के लिये यह 73वां संशोधन जो है।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): आप पंचायत राज के बारे में जानते नहीं, मैं खुद प्रधान रहा हूं। पहले 25 पैसे मिलता था अनुदान, आपके राज में, हमने ढाई रुपये किया। हमने चुनाव करवाये 13 साल में, आप क्या जानों पंचायत राज के बारे में।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं रामस्वरूपजी से बोल दूंगा। अबकी बार चुनाव में...। वह भी ऐसे ही बोलते थे, वह मंत्री बनने के बाद चुप हुए थे।

मैं कहना चाहता हूं, पंचायत राज की बातें, आज पंचायत राज में आपने शिक्षा को सम्मिलित किया।

श्री सभापति: बैठे-बैठे बातचीत नहीं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): पंचायत राज में आपने शिक्षा को सम्मिलित किया और शिक्षा के आफिस भी बना दिये। आज कोई अध्यापक स्कूल में नहीं जाए, समय पर नहीं जाए, उसका नियंत्रण किसी के हाथ में नहीं है, कौन उसको रोकेगा, कौन उसकी रखवाली करेगा, कौन उसकी शिकायत सुनेगा, कौन उसको रोकेगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब पंचायत समिति में अगर जनगणना का मैटर आयेगा, पंचायत समितियां करेंगी, राशन कार्ड का मैटर आया, पंचायत समितियां करेंगी, मृत्यु व जन्म प्रमाण-पत्र का मैटर आया, पंचायत समितियां करेंगी । लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है, पंचायत समितियों में बाबू नहीं है। मास्टरों से काम करवाया जाता है। मैं सोचता हूं कि इसमें आप सबसे मजबूत रीड़ की हड्डी है वह इस किसान की, इस विधान सभा और लोकसभा की रीड़ की हड्डी यह पंचायत राज है। इस पर आप थोड़ा विचार करें। कहा जाता है, भरा नहीं भावों से, बहता जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जो किसान के प्रति हमदर्द नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): श्रवणजी, इसकी रचना आपने की है, इसकी तारीख बता दें। रचना तो आपकी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह आपको देखकर ही रचना की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, यह एक और कवि, कितने और महान कवि हैं, यह आज मालूम पड़ा हमें। यह रचना आपने कब की? यह बता दो। रचना तो आपकी है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आपको देखकर भरा है, भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें किसान-गरीब के प्रति आपकी हमदर्दी नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह आपने राजेन्द्रजी को समर्पित की है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय सभापतिजी, मुझे अपने आप

(श्री श्रवण कुमार)

इंडिकेट हो रहा है। ऐसा है कि मौका ही नहीं देते, मुझे देखकर चौंक जाते हैं, मैं भी क्या कर सकता हूं। मैं भी बोलने वाला तो हूं, पर बोलूं कहां, बोलते हैं गांव में जहां जनता वोट दे देती है। यहां बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। बोलें कहां। सभापतिजी ने आज दिया उसके लिये आते ही धन्यवाद दे दिया।

अब आप नगर पालिकाओं में 700 रुपये भत्ता दे रहे हैं और नगर निगमों में शायद दो हजार दे रहे होंगे, टेलीफोन का अलग से दे रहे हैं। पंचायत राज को आपने न तो जिला परिषद के सदस्य को कुछ दे रहे हो, न पंचायत समिति सदस्य को कुछ दे रहे हो। उसका कार्य बन गया पंचायत समिति सदस्य का प्रधान बनाना और जिला परिषद सदस्य का केवल प्रमुख बनाना। उसके बाद उसकी छुट्टी, वह कहीं भी जाए, कहीं भी आये।

इसलिये मैं सरकार से इस बात की मांग करता हूं कि पंचायत राज को आप मजबूत बनाइये और पंचायत राज में आप शक्ति डालिये। पंचायत राज अगर कमजोर हो जाएगा तो इस देश की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगी।

मैं शिक्षा की बात बताना चाह रहा हूं। माननीय घनश्यामजी ने काफी स्कूल खोले हैं। परन्तु मैं एक बात जरुर कहता हूं आपको, स्कूल भी खोल दिये, आपने लागू भी कर दिया। कल आपने सारी बातें बता दीं कि सारे आपके सदस्य एक बात कहते हैं कि एक लाख अध्यापक लगा दिये, बड़ी खुशी की बात है। लगाये नहीं, लगाने की योजना है, 50 हजार लगा दिये, 50 हजार और लगा देंगे। परन्तु आपने दूसरे विभाग भी देखे हैं क्या, कौनसे-कौनसे विभागों में कहां-कहां, कभी बिजली में आदमी नहीं, पानी में मोटर चलाने वाला नहीं और पंचायत राज में कोई बाबू नहीं, कहीं विभाग खाली पड़ा है, प्रसार अधिकारी नहीं, बिजली बोर्ड में जे.ईएन. नहीं । एक ही तरफ निगाह आपने टिका ली, शिक्षा । शिक्षा तो ठीक है, आप उसको सुदृढ़ कर देंगे, चिकित्सा की तरफ भी कोई ध्यान दीजिए। चिकित्सा में आपको डाक्टर 8 हजार या साढ़े आठ हजार में जो भी टेम्प्रेरेरी लगाते हैं, मंत्रीजी, आप गांव के आदमी हैं, आप पेशे से डाक्टर हैं, आप बड़े इंटेलीजेंट भी हो, स्मार्ट भी हो और मुझे लगता है काम के प्रति रुचि रखते हैं। परन्तु आपने कभी गांव में जाकर देखा है क्या कि गांव में डाक्टर रात को मिलता है क्या। अगर किसी महिला के रात को डिलेवरी हो जाए तो आज एक गाड़ी करने में आज के युग में एक

(श्री श्रवण कुमार)

हजार रुपये देना पड़ता है। और जब हास्पिटल जाता है तो डाक्टर और नर्स को बुलाने में एक हजार रुपया और खर्च हो जाता है। आपने कभी इस पीड़ा को महसूस किया? आपने कभी दर्ज को सोचा क्या कि गरीब गांव का किसान शहर में आकर के अपनी इस पीड़ा को महसूस करवाता है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापतिजी, जिस दिन चिकित्सा विभाग की चर्चा हुई थी, मैंने बहुत विस्तार से माननीय सदस्यों को बताया था, शायद उस दिन श्रवणजी होंगे नहीं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं था।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): या आपने सुना नहीं होगा।

श्री सभापति: इसलिये अब जवाब देने की जरुरत नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, जवाब नहीं दे रहा हूं मैं।

गांव का रहने वाला हूं, गांव में ही आज भी, मंत्री बनने के बाद भी चक्कर गांव में ही काटता हूं तो गांव की स्थिति से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं। आप इस बात से निश्चिंत रहें कि चिकित्सा विभाग में कोई कमी किसी तरह की ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, बहुत अच्छी तरह से इन सेवाओं को हमने सुदृढ़ किया है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मंत्रीजी, मैं इस बात का दावा करता हूं, रात को साढ़े 9 बजे, आप मेरे साथ चलिये, 90 प्रतिशत गांवों के अस्पतालों में एक डाक्टर मिल जाए तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): साढ़े नौ बजे तो लेट हो जाओगे, 8 बजे बुलाओ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हां 8 बजे रात को, रात को 8 बजे, चल लेना, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, चलिये, आप क्या बात करते हैं। आप आंकड़ों में मत जाइये। आंकड़ों में जो देश गया, जो प्रदेश गया जो समाज गया...।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल रहे हैं। सीधे, यह क्वेश्चन-आवर नहीं है, जो सीधे-सीधे ही आप पूछ रहे हैं। आसन की तरफ देखकर बोलिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंचायती राज में आज इस बात की तकलीफ है कि एक सरपंच काम करवाता है और सरपंच जो करवाता है उसकी गुणवत्ता क्या होती है? आज एक व्यक्ति गांव का गरीब व्यक्ति, अगर मकान बनाता है, 20 साल तक उसके अन्दर पानी नहीं टपकता है। पंचायती राज में इतनी बी.एस.आर. जो स्टेण्डर्ड की बी.एस.आर. को मानकर के काम करवाता है, मैं समझता हूं कि 12 महीने में उसकी छत टपकनी शुरू कर देगी। उसके बाद जब उसका मौका मिलता है, सरपंच को दोषी मानकर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। क्या उस समय उसका जे.ईएन. सो रहा था, या वहां का बी.डी.ओ. सो रहा था, वहां का ग्राम सेवक सो रहा था, वहां का प्रधान क्या नींद ले रहा था क्या? इस तरह की कमेटी आपको तय करनी पड़ेगी।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की पुत्र वधू भी प्रधान है इसलिए शायद उन्होंने ही ऐसा क्या होगा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय मंत्रीजी, मैं इस बात का दावा करता हूं ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपको शायद जानकारी इसीलिए हुई होगी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर मेरी पंचायत समिति में आज, इस बात का मैं दावा कर रहा हूं कि जिन मकानों के अन्दर कोटा स्टोन फर्श में लगती है और टायल छत पर लगती है और मैं आपको दावा कर सकता हूं कि इस विधान सभा में ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप सारी पंचायत समितियों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? जब आप खुद यह मान रहे हैं कि आपकी पंचायत समिति में तो सही है, बाकी पंचायत समितियों में गलत है? ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): वह सुनने की क्षमता रखो न, करो न यह। ... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): क्या है यह? आप क्या बोल रहे हो, यह तो मेरी समझ में नहीं आया है। आप खुद ही आपकी पुत्र वधू को ही चोर बता रहे हो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा बेटा भी चोर है तो चोर है और जो नहीं है तो नहीं है। उसका क्या इलाज है? मैं इस बात को मानता हूं कि मैं इस बात की सिफारिश नहीं करता हूं। अगर मेरा बेटा भी चोरी करता है तो मैं उसको साहूकार नहीं कह सकता। इस पवित्र सदन में कोई आकर इस बात को छुपाता और न्याय के दरवाजे पर बैठकर कोई न्याय के खिलाफ अन्याय करता है तो मैं समझता हूं कि उसको न्याय पर बैठने का कोई हक नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं ।

माननीय मंत्रीजी, मैंने आपको एक बात मेरी पंचायत समिति, मेरे गांव के आदमी, सरपंच के खिलाफ भी मैंने आपको कहा कि देखिये, 55 हजार रुपये दो दिन में एक सरपंच निकाल कर खा गया। माननीय मंत्रीजी, जांच करवाइये, नो-डाउट, पर मैं बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कि 55 हजार रुपये केवल दो दिन के अन्दर वाउचर बनाकर और 55 हजार रुपये जनता जल योजना के पैसे एक सरपंच खा गया और 41 हजार रुपये जलग्रहण के निकाल कर, एक लाख रुपये तीन दिन में खा गया। मुझे इस बात की शर्म आती है। जांच की जरूरत है। मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों की जांच सात दिन में करवानी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ में चाहे कोई भी हो, उसको रियायत नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों को बख्शते हो तो इस हिन्दुस्तान की जो कमजोरी का जो पर्दाफाश हुआ है, इसका कारण यह है, आज गरीब का बेटा ही गरीब क्यों बनता जा रहा है? आज हिन्दुस्तान का जो सपना सुभाषचन्द्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह जैसे लोगों ने इस देश को आजादी दिलायी थी, उनका इस बात का सपना था कि देश को आजादी मिलेगी, देश का गरीब आदमी प्रजातंत्र से जुड़ेगा, न्याय मिलेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों का रास्ता खुलेगा लेकिन आज गरीब किसान का बेटा अन्न पैदा करता है। गर्मी में उसको निकालता है। सर्दी में उसको पैदा करता है और जब उसका बेटा मां से रोटी मांगता है तो मां उसको थप्पड़ मारती है। बेटा सो जाता है। मां बोलती है, क्यों सो गया। वह कहता है, मां मुझे रात को क्यों पीटा? बेटा, रात को आटा नहीं था इसलिए शर्म के मारे थप्पड़ मार कर सुलाना पड़ा। लानत है इस हिन्दुस्तान की आजादी के पचास साल के बाद, 57 साल के बाद गरीब का बेटा रोटी की जगह थप्पड़ खाता है और हमारे नेताओं के कुत्ते केक और बिस्कुट खा कर सोते हैं। मुझे इस बात की पीड़ा है। दर्द है। मुझे इस बात का और आज इस भ्रष्टाचार पर जब मैं जाना चाहता हूं, इस भ्रष्टाचार को जब तक माननीय सभापति महोदय, दूर नहीं किया जाएगा, चाहे

(श्री श्रवण कुमार)

बी.जे.पी. की सरकार आये, चाहे कांग्रेस की सरकार आये, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार आये, इस भ्रष्टाचार पर जब तक अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो मैं समझता हूं कि इस राज्य की जनता को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिल सकता। आज जनता जल योजना चल रही है। इसका 21 परसेंट पैसा काम में लिया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

घंटी बजा रहे हो क्या? चलने दो साहब। आज राजस्थान में जो जनता जल योजना का पैसा है, 21 परसेंट काम में आता है। जलग्रहण की जो स्कीम्स हैं उसमें भी ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आपके रिकमण्डेशन की जरूरत नहीं है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): माननीय सभापति महोदय, यह बहुत कह रहे हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप कहें जब कह देना।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष महोदय, सुनें मेरी बात आप। एक मिनट सुनें तो सही। मेरा एक निवेदन तो सुन लीजिए आप। ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हां, बोलो-बोलो। ... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): वाजिब बात है वह साहब।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): लेकिन दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, आप अपनी सीट पर आकर बोलिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): मेरी सीट यह रही। मेरी सीट है। यह है। आ जाओ इधर, दिखाऊं, आओ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हां, बोलो-बोलो, क्या बात है?

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): आपकी चिंता बहुत वाजिब है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1998 में जब मैं चुनाव लड़कर आया तो निर्दलीय विधायक था। मैं उधर बैठा था। माननीय अशोकजी गहलोत यहां पर मुख्य मंत्री थे। उन्होंने अपने सारे मंत्रियों और विधायकों को हिदायत दी कि आप सब अपनी-अपनी सम्पत्तियों का ब्यौरा देंगे।

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

पांच साल निकल गये। माननीय सभापति महोदय, मगर इन्होंने, सरकार के मंत्रियों ने, इनके मुख्य मंत्रियों ने, इनके विधायकों ने

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): सम्पत्ति है कहां? सम्पत्ति है ही कहां? सम्पत्ति कहां है? सम्पत्ति तो हम ही हैं अपने आप में।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): यहां पर यह बैठे हुए थे, इन्होंने खुद ने ब्यौरा नहीं दिया।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): क्या ब्यौरा देते?

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): आज आप चिन्ता कर रहे हो भ्रष्टाचार की। यह बिलकुल सही है कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए मगर आप बताइये कि पिछले पांच साल में जब आप सत्ता में थे तब आपने भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास किया? क्या आपने अपनी सम्पत्तियों का ब्यौरा दिया?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय सदस्य, याद रखिये कि मैं सदस्य हूं। मैं भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाना चाहता हूं और मैं कहता हूं कि 25 साल के राजनीतिक जीवन में कोई आदमी मेरे क्षेत्र में जाकर, पूरे राजस्थान की धरती को चैलेंज करूंगा, तो एक चैंलेंज तो मैं यह कर रहा हूं ... (व्यवधान)

(समय : 15.44 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं आज ही करता हूं ... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं आज ही एक बात का चैलेंज करता हूं। माननीय सदस्य, मेरी पुत्र वधू प्रधान है, मैं खुद प्रधान रहा हूं, सरपंच रहा हूं, तीसरी बार एम.एल.ए. रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब बोलो आप।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं आज भी कहता हूं कि राजस्थान की धरती पर कोई आदमी एक भी ... (व्यवधान) कर देगा तो मैं राजनीतिक

(श्री श्रवण कुमार)

जीवन से इस्तीफा दे दूंगा। क्या बात करते हो आप। मैं आज? भी कहता हूं। मैं आज भी एक बात कहना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप भड़का रहे हैं क्या उनको?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मैं माननीय सदस्यों को इस बात की चिन्ता प्रगट कर रहा हूं कि आज पी.एच.ई.डी. के ऊपर, आज पी.एच.ई.डी. में आपने बहुत सुधार किया है पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी पी.एच.ई.डी. की मैंने आपसे छह महीने पूर्व एक फर्जी फैक्ट्री जो ठप्पा लगाकर पाइप बेच रही थी। अजी, क्या बात कर रहे हो? हैलो, अजी बाड़मेर से, क्या दिन भर बातें करते रहते हो, हेमारामजी की बातें ही खतम नहीं होतीं।

श्री अध्यक्ष: आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गये हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अब आते ही आपने।

श्री अध्यक्ष: आज 6 बजे मुख्य मंत्रीजी का है। 15 मिनट हो गये। आपके तीन-चार और बाकी हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अभी एक माननीय सदस्य आधे घंटे बोले जब तो कोई नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष: आज 6 बजे मुख्य मंत्रीजी का है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मुझे पहले ही मालूम था कि आप आओगे। I know. मुझे मालूम था कि आप आओगे पर but what can I do? मैं यह कहना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको 15 मिनट का समय दिया इसीलिए मैं नहीं आयी। इसीलिए नहीं आयी हूं। ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आज पी.एच.ई.डी. ने एक कम्पनी को, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से छह महीने पहले मैंने चीफ सैक्रेटरी को कहकर और सैक्रेटरी को कहकर एक कम्पनी फर्जी ठप्पे लगाकर इस वी.के.आई. में पाइप बेच रही थी। मैंने तीन ट्रकों को जब्त करवाया और मैंने कहा कि यह फर्जी कम्पनी है। पूरी जांच करो। माना कि यह फर्जी कम्पनी है लेकिन आज तक उस फर्जी कम्पनी को पाइप दुबारा बेचने का मौका दिया जा रहा है और कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे इस बात की पीड़ा है। 30 परसेंट

(श्री श्रवण कुमार)

छीजत इस राजस्थान के बजट के, आज जो जितना आपने कल पास किया, मुझे खुशी हुई कि आपने बजट का आकार बढ़ा दिया, बजट क्या, आपने तो सब कुछ बढ़ा दिया पर आपने बजट का आकार तो बढ़ा दिया पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर उस पर नियंत्रण नहीं लगाया आपने, इस बात की पीड़ा है। आज पी.एच.ई.डी. की बात करें। मैं राजेन्द्रजी को कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान की सड़कों के पास लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। चाहे जब वे सड़क को खोद कर पाइप निकाल लेते हैं। चाहे जहां पर ब्रेकर लगा देते हैं। क्या इससे सड़कों की गुणवत्ता रह जाएगी ? क्या आपने बी.ओ.टी. से सडकें बनायीं, 14 परसेंट वह बना दी, अब उसका 10 परसेंट आप और बढ़ाने जा रहे हो। आपने किसान को लूटने का साधन तो बना दिया पर आप यह बताइये कि जिसके ऊपर ब्रेकर बना दिया जो अपने आप चलते-चलते रात को 12 बजे पाइप फोड़ कर सड़क फोड़ कर पाइप डाल दिया, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आएगा, पता नहीं वह बंगाल से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, उसको मालूम नहीं है कि अगली जगह पर खड्डा है क्या, उसका ट्रक गिरेगा, गाड़ी गिरेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा तो यह किसी को ध्यान नहीं है। किसी जे.ईएन. ने, माननीय मंत्री महोदय, आप बताइये, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में कितने ऐसे केस बने हैं जो सड़कों को तोड़ा गया हो, उनके खिलाफ केस बनाया हो। जो सड़क के पास अतिक्रमण किया हो, उनका केस बनाया हो, इस बात की बहुत सारी खामियां हैं। चाहे आपके स्वायत्त शासन मंत्री की तरफ आप जाइये। स्वायत्त शासन मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके बगड़ में 3 लाख 57 हजार रुपये का आडिट पैरा बनाया है और एक बात अखबारों में भी आयी है कि लाखों के गबन में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं। आज कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं। 3 लाख रुपये खा गया अगर उसकी विस्तृत जांच करवायी जाए तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 लाख रुपये का घोटाला है।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): कहां है?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यह बगड़ का है। माननीय अध्यक्ष महोदय का क्षेत्र है। मुझे इस बात की पीड़ा है। एक बगड़ का ही नहीं बताना चाहता हूं, प्रत्येक नगर पालिका में जनरल आडिट करवायी जाए, पंचायत समितियों का आडिट करवाइये जनरल तो यह भ्रष्टाचार का भण्डा अपने आप

(श्री श्रवण कुमार)

ही फूट जाएगा पर करवाने की कोई इच्छाशक्ति तो रखें। तीन साल तक यह बातें ही करते रहे कि कांग्रेस ने क्या किया, बी.जे.पी. ने क्या किया। क्या इस हाउस के अन्दर बदमाशी करने के लिए थोड़े ही आते हैं? आधा समय तो महावीरजी खतम कर देते हैं और आधा हम जैसे खतम कर देते हैं। पूरा समय खराब हो जाता है। मैं चाहता हूं कि 5 करोड़ 70 लाख जनता इस बात की ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या बात करते हो महावीरजी के लिए ?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): 5 करोड़ 70 लाख जनता इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि राजस्थान के 200 विधायक हमारे लिए क्या फैसला करेंगे? आपने फैसला करने की सोची है? बजट अच्छा पास भी कर दिया, वाहवाही खूब लूटते हो पर इम्प्लीमेंट अच्छे ढंग से नहीं होता है। चाहे कहीं भी जाए इसका आज गांवों में आप देखिये। रेवेन्यू मंत्रीजी बड़े सक्षम हैं। बड़े खुश हो रहे हैं पर मैं बताना चाहता हूं कि आपने, पहले हमारी रेवेन्यू मंत्री कौन थी? कमलाजी थीं। बोलते हैं कि कमलाजी से बड़ी इंटलीजेंट राजस्थान में कोई महिला नहीं है और अब कहते हैं कि रामनारायणजी से इंटलीजेंट कोई चौधरी नहीं है। पर आपने देखा कि आपके झुंन्झुनूं के अन्दर क्या हालत है? एक-एक किसान, चालीस-चालीस बीघा में उसने सरसों बो रखी है, उसका कोई सुधार नहीं है। न उसका कोई नियंत्रण है। एस.डी.एम. को टेलीफोन किया जाता है तो एस.डी.एम. कहे कि बी.जे.पी. के लीडर का टेलीफोन आ गया। मैं तो क्या कर सकता हूं? निहत्था हो जाता है। मैं कहता हूं कि चाहे कांग्रेस का हो और चाहे बी.जे.पी. का हो, आप राजस्थान की गरीब जनता के साथ जो अन्याय बी.जे.पी. कर रही है वह अन्याय है और चाहे कांग्रेस कर रही है वह भी अन्याय है। मैं कोई इनका दामन साफ नहीं बताना चाहता हूं पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी कोई अन्याय करता है वह अन्याय है। हां, करते हैं। जंगल में पक्षी अनेक होते हैं पर सबका ठिकाना एक होता है। जंगल में शिकारी अनेक होते हैं पर सबका निशाना एक होता है। भाषा अलग-अलग होती है पर तराना एक होता है। दिल में हो प्यार तो जमाना एक होता है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान की जनता के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह समय दो साल तीन महीने निकल गये हैं और केवल आपके सामने दो साल और हैं। आप कुछ करना चाहते हैं तो करिये वरना उसके बाद जनता इस बात

(श्री श्रवण कुमार)

को,... (व्यवधान) अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि मैं पंचायती-राज के बारे में सब कुछ जानता हूं। मैंने कहा कि रामस्वरूपजी भी सब कुछ जानते थे। तुम्हारा 25 साल बाद दुबारा नम्बर एण्ट्री होने पर आयी है अगर ज्यादा ज्ञान बांटोगे तो लोग पकड़ लेंगे। बैठ जाओ आप। आप बैठ जाओ, सुन लीजिए। ... (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप माननीय सदस्य, आप इसको ही ज्ञान कहते हैं? आपकी पार्टी की खुद ही बुराई कर रहे हो। आपको कुछ कहना आता नहीं है। आपको पता है क्या कि आप क्या कह रहे हो?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप तो सब पार्टियों में घूमकर आ गये हो। यह लास्ट पार्टी है। मैं कहना यह कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान की धरती पर।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): आपको पता नहीं, आप क्या कह रहे हो, आप प्रशंसा कर रहे हो इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ऐसा हम इस बात को कहना चाहते हैं कि आपका समय दो साल है, मैं नहीं कहता आपका दोहरा समय नहीं आयेगा, जनता करेगी फैसला तो पर दो साल और छह महीने में आपको जनता के हित में चाहे अतिक्रमण हो, चाहे पंचायती राज का हो, चाहे पी.एच.ई.डी का हो, चाहे पी.डब्ल्यू.डी. का हो, कोई भी डिपार्टमेंट का हो, इस भ्रष्टाचार पर जिस तरह समस्त विधायकों ने जल के ऊपर सहमति करके एक प्रस्ताव पास किया था, उस बात की खुशी हमने जाहिर की थी। आज प्रत्येक सदस्य को इस बात की खुशी जाहिर करना चाहूंगा कि 200 सदस्य इस बात के लिये प्रस्ताव पास करें कि भ्रष्टाचार करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। चाहे वह एम.एल.ए. का भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे भतीजा हो, चाहे बड़े से बड़ा आफिसर हो, इस बात की आप व्यवस्था करोगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने समय दिया और मेरी बात सुनी और आपने टोका-टोकी नहीं की, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। आज इस सर्वोच्च सदन में एप्रोप्रियेशन

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

बिल और फाइनेंस बिल पर चर्चा हो रही है। आज ज्यों ही यह बिल पास हो जायेगा इसके बाद सरकार को खजाने से पैसे निकालने का अधिकार मिल जायेगा और फाइनेंस बिल पास होने पर कर वसूल करने का अधिकार कानून सम्मत मिल जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पिछले एक महीने से बजट पर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, डिमाण्ड्स पर चर्चा सभी माननीय सदस्यों ने की। हम लोगों ने सरकार की प्रशंसायें कीं, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दिया और जहां-जहां अच्छी बातें थीं, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी हम लोगों की, सरकार का गुणगान किया और उनको धन्यवाद दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज 54वां स्थापना दिवस है, देश को आजाद हुए इतने साल हो गये। आज राजस्थान के लोगों की हालत अपन से छिपी हुई नहीं है। आज सर्वोच्च सदन में 80 प्रतिशत माननीय सदस्य ग्रामीण परिवेश से चुनकर आते हैं। गांव के हालात क्या हैं, कृषकों के हालात क्या हैं, ग्रामीण दस्तकारों के हालात क्या हैं, जो गांव की व्यवस्था है उसकी क्या हालत है यह किसी से छिपी हुई नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर गांव सम्बल होगा तो यह प्रदेश सम्बल होगा। मैं तो पहले धन्यवाद देता हूं उनको कि आज से 40 साल पहले जिन्होंने भाखड़ा-नांगल बांध बनाया। हिन्दुस्तान का असली कोई मंदिर है तो भाखड़ा-नांगल हैं जिसने आज इस प्रदेश और देश को दिशा दी और जीवन के उस स्तर को सुधारने का काम किया है। आज 54 साल की आजादी में 40 साल कांग्रेस ने शासन किया। मैं यह नहीं कहता कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने भी इस राजस्थान को आगे लाने के लिये कुछ किया है और हमारा शासन भी 15-16 साल से राजस्थान में है। आज 57 साल की आजादी के बाद भी आज हम यह कहते हैं कि पीने का पानी नहीं है और आज भी अपन कहते हैं कि रोड नहीं है। आज भी शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन की बात करते हैं और आज भी जो भी गांव की समस्याएं हैं उनको अपन इस सदन में गिनाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज तक सरकारें बनीं 40 साल तक तो कांग्रेस की सरकार इसलिये रही कि विरोधी पार्टी थी नहीं उस समय, इसलिये लोग कांग्रेस को ही वोट देते थे इसलिये वह मनमर्जी से जो भी करना था, वह करते थे। बाद में लोगों को लगा कि कांग्रेस पार्टी के अलावा विकल्प के रूप में भारत में जनता पार्टी है तो जनता पार्टी को एक बार वोट देकर जिताया। ढ़ाई साल तक उन्होंने शासन किया। बाद में

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

उनका बिखराव हो गया और बाद में वापस लोगों ने देखा कि नहीं दूसरी कोई पार्टियां काम की नहीं है और कांग्रेस ही राज कर सकती है तो कांग्रेस को वापस जिताया। मेरा निवेदन करने का तात्पर्य यह है अध्यक्ष महोदय, आज दिन तक वोट जो मिले हैं 40 साल तक तो इनको मिल गये, बाद में जो वोट मिलना शुरू हुए वह नेगेटिव वोटों के ऊपर सरकारें बनती आ रही हैं। जो भी बीजेपी की सरकार बनती, अगली बार देखते हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया तो कांग्रेस को वोट दे दिया। कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया तो बीजेपी को वोट दिया। यह पहली बार है माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ढ़ाई साल के शासन में इन्होंने एक ऐसी दिशा इस राजस्थान को देने की कोशिश की है जिसके आधार पर इस राजस्थान की जनता को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को दुबारा पोजिटिव वोट देकर जितायें जिससे कि आने वाले भविष्य में राजस्थान तरक्की के शिखर पर पहुंचे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं महिला सशक्तिकरण, बेरोजगार छात्रों को रोजगार देने के लिये, लघु उद्योगों के लिये, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये, आज शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय काम करने की चेष्टा की है जिससे राजस्थान की जनता को फायदा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, यह सब चीजें तो राजस्थान में राज करने वालों को करना ही पड़ता है परन्तु सबसे अहम बिन्दु जो हमारे सामने है वह है कि राजस्थान की 80 प्रतिशत जनसंख्या जो गांवों में निवास करती है, उनका जीवन स्तर किस प्रकार से ऊपर उठाया जावे। आज गरीब-गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर होता जा रहा है। और जो आज पैसे वाला है, जो जितना बड़ा आदमी है उतना ही बड़ा चोर साबित हो रहा है तो इसके बारे में अपन को बैठकर सदन में चिन्तन करना पड़ेगा कि आज जो काश्तकार गरीब आदमी है उसकी फसल के क्या हालात हैं। आज वह काश्तकार अपनी फसल की बुवाई कर रहा है जिस समय फसल बोता है उस समय क्या हालात होते हैं। आज हालत यह है कि काश्तकार जितना दुःखी कोई इंसान हो ही नहीं सकता। इसके बारे में अपन कोई चिन्ता नहीं करते। अपन को इस बात की चिन्ता करनी पड़ेगी कि आज 55 साल की आजादी के बाद में काश्तकार की स्थिति में थोड़ा बहुत भी सुधार हुआ है क्या? आज काश्तकार के पास में जाओ तो पानी का जल स्तर नीचे

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

चला गया। पानी थोड़ा बहुत है तो फ्लोराइडयुक्त है, पानी भी ऐसा है तो बीज ऐसा है, बीज निगम वालों ने खराब दे दिया तो फसल खराब हो गयी । अगर काश्तकार के पास में पानी है, बीज है, फसल की बुवाई कर दी, अगर फसल पकने लगी तो ओलावृष्टि हो गयी, अतिवृष्टि हो गयी और बारानी फसल में काल पड़ गया। 50-55 साल की आबादी में 40 साल अकाल के काश्तकारों ने देखे हैं। अपन लोगों को इस बात की चिन्ता करनी पड़ेगी कि काश्तकार का जीवन स्तर किस प्रकार से सुधर सकता है। काश्तकार का जीवन स्तर सुधारने के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला काम उनके पशुपालन में योगदान करना पड़ेगा। अगर पशुपालन में काश्तकार आगे बढ़ सकता है तो अपन लोगों को सोचना चाहिये कि काश्तकार को अच्छे मवेशी पालने के लिये उनको लोन की सुविधा देनी पड़ेगी ।

जैसा डेगाना से आने वाले माननीय रिछपाल मिर्धा जी ने कहा, आज पशुपालन की स्थिति क्या है? आज अपन लोगों ने एक कानून बना दिया, कानून बनाकर यह कह दिया कि तीन साल का बछड़ा है, इस बछड़े को बाहर नहीं ले जा सकते। अब आपको कम से कम इस बात का चिन्तन करना पड़ेगा कि वह बछड़ा जो दस हजार का है, एक हजार रुपये में कटने में जाएगा तो वह बेचेगा क्या? आज गांवों में काश्तकार इतने दुःखी हो गये हैं उन पशुओं के कारण कि वह बेच ही नहीं सकते हैं, न उनके कोई खरीददार हैं और दो जनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं । एक तो जिसके घर में बछड़ा पैदा हुआ है उसके घर में फालतू खड़ा है और दिन को बाहर निकल जाये तो दूसरे की फसल को खराब करता है, कोई उसका धणी-धोरी नहीं । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस बारे में चिन्तन करना पड़ेगा और मैं तो यह मानता हूं कि यह बहुत बड़ी साजिश है काश्तकारों को बर्बाद करने की, काश्तकारों के जीवन स्तर को खराब करने की कि इस प्रकार का बिल लाकर काश्तकार के जीवन स्तर को डुबाने का काम आज किया है। आज मैं बताता हूं कि अध्यक्ष महोदय, कि तीन साल का बछड़ा, मैं खुद काश्तकार हूं, मुझे पता है कि नागौर के मेले में ऐसे-ऐसे बैल लेकर आते थे कि लोग उन पर नजरें टिकाते थे और आज उन बैलों की हालत यह है कि कोई खरीददार ही नहीं है तो काश्तकार का जीवन स्तर किस प्रकार से सुधरेगा? अपन लोगों को सदन में बैठकर चिन्तन करना पड़ेगा । आज अध्यक्ष महोदय, काश्तकार जहां पानी नहीं है, अपन को पता है कि पीने का पानी भी नहीं रहा है तो वह सड़क के बिना तो रह सकता है,

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

आज दूसरी योजनाओं के बिना तो रह सकता है, परन्तु जो 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है और काश्त पर निर्भर है, उनको किस प्रकार से जिस प्रकार भाखड़ा–नांगल बांध का पानी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में मुहैया करवाया गया पेयजल के लिये, उसी प्रकार ऐसी योजनाएं बनायें जिससे कम से कम जो जमीन खाली पड़ी है, उसमें पानी आये और काश्तकार खुशहाल हो । अगर काश्तकार खुशहाल होगा तो यह देश

(समय : 16.00 बजे)

खुशहाल होगा। और काश्तकार दुःखी होगा तो यह देश दुःखी हो जायेगा। मुझे आज इस बात को सदन में कहते हुए कोई शर्म नहीं है और कोई संकोच नहीं है कि 54 साल की शांति अब कहीं ऐसा नहीं हो कि 60 साल की क्रांति में परिवर्तित नहीं हो जाए और लोग मरने-मारने पर उतारु नहीं हो जाएं।

आज जो स्थिति काश्तकार की है, मैं कहता हूं कि कोई भी काश्तकार हो, चाहे कितना भी बड़ा काश्तकार है उसकी हालत यह है कि पांच लाख की पैदावार हो गयी तो वो कहेगा कि दस लाख का मुझे देना रहा है। दस लाख की पैदावार हो गयी तो वह कहेगा कि मुझे पांच लाख देने रहे हैं, कोई काश्तकार छाती ठोक कर यह नहीं कह सकता है कि कमरे पास में पैसा का इतना प्रबन्ध हो गया है और मैं सुखी हूं। तो मेरा निवेदन है कि काश्तकार को सुखी करने के लिए एक तो पशु पालक पर ध्यान देना पड़ेगा और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को, उन्होंने पशु पालक कल्याण बोर्ड का गठन किया है। इस प्रकार से पशु पालक कल्याण बोर्ड की स्थापना की है तो पशु पालकों के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करेंगे जब ही जाकर काश्तकार का भला होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गांवों में लोगों के पास रोजगार नहीं है। ग्रामीण दस्तकार हैं, आज कोई दर्जी का, कोई खाती का, कोई नाई का, कोई खेती का काम करने वाला था, कोई छोटी-मोटी लकड़ी का काम करने वाला था। आज स्थिति यह हो गयी कि मशीनी युग हो गया, कम्प्युटर युग हो गया आधुनिक युग आ गया और उन बेचारों की हालत यह है कि उनका कोई माल खरीदते ही नहीं और उनके माल की कोई क्वालिटी ही नहीं है। इसलिए वो मात्र दस-दस, बीस-बीस, पचास-पचास रुपये के लिए मोहताज हैं तो अपन लोगों को इस बात का चिन्तन करना पड़ेगा कि उन दस्तकारों का किस प्रकार से जीवन स्तर ऊपर उठे, इसके लिए भी अपन लोगों को चिन्तन करना पड़ेगा और उनके भले के लिए कोई काम करना पड़ेगा।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मान्नीय अध्यक्ष महोदय, आज हालात क्या हैं, आज अपने राजस्थान के इन्कम के सोर्स हैं, जैसे खनिज है, पर्यटन है, जैसे उद्योग है आज अपन लोगों को इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि जो आज लघु उद्योग लगा रहे हैं, जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं उनको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं और छोटे-छोटे बेचारे गरीब हैं उनको अपन लघु उद्योग लगाने के लिए सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। तो अपन लोगों को चिन्तन करना पड़ेगा कि काश्त के अलावा उन काश्तकारों के बच्चे जो होनहार हैं, जो पढ़े-लिखे हैं, जिनको अपन रोजगार नहीं दे सकते हैं उनको लघु उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। और उनको कुछ न कुछ अनुदान देकर के और एक ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे कि वह कम से कम अपनी रोजी-रोटी का पालन कर सके और अपने जीवन स्तर को सुधार सके।

आज गांवों के अन्दर कृषि आधारित उद्योग है जैसे कपास की जीनिंग फैक्ट्री है, जैसे सरसों पीसने की फैक्ट्री है, जैसे रंगाई-छपाई के उद्योग हैं, जैसे अपने कारपेंटर की छोटी-मोटी मशीनें हैं, अपने वह लकड़ी के फर्मे वगैरह बनाते हैं, ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे उद्योग हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करेंगे तो अपन को दो तरह से फायदा मिलेगा। एक तो गांव के गरीबों को रोजगार मिलेगा और दूसरा गांव की, देश की, प्रदेश की इकानामी सुधरेगी और अपने पास रोजगार के जो साधन सीमित हैं उन साधनों में से जो अपने होनहार हैं, पढ़े-लिखे हैं आई.आई.टी. के उनको ही अपन लोग नौकरी नहीं लगा सकते तो इनको कहां लगा सकते हैं। यह भी अपन लोगों को फायदा मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करता हूं कि आज पयर्टन उद्योग है, पर्यटन उद्योग की विपुल संभावनाएं हैं प्रदेश के अन्दर, आज पर्यटन को जितना विकसित कर सकते हैं, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को, इन्होंने 54 करोड़ रुपये का बजट पर्यटन के विकास के लिए रखा है तो मेरा निवेदन तो इतना ही है कि जब पर्यटन में जैसे लोगबाग आते हैं तो जिस प्रकार से पर्यटक बाहर से आकर्षित हो रहे हैं, कहां-कहां आकर्षित हो रहे हैं कहां-कहां पर्यटन का विपुल भण्डार है, उन क्षेत्रों को अपन को विकसित करना चाहिए। उनका एडवरटाइजमेंट करना चाहिए और उनको किस प्रकार से भारत के ही नक्शे में नहीं पूरे वर्ल्ड के नक्शे में लाया जाए जिससे पर्यटक उसकी ओर आकर्षित हों। अभी मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य, श्री विष्णु मोदी ने कहा कि होटलों की कमी है तो अपन लोगों को इस प्रकार

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि होटलों में कमरों की कमी है और जो होटल हैं वह लूट रहे हैं। तो अपन लोगों को एक ऐसा प्लान बना कर के जो शहर के अन्दर पाश इलाके में रहते हैं और उनके मकान खाली पड़े हैं तो उन मकानों में किस प्रकार पर्यटकों को रखा जा सकता है, जिस प्रकार बीकानेर में वह व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था अपन जयपुर शहर में भी करें, उदयपुर में भी करें और जैसलमेर में भी करेंगे तो पर्यटक आकर्षित होंगे और उनकी भी इन्कम होगी और पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। और जिस प्रकार से अनाप-शनाप उनको पैसा देना पड़ता है वह पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। इस तरफ भी अपन लोगों को ध्यान देना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं कहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत आमूलचूल व्यवस्थाएं की हैं, स्कूलें खोली हैं, अपन ने सर्व शिक्षा के तहत कमरों का निर्माण भी किया है पर अपन लोगों ने कभी इस बात का चिन्तन किया है कि आज देश के अन्दर मैकाले की शिक्षा पद्धति, आज हिप्पोक्रेट की चिकित्सा पद्धति चलती है और डिवाइड एण्ड रूल की कर्जन की राजनीति इस प्रकार देश के अन्दर हावी हो रही है। आज जो शिक्षा पा रहा है उसको खुद को विश्वास नहीं है कि मैं शिक्षा प्राप्त करके किसी व्यवसाय में लग जाऊंगा तो जब तक व्यावसायोन्मुखि शिक्षा नहीं होगी जब तक इस देश का, प्रदेश का भला नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो परिपाटी से मैकाल की शिक्षा चली आ रही है उस शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करके ऐसे बच्चों को संस्कारयुक्त शिक्षा दी जाए, ऐसी नैतिक शिक्षा दी जाए, ऐसी अनुशासनप्रिय व्यावसायिक शिक्षा दी जाए जिससे अपने जीवन स्तर को सुधार सके और अपना कुछ भला करके अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके तब तो शिक्षा में पढ़ाना ही भला होगा और शिक्षा देना भी सार्थक होगा।

आज अपन ने स्कूलें खोल दीं, आज स्कूलों में हालात क्या हैं? कभी अपन ने इसके बारे में चिन्तन किया होगा? आज जहां दस बच्चे हैं वहां दस मास्टर लगे हुए हैं और जहां 500 बच्चे हैं वहां दस मास्टर नहीं हैं, वहां पांच मास्टर भी नहीं हैं। हालात यह हैं कि गांवों में पैराटीचर लगा दिये जो आठवीं पास बच्चा है वह गांव के गरीब और सुदूर एरिया में रहने वाले हैं उन बच्चों का क्या भला करेगा, खुद ही इल्लीट्रेट है, आठवीं पास है और अपन कहते हैं कि, साहब, इसको कॉमन सैंस नहीं है। जिसमें सैंस ही नहीं होगा उसमें कामन

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

सैंस कहां से आयेगा? कामन सैंस तो जब आयेगा जब उसको सैंस होगा। तो आठवीं पास वाला बच्चा उस बच्चे को क्या पढ़ायेगा और क्या आगे बढ़कर वो भला करेगा? इसके बारे में अपन लोगों को चिन्तन करना पड़ेगा। समानीकरण की व्यवस्था कर के गांव के अन्दर ऐसी व्यवस्था करें कि वहां बच्चों की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से मास्टरों को लगाया जाए जिससे वो मास्टर पढ़ाये और लोगों को लगे कि हमारे यहां स्कूल खुली है।

माननीय मंत्री महोदय, एक मेरा निवेदन है कि आप लोगों को एक सोचना चाहिए कि गांव की पंचायत मुख्यालय है वहां पर दसवीं स्कूल जरूर हो जिससे कि बच्चे और बच्चियां पढ़ सकें। एक अपन कहते हैं कि अपन प्रदेश को शिक्षित करना चाहते हैं, 61 परसेंट साक्षर हो गये और गांवों के अन्दर पांचवी ही स्कूल है। आज बच्चे पांचवीं पास कर के छोटे-छोटे बच्चे आठवीं में कहां जायेंगे? आठवीं आपने पांच हजार खोलने का निर्णय किया, यह धन्यवाद देता हूं आपको और अब अगले बजट में या इसी बजट में ऐसी व्यवस्था करें कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर दसवीं स्कूल हो जिससे कि बच्चे और बच्चियां पढ़ कर आगे जाकर के व्यवस्था करें।

मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने बच्चियों की किताबें मुफ्त कीं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बार 27 करोड़ का बजट दसवीं और बारहवीं के भवनों का निर्माण के लिए रखा, धन्यवाद देता हूं कि आपने स्कूलों में पांच हजार मिडल स्कूल खोलने की व्यवस्था की है। तो इसके बारे में तो धन्यवाद देना हो धन्यवाद देते हैं पर जो अव्यवस्था है उसको भी आपको सुधारना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आज चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा पद्धति में क्या है? अपन लोग बातें करते हैं कि हमने इतने हास्पिटल खोल दिये, इतने सब-सेण्टर खोल दिये पर गांव के हालात क्या हैं, अपन लोगों ने इसके बारे में कभी चिन्तन किया क्या? गांव के हालात यह हैं कि गांव का जो गरीब आदमी है, जो 80 परसेंट ढाणियों पर गांवों में निवास कर रहा है वह बेचारा किस बीमारी से ग्रसित है, या तो एनासीन लेगा या सैरीडोन लेगा या कोई ऐसी बोली लेगा जिससे माथा हल्का हो जाए और बुखार आ गया तो बुखार हल्का हो जाए, वह हास्पिटल तक जाता ही नहीं है और हास्पिटल में डाक्टर महीने में सात दिन आकर अटेंडेंस मारकर के चला जाता है और उनको

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

यही पता नहीं है कि बीमारी कौनसी है। आज कभी भोपे के पास जायेगा, झाड़ा कराकर के अपना इलाज करायेगा तो अपन लोगों को इसके बारे में चिन्तन करना पड़ेगा कि गांव के हालात क्या हैं और किस हालत के आधार पर किस प्रकार से अपन व्यवस्था करें जिससे कि गांव वाले जाग्रत हों और जो बीमारियां हैं उनसे बचें। आज मैं बताता हूं आपको कि ऐसी-ऐसी बीमारियां हो गयीं, डाक्टर को पता नहीं। आज कैंसर की बीमारी है, आज ऐसी-ऐसी बीमारी है, ऐसी-ऐसी बीमारियों का जब तक अपन रिसर्च कर के उनके निराकरण के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे, एक दिन मैं हास्पिटल में गया और जाकर के देखा कि एक औरत थी, उसका किसी ने नाक काट दिया। उस नाक को सही कराने के लिए वह मेरे पास आयी कि, साहब, मेरा पांच बार आपरेशन कर दिया और मेरा इधर से भी काट दिया, इधर से भी काट दिया और अभी तक नाक नहीं जुड़ा। तो मतलब ऐसी व्यवस्था है, ऐसे जो डाक्टर्स हैं, इस प्रकार से घपलत करते हैं, इस प्रकार से गरीबों के साथ अन्याय करते हैं और सही उपचार नहीं करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए जिससे कि कम से कम दूसरे भी डरते रहें और सही न्याय मिले।

एक मैसेज की राजनीति होती है, राज चलता है हवा से चलता है, आज एक ट्रक लेते हैं बीस लाख लगते हैं और हवा एक रुपये की भराते हैं। हवा एक रुपये की निकाल दो और एक कदम भी चलाओ, इसी प्रकार राज की हवा एक रुपये की इतनी विशाल होती है अगर अन्यायी को, बदमाश को, बेइमान को यह पता लग जाए कि यह अन्याय ज्यों ही किया और राज को पता लग गया तो रगड़ कर रख देंगे तो कम से कम अन्याय पर अंकुश लगेगा। आज मैं बता दूं आपको कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती है अपराधी अपराधी है। आज अपन 200 इस सदन में बैठते हैं अपन लोगों का धर्म है कि कोई भी अपराधी है जब तक उसको मुंह पर अपराधी कहना नहीं सीखेंगे, चोर कहना नहीं सीखेंगे जब तक इस देश का और प्रदेश का भला नहीं हो सकता।

मैं आज आपको बड़े दुःख के साथ कहता हूं कि आज जो ला एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा होती है, आज जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है उसमें अहम रोल अपना भी होता है। ज्यों ही अपने पास आता है ज्यों ही।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत कम बोलता हूं और आप कहो तो मैं तो बैठ जाऊं। सभापति बना दिया और मैं तो खुद ही बैठता हूं तो मैं तो खुद ही एक मिनट भी नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: 19 मिनट बोल लिये आप, 19 मिनट। नाइन्टीन मिनट बोल लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): आज, माननीय अध्यक्ष महोदय, ला एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ती है ...

श्री अध्यक्ष: 6 बजे जवाब कराना है माननीय मुख्य मंत्री महोदय का।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): हैं? दो मिनट और बोलता हूं, आप कहो तो मैं तो बैठ जाऊं। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप कन्क्लूड कर दो अपने भाषण को। मिस्टर गोयल, यू कैन कन्क्लूड योर स्पीच। नहीं, कन्क्लूड योर स्पीच।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आज जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है इसके बारे में आपसे निवेदन करूंगा कि मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, फलाना आयोग इस प्रकार के आयोग बनाकर इस देश की जो प्रजातंत्र की व्यवस्था है उसके साथ मखौल है । न तो उनको अधिकार दिए। महिला आयोग बना दिया, वह रिपोर्ट बनाती हैं, रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेज देती हैं सरकार उसको इधर-उधर कर देती है । जब तक उसको अधिकार नहीं हो इस प्रकार के आयोग बनाने से मतलब क्या है । इसलिए उन आयोगों को सबको समाप्त करना चाहिए अगर आयोगों को समाप्त नहीं करें तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए उनको पूर्ण अधिकार देकर जो काम वह करें वह एग्जीक्यूट होना चाहिए तब ही जाकर वह सार्थक होगा।

आज मैं धन्यवाद देता हूं इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे शिवचरण जी माथुर, मैं उनको इतना धन्यवाद देता हूं उनकी रिपोर्ट को अगर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और राजस्थान की सरकार उनको एज इट इज लागू कर दे तो इस प्रदेश का भला हो जाएगा और आम जनता का भला हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट माननीय शिवचरण जी माथुर ने रखी है उस रिपोर्ट को एज इट इज लागू किया जाए, इस प्रदेश का विकास किया जाए, प्रदेश का भला किया जाए।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

आज इस अवसर पर मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा। आपने घंटी बजा दी इसलिए जो कुछ भी कहा है वह प्रदेश के हित में कहा है और आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़ ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने बहुत उपलब्धियां अर्जित कीं इस बारे में हमारे कई माननीय सदस्यों ने अपनी राय रखी वैसे उपलब्धियों के बारे में हमारा विपक्ष भी मानता है, यह लोग भी लोहा तो मानते हैं कि हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं। लेकिन सदन में कहने की इनकी हिम्मत नहीं है। गलियारे में जब मिलते हैं या ना पक्ष में मिलते हैं तब तो यह स्वीकार भी करते हैं । अभी विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य बोले तो मैं भी पैन लेकर के बैठा कि कुछ इनकी बातें ऐसी लिखूं जो यह आलोचना करें लेकिन आलोचना के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने केवल वह बातें कहीं जो इनकी सरकार ने गलतियां कीं थीं। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य बोले, पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य बोले लेकिन उन्होंने केवल उनके समय में जो कांग्रेस शासन ने गलतियां कीं वही वह दोहराते रहे, नाम भी लेते रहे कि हमने गलतियां कीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य किसान हित की बात कर रहे थे । यह घड़ियाली आंसू बहुत बहाते हैं, किसान हित की बात करते हैं अगर किसान के ऐसे हितैषी होते तो अपने समय में फसल बीमा क्यों नहीं लागू कर दिया। धन्यवाद देना चाहिए वसुन्धरा जी को जिन्होंने फसल बीमा भी लागू किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा अभी मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन था दिल्ली में जब प्रधानमंत्री के साथ में मुख्य मंत्री महोदय मिले, सभी मंत्रियों को इन्होंने तैयार किया और तैयार करके हिन्दुस्तान के कृषि मंत्री से आग्रह किया कि जो फसल बीमा में इकाई तहसील को माना गया है यह गलत है, निश्चित रूप से इकाई वह किसी की खुद की फसल होनी चाहिए और आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं यह वसुन्धरा जी सफल हुई कि इकाई ग्राम पंचायत को इकाई बनवाने में ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): रामसिंह जी कृषि मंत्री थे, मैं कृषि राज्य मंत्री था भले ही आप उठाकर के देख लें बीमा की योजना ...(व्यवधान) गलत बिलकुल ही ठोके जा रहे हैं ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अभी आपको जानकारी नहीं हो तो पता कर लो दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में वसुन्धराजी ने मुख्य मंत्रियों को तैयार किया और फसल बीमा की जो अभाव के आंकलन की जो इकाई है उनको ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीकार करवाया। इसके लिए भी आपको लोहा मानना पड़ेगा। आपने तो तहसील जब इकाई होगी आप कल्पना करें ..

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): यह आपकी सरकार ने नहीं माना। तहसील को माना था अब केन्द्र में हमारी सरकार है शरद पंवार जी ने यह कहा है हम पंचायतों को यूनिट मानेंगे आपने तो भट्ठा बैठा दिया था तहसील का कर दिया था।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन था सारे मुख्य मंत्रियों ने दबाव डाला तब जाकर के माना है पहले मानने को तैयार नहीं थे।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप तो सब काम दबाव से ही करवाते हो ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि ऋण ...(व्यवधान) आज किसान पीछे क्यों हैं यह बड़े हितैषी बनते हैं ...(व्यवधान) आप बैठे-बैठे मत बोलिए, कृपया खड़े होकर बोलना सीखें ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बीच में नहीं बोलें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप पुराने हैं पहले भी मंत्री रह चुके हैं लेकिन थोड़ी मर्यादा और पालन इनका भी करना सीखें। बैठे-बैठे बोलना ठीक नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह हितैषी होते तो किसानों को जो ऋण दिया जाता है पर ब्याज अधिक क्यों लगता है इस बारे में कभी चिन्ता की आपने? यदि कोई सेठ कर्जा लेता है, कोई कार खरीदता है तो उस पर तो ब्याज सात प्रतिशत छह प्रतिशत यहां तक कि और भी कम ब्याज में उनको कार मिल जाती है। लेकिन किसान यदि ट्रैक्टर खरीदता है तो 12,13,14 प्रतिशत ब्याज उसको देना पड़ता है। कभी आपने इस बारे में चिन्ता की है ? क्यों नहीं चिन्ता की आपने । यदि कोई सेठ साहूकार कर्जा लेता है और वह यदि घाटे में चला जाता है तो री सैटलमैंट उसका हो जाता है लेकिन हमारे किसान पर क्या होता है कभी आपने विचार किया है? उस पर कर्जा बढ़ता

(श्री मदन राठौड़)

जाता है। इतना कर्जा बढ़ जाता है कि वह अपनी फसल को वापस छुड़वा भी नहीं पाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल जब खराब हो जाए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसान को जब उसकी फसल बर्बाद हो जाए तो उस समय का उसकी जो किश्त है कर्जे की वह निश्चित रूप से स्थगित की जानी चाहिए यह मेरा सुझाव है । निश्चित रूप से किसान यदि ट्रैक्टर पर कर्जा लेता है तो उस पर ब्याज भी कम हो और जब अभाव हो जाए फसल बर्बाद हो तो उस काल खंड की किश्त भी माफ की जानी चाहिए।

आप आउट ले की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं । हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य भी बोल रहे थे मैं उन्हीं को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मेरे में कोई त्रुटि हो तो आप सुधारने की कोशिश करें। आपने 2002-03 में कृषि पर आउट ले रखा बारह करोड़ सत्रह लाख रुपया लेकिन हमने रखा 111 करोड़ 98 लाख रुपया, दस गुना अधिक है, कौन है किसान हितैषी जरा विचार करें आप। आपके पास आंकड़े हों तो आप भी इस बात को रख सकते हैं । सिंचाई और बांध के मामले में आपने 2002-03 में 713 करोड़ 75 लाख का प्रावधान रखा लेकिन हमने रखा 1446 करोड़ 96 लाख रुपए, कहां हैं आप किसान हितैषी, आप विचार करें । जलापूर्ति, सफाई और आवास के मामले में 2002-03 में आपने रखा 651 करोड़ 81 लाख रुपया हमने रखा 2453 करोड़ 73 लाख रुपया, किस प्रकार के आप किसान हितैषी होने की बात करते हैं । पूंजीगत व्यय में आपने रखा था 2002-03 में 2027 करोड़ 53 लाख, हमने रखा 5024 करोड़ सात लाख रुपया।

कल पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने तो गजब ही कर दिया महिला के बारे में जब बात चल रही थी महिला थानों की तो उन्होंने कहा कि आपने तो अबला को सबला नहीं बला बना दिया। किस प्रकार की भाषा का आप प्रयोग करते हैं महिलाओं के लिए, आप बला मानते हैं हो सकता है कि आपके घर में इस प्रकार की स्थिति रही हो आप उससे भुक्त भोगी जरूर रहे होंगे लेकिन महिला हित की बात करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं महिलाओं के स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान देश में प्रथम है यह हमें गर्व करना चाहिए इस बात पर, महिला शिक्षा के मामले में हम द्वितीय हैं और अभाव ग्रस्त जरूरत मंद महिलाओं के उनको सहयोग देने के मामले में हम हिन्दुस्तान में तृतीय स्थान पर हैं । आप

(श्री मदन राठौड़)

गर्व करो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि जिसने इस प्रकार की व्यवस्था की महिला शिक्षा के मामले में । महिलाओं के नाम पर सम्पत्ति रजिस्ट्रेशन के मामले में हमने कितना सुधार किया । आज महिलाएं निश्चित रूप से सबल बनी हैं । नौकरी के मामले में, उनको रोजगार देने के मामले में परित्यक्ताओं और विधवाओं को रोजगार देने के मामले में स्वयंसिद्धा योजना यह हमारी सरकार की देन है । आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं । किसान को यदि मजबूत करना है तो गांव को मजबूत करना पड़ेगा। आज गांव से कई लोग शहर की ओर भाग रहे हैं इसको रोकना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक व्यवस्था दी है दीनदयाल उपाध्याय योजना जिसके माध्यम से हम गांव में सब सुविधाएं देने वाले हैं जो आज शहर में उपलब्ध है । गांव में कम्प्यूटर भी मिलेगा, गांव में सब प्रकार की आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी । इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी हैं । हां, हो सकता है कि पहले प्रयोग में हमने पचास गांव लिए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से और अधिक गांवों को हम दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से सबल कर सकें तो निश्चित रूप से यह सार्थक रहेगा।

गांवों में आवास ऋण के लिए हमने व्यवस्था दी है यही नहीं घरोंदा योजना एक अभिनव योजना है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें सत्तर हजार रुपए में एक मकान बनेगा और 18 रुपया प्रतिदिन उससे किश्त वसूल की जाएगी । इस प्रकार की योजना कभी आपने नहीं सोची यह योजना हमारी सरकार की देन है और निश्चित रूप से इसमें जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान का सबसे बड़ा हितैषी है कोआपरेटिव बैंक लेकिन घड़ियाली आंसू बहा रहे विपक्ष के लोगों मैं इन्हीं से कहना चाहूंगा आपकी केन्द्र सरकार ने कोआपरेटिव पर टैक्स क्यों लगाया ? है कोई जवाब आपके पास में, कोई जवाब नहीं है यदि कोआपरेटिव पर टैक्स आपकी सरकार केन्द्र की सरकार ने लगाया है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा कोआपरेटिव बैंक्स पर और इसका असर पड़ेगा किसान पर। किसान पर अधिक ब्याज लगने वाला है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डी समिति के चुनाव इन्होंने

(श्री मदन राठौड़)

नहीं कराए नींद लिए बैठे थे इतने वर्षो तक । कितने वर्ष बीत गये कृषि उपज मण्डी के चुनाव कराने की घोषणा भी हमारी सरकार ने की है आपके पास में इसके लिए कोई जवाब नहीं है । आप बैठे-बैठे बोलने की कोशिश भी करो अब है तो कुछ बोलो कुछ, जबाव देने के लिए आपके पास में कुछ भी नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह डेयरी की बात कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आया यह हिण्डौली के माननीय सदस्य कौनसे चुनाव की बात कर रहे हैं राजस्थान में डेयरी के चुनाव हो चुके हैं । इनके यहां चुनाव नहीं हुए इन्होंने बदमाशी की, झगड़े टंटे किए इसलिए चुनाव नहीं हो पाए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने झगड़ा टंटा नहीं किया माननीय प्रहलाद जी गुंजल वहां चेयरमैन इनके भाई बनने वाले थे जो आपके दोनों संसदीय सचिवों ने मुख्य मंत्रीजी से मिलकर बहुमत उनके पास था वह चुनाव रुकवाए मैं तो यह कह रहा हूं मैं तो डेयरी में हूं ही नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह चुनाव की घोषणा भी हमने की। चुनाव करवाये। पूरे राजस्थान में चुनाव हुए हैं। हमारे यहां भी चुनाव हुआ। मैं गर्व से कहूंगा कि हमारे यहां चुनाव में डेयरी का अध्यक्ष भी हमारी पार्टी का व्यक्ति बना है।

यही नहीं, कापरेटिव के चुनाव कराने की भी घोषणा किसने की ? आप तो भागते रहे चुनाव से। डरते रहे हमेशा चुनाव से। कापरेटिव के चुनाव की घोषणा भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की।

अध्यक्ष महोदय, गांव की चिन्ता करते हैं, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी की प्रशंसा करना चाहूंगा। आपने तो अभी अपने भाषण में कहा कि हमारे तो गांव जब एक हजार की आबादी के कम थे तो हम कम जुडवा सके। आपको किसने रोका था पांच सौ की आबादी को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिये ? आपने कभी भी इसकी चिन्ता नहीं की। यह चिन्ता की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अब पांच सौ की आबादी की ढाणियां भी सड़क मार्ग से जुडने वाली हैं। इस प्रकार गांव की चिन्ता करने वाले भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग हीं है। इन्होंने कभी भी चिन्ता नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, पैमाइश के बारे में कहीं पर एकड़, कितना बीघा और

(श्री मदन राठौड़)

पैमाइश में हैक्टेयर, गज कहीं पर दो बाई दो, कहीं तीन बाई तीन, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राजस्व मंत्रीजी को जिन्होंने पूरे राजस्थान में पैमाइश का एक मानक तैयार किया। पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे पंचायतों का ढर्रा बैठा दिया। पंचायतों का कम्प्यूटराइजेशन किया है। कम्प्यूटराइज करेंगे हम प्रत्येक पंचायत को। आपका जो पटवारी घूमता था नक्शा बस्ते में लेकर और कपड़े का नक्शा जिसमें कभी नापते थे तो फर्क भी आ जाता था, अब आपको इलेक्ट्रोनिक सिस्टम के कम्प्यूटराइज नक्शे मिलेंगे। गिरदावरी की जानकारी भी आपको चाहिये तो कम्प्यूटर के माध्यम से मिल जायेगी। यह व्यवस्था भी किसने की ? कभी आपने चिन्ता की किसान की ? आप कभी भी उसकी चिन्ता नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 को बदलकर हम नया काश्तकारी अधिनियम लाने वाले हैं। यह भी चिन्ता किसने की ? आपने इसके बारे में कभी नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, किसान कम पानी में अधिक उपज, अधिक खेती कर सके इसके बारे में आपने कभी भी चिन्ता नहीं की। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा अभी पानी की कमी है। पानी की कमी के बावजूद भी हम टैंक बनाने के लिये, टांके बनाने के लिये और उन टांकों से पाइप लाइन के जरिये वह फव्वारा सिस्टम से खेती कर सकें इसके लिये पचास प्रतिशत ऋण और पचास प्रतिशत अनुदान, यह व्यवस्था किसने की है ? यह चिन्ता आपने कभी नहीं की। उस किसान की चिन्ता आप, ऐसे घड़ियाली आंसू बहा लेने से काम नहीं चलता है। चिन्ता करो तो किसान की करो। किसान यदि समृद्ध होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान समृद्ध होगा। इसके बारे में आपको विचार करना चाहिये।

आपने सिंचाई के बारे में चिन्ता नहीं की है। आपने क्यों नहीं की ? गुजरात से पानी लेने के लिये क्यों नहीं रुपया जमा कराया अपने हिस्से का पैसा ? गुजरात का मुख्य मंत्री पैसे लेना चाहता था, पानी देना चाहता था। उन्होंने कहा अपने हिस्से का पैसा जमा करा दो। आपने पैसा नहीं जमा कराया इसलिये नर्बदा का पानी हम नहीं ले सके। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सिंचाई मंत्री और मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने मुख्य मंत्री बनते ही सबसे पहले 350 करोड़ रुपया गुजरात को जमा कराया। अभी तक हम 647 करोड़ रुपया

(श्री मदन राठौड़)

गुजरात सरकार को जमा करा चुके हैं और नर्बदा का पानी सांचौर तक तो पहुंचने वाला है। इतनी बड़ी पाइप लाइन, ऐसी पाइप लाइन जिसमें यदि आप बैठ जाएं मारूति लेकर नर्बदा से सरदार सरोवर बांध तो सीधे ही आप पहुंच जायेंगे सांचौर तक। पड़ौसी राज्यों से पानी के बारे में आपने कभी चिन्ता की ? आपको मालूम है कि मुख्य मंत्रीजी ने चिन्ता की है। जो पंजाब से हमको पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा था, सभी दलों को एकजुट करके यह नहीं सोचा कि मैं कैसे इन लोगों से बात करूं, इनका सहयोग कैसे लूं, यह कभी नहीं सोचा। सबको साथ लेकर सर्वदलीय राय लेकर इस सदन में इस प्रकार का प्रस्ताव, संकल्प लेकर पंजाब से भी पूरा पानी लेने की कोशिश की। मध्य प्रदेश से वार्ता चल रही है। मध्य प्रदेश से भी...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बातचीत चल रही है कि हम कैसे पानी को ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया भाषण समाप्त करें। कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इस प्रकार सिंचित, लघु सिंचाई योजनाएं हमने तैयार की। कई लघु सिंचाई योजनाएं पूरी भी हो गयीं।

बिजली के बारे में कभी भी नहीं सोचा। बिजली के कनेक्शंस किसानों को देने के लिये इन्होंने कभी चिन्ता नहीं की। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने कनेक्शन देने के लिये पहल की और अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2007 के अन्दर तो यह स्थिति आ जायेगी कि आज आओ कनेक्शन पाओ, यह स्थिति बनने वाली है। आप यदि चिन्ता करते तो आज तक का किसान लाभान्वित होता। आप लेकिन चाहते नहीं कि किसान मजबूत बने। क्योंकि आपको तो चाहिये वोट बैंक। आप वोट बैंक की चिन्ता करते हो। आप चिन्ता करते हो किसी न किसी प्रकार से वातावरण दूषित हो जाए।

आप यदि चिन्ता करते तो जब कृषि की चर्चा थी तो सदन से भागते नहीं। जब राजस्व की चर्चा थी तो सदन से भागते नहीं। हंगामा नहीं करते। हंगामा करके और हम लोग भी अपनी बात नहीं रख पाये। आपने हंगामा करके सदन का समय बर्बाद किया। आप बाहर भागते रहे। वेल में आकर सोते रहे। यह चिन्ता आप करते हो। किसान की चिन्ता करते, सारगर्भित सुझाव आप रखते सदन के अन्दर लेकिन आप चिन्ता नहीं करते। आप तो घड़ियाली आंसू बहाते हो। आप कहते हैं कमियां निकालें। कमियां क्या निकालोगे ?

(श्री मदन राठौड़)

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। कोई व्यापारी ...

श्री अध्यक्ष: वह निवेदन एक मिनट में कर दो तो आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, एक मिनट में करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोई व्यापारी कोई माल बेचना चाहता है तो पहले वह भाव पता करता है। भाव पता करने के बाद वह माल तैयार करता है। माल खरीदता है और फिर बेचता है। वह मुनाफा कमाता है। किसान को तो इन्द्र देव पर विश्वास करना पड़ता है। वह अपनी फसल बोता है, मेहनत करता है, पूरा परिवार उसमें लगता है और बाद में जो कुछ भी उपज उसकी होती है उसके बाद में वह जब बेचने के लिये जाता है तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सारे इलाके की फसल एक साथ आती है। किसान की इतनी ताकत तो नहीं है कि फसल अधिक दिन रोक सके। वह अपनी फसल लेकर मंडी में बेचने के लिये जाता है। जब चारों और से फसल आती है तो मंडी में भाव गिर जाता है। जब भाव गिर जाता है, किसान घाटे में रहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा हमारी सरकार को आपके माध्यम से कि यदि ऐसी स्थिति आवे, किसान अपनी फसल का उचित मूल्य मिले तब बेचना चाहे, उसकी फसल को आपके गोदाम में रखवाओ और गिरवी रखकर उस किसान को कम ब्याज अथवा बिना ब्याज पर कुछ रुपया उसको दे दीजिये ताकि वह अपना कर्जा चुका सके और कर्ज चुकाने के बाद जब मार्केट में भाव आए तब वह किसान अपना माल बेच सके ताकि उस किसान को लाभ हो सके।

अध्यक्ष महोदय, जवाई बांध की बात, खैर अब आपने आदेश दिया है। मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा। कुएं गहरे कराने के लिये किसान को कर्जा दिया जाना चाहिये। नहरें और कैनाल के निर्माण के लिये यह व्यवस्था भी की जानी चाहिये और यह अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे लघु सिंचाई योजनाएं, वृहद् योजनाएं कौन-कौनसी है ? आबियाना के बारे में चिन्ता कर रहे थे। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा आबियाना माफ किसने किया ? हमारी सरकार ने आबियाना माफ किया। 30 अप्रैल तक यदि कोई जमा करायेगा तो उसको ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ेगी। यह व्यवस्था किसने दी ? अभी ओले पड़े और ओलावृष्टि के बारे में भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा दो माह तक के बिजली के बिल माफ किये। यह भी हमारी सरकार ने

किये। किसान की चिन्ता करनी वाली हमारी सरकार ही है। आप लोग केवल घड़ियाली आंसू बहा सकते हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: ठीक। ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्षजी को धन्यवाद दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको दिया है, इनको नहीं दिया है। यह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। यह बहाते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष: इतना शांतिपूर्वक सुन लिया इसलिये धन्यवाद में क्या आपत्ति है ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हम तो आपकी दरियादिली से परिचित हैं, उम्मीद ही नहीं करते।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने शांतिपूर्वक सुना, धन्यवाद में आपको क्या आपत्ति थी ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अच्छा, ठीक है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: डा. सी.एस. बैद। ... (व्यवधान) आपका नाम तो भेजा ही कहां है ? इन्होंने लास्ट में भेजा है, सारी इसके बाद है। सॉरी यह लास्ट में आयी है आपकी परची। जो शुरू में ओरिजनल है उसमें आपका नाम नहीं है ... (व्यवधान) राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को मैंने बताया कि आपकी पर्ची बाद में आयी है। ओरिजनल लिस्ट में आपका नाम नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, हमारी भी पर्ची है बीच वालों की।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): नेता प्रतिपक्ष का तो वादा था कि मैं बजट पर बोलूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो कभी बोले ही नहीं फिर भी मंत्री हो। अपनी तरकीब से बच जाते हो इसलिये आप मत उलझो। बोलने के मामले में अपना रिकार्ड ज्यादा बढ़िया नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष की मर्जी की बात है। कृपया शांत रहें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): रिकार्ड तो मेरा, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है। मुझको जिसने सर्टिफिकेट देना है उसने सर्टिफिकेट दिया हुआ है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप केवल सर्टिफिकेट के बल पर हो, योग्यता के बल पर नहीं हो अगर बात करो तो। The most failure Minister of Rajasthan.

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैं सक्षम हूं। मेरी योग्यता को आप चैलेंज नहीं कर सकते।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इनके पास यदि बोलने वाला नहीं है तो मेरे पास बहुत विषय पड़ा है अभी तक।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप इनकी योग्यताओं को सदन में आने नहीं देना चाहते हो, आपकी साजिश है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मैं मेरी योग्यता का साक्ष्य दूंगा। पब्लिक ने मुझे चार बार लगातार चुनकर भेजा है। आपकी तरह एक बार हारता नहीं है, दूसरी बार जीतता नहीं है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी जीतने की योग्यता का तो मैं कायल हूं लेकिन मंत्री की हैसियत से आपकी योग्यता के मामले में मुझे शर्म आती है।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह योग्य हैं और योग्यता का परिचय भी दिया है।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें । अब कृपया ना बोलें । देखिये नेता, प्रतिपक्ष की मर्जी की बात है, बोलेंगे तो उनकी मर्जी है ना बोलें तो ना बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रार्थना करने का अधिकार हमारा थोड़े चला गया..(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है, हम आसन से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): हम सब सुनना चाहते हैं...(व्यवधान) हम प्रार्थना करते हैं, हम सुनना चाहते हैं ।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ज्ञानवर्धन करा देना...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): बहुत बहुमूल्य विचार आते हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे नेता हैं...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बुलवायें तो सही हमारे लोगों को...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं तो बहुत विनम्र शब्दों में कह रहा हूं कि प्रार्थना करने का अधिकार तो हमारा है न...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं मान लूंगा आपकी प्रार्थना...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप बोलें, नहीं बोलें । हम तो आपसे प्रार्थना कर सकते हैं । आसन से भी प्रार्थना कर सकते हैं ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप बोलें, हम सुनना चाहते हैं, जरूर बोलें...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप बहुत अच्छा बोलते हैं आपका आर्शीवाद चाहिए । आपका आर्शीवाद चाहिए प्रतिपक्ष के नेता का...(व्यवधान)

श्री यूनूस खान (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हम शेखावाटी के बूढे शेर को सुनना चाहते हैं । पूरे सदन की यह इच्छा है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हम भी चाहते हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): सदन की इच्छा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बोलें।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष बहुत ही निष्पक्ष और वाजिब बात बोलते हैं इसलिए सब सुनना चाह रहे हैं ।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इनका आर्शीवाद भी चाहिए सरकार को...(व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष का आर्शीवाद भी चाहिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): हमको कुछ सीखने का मौका मिलेगा अगर यह बोलेंगे तो कुछ हमारे ज्ञान में वृद्वि होगी।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): इन्हें बुलवायें साहब ।

श्री अमराराम (धोद): इनको तो सुनना चाहते हैं लेकिन जिनको नहीं सुनना चाहते हैं उनको भी सुनना पड़ेगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष: सदन की भावना से आपको अवगत करा दिया । मैं तो बाध्य कर नहीं सकती उन्हें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप अलाऊ करें, आप यदि अलाऊ करें तो जरूर बोलेंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): इनका समय मुझे दिला दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष: इनका समय आपको कैसे दिया जा सकता है? वह प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप क्या हो ? उनका समय कैसे दे दूंगी आपको... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैं बीच वालों की बात कर रहा था...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब इनको बुलवायें।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, बोलिये, डा. सी.एस. बैद ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप दोनों का साथ-साथ राजनीतिक जीवन चालू हुआ है ....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय का दस वर्ष पहले चालू हो गया था ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं, साथ-साथ चालू हुआ है दोनों का समय ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, दस वर्ष पहले...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या हो गया...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इन्होंने कहा कि समय की बात है, समय साथ-साथ चालू हुआ है । समकालीन हो आप दोनों तो ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, समकालीन नहीं हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आगे-आगे हैं मेरे से ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय विधान सभा अध्यक्ष दो बार पहले आ गयी आपसे ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): दस साल का है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, दस साल है, यही तो मैं कह रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपसे वरिष्ठ हैं, आप मानते हैं । जिले की राजनीति में आपसे वरिष्ठ हैं यह भी मानते हैं ... (व्यवधान) आपसे बड़ी नेता हैं आप यह भी मानते हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): विधान सभा की राजनीति में मेरे से दस साल आगे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जनता की राजनीति में भी आपसे वरिष्ठ हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरे से हर मामले में आगे हैं यह ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, यह कहो ना आप... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप कितना ही भिड़ाने की कोशिश करें यह भिड़ेंगे नहीं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह सदबुद्धि शायद आपने दी है, कल्ला साहब। यह सदबुद्धि आपने दे दी क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आज तो सबके सामने आपको वरिष्ठ बताया है ।

श्री अध्यक्ष: बिराजें, बिराजें माननीय सदस्य...(व्यवधान) डा. सी.एस. बैद ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । सबसे पहले तो मैं आपसे यह निवेदन कर दूं कि इनके सारे सदस्य बहुत अच्छी तरह से अपने आपको परफार्म कर रहे हैं । उसके पीछे राज यह है कि आज से तीन हफ्ते पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसी समाचार पत्र के माध्यम से यह बताया कि आप लोगों की परफार्मेंस आडिट होती है और

((डा. चन्द्रशेखर बैद)

वह आडिट एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा होती है । उस प्राइवेट ऑडिट के जरिये ही यह निर्भर करता है कि आप मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष: आप तो अपनी परफार्मेंस की चिंता करें । छोड़ें इनको, इनको छोड़ें, आप अपनी परफार्मेंस की चिंता करें...(व्यवधान) सब बातें कोई मंत्री बनने के लिए ही थोड़ी होती हैं, परफार्मेंस इज परफार्मेंस ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): यह सब मंत्री के चक्कर में हैं... (व्यवधान) इधर सारे मंत्री के चक्कर में हैं ।

श्री अध्यक्ष: अब आप बोलने दें ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल पर यह तय किया जाता है कि प्रदेश की रीति-नीति आने वाले समय में क्या रहेगी, इसमें यह तय होता है कि सरकार किस दिशा में ज्यादा पैसा खर्च करना चाहती है । सरकार किस दिशा में पैसे को कम्प्रोमाइज करना चाहती है। अब मैं सबसे पहले यह बता दूं कि जो जीडीपी आपने अपनी किताबों में रिफ्लेक्ट की है, सबसे पहले 2005-06 में जो जीडीपी आपने बतायी है 122308 करोड़ और पहले से जीडीपी आपने बढ़ायी इसके लिए तो साधुवाद के पात्र हैं । इसी प्रकार से यह जो जीडीपी बतायी है यह करेंट प्राइज के आधार पर बतायी है और फिक्स प्राइज पर जो आपकी जीडीपी है वह है 70491 करोड़ और यह भी आपकी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है । अब जीडीपी में 2005-06 में जो ग्रोथ रेट आपने आंकलन करके बतायी है वह है 10.74 प्रतिशत । बहुत अच्छी ग्रोथ रेट है । लेकिन इस ग्रोथ रेट की गहराई में जाये, यदि इसका विश्लेषण किया जाये तो यह मालूम पड़ता है कि राजस्थान की पापुलेशन पर आप नजर डाले, 2001 के सेंक्सेस में राजस्थान की पापुलेशन थी 5 करोड़ 64 लाख व्यक्ति और अब 2006 में राजस्थान की पापुलेशन हो गयी 6 करोड़ 20 लाख लोगों की । इनमें से जो रूरल एरिये में लोग रहते हैं वह हैं 4 करोड़ 50 लाख और उनका जो प्रमुख व्यवसाय है वह है खेती और खेती से जुड़े हुए दूसरे व्यवसाय । उसके ऊपर इस जीडीपी में जो आपने स्वयं ने स्वीकार किया है । जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर कितना हो गया । 2003-04 में जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर था 28.19 प्रतिशत और यही आपका जो एग्रीकल्चर का शेयर है जो कि राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जहां राजस्थान में 76 प्रतिशत पापुलेशन रिजाइड करती है । वह आपका

((डा. चन्द्रशेखर बैद)

शेयर 28 प्रतिशत से घटकर हो गया 23 प्रतिशंत । जीडीपी बढ़ी, ठीक है लेकिन जीडीपी किस कारण से बढ़ी, आपके फर्स्ट सेक्टर और सेकण्ड सेक्टर में बढ़ी, सेकण्ड सेक्टर और थर्ड सेक्टर के अंदर बढ़ी है । फर्स्ट सेक्टर के अंदर आपकी जीडीपी नहीं बढ़ी है। यह किस चीज का द्योतक है कि कृषि में और कृषि से जुड़े हुए लघु उद्योगों में सरकार का ध्यान सबसे कम रहा है । यह हमारे खुद के आंकड़े बता रहे हैं कि जीडीपी में बढ़ोतरी में कृषि और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय हैं उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं हुई है । उसके अंदर गिरावट आयी है ।

अध्यक्ष महोदय, अब शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी दो साल का आकंलन आप कर लें 2004-05 और 2005-06 इसके अंदर 2004-05 में एग्रीकल्चर का शेयर था 24.77 प्रतिशत और 2005-06 में यह शेयर घटकर हो गया 23.88 प्रतिशत यह सारी चीजें एक के बाद एक यह दर्शाती हैं कि कृषि के बारे में राजस्थान सरकार का ध्यान उतना नहीं रहा जितना रहना चाहिए था । आपका ध्यान दूसरी तरह केन्द्रित रहा । आपका ध्यान ग्रामीण लोगों की तरफ, किसानों की तरफ, सिंचाई योजनाओं की तरफ, लघु उद्योगों की तरह नहीं रहा ।

अध्यक्ष महोदय, ग्रोथ रेट देखिये आप । ग्रोथ रेट 2003-04 में थी पिछले वर्ष की तुलना में 24.41 प्रतिशत और अगले साल हो गयी यह पिछले साल की तुलना में 2004-05 में 5.18 प्रतिशत, 2005-06 में आपकी ग्रोथ रेट बतायी है 10.74 प्रतिशत । अब यह ग्रोथ रेट में जीडीपी में एग्रीकल्चर का यदि मूल रूप लिया जाये तो आपका 2004-05 के अंदर था 16562 और यह 2005-06 में हो गयी 16833, राजस्थान के इतिहास में पहली बार आप 50 साल के आंकड़ों को उठाकर के देख लें । आपकी जीडीपी के अंदर कृषि का शेयर बढ़ा है तो राजस्थान की जीडीपी बढ़ी है । आपकी एग्रीकल्चर का शेयर कम हुआ है तो जीडीपी कम हुई है, यह पहली बार हुआ है कृषि का शेयर तो आपका घटता चला जा रहा है और इस साल स्टेगनेट हैं । लेकिन आपकी जीडीपी बढ़ रही है । यह दर्शाती है कि सरकार का ध्यान राजस्थान की रूरल जनता, खेती और सिंचाई परियोजनाओं की तरफ नहीं है । यह जीडीपी के आंकड़े हैं जो आपने इसमें आर्थिक समीक्षा के अंदर दिये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं

((डा. चन्द्रशेखर बैद)

कि सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान राजस्थान के उस हिस्से की तरफ होना चाहिए जहां आने वाले समय में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी है। अब इस पर एक नजर डालिये । देख लें कि सिंचाई परियोजनाओं के अंदर सरकार का क्या प्लान है, क्या आउट ले है । यदि इसके ऊपर नजर डालें तो यह साफ तौर से नजर आता है कि इंदिरा गांधी नहर फीडर परियोजना इसके अंदर आप देखें कि पहले 2004-05 के अंदर जब यह सरकार शासन में आयी तो इसका जो कैपिटल आउट ले था 194 करोड़ और अगले साल इन्होंने बढ़ाकर 250 करोड़ कर दिया, बहुत अच्छा किया । लेकिन इस साल क्या किया । इन्होंने इस साल इसका जो केपिटल आउट ले है, गंगनहर परियोजना का तथा इंदिरा गांधी परियोजना का वह 135 करोड़ रुपये है ।

जब यह सरकार शासन में आई तो राजस्थान के किसानों को इस सरकार से बहुत उम्मीदें थी, इतनी उम्मीदें थी कि बहुत-बड़ा परिवर्तन आया है, किसानों को लाभांवित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं की क्रियान्विति की जाएगी। लेकिन धीरे-धीरे यह विश्वास सरकार के ऊपर से टूटता गया। रावला और घड़साना का एपीसोड हुआ, सोयला का एपीसोड हुआ, उसके बाद भी लोगों को यह आशा थी कि सरकार जैसा दिखती है वैसी नहीं है। सरकार किसानों के प्रति सहानुभूति रखती है, किसानों से जुड़ी हुई परियोजनाओं की तरफ ध्यान देगी लेकिन इनके दो साल के कार्यकाल से यह स्पष्ट हो गया कि सरकार का ध्यान मुख्य सिंचाई परियोजनाओं की तरफ नहीं है।

हाल ही में गुजरात के माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान पत्रिका के फंक्शन में यहां पधारे थे। उन्होंने कहा कि नर्मदा का पानी मैं चार महीने के अन्दर राजस्थान पहुंचा दूंगा। पहुंचा तो देंगे लेकिन आपने क्या नहरी तंत्र विकसित किया? नहरी तंत्र को विकसित करने के लिए 2005-2006 के अन्दर इन्होंने कैपिटल आउट ले रखा था 200 करोड़ रुपए का और इस साल इन्होंने इसको घटाकर कर दिया 128 करोड़ रुपए। तो जब कैपिटल आउट ले आपने 200 करोड़ से घटाकर 128 करोड़ रुपए कर दिया, गुजरात के माननीय मुख्य मंत्रीजी अभी घोषणा कर गए कि चार महीने के अन्दर-अन्दर नर्मदा का पानी भेज देंगे तो यहां के तंत्र को डवलप करने के लिए आपने प्लान आउट ले को कम क्यों किया?

इसी तरह से आप देखिए, बीसलपुर परियोजना...

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय सदस्य, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि नर्मदा के पानी के लिए नहर बनाने के लिए जितना पैसा हमको देना था, वह हम दे चुके हैं, यह आपकी जानकारी में है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): अगर नर्मदा को बनाने का, नहर के पानी का हिस्सा दे चुके होते तो यह 128 करोड़ रुपए क्यों रखे आपने कैपिटल आउट ले में?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): वह इसलिए रखे न कि आपकी जानकारी में ला रहा हूं, आप समझिए न कि जो पैसा देना था वह हम दे चुके तो आउट ले बढ़ता रहेगा क्या, जो काम, जिस काम के पेटे पैसा देना था, वह भुगतान कर चुके हम 31 मार्च से पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उसमें आउट ले कैसे बढ़ेगा, उसमें कम ही होगा, टोटल प्रोजेक्ट है इसका।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह पूरा तंत्र बन जाए तब भी आप कह देना कि नहरों का आउट ले घट रहा है तो उसका करेंगे, क्या है यह, मुझे बताइए?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पूरी हो गई क्या? इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में 1 हजार किलोमीटर की शाखाओं और वितरिकाएं आपको बनानी है, उसमें क्यों कम किया फिर आपने?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का इतिहास आपको पता है, वह बता दूंगा मैं, बाकी हमने कोई कम नहीं किया है, हम बनाएंगे। दस बार उसका वाटर अलाउन्स आप लोगों ने चेंज कर-कर के एरिया बढ़ाया है, फिर भी हमारी सरकार कटिबद्ध है जो काम चल रहे हैं वह पूरे होने के बाद नैक्स्ट काम लिए जाएंगे और उनको पूरा करेंगे प्रोजेक्ट को।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आपकी भावनाएं बड़ी अच्छी हैं। मैं जानता हूं कि आप मेहनत से काम करते हैं, पूरी स्टडी करते हैं लेकिन मैं आपके द्वारा दी गई बातें ही बता रहा हूं। आपने इन्दिरा गांधी नहर परियोजाना में कैपिटल आउट ले कम हुआ तो हुआ उसमें मैं क्या करूं? आप ही ने लिखाया है इस किताब में, इसलिए कम हुआ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अब आपको जो कहना है कहिए, बाकी लॉजिकल मुझे भी बताना कि आप संतुष्ट हो या नहीं हो। पर मैं यह कह रहा हूं कि जो काम ऑन गोइन्ग है, वह पूरे करने के बाद नेक्स्ट काम हम लेंगे।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): लेकिन ऑन गोइन्ग काम पूरा करने के लिए आपकी योजना क्या है? मैं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की बात इसलिए ज्यादा कर रहा हूं कि मैं वहां से आता हूं जहां से आपके पास बैठे हुए मंत्री आते हैं। सिंचाई के पानी का लाभ अब मिलने वाला है इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से पानी सबसे पहले चूरू डिस्ट्रिक्ट के अन्दर तीन तहसीलों को मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली तहसील है तारानगर, दूसरी है राजगढ़, तीसरी है सरदारशहर। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि इसके अन्दर प्लान आउट ले को कम नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह लेट क्यों हुई, मैं इसका रहस्योद्घाटन करूंगा कि इसके लिए कौन दोषी है। यह बहुत पहले हो जाना चाहिए। यह मैंने स्टडी की है इन्दिरा गांधी नहर की। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इनको बोलने तो दो प्रभु।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं इनको ध्यान दिला रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आपको प्रभु तो बता दिया, अब और क्या चाहते हैं आप? प्रभु बना दिया आपको, अब और क्या चाहते हो आप?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): बीसलपुर परियोजना के अन्दर 2004-05 में इनका प्लान आउट ले रखा 47 करोड़, नेक्स्ट इयर में आपने कर दिया 38 करोड़। और बीसलपुर परियोजना जिसके बारे में इतनी जोरों से आवाज उठी, सोयला के अन्दर यह हुआ, वह हुआ, उसके अन्दर बाद में इधर-उधर वितरिकाएं बनाने के लिए और टोरडी सागर बांध में पानी पहुंचाने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी जी ने एक बार नहीं अनेकों बार घोषणा की अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान। आपने उसका प्लान आउट ले घटाकर सिर्फ 30 करोड़ कर दिया। यह सारी चीजें दर्शाती हैं कि किसानों से जुड़ी हुई योजनाओं के प्रति सरकार का ध्यान कम है।

इसी प्रकार से भाखड़ा नांगल परियोजना, गुडगांव नहर के अन्दर, गुडगांव नहर के अन्दर आपने कोई कैपिटल आउट ले रखा ही नहीं। इसी प्रकार से जाखम परियोजना, इन्दिरा गांधी लिफ्ट योजना, यमुना लिंक योजना। माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके मार्फत यह बताना चाहता हूं कि किसानों की सिंचाई से जुड़ी हुई वृहद सिंचाई परियोजनाओं की तरफ सरकार का ध्यान कम

((डा. चन्द्रशेखर बैद)

है। उन्होंने कैपिटल आउट ले, जब से यह शासन में आए हैं, साल दर साल कम करते चले गए हैं।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी बात चलती है बैकलॉग की, बैकलॉग पूरा नहीं हुआ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का बैकलॉग पूरा नहीं हुआ। नहरों के अन्दर जो भूमि का आबंटन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किया जाना चाहिए था उसके उन्होंने नियम बना रखे हैं, 33 फीसदी भूमि का आबंटन कमाण्ड, सिंचित एरिया में अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति को करेंगे। पिछले दो सालों के अन्दर इन्होंने 33 प्रतिशत की जगह सिर्फ 20 प्रतिशत भूमि का आबंटन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किया है। इससे यह नजर आता है कि इनकी दलितों के प्रति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीबों के प्रति कितनी प्रतिबद्धता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा आंकड़ा बताना चाहूंगा। अनुसूचित जाति विशेष योजना के अंतर्गत भू आवंटन के लक्ष्य इन्होंने कितने रखे। वर्ष 2005-2006 में इन्होंने लक्ष्य रखा 500, राजस्थान के इतिहास में पहली बार इस लक्ष्य के अंदर इनकी प्राप्ति कितनी है? सिर्फ 42, आउट ऑफ 500, जबकि पिछले सालों के अन्दर 70 से 80 प्रतिशत की उपलब्धि रही है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र तारानगर से जुड़ी हुई बात बताना चाहूंगा। नोहर साहवा लिफ्ट योजना, जिसका नाम बाद में बदलकर हो गया चौधरी कुम्भाराम आर्य जलोत्थान योजना। इस योजना के अन्तर्गत नहर का काम लगातार चला आ रहा है, यह कहते हैं कि 2008-2009 तक पूरा हो जाएगा, 2004-2005 में आपने बजट रखा 25 करोड़ का, अगले साल इन्होंने रखा 23 करोड़ का, अब इन्होंने कम करके कर दिया 22 करोड़ रुपए और यह सारा पैसा जो चौधरी कुम्भाराम आर्य जलोत्थान योजना के अन्तर्गत मिल रहा है वह सारा का सारा पैसा आपको ए आई बी पी से मिल रहा है। आपने अपनी तरफ से कुछ भी योगदान नहीं किया जबकि आपकी सरकार कहती है कि हमारा बड़ा कुशल वित्तीय प्रबन्धन है। और इसके अन्दर आपने कुछ भी नहीं किया। सारा पैसा एक्सीलरेटेड इर्रिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अन्तर्गत आपको मिल रहा है।

श्री अध्यक्षः यह कुम्भाराम आर्य जलोत्थान योजना नाम कौनसी सरकार ने रखा? परिवर्तित नाम किसने रखा?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): यह तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने रखा।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अपने-अपने रिर्सोसेज से मेनटेन किया है। बात तो वह करो जो समझ में आए किसी के। आप कह रहे हैं कि ए आई बी पी का पैसा इस नहर में लग रहा है तो राज्य सरकार का 100 प्रतिशत पैसा आपने कभी लगाया हो तो बता दीजिए। इस लिफ्ट का वाटर अलाउन्स कितनी बार चेंज किया, लोगों को भ्रमित किया, यह भी बता दीजिए। आज उसके रिनोवेशन के लिए 200 करोड़ रुपए लगेंगे। आपने एक बार तीन, उसके बाद 2.4 कर दिया, फिर सवा कर दिया अलाउन्स और जो आपके घेघड़ा और घड़साना हुआ, उस टाइम का फैसला भी आपने ही किया, साढ़े तीन वाटर अलाउन्स करके वापस दो इस एरिया में कर दिया। अब पूरी नहर को वापस रिन्यू करेंगे तो 200 करोड़ रुपए लगेंगे। इसलिए केवल वही बता मत पकड़ो जो आपको ठीक लगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 1979-80 में पेट्रोमेक्स गैस जला-जला कर चुनाव से पहले नहर खोदने वाला काम भी बता दो, रातों रात नहर खुदाई थी न आपने चुनाव से बीस दिन पहले।

श्री अध्यक्ष: यह सब बातें इनसे क्यों पूछ रहे हो? इनके पिताश्री से पूछी होती। यह क्या बता पाएंगे?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उनके सामने हिम्मत ही नहीं थी बात करने की।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी की तकलीफ इतनी है कि चूरू जिले की चूरू तहसील के अन्दर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का पानी अभी तक नहीं जा रहा है और काफी मांग करने के बावजूद, वरिष्ठ मंत्री होने के बावजूद आप उसको चूरू ले जाने में सक्षम नहीं हो पाए, तकलीफ यह है। अगर इसमें आउट ले बढ़ जाए और माननीय सिंचाई मंत्रीजी इसमें स्प्रिंकलिंग खेती, ड्रिप इर्रिगेशन शुरू कर दें तो बचे हुए पानी को जिसका अलाउन्स आपने पहले ही बहुत कम कर रखा है, ओनली टू क्यूसेक्स पर थाउजेण्ड एकड़, जबकि दूसरी जगह बहुत ज्यादा है, सबसे कम खाली चूरू जिले के अन्दर है। कम से कम वह तो आप बढ़वा दो जिससे कि ज्यादा भूमि सिंचित हो सके वहां पर। चाहो तो इर्रिगेशन की मेथेडोलॉजी चेंज कर दो।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इसमें आपका सहयोग लेंगे, निश्चित रूप से जो कर सकते हैं स्प्रिंलर सिस्टम में आपका सहयोग मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: अब आप बीच में बार-बार न बोलें, एक बार कह दिया आपने, बोलने दें उनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब नहीं बोलेंगे।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय अध्यक्षजी, मैं बहुत संक्षेप में इनका जो कंपेरिजन ऑफ प्लान आउटले 2005-2006 और 2006-2007 है उसमें से 3-4 चीजें आपको बताना चाहता हूं। एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज के अंदर पिछले साल के मुकाबले बजट का जो आउटले किया है उसमें इन्होंने 167 करोड़ रुपया कम कर दिया। इसी तरीके से इर्रिगेशन और फ्लड कंट्रोल के अंदर इन्होंने 992 करोड़ से घटाकर 925 करोड़ रुपया कर दिया, इसमें भी इन्होंने 66 करोड़ रुपये की कटौती की है।

एक और उदाहरण देना चाहूंगा, बिजली के लिए आप देखिए, बिजली की मांग पूरे राजस्थान में बढ़ रही है, किसान उससे दुःखी है, शहर में रहने वाले दुःखी हैं, जयपुर में बिजली का कट चल रहा है और बिजली के लिए जो पैसा आपको खर्च करना चाहिए था उसके अंदर भी आपने कटौती कर दी ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक बार प्लीज।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2006 और राजस्थान वित्त विधेयक, 2006 को पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2006 और राजस्थान वित्त विधेयक, 2006 को पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2006

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्षजी, एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज के अंदर आउटले इन्होंने 167 करोड़ कम किया। इर्रिगेशन और फ्लड कंट्रोल में 66 करोड़ कम किया। एनर्जी के अंदर जहां सबसे ज्यादा

((डा. चन्द्रशेखर बैद)

आज किसी चीज की आवश्यकता है तो बिजली की आवश्यकता है, बिजली के लिए इन्होंने अपने खर्चे को कम करके 273 करोड़ रुपया कम कर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं, सारे लोग विराजमान हैं। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने पहली बार, महिला सशक्तीकरण साल चल रहा है उसमें पैसा कहां खर्च होना चाहिए था, कितना पैसा उन्होंने कहां खर्च किया, अभी हमारे माननीय सदस्य बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कई बातें कह रहे थे

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्षः अब कृपया आप समाप्त करें।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मैं सम अप कर रहा हूं। महिला सशक्तीकरण के अंदर एक योजना इन्होंने चलायी थी जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के अंदर जो बीपीएल परिवार से बिलांग करती हैं उन महिलाओं को 600, 700 और 500 रुपये अलग-अलग कैटेगरी में देने का प्रावधान रखा था। मुझे कहते हुए बहुत दुःख होता है आपने बजट के अंदर प्रावधान 3 करोड़ 32 लाख रुपये रखा और उसके अंदर सिर्फ 30 लाख खर्च किया। क्या यह इस चीज का द्योतक नहीं है कि महिला सशक्तीकरण साल जो इस बार मनाया जा रहा है, आप एक तरफ तो यह दावा करते हैं कि हम एमएमआर कम करेंगे, कैसे कम करेंगे? जिन महिलाओं को, जिन बीपीएल परिवार की महिलाओं को 3 करोड़ 62 लाख रुपये देने थे सिर्फ इसलिए कि वो किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर डिलीवरी कराएंगी 2005-2006 के बजट के अंदर इसका प्रावधान किया गया था, लेकिन पूरा साल व्यतीत हो जाने के बाद 3 करोड़ 62 लाख में से इन्होंने सिर्फ 30 लाख खर्च किया। यह क्या दर्शाता है? माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सम अप करते टाइम यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इनका डाइरेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर को देखा जाए तो it is anti-farmer, anti-poor and anti-women misappropriation of the Budget.

श्री अध्यक्षः डा. एन.एस गुर्जर।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल रखा है, इसके पक्ष में खड़ा हुआ हूं। हमने देखा कि पिछले दो साल में हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है और

((डा. एन. एस. गुर्जर)

इसके कई फैक्टर्स हैं। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य पिछली बार जब बजट पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से बहुत ज्यादा पैसा मिल गया, आपको टैक्स का वहां से सीएसटी में ज्यादा पैसा मिल गया, सेंट्रल स्पोंशर्ड स्कीम्स का पैसा ज्यादा मिल गया, इसलिए आपकी स्थिति मजबूत हो गई।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा केवल वही कारण नहीं है। मैं अभी आंकड़े देकर बताना चाहूंगा, आंकड़ों से सिद्ध करने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से सीएसएस में हमने ज्यादा पैसा लिया, क्यों हमें टैक्सेज में ज्यादा हिस्सा मिला। लेकिन उसके साथ-साथ हमने हमारे संसाधन भी कितने बढ़ाये, कितना हमारा टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुआ, कितना हमने हमारे रिसोर्सेज ज्यादा डवलप किये, किस तरह से हमने रिसोर्सेज का ठीक उपयोग किया, किस तरह से हमारी जीडीपी रेट बढ़ी, हमारा रेवेन्यू डेफेसिट कम हुआ, हमारा फिस्कल डेफेसिट कम हुआ, रेवेन्यू रिसीप्ट्स बढ़ी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हुआ।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का भाग कम हो गया और किस तरह से हुआ। लेकिन सबसे पहले मैं आपका ध्यान बजट स्टडी 2006-07 के पेज नम्बर 6 की ओर दिलाना चाहूंगा। आप देखेंगे रेवेन्यू एण्ड एक्सपेंडिचर का एक इंडेक्स दिया हुआ है और इंडेक्स में यह पहली बार हुआ कि 2002-03 से रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका ग्राफ दिया है। अब तक जो होता आया है वो हमेशा रेवेन्यू रिसीप्ट्स कम रही हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ा है। 2002-2003 में रेवेन्यू रिसीप्ट्स 234 और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 289 । रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है। 2003-04 में 276 के मुकाबले 320 । यह भी ज्यादा है। 2004-05 में 370 के मुकाबले 338 । 2005-06 में 371 के मुकाबले 366 । यह 2005-06 में आया जब हमने शासन संभाला उसके एक-डेढ़ साल बाद या दो साल बाद यहां से रेवेन्यू रिसीप्ट्स बढ़ना शुरू हुई और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नीचे आना शुरू हुआ। जो 2006-07 का बजट आया इसका जो आंकड़ा है इसके हिसाब से 429 और 408 । यानी रेवेन्यू रिसीप्ट्स का इंडेक्श है 429 और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है 408 । यह आधार है 1993-94 का हंड्रेड के ऊपर।

((डा. एन. एस. गुर्जर)

राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा, ये अभी बोलेंगे, पहली बार राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, यह इंडेक्स बताता है कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स पहली बार बड़ी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हुआ 2005-06 के बाद। This is for the first time in the history of Rajasthan. यह क्यों हुआ? इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि हमारा रेवेन्यू डेफेसिट कम हो गया, फिस्कल डेफेसिट कम हुआ, सोशल सेक्टर, इकोनोमिक सेक्टर में ज्यादा पैसा खर्च किया। आम आदमी पर उसका असर हुआ। जो आप कह रहे थे कि दिल्ली से हमको ज्यादा पैसा मिलता है, दिल्ली से ज्यादा पैसे के लिए एक फार्मूला बना हुआ है, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं फाइनेंस मिनिस्टर रहे हुए हैं। दसवें ग्यारहवें, बारहवें फाइनेंस कमीशन ने सारे स्टेट्स के लिए एक फार्मूला बनाया है, केवल राजस्थान के लिए उन्होंने नहीं बनाया। जो स्टेट परफोर्म करेगा, जो कंडीशंस दी हैं कि रेवेन्यू डेफेसिट को 8-9 से जीरो पर लाएगा, जितना कम करता जाएगा उसका उसको इंसेंटिव मिलेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सदस्य, एक मिनट, जो मैंने यहां निवेदन किया था, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि राज्य सरकार ने जो वित्तीय स्थिति के सुधार का दावा किया है उसके अंदर आपके एफर्ट्स के अलावा यह बात सही है कि राजस्थान को अकेले को नहीं दिया है, सारे हिन्दुस्तान के सूबों को, सारे प्रोविंसेज को पैसा मिला है। और केन्द्र

(समय : 17.00 बजे)

सरकार के डेवोल्यूशन इकानामी में बूम, सारा मेरा स्ट्रेस इस बार पर था कि आप अपना जो कह रहे हैं कि हमने किया यह आपके अकेली स्टेट की हालत नहीं है, सारी स्टेट्स की हालत यह है। मैंने इस बात पर कहा। और आपको डेवोल्यूशन हर सैक्टर के अन्दर कोई क्षेत्र हो, चाहे सेंट्रल के टैक्सेज कहो, उनमें डेवोल्यूशन ज्यादा सैंट्रल का जो ग्रांट इन एड मिली हैं उसके अन्दर आपको ज्यादा मिली हैं उससे जो उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और एक बात और कहूंगा आपको, जो मैं दो बातें और निवेदन करूंगा, बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, न मैं इनका जवाब देने की स्थिति में नहीं रहूंगा।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नहीं, नहीं, बोलिए, बोलिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह बात निश्चित है कि फार्मूले के तहत मिलता है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मौका मिलेगा आपको बोलने को।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इन्होंने मेरा नाम लेकर कहा है इसलिए अब कहना पड़ेगा।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): हां, बोलिए बोलिए। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह जब तक और देख रहे हैं, आप तो बोलें तब दीजिएगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, उस वक्त नहीं, मैं यह जवाब सवाल का वक्त नहीं रहेगा, कभी हुआ नहीं है कि जवाब दूं उनको, उसके अन्दर मेरे दूसरे इश्यूज हैं, मैं फाइनेंस बिल पर बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: वह जो कह रहे हैं उनका स्पष्टीकरण।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं स्पष्टीकरण अभी दे दूंगा, बात हो जाएगी न खतम।

श्री अध्यक्ष: ऐसे कैसे होगा ?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): ये मेरा समय ले रहे हैं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा समय देना साहब, मेरा समय लिया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप बोल लीजिए, अब रहने दीजिएगा।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं अभी सिद्ध कर दूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब अध्यक्षजी ने मना कर दिया, मैं कैसे कहूं ?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, आप जो कह रहे हैं कि डेवोल्यूशन हर स्टेट का ज्यादा हुआ, हमने मान लिया लेकिन क्यों हुआ है ? राजस्थान का ज्यादा क्यों हुआ है दूसरे स्टेट्स के कम्पेरीजन में ?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, नहीं बस यहीं पर आप गलती कर रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं गलती नहीं कर रहा हूं। डेवोल्यूशन के लिए जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए इंसेंटिव मिल सकता है, आपका रेवेन्यु डेफिसिट जब कम होगा उसके लिए आपको इंसेंटिव मिल सकता है, that is a separate issue. वह तो हमको भी एक साल मिला था, यहां इस बात को नहीं कहा गया कि हमको भी एक साल मिला है, रिकार्ड

((डा. एन. एस. गुर्जर)

उठाकर देख लीजिए, किस वजह से मिला, यह तो निश्चित है कि आपका जब रेवेन्यु डेफिसिट, ..(व्यवधान) वह डेवोल्यूशन क्यों मिला, मैं बताना चाहता हूं सुनिए तो सही। डेवोल्यूशन क्यों हुआ, अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों से सिद्ध करना चाहूंगा, स्टेट टैक्स रेवेन्यू, नॉन स्टेट टैक्स रेवेन्यू ये दोनों बढ़े हैं, शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस ये भी बढ़ा है, ग्रांट्स इन एड यह भी बढ़ा है, अब यह क्यों बढ़े ? अब ये टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है हमारा, नॉन टैक्स रेवेन्यू और स्टेट टैक्स रेवेन्यू, यह भी सेंटर की ही देन है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय नाथूसिंहजी, आप पिछले 10 साल के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, उस वक्त के भी देख लीजिए, भैरोंसिंह के टाइम के, यह तो ट्रेंड इंक्रीज है, ट्रेंड इंक्रीजिंग हर समय रहा है, इसी साल में रहा है, it was the worst year. अकाल का जो वर्स्ट इयर था। राठौड़ साहब, मेरा निवेदन सुनिए kindly listen to me. You can correct me. ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए 2003-04 के अन्दर यह 9 महीने, 10 महीने यह सरकार रही थी उस साल भी बढ़ा था वर्स्ट इयर था 2001-02 का, उस वक्त भी बढ़ा था तो आप यह जो बात कह रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह लोगों से जबरन वसूल करके ...

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं आंकड़े देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): लोगों के पास जाकर इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को व्यापारियों को एडवांस टैक्स ले लेकर और इन्होंने बढ़ाया।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा मानानीय राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एबीसीडी जानते नहीं हैं फाइनेंस के बिल पर खड़े हो जाते हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दे दिया आंकड़े प्रस्तुत करने का, 2002-03 यह इन्हीं के समय का बता रहा हूं, टैक्स

कलेक्शन का जो इन्होंने बीई दिया था वह था 21.2 परसेंट और यह कलेक्शन कितना कर पाये ओनली 99.9 परसेंट।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तो क्या हुआ ?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नहीं, यह आपने ही बजट दिया, आपने ही बजट प्रस्तुत किया, आपने ही लक्ष्य रखा और आप लक्ष्य नहीं कर पाये पूरा, यह आपकी जो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक परसेंट डेढ़ परसेंट कहीं कम रह गया, आप उसको लिए बैठे हुए हैं, हालात दूसरे थे।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अब मैं इसके आगे बता रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप अपनी बात कहें।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं मेरी बात ही कह रहा हूं उसके बाद आप अपनी बात रखिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप खाली यह कहना चाहो, मेरा बराबर यह स्ट्रेस रहा है, मैंने बराबर इस बात को कहा है कि हर साल ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, उसके बाद देखिए। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 15.3 परसेंट पहले कभी बढ़ा है क्या ?

श्री अध्यक्ष: अब आप क्यों बोल रहे हैं बीच में ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये कहो ना, इंक्रीज ट्रेड है, इंक्रीज ट्रेंड है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ऐसा है राजेन्द्रजी, अकाल के साल के अन्दर जब आपकी स्टेट की जीडीपी गिरेगी, एग्रीकल्चर मेन सोर्स होगा, लोगों की क्रय शक्ति कम होगी तो निश्चित रूप से जो इजाफा आप उम्मीद करते हैं टैक्स के अन्दर वह कहीं नहीं होगा और एक बात और कहूंगा फिफ्थ पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि States are bleeding. हर स्टेट की यह हालत हो गई थी। ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, मेरा आधा समय तो ये खा गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): क्या बात कर रहे हो आप यह ?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आधा समय तो ये खा गये, अब मुझे आप एक्स्ट्रा समय दीजिएगा। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं बोलें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): समय किसी का नहीं, समय जा रहा है जो यहां बीच में बैठे हैं उनका।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ये मुझे इंगित करके नहीं कहें, मरजी आवे जो बोलो, अगर ये मुझे इंगित करके कहेंगे तो मैं निश्चित रूप से इनका जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं खड़े होंगे, आपको बोलने का अवसर मिलेगा तब बोलिएगा आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये आंकड़ों के साथ कह रहे हैं और आप अपने समय में जवाब दे देना।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैंने पहले भी कहा था, मैं आंकड़े रख रहा हूं, वह जवाब दें तब बोलें। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं, आप देखिए।

श्री अध्यक्ष: अब आप खड़े नहीं होंगे।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आप देखिए, मैं प्रत्यक्ष कर की बात कर रहा हूं, अप्रत्यक्ष कर की बात कर रहा हूं। यह जैसा मैंने बताया 2002-03 में आप थे 21.2 परसेंट रखा लक्ष्य और 99.9 परसेंट आपने कलेक्ट किया 2003-04 के अन्दर लक्ष्य रखा 22.3 परसेंट और जब हम आ गये चार महीने हमारे हो गये तो 22.8 परसेंट ...(व्यवधान) यस, आगे देखिए, मिरेकल, वह ट्रेंड देखिए।

श्री अध्यक्ष: चार महीने कहां, आप तो दिसम्बर में आये हो।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): वह ट्रेंड मैं बता रहा हूं। उसके बाद 2004-05 की एई में 24.5 परसेंट 2006-07 की बीई में 28.9 परसेंट यह टैक्स कलेक्शन, टैक्स बिना लगाये बिना इम्पोज किये और हमने टैक्स रेवेन्यु बढ़ाई यह भी सेंटर का ही है ? अप्रत्यक्ष कर के अन्दर 2002-03 की एई में 80.1 परसेंट, 2003-04 में 77.2 परसेंट फिर 2004-05 में 75.4 परसेंट और 2006-07 में 71.1 परसेंट यह घटता गया, नॉन टैक्स रेवेन्यु, यह इंडिकेट क्या करता है ? हमने गरीब लोगों से टैक्स नहीं लिया, उनको छूट दी, गरीब लोगों को, इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि हमने राहत दी, गरीब लोगों से नहीं लिया। और इसके अलावा अगर हम राज्य के कर राजस्व का लक्ष्य और उपलब्धि देखें तो यह भी देख लीजिए आप स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यु टोटल का कुल राजस्व का यह अगर आप देखें 2002-03 88.99 परसेंट उपलब्धि, 2003-04 में यह बढ़कर 99.84, मैं करोड़ों में नहीं दे रहा हूं चूंकि समय ज्यादा लग जाएगा और 2004-05 में 104 परसेंट 2005-06 के अन्दर यह 101 परसेंट आई। और अब 2006-07 की बीई में जब यह 9724.13 करोड़ थे अब हो गये 10931.70 करोड़। इसका मतलब यह 106, 107, 108 परसेंट के आसपास जाएगा, कितना हाई स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू तो जो ये बात कर रहे हैं कि केन्द्र ने दे दिया और केवल उसके आधार पर सरकार चल रही है, मैं इस बात पर कोई दम नहीं समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इसका परिणाम क्या हुआ ? फिर आप स्टेट टैक्स रेवेन्यु, मैंने बताया कि बढ़कर जो अभी भी परसेंटेज के हिसाब से बताया, नॉन टैक्स रेवेन्यु अब यह नॉन टैक्स रेवेन्यु भी बढ़ा है क्यों बढ़ा ? इसमें इंटरेस्ट शामिल है जो गवर्नमेंट को मिलेगा, डिवीडेंट्स हैं, गवर्नमेंट ने जो मार्केट में इन्वेस्ट किया है वह है, यह गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है उसके कारण नॉन टैक्स रेवेन्यु बढ़ा है, यह गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को दर्शाता है और यह 2001 में 1687.98 करोड़ था जो 2001-02 के अन्दर घटकर, आपकी सरकार थी 1508.47 करोड़ हो गया, 2002-03 में आपकी सरकार थी 1569 करोड़, 2003-04 में हमारे आते ही 2071.65 करोड़, 2004-05 में 2146.15 करोड़, 2005-06 में आरई में 2542.84 करोड़ और 2006-07 में बीई में 2701.89, अब इसको क्या कहेंगे, सेंटर की उपलब्धि है ? या हमारे स्टेट की उपलब्धि है ? अध्यक्ष महोदय, यह स्टेट की उपलब्धि है। गवर्नमेंट की एफीशिएंसी को शो कर रहा है कि गवर्नमेंट कितनी एफीशिएंट है, गवर्नमेंट की प्रशासन पर कितनी पकड़ है। आपकी प्रशासन पर पकड़ नहीं थी, आप टैक्स

((डा. एन. एस. गुर्जर)

ठीक कलैक्ट नहीं कर पाये, आपने लीकेज नहीं रोका। आप दो नारे ही लगाते रहे, चिल्लाते रहे कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ भेदभाव कर रही है, हमारा खजाना खाली है। खजाना भरे कैसे जब लीकेज हो ? टैक्स आप कलैक्ट कर नहीं पाओ, नीचे भ्रष्टाचार हो, प्रशासन पर आपकी पकड़ नहीं हो तो किस तरह से आप खजाना भरोगे, किस आधार पर भरोगे? केवल आप कह रहे हैं कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट दे रही है, सैण्ट्रल ने सारी स्टेट्स के लिए एक फार्मूला बनाया हुआ है। राजस्थान बीमारू राज्य था। मैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब एडवांस स्टेट हैं। लेकिन राजस्थान जिन 4-5 बीमारू स्टेट में हैं उनकी तुलना करिये आप कि राजस्थान में कितना डिवोल्यूशन हुआ और किस आधार पर हुआ है। जितना इंसेंटिव मिला है क्या उतना ही इंसेंटिव उन सरकारों को हुआ है, इतना ही डिवोल्यूशन उनको हुआ है और डिवोल्यूशन के पीछे भी अगर दिल्ली के अंदर सम्बन्ध अच्छे रखोगे तो आपको पैसा मिलेगा। आप हमारी सरकार से हमेशा भेदभाव कर रहे हैं, केन्द्र सरकार बेकार है, आप गाली भी देना चाहो और उनसे पैसा भी लेना चाहो, यह नहीं हो सकता। हमारे आपकी सरकार से मधुर सम्बन्ध हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हमारी सरकार उदार है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उदार नहीं है, हमारे मधुर सम्बन्ध हैं। उदार तो हमारी भी थी, आपसे भी ज्यादा लेकिन मधुर सम्बन्ध हमने बनाये, हम ढंग से पेश आये इसलिए ज्यादा दे रहे हैं। तो यह हमारी एफीशिएंसी मानिये। आपका नेगेटिव पाइंट, आप नेगेटिव पाइंट सोचते थे, हमारा सकारात्मक सोच है इसके कारण हमको ज्यादा मिल रहा है। शेयर इन सैण्ट्रल टैक्सेज, यह बढ़ा है और यह क्यों बढ़ा? अब आप इसमें भी कह देंगे कि यह केन्द्र की मेहरबानी है, आप कहोगे कि फार्मूला साढ़े 29 से साढ़े 30 प्रतिशत हो गया इसलिए आपको ज्यादा मिल रहा है लेकिन उसके अलावा भी हमको ज्यादा इसलिए मिल रहा है कि इन्कम टैक्स इसमें इनक्लूड होता है, कार्पोरेशन टैक्स इसमें इनक्लूड होता है, एक्साइज ड्यूटी इसमें इनक्लूड होती है। इसलिए जब यह कार्पोरेशन, इन्कम टैक्स होता है, किस पर लगेगा ? प्राडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इन्कम टैक्स, दूसरे टैक्स...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): किस स्टेट का प्रोडक्शन ?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): स्टेट का प्रोडक्शन नहीं है। इन्कम टैक्स भी वसूल होता है न।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नाथूसिंहजी, भगवान के लिए पढ़ लो, ईश्वर के लिए पढ़ लो, It is total tax collection of the country. It is not related to States. It is very unfortunate. पढ़ो इसको, पढ़कर बोलो।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मुझे मालूम है लेकिन टोटल कलेक्शन कंट्री का होता है और उसमें से डिवोल्यूशन होता है, मालूम है मुझे। लेकिन हमारे इस बार के अगर आंकड़े देखेंगे तो यह जो मैं बता रहा हूं, यह हमारी स्टेट का शेयर वहां बढ़ा वह भी तो इनक्लूड होता है न। स्टेट का कितना बढ़ा है...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नो, नेवर। इट्स नेवर।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं बताऊंगा, मुझे कम्पलीट करने दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): It is never.... It is total tax collection of the country. यह सब गलत बोलेंगे तो मैं करेक्ट नहीं करूंगा क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, आप बार-बार क्यों खड़े होते हो ?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बता दीजिये, यह केवल हमारे टाइम पर ही बढ़ गया, 2001-02 के अन्दर 2836.61 करोड़ शेयर था जब आप थे। 2001-02 में 2882, उतना ही, 2002-03 के अन्दर 3061 थोड़ा सा बढ़ा और हमारे आते ही 2003-04 में 3602, जब साढ़े 29 प्रतिशत था तब भी 3602 और फिर 2004-05 में 4305, 2005-06 की आर ई में 5300 और 2006-07 की बी ई 6370 करोड़। अब यह बढ़ गया, ग्रांट इन एड भी बढ़ी जब 2001 में 2577 थी। (व्यवधान) मैं आपको ही बताना चाहता हूं कि जब 2001 में 2577 करोड़ था तो 2001-02 में 2091.30 करोड़ क्यों हो गई जब आप ही थे ? ग्रांट इन एड कम क्यों हुई ? दूसरे साल आपकी ही सरकार में 2002-03 में 2196 तो 2000-01 से लगातार आपका 2001-02 में घट गया, 2002-03 में घट गया, 2003-04 में जब हम वापस आये तो 2000-01 के बराबर वापस ग्रांट इन एड हमको मिली 2503 के आस-पास और 2004-05 के अन्दर 2897.01 करोड़, 2005-06 की आर ई में 3178.46 करोड़ और 2006-07 की बी ई में 3986.41 करोड़, हाईएस्ट यह

((डा. एन. एस. गुर्जर)

ग्रांट इन एड। (व्यवधान) आपके राज में कम हो गया है और हमारा राज आते ही वह वापस बढ़ने लग गया। यह जो कह रहा था उसका कारण है, इसके कारण यह है। ग्रांट इन एड क्यों मिलती है, आप समझते हैं। मैंने बताया था न अभी आपको तब आप उठकर पीछे चले गये थे। अभी बताया था न आपको।

श्री अध्यक्षः अपने स्थान पर भी नहीं हैं वो और फिर भी बोलते हैं। (व्यवधान) यह गलत बात है। न तो अपने स्थान पर हो और बैठे-बैठे बोलते हो, यह गलत बात है। आपके जैसे वरिष्ठ सदस्य से यह उम्मीद नहीं की जाती।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं आगे आना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सैण्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स में आर ई आती है, ए ई नहीं आती। आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बड़ा इम्पोर्टेण्ट पाइंट है, 2001-02 में 1099.17 करोड़ रुपया हमको मिला।

श्री अध्यक्षः इम्पोर्टेंट तो है लेकिन 22 मिनट ले लिये आपने। अब आप भी थोड़ा...

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मेरा आधा टाइम तो इन्होंने ले लिया। मैं बड़ा इम्पोर्टेंट पाइंट...

श्री अध्यक्षः आप जो बात कर रहे हो तो ट्रबल उनको होती है बार-बार कह कर।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं जब बोलूंगा तो वो बीच-बीच में टोकेंगे। बाद में वो बोलें तो जवाब दें न मुझे। अध्यक्ष महोदय, 2002-03 में 1020.18 करोड़ और 2003-04 में 1008.17 करोड़, यह डिफरेंस अगर देखें तो नेगेटिव गया। सैण्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम में कम होता गया। 2001-02 से 2002-03 में 78.99 करोड़ रुपया कम मिला। 2002-03 से 2003-04 में 12.01 करोड़ रुपया कम मिला। क्यों ? क्योंकि आपने मैचिंग ग्रांट जो सैण्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स थीं वह आपने नहीं दी। और मैचिंग ग्रांट नहीं देने के कारण मैं बताऊंगा, मेरे पास कटिंग्स हैं उस समय के अखबारों की। मैचिंग ग्रांट नहीं दी, यू सी समय पर नहीं दी जिसके कारण सैण्ट्रल को पैसा रोकना पडा और इनका नेगेटिव पाइंट गया है, राज्य सरकार की परफार्मेंस अच्छी नहीं थी जिसके कारण सैण्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम में राजस्थान को कम पैसा मिला और

2004-05 आते ही 2003-04 के मुकाबले में 79.27 करोड़ हमको ज्यादा मिला। 2005-06 के अन्दर 2004-05 के मुकाबले 317.29 करोड़ रुपया ज्यादा मिला। यह परफार्मेंस थी इस स्टेट गवर्नमेंट की। हमने मैचिंग ग्रांट दी, हमने यू सी समय पर दी इसलिए सैण्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम में, यह तो आप समझते हो कि क्या मिलता है...

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे किसी तरह के इशारे नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह परफार्मेंस ऑडिट की बात कर रहे थे न आप अभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब परफार्मेंस तो इन्होंने दिखा दी, ऑडिट आप कर लो।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): 2005-06 और 2006-07, इसका अंतर देखें तो 2005-06 के मुकाबले 2006-07 की बी ई में 351.5 करोड़ रुपया हमको ज्यादा मिला। तो आप किस आधार पर बात कर रहे हैं, यह जो इन्क्रीजिंग ट्रेंड है, यह हमारी गवर्नमेंट की एफीशिएंसी को शो करता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने काफी समय ले लिया। कृपया कनक्लूड करें। अब कृपया समाप्त करें, काफी समय ले लिया।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, दो ही मिनट लूंगा। मेरा आधा समय तो उन्होंने ले लिया अध्यक्ष महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सीट ही छोड़ भागे।

श्री अध्यक्ष: इसलिए तो वो भाग छूटे, अब तो आप समाप्त करो।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, इसका असर यह हुआ कि फिस्कल डेफिसिट लगातार 2002-03 के बाद के ट्रेंड को अगर देखें तो हमारे आने के बाद में फिस्कल डेफिसिट लगातार घट रहा है और ब्याज अदायगी राजस्व प्राप्तियों का जो प्रतिशत है उसके अन्दर भी, यह भी हमारा लगातार घट रहा है ब्याज की अदायगी जो हम कर रहे हैं, जो रेवेन्यु रिसीट्स के कम्पेरिजन में। यह 32.87 प्रतिशत था 2003 में जो 2006-07 में घटकर के 24.18 प्रतिशत आ गया रेवेन्यु रिसीट्स का और इनका तो हमेशा 30 प्रतिशत से कभी नीचे ही नहीं रहा। इसलिए लगातार, उसके बाद 25 आया, फिर 24 आया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह ट्रेंड भी हमारा रहा और इसके अलावा...

श्री अध्यक्ष: अब माननीय सदस्य, समाप्त करें।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं समाप्त कर रहा हूं। इसका असर यह हुआ कि सोशल सर्विसेज और इकोनॉमिक सर्विसेज के अन्दर भी अगर हम देखें तो 2002-03, 2004-05 और 2006-07...

श्री अध्यक्ष: आप 2003 का क्यों रोना रो रहे हो ?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं बता रहा हूं, उनका कम्पेरिजन कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप लिखो तो सही। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ये हाउस छोड़कर चले जायेंगे।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): कम्पेरिजन मैं कर रहा हूं। माइनस इन्होंने जो बजट रखा 2002-2003 में जो रेवेन्यु एक्सपेंडीचर इन सोशल सर्विसेज में, इन्होंने ही रखा था कि इतना पैसा खर्च करेंगे। उसका इन्होंने बी.ई. के अन्दर 7132.40 करोड़ रुपये रखा था जो केवल 6585.62 करोड़ रुपये खर्च हुए यानी 546.78 करोड़ रुपये कम खर्च हुए। मेरे पास बुक्स के अन्दर आंकड़े हैं। ये नहीं मानेंगे तो बैठ जायें मेरे साथ, अगर ये आंकड़े गलत हो तो जिस समय ये कहेंगे, मैं इनके साथ बैठने को तैयार हूं, हाउस के बाहर भी और इसके बाद 2004-2005 में अन्दर जो इन्होंने खर्चा किया है...

श्री अध्यक्ष: हमको तो केवल हाउस से ही मतलब है, बाहर से मतलब नहीं है। सदन को सदन से ही मतलब है। अब आप समाप्त करें कृपया।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। 2004-2005 में जो इन्होंने बजट में प्रावधान किया था...(व्यवधान) हमने किया था ना, तो मैं वह बता रहा हूं। हमारी सरकार के लिए बोल रहा हूं। हमने जो प्रोविजन किये, उससे हमने 12.86 करोड़ रुपये खर्च किये, जो हमने बजट में प्रावधान किया ओर 2006-2007 में 2138.24 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च किये। यह सोशल सैक्टर में है।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। अब कृपया समाप्त करें। अब कृपया समाप्त करें।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): इसका मतलब यह है कि जो गांव का गरीब लोग है, एस.सी. एस.टी. की महिला है, उनको इसका लाभ मिला

और इकोनोमी सैक्टर में वृद्धि करते हुए, मैं इनके पूरे आंकड़े नहीं देना चाहता लेकिन 2002-2003 के अन्दर 57 करोड़ रुपये कम खर्च किये आपने। और हमारा शासन आते ही 2004-2005 में 83 करोड़ रुपये ज्यादा हमने खर्च किये और इसमें 2006-2007 में 20281.70 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च किये। जनरल सर्विसेज में....

श्री अध्यक्षः अब कृपया समाप्त करें माननीय सदस्य। अब कृपया समाप्त कीजिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अंत में, अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में जनरल सर्विसेज में हमने....

श्री अध्यक्षः आप सब बातें बोल देंगे तो फिर मुख्य मंत्रीजी क्या बोलेंगी? आप सारी बातें बोल देंगे तो वे क्या बोलेंगी?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं दो ही मिनट और लूंगा। जनरल सर्विसेज में 2002-2003 में 44.93 प्रतिशत खर्चा हुआ था, 2006-2007 के अन्दर हम आते-आते 42.62 प्रतिशत खर्च हो गया यानी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर और दूसरे आलतू-फालतू के जो खर्च थे, उसको हमने कम किया। यह हमारी प्रशासन की एफिशियंसी का परिणाम है, इसलिए मैं, आप हर चीज के आंकड़े देखें, क्योंकि समय कम है, आपने मुझे पहले ही टोक दिया है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा लेकिन....

श्री अध्यक्षः आप 28 मिनट ले चुके हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं दो मिनट में ही खतम कर रहा हूं। इसलिए अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्षः अब आप समाप्त कर दीजिये। नहीं, तो फिर आपने पेज उठा लिया।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं समाप्त कर रहा हूं। नहीं-नहीं, मैं खतम ही कर रहा हूं, ज्यादा लम्बा नहीं है। 11वें वित्त आयोग और 12वें वित्त आयोग, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 11वें वित्त्त आयोग और 12वें वित्त आयोग ने जो-जो सिफारिशें की हैं और राजस्थान ने उनको पूरा किया है, इसके आधार पर...

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): सर्वश्रेष्ठ विधायक की क्या हालत है, तो हम क्या सीखेंगे? आप आसन की अवहेलना कर रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): क्या हालत है, क्या हालत है। आप बोलने तो दीजिये। मैं आसन की इजाजत लेकर बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, 11वें और 12वें वित्त आयोग की सिफारिश हुई है, उससे जो इंसेंटिव मिलने वाला था, अच्छा तो यह होता कि वह अगर इंसेंटिव पूरा दे देते और जो हमारी पेंडिंग योजनाएं केन्द्र के पास पड़ी हैं, उसका पैसा दे देते तो राजस्थान की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत होती। इसमें 109 करोड़ रुपये तो...

श्री अध्यक्ष: ठीक है, समाप्त करें।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय कम है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, लास्ट में माननीय बैद साहब ने जो बात कही है, उसका जरूर जवाब देना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने कहा कि पिछले साल 21 जिलों में ओलावृष्टि हुई, उसके अन्दर... अब आप कहती हैं, इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं मेरे मित्र हैं...

श्री अध्यक्ष: नेता महोदय ने उन्हीं को समय दे दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह सदन बर्दाश्त नहीं करेगा। नेता महोदय सदन की सम्पत्ति है, फिर हम भी कुछ कहेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं तो आपका दुश्मन हूं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हम तो सुनना चाहते हैं, हम ज्ञान लाभ लेना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: आपकी सम्पत्ति जो है, वह यहीं बैठी रहेगी। आप इनसे प्राप्त कर लेना ज्ञान।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता, मेरे मित्र हैं टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपने एक तरफ कहा कि आपको ग्रांट-इन-एड ज्यादा मिली, आपको कम मिली। यह अपने आपमें कुछ और दर्शाता है। मैं इनमें नहीं इन्डल्ज करना चाहूंगा, वाद-विवाद बढ़े। मैंने अपनी बात विस्तार से यहां पर कही और सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी जो वित्त विभाग

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

भी देखती हैं, उन्होंने उसका उत्तर दिया। वह अपनी बात कहती हैं लेकिन मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता हूं। दूसरे कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं अपने आपको कन्फाइन करूंगा इन टैक्सेशन मेजर्स के ऊपर क्योंकि यहां माननीय सदस्य के सिवाय, गुंजल साहब को छोड़कर जिन्होंने कोटा स्टोन के, कचौड़ी के बारे में बात की, कोटा के हिसाब से और किसी माननीय सदस्य ने इन टैक्सेशन मेजर्स के बारे में यहां पर विचार अभी तक तो व्यक्त किये नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो फाइनेंस बिल पेश किया, सबसे बड़ी इसके अन्दर भूल हुई है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। किस स्तर पर हुई, कहां हुई, यह अपने आपमें बहुत बड़ी भूल है, something should be done. राजस्थान फाइनेंस बिल, 2006 जो आप उस दिन कह रही थीं, पहले सर्वप्रथम तो मैं शुरू करना चाहूंगा वेट के ऊपर, वेट के बारे में जो भ्रांति फैली हुई है, उसके बारे में भी सरकार को बताना पड़ेगा और आज अखबारों में आ रहा है कि तीन महीने के लिए शायद इसको डेफर करने की बात चल रही है। पता नहीं, सही है या गलत है, इस पर मुख्य मंत्री महोदय प्रकाश डालेंगी।

दूसरी बात जो मैं निवेदन कर रहा हूं, जो भूल हुई है इसके बारे में, आप इसकी लेंग्वेज को देखें- "Chapter I. Preliminary. 1. Short title.- (1) This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2006.''

"2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958. In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act no. 23 of 1958), it is hereby declared that it is expedient in public interest that provisions of clauses 3 to 36 of this Bill shall have immediate effect under the said Act."

अब आप इसको देखेंगे, तीन से लेकर 36 तक, ये वेट के बारे में है। सारा का सारा यह वेट की रेट, वेट के अन्दर आप क्या अमेंडमेंट्स पेश कर रहे हैं, इसके बारे में है। अब इसके अन्दर जो भ्रांति पैदा हो गई, कैसे करेक्ट करेंगी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इसको करेक्ट कर दीजियेगा। वेट तो अभी नोटिफिकेशन हुआ नहीं, एक अप्रैल से लगने की बात है। उसके पहले ही, जिस तारीख को फाइनेंस बिल इस सदन के अन्दर पेश हुआ, इसका मतलब उसके जो प्रोविजन हैं, उसी दिन से इफेक्ट के अन्दर आ गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आज ही पेश हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आज सुबह ही पेश हुआ है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरा निवेदन सुन लें आप। अभी आप नोटिफाई करेंगे लेकिन आपने उसी दिन से लागू कर दिया फाइनेंस बिल, इस अभिप्राय हुआ इस लेंग्वेज का, जिस दिन आपने फाइनेंस बिल यहां पर टेबल कर दिया, उसके नैक्स्ट डे से यह इफेक्ट के अन्दर आ गया जबकि वेट एग्जिस्टेंस के अन्दर था ही नहीं इसलिए यह एक बड़ी भूल हुई है, किस स्तर पर हुई है, I may be corrected. आप इसको कैसे करेक्ट करेंगी, यह देखने वाली बात है।

दूसरी बात, अब मैं वेट के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, वेट के ऊपर तरह-तरह की भ्रांतियां हैं। हमारे समक्ष भी राजस्थान का जो करदाता है, जो सैल्स टैक्स पे करता है, आज वेट के पीछे स्विचओवर करता है, उनके बहुत सारे रिप्रजेंटेशन आये थे, आपने भी एक कौंसिल बनाई हुई है यहां पर एडवाइजरी कौंसिल, जो इसके बारे में फैसला करेगी। अब सवाल आता है कि इसके अन्दर जो समस्याएं आ रही हैं, यह तय हो चुका था माननीय अध्यक्ष महोदय, वेट के बारे में, रेट्स के बारे में, वेट की रेट्स है। एक तो ऐसी केटेगरी है, जिस पर कोई टैक्स नहीं है, जीरो पर्सेन्ट टैक्स, वन पर्सेन्ट, फोर पर्सेन्ट एण्ड 12.5 पर्सेन्ट, फोर पर्सेन्ट से नहीं, वह सब चीजें साढ़े बारह परसेंट के अंदर आ गई। अब सवाल यह पैदा होता है उस वक्त भी जब एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग के अंदर यह बात बार-बार उठती थी कि स्टेट की स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से, स्टेट की जो आवश्यकताएं हैं, कुछ चीजें हर स्टेट की इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कर्नाटक के बारे में लोगों ने कहा कि हमारे यहां सिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, वह अपने उस सिल्क के प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इसी तरह राजस्थान के अंदर मार्बल है, हमारे यहां की सरसों है, कोटा स्टोन है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप अथाराइज्ड हैं, इसको प्रोटेक्ट करने का आपको कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि रा मैटेरियल के ऊपर आज साढ़े बारह प्रतिशत का टैक्स है, फिनिश्ड गुड्स के ऊपर चार परसेंट का टैक्स है। अब आपके जब वह जो इनपुट क्रेडिट मिलेगी उनको, वह उसके पास जमा होता रहेगा, सीएसटी का बढ़ेगा तो भार के ऊपर एक परसेंट के ऊपर सीएसटी की

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

वह चार परसेंट पर जायेगी, जो आठ प्रतिशत बचेगा आपके जाकर के, वह उसके पास जमा रहेगा। इसके अंदर आपने वेट में प्रोवीजन किया है कि आप उसको दो साल के बाद वापिस करोगे, अब दो साल तक तो किसी ट्रेडर की और इण्डस्ट्रियलिस्ट की इतनी हैसियत नहीं है कि वह उसको पैसा मिले नहीं, किस सीमा तक वह उस व्यापार के अंदर या उस इण्डस्ट्री के अंदर किस सीमा तक इनवेस्टमेंट करेगा, एक तो आपको यह देखने वाली बात है।

(समय: 17.31 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

यह आपका एकाएक हिस्सा जो है, कोटा स्टोन के बारे में है, सरसों के बारे में है कि फोर प्लस वन बाहर जायेगा, सीएसटी के ऊपर एक परसेंट के ऊपर जायेगा, उसका भी इनपुट क्रेडिट का यह है, तो जो छोटी इण्डस्ट्री है, जो छोटे उद्योग हैं उनके सामने बहुत बड़ी कठिनाई आयेगी। तो कृपया इसके ऊपर आप ध्यान दें कि जो इनपुट क्रेडिट का जो लोगों के पास उसके रिएम्र्समेंट का प्रश्न है, इसको भी आप विचार में रखें, इस प्रोब्लम को भी आपको एड्रेस करना पड़ेगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरी बात, कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर कि आपको विचार करना बहुत आवश्यक है कि वेट की जो एम्पावर्ड कमेटी थी उसके अंदर जब तय हुआ था कि किस आइटम के ऊपर क्या रेट होगी, अब कुछ स्टेट ने उन आइटम्स से डिविएट किया, डिविएट किया अपने मनमाने तरीके से अपने स्टेट की नीड्स के हिसाब से। जैसे आपके सामने दिल्ली वालों ने गेहूं के ऊपर जीरो परसेंट टैक्स में डाल दिया गेहूं को, घी को चार परसेंट के अंदर डाल दिया। दूसरे प्रांतों में, गुजरात ने घी को चार परसेंट पर डाल दिया, आपकी स्टेट की आरसीडीएफ का खुद कितना बड़ा प्रोडक्शन है घी का। अगर आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो राजस्थान के आरसीडीएफ का जो सरस कितना फेमस ब्रांड है, अख़बार में भी आया था, आपके यहां भी ज्ञापन दिया गया है, उसका क्या होगा? अपना घी महंगा हो जायेगा, बाहर जायेगा नहीं, बाहर बिकेगा नहीं। तो इस प्रोब्लम को भी आपको एड्रेस करना पड़ेगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। फिर एक समस्या और सबसे बड़ी खड़ी हो रही है कि जब अपने राज्य में इण्डस्ट्रियल पालिसी तत्कालीन इस बीजेपी सरकार के जमाने के अंदर बनी थी और उसके बाद उसी पालिसी को हमने फालो किया, जहां-

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तहां थोड़े-बहुत माइनर अमेंडमेंट्स किये और उसके तहत जो इण्डस्ट्रीज को कंसेशन दिया गया, सेल्स टैक्स का डेफरमेंट था, सेल्स टैक्स का एग्जम्पशन था, उन्हें जो अभी तक लोग अवेल नहीं कर पायेंगे, उनका क्या फेट होगा, उनके फेट के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार ने, वहां भी इस प्रकार के एग्जम्पशंस थे, इस प्रकार का डेफरमेंट था, महाराष्ट्र के अंदर भी उन्होंने इस तरफ ध्यान देकर एक पालिस का अनाउंसमेंट किया है, मैं चाहूंगा कि आप भी इसके बारे में विचार करें और उन इण्डस्ट्रीज को जिनके कि कमिटमेंट्स रहा है राज्य सरकारों का, चाहे हमारी सरकार थी, चाहे सम्माननीय भैरोंसिंहजी साहब की सरकार थी, उस वक्त के जो कमिटमेंट थे वह आपकी बनाई हुई इण्डस्ट्रियल पालिसी के तहत, उनका क्या फेट होगा, इसके बारे में भी आपको विचार करके, आज तो आप इसमें अलाउड करने की स्थिति में नहीं हैं। सिर्फ आप इतना ही कह सकती हैं कि आप इसको पाजिटिवली इसके ऊपर विचार करके उन इण्डस्ट्रीज के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हारमोनाइज सिस्टम जो कि बहुत आवश्यक है, अब आपको दो मिसाल देता हूं, नारियल का तेल जब कुकिंग के अंदर इस्तेमाल होगा then rate will be 4 per cent और वही जब आपके कास्मेटिक्स के अंदर चला जायेगा तो it will be 12.5 per cent. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने तो एक ही चीज निकाली है। मैं सदन का, क्योंकि आपने स्वयं कहा है कि हमने विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए कमेटी बनाई है जो इसके ऊपर विचार करेगी और काम करेगी। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आपको हारमोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर का तय करके एक्साइज नम्बर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, दिल्ली ने इस काम को कर दिया है और शायद कर्नाटक की सरकार ने भी इस काम को किया है, यहां के लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए, अन्यथा आप एक लीवर दे देंगे अपने वेट के जो अधिकारी होंगे, भविष्य के अंदर, जो सेल्स टैक्स आज है, यह लोगों को नाहक परेशान करेंगे। यह बात निश्चित है कि शुरू में टीथिंग प्रोब्लम आयेगी जैसा मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं स्वीकार किया है वेट के बारे में, उस टीथिंग प्रोब्लम को, इसमें सबसे बढ़िया तरीका यह रहेगा कि आप एक्साइज नम्बर, जो भारत सरकार की एक्साइज पालिसी के तहत जो एक नम्बर है, उनसे आपको इसको को-रिलेट करना पड़ेगा जिससे कि इनके हाथ

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

में लीवर नहीं रहेगा कि जो छोटे उद्योगपतियों को, व्यापारियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरी बात आपसे कह रहा हूं कि आज सबसे बड़ा विरोध जो हो रहा है, कहीं रेट्स को लेकर हो रहा है वेट का, कहीं किसी वजह से हो रहा है, एप्रिहेंसिव ज्यादा हैं। सबसे बड़ा एप्रिहेंसिव है लोगों के दिमाग में कि न जाने, पेपर वर्क तो बढ़ेगा इसके अंदर, पेपर वर्क बढ़ेगा, लोगों को परेशानी आने वाली है, लोगों को दिक्कत आने वाली है। तो मेरा आपसे निवेदन है, जो हमने तय किया था, आप उससे कुछ और अच्छा कर सकती हैं, उससे कुछ कर सकती हैं कि पहले दो साल, पहले डेढ़ साल, दो साल, जो भी टाइम लिमिट फिक्स करें कि समझाइश का रहेगा, पेनल्टी आप नहीं ठोकेंगी। क्योंकि पेनल्टीज भी इसके अंदर है, सज़ा का प्रावधान भी है, जो सारे देश के अंदर है। तो आप दो साल तो व्यापारियों को समझाने का कार्य हाथ के अंदर रखेंगी, कोई गलती हो तो उसको ठीक कर दी जायेगी जिससे लोगों का हरेसमेंट नहीं होगा, यह आपसे निवेदन करना चाहूंगा। और आपने, हमने शुरू में पांच लाख की लिमिट रखी थी कि पांच लाख की लिमिट के जो व्यापारी होंगे, जिनका टर्न ओवर होगा, वेट उनके ऊपर अट्रेक्ट नहीं होगा, आप इसको बढ़ाकर चाहे साढ़े सात कर दें, दस कर दें, फिर कम्पोजीशन स्कीम, जो पचास लाख का, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है जो कस्बों में आदमी बैठा हुआ है, कम पढ़ा-लिखा है, जो एक माल खरीद कर लाता है और उसके बाद तय कर लेता है कि किस पर इतना मुनाफा लगायेगा। उसको बेच दिया, अब उसके लिए अकाउंट्स रखना, रसीद काटना, यह बहुत बड़ी समस्या होगी। छोटे-छोटे क्योंकि इसके अंदर सारे व्यापारी आयेंगे, रसीद काटने के अंदर बहुत बड़ी प्रोब्लम होगी कि वेट का कितना बाद हुआ, कितना यह हुआ। यह काफी बड़ी चीज होंगी, इसके बारे में लोगों की दिक्कतें कम से कम हों, क्योंकि आप देश से अंग अलग रहने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि सारे देश के अंदर लागू हो गया और इसमें कहीं पार्टी की बात नहीं है, शुरू हुआ यशवंत सिन्हा साहब के वक्त में। यशवंत सिन्हा साहब ने एम्पावर्ड कमेटी बनाई फाइनेंस मिनिस्टर्स की, वित्त मंत्री थे आप उस सरकार के अंदर। उसके बाद वह हटे तो अपने जसवंत सिंहजी साहब ने बहुत जोरों से इसको परस्यू किया। मैं एक इंसीडेंट भूला नहीं हूं कि गुजरात के वित्त मंत्री वजूभाई वाला, वह हिन्दी, गुजराती

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मार्का हिन्दी बोलते थे तो कोई समझ में फर्क हो गया, उनका इंटेंशन कहीं खराब नहीं था वालाजी का। मैं उस मीटिंग में था। जसवंत सिंहजी साहब नाराज हो गये, फिर मुझे ही बीच में पड़ना पड़ा, नहीं साहब, मतलब इनका नहीं है, गुजराती मार्का हिन्दी बोलते हैं, अर्थ का अनर्थ आपने समझ लिया, यह भी लागू करना चाहते हैं। तो मतलब कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि उस सरकार के वित्त मंत्री दोनों भी बहुत कीन थे कि देश के अंदर वेट इंट्रोड्यूज हो और जनक भी वही थे। इनके बाद चिदम्बरम साहब आये, वह भी इसको परस्यू कर रहे हैं। लेकिन वहां मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा उस वक्त, कि वहां पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात हो रही थी, वहां न कोई बीजेपी थी, न कांग्रेस थी, सारे के सारे हित जो थे वह राज्यों का हित सर्वोपरि था कि हमारे राज्य का क्या होगा। हमसे भी कहा गया, हमने कहा कि हम तो तब लागू करेंगे क्योंकि हमारा दिल्ली से ट्रेड अफेक्ट होता है, हमारा व्यापार दिल्ली से अफेक्ट होता है, दिल्ली वाले राज़ी नहीं होंगे तो हम कतई तैयार नहीं होंगे इसके लिए। इसीलिए डिले हुआ। खैर वह सब, सभी जगह पोस्टपोन्ड हुआ, दिल्ली का प्रेशर पडा, और जगह का प्रेशर पडा क्योंकि कई स्टेट के अंदर चुनाव आ रहे थे, अब यह लागू हो गया। गुजरात वाले बहुत कीन हैं, आपकी गुजरात के अंदर स्टेट है, आप पार्टनर हैं उड़ीसा के अंदर, वहां पर भी लागू हो गया, कर्नाटक में लागू हुआ, तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप वेट के बारे में जो भ्रांति अभी तक फैली हुई है, जो आज आप जवाब दें, उसके बारे में आप यहां पर निश्चित रूप से कुछ कहेंगी और जो मेरे सुझाव हैं मानना न मानना आपके हाथ में है लेकिन यह समस्याएं आपके सामने भी आएंगी। और कुछ यहां भी चीजें हैं जिनमें कि बड़ा सोच समझ करके जिनको एग्जम्प्ट किया गया था। सैल्स टैक्स की रेट कम की गयी थी । अब आप उनमें कुछ फर्क तो कर नहीं पाएंगी लेकिन कुछ चीजों को जो राज्य की चीजें हैं अगर आप चाहें तो उनको आप जीरो कैटेगरी में ले जा सकती हैं जो 12 में आ गयी हैं उनको आप 4 में ला सकती हैं। लेकिन बहुत बड़ा आप हर चीज को लाने की चेष्टा करेंगी तो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर जो एक फ्लोर रेट तय हुई है वो पूरी की पूरी तहस नहस हो जाएगी। अब आप पंजाब को ले लीजिये, अब आप हरियाणा को ले लीजिये, डीजल के ऊपर रेट्स में फर्क है मैंने घी का आपको पहले ही कह दिया कि यह घी की इंडस्ट्री राज्य की बरबाद हो जाएगी। तो आप इस तरफ ध्यान देंगी। अब मैं अंत में आपसे निवेदन

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

करना चाहूंगा दो बातें और। लैण्ड टैक्स के बारे में लैण्ड टैक्स राजस्थान में पहले लैण्ड एंड बिल्डिंग टैक्स था बहुत बड़ी मांग होती थी बहुत नॉमिनल अमाउंट आता था हमारे पास करीब 18-20 करोड़ रुपये साल के आते थे। तो हमने उसको विदड्रा किया क्योंकि मांग थी करेप्शन के चार्जेज थे, हरेसमेंट के चार्जेज थे टैक्स का कलेक्शन नहीं हो रहा था। तो अंततोगत्वा यह निर्णय हुआ कि इतने छोटे से अमाउंट के लिए जनता को क्यों तकलीफ में रखा जाए और वो हमने वापस लिया। अब आपने लैण्ड टैक्स लगा दिया । अब किसके ऊपर लगा लैण्ड टैक्स कॉमर्शियल प्लाट्स के ऊपर और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के ऊपर। अब एक तरफ तो आप इंडस्ट्रीज को राजस्थान में लाने की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में जो कंपीटीटिवनेश है आज मार्जिन्स बहुत कम हो गये इंडस्ट्रीज में इतनी प्रतियोगिता है आपस में। अब आपने लैण्ड टैक्स लगा दिया। आजकल पर्यावरण के नाम पर जब उद्योग लगता है तो बड़े-बड़े भूखण्ड खाली छोड़े जाते हैं अब उनका फेट क्या होगा। वो टैक्स के दायरे में आएंगे एक तरफ तो आप पर्यावरण के नाम पर पेड़ लगाने की बात करते हैं आपने खुद देखा है बड़ी यूनिट्स देखी होंगी आपने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): बड़ी पर ही लगेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं तो अब यह क्या पता आपने स्पेल आउट तो किया नहीं। जो छोटे-छोटे कस्बों में छोटी इंडस्ट्रीज हैं किसी ने एक्सपांशन के साथ क्योंकि भविष्य में जब कभी इंडस्ट्रीज लगाता है माननीय तिवाड़ीजी आप कह रहे हैं तो हर आदमी एक्सपांशन के हिसाब से ज्यादा जमीन लेकर चलता है आप मानें चाहे मत मानें हर एक के पास जरूरत से थोडी बहुत ज्यादा लेने की चेष्टा करता है कि भविष्य में हमने एक्सपांशन किया तो हमारी स्थिति क्या बनेगी। अब आप उसको टैक्स के दायरे में ला रहे हैं। जब आप इंडस्ट्रीज को टैक्स के दायरे में लाएंगे क्योंकि इंडस्ट्रियल लैण्ड ये तो आपने कहीं नहीं कहा है। अच्छा साथ-साथ रीको भी लीज मनी ले रहा है जो रीको के द्वारा आबंटित प्लॉट हैं इंडस्ट्रीज के लिए जमीनों के उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स है। माननीय मुख्यमंत्रीजी थी नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो लैण्ड टैक्स की बात कर रहे हैं जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर पर्यावरण के नाम पर अन्य नामों के ऊपर जमीन का बड़ा क्षेत्र उन्होंने ले रखा है पेड़ लगा रखे हैं घास लगा रखी है अब वो भी कवर हो जाएंगे इसके अन्दर । इंडस्ट्रीज के कंपीटिटिवनेश को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

निवेदन है कि, क्योकि you have not spelt it कि क्या करेंगे आप, बाद में बनायेंगे रूल्स वगैरह बाद में बनेंगे। तो इस तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा नहीं तो इंडस्ट्रीज आपकी बहुत बेडली अफेक्ट होंगी। साथ में सेज आ रहा है आपका। आपके सेज की जमीनों के अन्दर कितने दिनों में आएगा हालांकि आपने पॉवर लिये हैं इसके अन्दर पॉवर लेकर आपने कहा कि किसी को भी एग्जम्प्ट करने की स्थिति है आपके हाथ में। जब आपके हाथ में एग्जम्प्ट करने की स्थिति है तो वो भी आईटी परपज के लिए आ रहा है दूसरी इंडस्ट्रीज भी उसके अन्दर नहीं की जा सकेंगी। अब दूसरी इंडस्ट्रीज खोल नहीं पाएंगे तो इन सारी चीजों को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। साथ-साथ कामर्शियल लैण्ड्स की आपने बात की है कि हम कामर्शियल लैण्ड्स के ऊपर भी लगायेंगे। एक तरफ माल कल्चर देश के अन्दर उसमें बिल्डिंग बन जाएगी वहां तो कोई जमीन छोड़ते ही नहीं हैं। इतनी महंगी जमीन है तो क्या जिनके ऊपर बड़े-बड़े शोरूम्स या आपके माल खड़े होंगे वो भी उसकी जमीन जो है क्या वो लैण्ड टैक्स के दायरे में आएगी? इसको भी आपको स्पेल आउट करना पड़ेगा क्योंकि देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को छोड़ कर माल कल्चर को डवलप कर रहे हैं नाम आ रहे हैं चाहे कोई हो रिलायंस हो, महिन्दा हो, आरपीजी ग्रुप हो, और ये पेंटालून वाले हैं ये सारे के सारे देश के अन्दर अब तो एक बाढ़ आ रही है क्या फेट होगा। हालांकि मैं बेसिकली इसके खिलाफ हूं। मैं बेसिकली इसलिए खिलाफ हूं कि जो रिटेल ट्रेड के अन्दर छोटा व्यापारी बैठा हुआ है उसका फेट क्या होगा। अगर आप इनको मल्टीनेशनल्स के आने की बात तो दूर रही देश के जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो इस कंज़्यूमर प्रोडक्ट की लाइन में आ रहे हैं तो जो छोटे व्यापारी हैं उसका क्या फेट होगा उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। आज परचून की दुकान है छोटी कपड़े की दुकान है इसका पूरा इकॉनॉमिक्स मुझे मालूम है। वो तो मिडिल मेन का कमीशन भी माल वालों को दे दिया जाएगा उनकी आमदनी तो होगी। लेकिन साथ-साथ आपको इसको इन्क्रीज नहीं करना चाहिए अन्यथा जो हमारे छोटे दुकानदार हैं जो कस्बों में, गांवों में, छोटे शहरों में बैठे हैं, गलियों में बैठा है उसका फेट क्या होगा यह बहुत चिन्ता का विषय है। आप इस तरफ ध्यान देंगी।

और एक बात आपसे और निवेदन करना चाहूंगा। माननीय माथुर साहब बोलना चाहते थे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उन्होंने मुझसे कहा कि आप यह दो पाइंट्स मेरी तरफ से कह दीजियेगा क्योंकि मैं कहूं कि मेरे विचार

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हैं ये उनके विचार थे मैं यहां रख रहा हूं । उन्होंने कहा कि राज्य की नोन टैक्स रेवेन्यु इन्कम किस तरह से बढ़े इसके बारे में जो आयल सैक्टर आपके बाड़मेर में खुला है या अन्य जगह में खुला है इसके बारे में आपको जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ रास्ता निकालकर कामर्शियल पोडक्शन शुरू हो सके और राज्य की नोन टैक्स रेवेन्यु इन्कम बढ़ सके, जिससे कि जो टैक्सेशन का भार दूसरे सैक्टर में आप लोगों के ऊपर डाल रहे हैं वो कम होगा। इसके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपके सर्विसेज के बारे में। आपके आईएएस का कॉडर है चाहे आईपीएस का कॉडर है पन्द्रह वर्ष हुए नहीं कि सुपर टाइम चाहिए सबको सुपरहैवी । नीचे के लेवल पर स्थिति यह हो रही है कि नीचे सिकूड़ता जा रहा है ऊपर बढ़ता जा रहा है। आज आपके लोअर लेवल के ऊपर जूनियर ऑफिसर्स में स्थिति यह बनेगी अगर यही हाल रहा क्योंकि आरएएस के प्रमोटी आपको मिल नहीं रहे हैं कलक्टर्स ढूंढने में आपको दिक्कत आएगी। तो मेरा निवेदन है कि मैं भी इस रुल से सहमत हूं कि कुछ लोगों को जो सुपर टाइम स्केल में जिनको आप पहला प्रमोशन देते हैं आप कुछ लोगों को अनुभव के आधार पर कुछ जिले छांट लीजिये बड़े जिले छांट लीजिये जिनको कि आप बड़े जिलों का चार्ज दे सकते हैं उन जिलों में उनके अनुभव का लाभ भी मिलेगा। यह बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो आरएएस के प्रमोशन का मामला पड़ा हुआ है इसको किसी तरह से आपको रिजोल्व करना चाहिए। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, हमारा भी नाम दिया हुआ था।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है मेरा नाम दिया हुआ है बोलने के लिए।

श्री सभापति: 6 बज रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब यह सदन ने समय बढ़ा दिया इस विधेयक के पारित होने तक तो हम दो सदस्य अपनी बात रख लेंगे तो क्या कष्ट हो जाएगा सभापति महोदय? यह क्या बात हुई?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, कल यह तय हो गया था कि पांच बजे माननीय मुख्य मंत्री रिप्लाई करेंगी अब पांच बजे की जगह ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आधा घंटा अगर बोल लेंगे तो क्या कष्ट हो जाएगा?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है उन्होंने हम लोगों को बोलने के लिए समय दिया है।

श्री सभापति: आप दस मिनट में बोल लें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): दस मिनट में नहीं बोल सकता मैं ...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): आप तो एक घंटा बोलेंगे ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) आप तो खूब बोलते हैं अगर प्रतिपक्ष के नेता बोलते होते तो चलो दो चार मिनट बोल लेते ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय कल्ला साहब, आपके इधर से बोल लिये प्रद्युम्न सिंह जी। उधर से लोग और बोलेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वो केवल फाइनेंस बिल पर बोले हैं एप्रोप्रियेशन बिल पर हमको बोलना है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, जब सदन का समय विधेयक के पारित होने तक बढ़ा दिया है तो फिर क्या कठिनाई है?

श्री सभापति: ये सभी माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए और कल छुट्टी है इसके लिए ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता से और प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय से चर्चा करने के बाद ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह लगातार यह प्रवृत्ति चल रही है पिछले साल भी एक्साइज पालिसी को इसी तरीके से पारित, एप्रोप्रियेशन बिल को पारित किया था और एक्साइज पालिसी को डिस्कस नहीं किया जा सका। आज भी यही तरीका अपनाया जा रहा है।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): सभापति महोदय, बोलना चाहते थे तो पहले बोलते।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप एप्रिशियेट करेंगी कि हमारी पार्टी की तरफ से हमारे नेता ने माननीय कल्ला साहब को डिबेट में आपसे पहले बोलने के लिए आपसे भी रिक्वेस्ट की थी और अध्यक्ष जी को भी मालूम है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कल्ला साहब बात कर लें उसके बाद मुख्य मंत्री बोल लें तो ठीक रहेगा।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): एक घंटा बोलेंगे वो।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): शॉर्ट कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसमें कोई एतराज नहीं है अगर आसन व्यवस्था करता है तो कल्ला साहब बोलें ...(व्यवधान) मेरी एक बात ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अण्डरस्टेंडिंग हैं आधा घंटा बोलेंगे, let him speak.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं इस पर एतराज नहीं कर रहा हूं। आप भी शायद इस बात से सहमत होंगे अपन ने सबने सहमति बनायी थी कि पांच बजे माननीय मुख्य मंत्रीजी का रिप्लाई हो जाएगी उस पर सबने कहा कि पांच बजे समय थोड़ा एक घंटा बढ़ा दें। कोई बात नहीं बोलो चाहे, अगर आसन व्यवस्था देगा तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री सभापति: माननीय कल्ला साहब आप 10 मिनट में बोल लें ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, एप्रोप्रिएशन एशन बिल संख्या-2, 2006 के बारे में मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। जो एप्रोप्रिएशन बिल पेश किया है इसमें राज्य सरकार को समेकित निधि से खर्च करने का अधिकार मिलता है और मेरा यह स्पष्ट मानना है कि सरकार ने जो इसमें प्रावधान किये हैं वह बिलकुल मिस एप्रोसिएशन के हैं जिसको मैं आंकडों के आधार पर बताऊंगा । सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि योजना आयोग निरन्तर राज्य सरकार को यह कहता आया है कि आप अपने नोन प्लान एक्सपेंडिचर को कम करते जाये और प्लान एक्सपेंडिचर को बढाये। राज्य सरकार को डेट स्वैप का फायदा मिला लेकिन इसके बावजूद राज्य में एक नोन प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और प्लान एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। इसके लिये मैं आपको आंकडों के आधार पर यह

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

बताना चाहूंगा कि वर्ष 2004-05 के बजट प्रस्तावों में 17164.22 करोड़ का प्रावधान था । 2005-06 के बजट प्रस्तावों में 18270.98 का प्रावधान था और 2005-06 के रिवाइज एस्टीमेट बढाया गया था उसमें 18134.10 करोड़ का प्रावधान रखा गया । 2006-07 के बजट प्रस्तावों में 20295.09 करोड़ का हो गया । इसका मतलब यह हुआ कि नोन प्लान एक्सपेंडिचर जो 2005-06 में 18270 करोड़ का बताया गया था वह अब बढ कर

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कल्लाजी, आप आंकडे तो दे दो पर शिक्षा मंत्री जी यह पूछ रहे हैं कि सोर्स क्या है, कहां से लाये यह आंकडे, हम भी किताब निकाल लें ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह सोर्स अपने बजट की किताबों के हैं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बजट एट ग्लांस से है, बजट स्टेडी से है, इकोनोमिक सर्वे से है किसी एक किताब का नाम बता दो ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं बता रहा हूं बजट की जो किताबें आपने दी हैं न उन्हीं बजट की किताबों से लिये गये हैं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कौनसी किताब से बजट एट ग्लांस से है, बजट स्टेडी से है, इकोनोमिक सर्वे से है किस से हैं यह बता दो आप ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): बजट की कौनसी किताब से है कोट तो कीजिए ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह आप दोनो ढूंढते रहना यह बोल रहे हैं आप ढूंढते रहना आंकडे कहां से आये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): फिर ठीक है । ऐसे ही चेपना है न फिर चेपो ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वित्त मंत्रीजी जब अपना जवाब देंगी उस समय बता देंगी कि मैंने यह आंकड़े गलत बताये हैं ।

श्री सभापतिः आपस में बैठे-बैठे बात नहीं करें ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जहां तक प्लान रेवेन्यु एक्सपेंडिचर का सवाल है 2004-05 में बजट एस्टीमेट 2236.68 करोड़ बताये गये थे ।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

2005-06 के बजट एस्टीमेट में 3063.28 करोड़ और 2005-06 के रिवाइज एस्टीमेट में यह 2530.53 करोड़ के बताये गये और 2006-07 के बजट एस्टीमेट में 2762.09 करोड़ का बताया गया । कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि नोन प्लान एक्सपेंडिचर इन्होंने एक तरीके से बढ़ाया है और प्लान का एक्सपेंडिचर इनका एक तरीके से कम हुआ है । इसी प्रकार नोन प्लान हेतु जो ऋण लिया था उसकी मात्रा में भी बढोतरी हुई है और प्लान के लिये जो ऋण लिया है उसमें घटोतरी हुई है । सभापति महोदय, हम प्लान में जो पैसा खर्च करते हैं उससे बिजली, सिंचाई और डवलपमेंट के काम होते हैं। नोन प्लान का जब खर्च बढ़ता है तो उससे हमारे यहां केवल मात्र पेंशन है, ब्याज है अथवा सैलेरी वगैरह में खर्चा ज्यादा बढ़ता है । तो नोन प्लान का खर्चा तो इनका बढ़ रहा है लेकिन प्लान के खर्चे कम हो रहे हैं इसके कारण ही 2003-04 में राजस्थान की ग्रोथ रेट जो 24.1 परसेंट थी वह घटकर लगभग 10.4 परसेंट के करीब आ गई । यह 10.4 परसेंट तो इस साल करेंगे इसके पहले तो 4.2 ही ग्रोथ रेट 2004-05 में रह गई थी ।

मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि फिस्कल रेस्पोंसेबिलिटी एण्ड बजट मैनेजमेंट का लाभ जो इनको मिलना चाहिये वह मिल नहीं रहा है । स्टेट वापस फिसक्ल प्रेशर में आ रहा है। इसका कारण यह है कि सरकार ने जो बिजली की योजनाएं लगाई थी स्वयं राज्य सरकार ने एक पुस्तक छपाई है उसमें कहा कि हमने बड़ी ऊंची उठाने उड़ी हैं, उसमें खुद मंजूर किया है कि दो साल में इन्होंने 363 मेगावाट बिजली पैदा की है जबकि कांग्रेस के शासन में प्रत्येक एक साल में लगभग 373 मेगावाट बिजली पैदा होती थी । यह तो इन्होंने खुद ने आंकडे दिये हैं उसके अनुसार सिद्ध होता है । हम लोगों ने पांच वर्ष में इन्फ्रास्ट्रक्चर के डवलपमेंट में पैसा अधिक खर्च किया है और इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की खातिर हम लोगों ने अपने बजट को समर्पित किया । लेकिन यह बजट इन्फ्रास्ट्रक्चर के डवलपमेंट के लिये समर्पित नहीं है। यह बजट एक तरीके से फिजूलखर्ची के लिये और अन्य बातों के लिये खर्च हो रहा है । मैं इस अवसर पर आपको बताना चाहता हूं कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। बिक्रीकर से 2003-04 में 13 परसेंट पैसा आता था । अब इन्होंने 18 परसेंट प्राप्त करने की बात कही है । उसके पीछे कारण क्या है? अभी टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि हमने

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

बिक्रीकर से रेवेन्यु ज्यादा प्राप्त की है। यह बिक्रीकर का रीग्रुपिंग आपने किया है उससे यह पैसा आपके पास ज्यादा आ रहा है । यदि आप रीग्रुपिंग नहीं करते तो पैसा आपको इतना ज्यादा नहीं मिलता । बिक्रीकर का लगभग 1200 करोड़ का भार राजस्थान की गरीब जनता के ऊपर डाला है तब जाकर यह रेवेन्यु आपकी बढ़ी है नहीं तो ऐसे नहीं बढती । आबकारी शुल्क से हमारे वक्त में 4 परसेंट आता था ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कल्ला साहब, आप एक साल बता दो जब आपने बिक्रीकर नहीं बढाया हो, आप एक साल ऐसा बता दो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हमने कौनसा बढ़ा दिया वह बता दो आप? हमने केवल रीग्रुपिंग की है बढाया नहीं है । आप जरा बताइए कि हमने क्या-क्या बढाया है बिक्रीकर में?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): केन्द्रीय करों में हिस्सा हमारे वक्त में 12 परसेंट मिलता था अब इनको 19 परसेंट मिलता है । अब यह कहते हैं कि हमारी एक तरीके से लायकी ज्यादा है, हमारे संबंध अच्छे हैं इसके कारण हमको पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है । यूपीए सरकार में और एनडीए की सरकार में एक बहुत बड़ा फर्क है । यूपीए की सरकार एक फैडरल गवर्नमेंट की तरह काम कर रही है ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): यह तो फ़ार्मूले से मिलता है ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एनडीए की सरकार एक तरीके से एक पार्टी की सरकार बनकर काम करती थी, राजनीतिक आधार पर काम करती थी इसी के कारण से यह सदन एप्रिसिएट करेगा कि हमारे वक्त में सड़क के पेटे, शिक्षा के पेटे और विद्युत सुधार के पेटे और अन्य सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम का पैसा हमारा 1150 करोड़ रुपये का बकाया था वह लगभग एक साल तक केन्द्रीय सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने नहीं दिया जिसके कारण राज्य के ऊपर बार-बार ओवर ड्राफ्ट की स्थिति आई । लेकिन वर्तमान केन्द्र की सरकार निरन्तर इनको बराबर पैसा और सहायता दे रही है जिसके कारण आज राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी है ।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैचिंग ग्रांट क्यों नहीं दी ।

श्री सभापतिः आपने खुद ने मान लिया कि सरकार की स्थिति अच्छी है ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ग्रांट इन एड जो है उसमें भी 2 परसेंट का इजाफा हुआ है और 2 परसेंट का इजाफा होने के कारण से ...

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मुझे कम डिस्टर्ब किया था क्या आधा समय आप लोगों ने ही ले लिया था ।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप बीच-बीच में क्यों खड़े हो रहे हो। आसन सक्षम है अपने आप रोक देंगे, आप विराजो । बार-बार बीच में नहीं उठोगे आप ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, आन्तरिक उधारे वर्ष 2005-06 में 37 परसेंट थी जो एक तरीके से यह कहना चाहिये कि हमारे वक्त में 29 परसेंट रही । इसी प्रकार यह सरकार ब्याज संधाय के लिये 17 परसेंट आन्तरिक व केन्द्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान 14 और आयोजना व्यय के लिये मात्र 21 परसेंट राशि खर्च कर रही है । आयोजना भिन्न में 42 परसेंट और केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में 5 परसेंट पैसा व्यय कर रही है । इस प्रकार मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि योजनाओं के लिये मात्र 21 परसेंट पैसा खर्च किया जा रहा है । इतना बड़ा बजट बनाया है मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि मात्र 5460 करोड़ रुपये का कैपिटल आउट ले है इसके अलावा और कोई ज्यादा पैसा इस बजट में नहीं है जिससे कोई परिसम्पत्तियां अर्जित की जा सके ।

मैं अब विस्तार से आपको कुछ विभागों के बारे में बताना चाहूंगा । सामान्य शिक्षा के अंतर्गत राजस्व व्यय वर्ष 2004-05 में बजट एस्टीमेट 4069.76 करोड़ किया गया था । वास्तविक खर्च 3869.67 करोड़ का हुआ और इसका अंतर 199.78 करोड़ ।

(समय : 18.00 बजे)

यानि इन्होंने जो वास्तविक खर्च किया है वह करीब-करीब लगभग 200 करोड़ रुपये कम किया है। पूंजीगत व्यय 40.76 करोड़ का, सामान्य शिक्षा में होना था जिसकी जगह सरकार ने 24.64 करोड़ रुपये का खर्चा किया, इसमें भी अंतर 16.62 करोड़ रुपये का हुआ। कुल मिलाकर मेरा यह कहना है कि वर्तमान में राज्य सरकार 2006-07 में सामान्य शिक्षा के लिए

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

4871.75 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रही है। मैं जानना चाहूंगा कि आप यह रुपया कैसे व्यय करेंगे क्योंकि बजट एस्टीमेट में जब 4069 करोड़ रुपये का प्रावधान आपने किया था तब आपने 3869 करोड़ रुपये खर्च किये। इसमें मुझे डाउट है कि यह रुपया जो सामान्य शिक्षा में आपने प्रावधित किया है वह पूरा खर्च नहीं कर पायेंगे।

इसी प्रकार आपकी पेयजल आपूर्ति की, राजस्व व्यय के खाते में सन् 2004-05 में 764.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और इसमें आपने 88.05 करोड़ रुपये व्यय किये ज्यादा। लेकिन पूंजीगत व्यय का जहां तक सवाल है इसमें आपकी पोल खुल गई और 1065.75 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के बाद वास्तविक व्यय आपका 624.0...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय सदस्य, मैं टोकना तो नहीं चाहता पर यह न्यायालय के अंदर विचाराधीन होने के कारण खर्च नहीं हुआ, तो सारी पृष्ठभूमि पढिये ना, केवल आंकड़े गाने से क्या मिल जाएगा आपको। यह तो सरकार बताये, आंकड़े तो ठीक है, आप तो कोई वस्तुस्थिति तो बताइये। माननीय नेता महोदय, यह जिम्मेदारी हम सबकी है जनता के बीच में सही चीज जानी चाहिये, केवल आंकड़ों को इस प्रकार से इंटरप्रियेट करिये जिससे उसकी सही तस्वीर सामने आ जाए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने आंकड़ा गलत बताया है क्या ?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): खर्च नहीं हुआ, तो उसकी की-फैक्टर ज्युडिशियली है तो आप क्या कर सकते हो यह बताइये मुझे ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने आंकड़ा गलत बताया क्या ?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आंकड़े को बताने से क्या मिल जाएगा आपको ? आपको यह जानकारी नहीं है तो जानकारी हमसे लीजिए कि खर्चा कम नहीं होने का कारण क्या है, जगह-जगह न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपकी मुख्य मंत्रीजी बता देगी।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): वह तो बता देंगे पर आपको यह चीज नहीं कहनी चाहिये, मैं यह कह रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): व्यवधान नहीं करें मान्य। इस प्रकार आपके चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में, जो 2004-05 का बजट

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

एस्टीमेट 239.58 करोड़ का था और एक्चुअल एक्सपंडीचर 892.92 करोड़ था यानि इसमें भी 46.66 करोड़ रुपये आपने कम खर्च किये। इसी प्रकार आपने इस बजट में 1115.27 करोड़ का प्रावधान किया है लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी करीब-करीब 115 करोड़ रुपया आप खर्च नहीं कर पाएंगे।

इसी प्रकार कृषि एवम संबंधित सेवाओं में 227.22 करोड़ रुपये का आपने प्रावधान किया वह 2005-6 के रिवाइज एस्टीमेट से एक तरीके से कम है। आपने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए आपका 2005-6 का रिवाइज एस्टीमेट 992.54 करोड़ का था अब वह आपने बजट एस्टीमेट 2006-7 को दिया है उसमें 925.56 करोड़ का आपने बताया, यह भी कम है।

ऊर्जा के क्षेत्र में 2005-6 का रिवाइज एस्टीमेट आपने बनाया था वह 2272.68 करोड़ के थे लेकिन वर्ष 2006-7 में 1999.65 करोड़ रुपये का आपने प्रावधान किया है इसका मतलब यह हुआ सिंचाई, ऊर्जा, कृषि और इसके अलावा परिवहन, परिवहन में आपका निश्चित रूप से करीब-करीब कुछ करोड़ रुपये ज्यादा है लेकिन वैज्ञानिक सेवा एवं अनुसंधान में 2.52 करोड़, यह भी कम है और आर्थिक सेवाओं में वर्ष 2005-6 के मुकाबले में आपने 2005-6 में 235.55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और अब यह प्रावधान आपने बजट एस्टीमेट जो 2006-7 के बताये हैं उनमें 198.90 करोड़ का प्रावधान किया है। तो मैं समझता हूं कि यह प्रावधान जो कम किये हैं उससे राजस्थान का एम्लायमेंट का स्तर कम होगा। राजस्थान के विकास की दर कम होगी। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कम होगी और राजस्थान पीछे चला जाएगा। अरबन डवलपमेंट के सैक्टर में...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रति व्यक्ति आय बढ़ी की कम हुई यह बता...(व्यवधान)

श्री सभापति: बीच में नहीं, मंत्रीजी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): प्रति व्यक्ति आय पिछले साल से तो बढ़ी है लेकिन हमारे 24.1 से आपकी कम है, 2003-4 से कम है। मैं इकनोमिक्स का विद्यार्थी हूं, आपने इकनोमिक्स नहीं पढ़ी है।

श्री सभापति: अब आप कनक्लूड कीजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अरबन डवलपमेंट और शहरी विकास के लिए आपने 2005-6 में 120.94 वास्तविक व्यय आपका रहा यह

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

भी 22.68 करोड़ रुपये कम व्यय किया। 2006-07 में आपने 223.98 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की बात की है, 85 प्रतिशत इनक्रीज दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि आप अरबन डवलपमेंट के ऊपर खर्च कर पायेंगे।

इसी प्रकार अरबन वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में आपने जो एस्टीमेट दिये हैं उसके अनुसार आपका 2006-7 का बजट है उसमें आपने 470.91 करोड़ और रूरल सप्लाई के लिए 249.92 करोड़ रुपये बताये हैं यह भी मैं समझता हूं कि 2005-6 का बजट एस्टीमेट था उससे कम है। 11वें वित्त आयोग और 12वें वित्त आयोग के...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सी. पी. साहब ने गलत कागज पकड़ाया है आपको (व्यवधान) कौनसा कागज पकड़ाया है सी. पी. साहब ने, गलत कागज कैसे दिया, आपने गलत कागज कैसे दिया इनको, कौनसा कागज दिया ?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): वास्तव में आपने गलत कागज पकड़ा दिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 407.81 करोड़ रुपये खर्च किये थे आपने और अब यह प्रावधान 470.91 करोड़ का है। रूरल में 2005-6 में 258.74 करोड़ का था उसकी जगह 249.92 करोड़ का प्रावधान किया जो कम है।

सभापति महोदय, 11 वें वित्त आयोग ने 23588.63 करोड़ रुपये दिये थे, 12वें वित्त आयोग ने इनको 15473 करोड़ ज्यादा दिया है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में भी इनको ग्रांट इन एड में भी पैसा ज्यादा मिल रहे हैं। मैं इस अवसर पर आपको यह कहना चाहता हूं कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, पंचायत राज को और स्वायत्तशासी संस्थानों को इमोल्यूमेंट्स देने के लिए अपनी सिफारिश करता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राज्य वित्त आयेग ने वर्ष 2004-5 में 130.39 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की और वर्ष 2005-6 में 133.49 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव दिया है जो 2.38 प्रतिशत है।

मैं चाहता हूं कि हमारे स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्वायत्ता को बढ़ाया जाए और इसको अधिक अधिकार दिये जाएं ताकि पंचायत राज को और नगरपालिकाओं को ज्यादा से ज्यादा सहायता देने के लिए सिफारिश कर सके।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, इनके राज में तो, पंचायती राज में (व्यवधान) नगरपालिकाओं को कम पैसा दिया इनके राज में। राज्य का अनुदान कम दिया। इनके राज में क्या हुआ, आपके राज में क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बीच-बीच में हस्तक्षेप करते हो। सभापति महोदय, सदन का टाइम बढ़ता है, मुख्य मंत्रीजी जवाब देना चाहती हैं इनको परेशानी बढ़ा रहे हो (व्यवधान) बोलने दे हमारी तरफ से बोल रहे हैं, बीच में क्या बहादुरी दिखा रहे हो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पहले हम सोच रहे थे कोई गम्भीर भाषण हो रहा है (व्यवधान) नहीं करेंगे।

श्री सभापतिः माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता महोदय, जो प्रिविलेज आपको मिला हुआ है, थोड़ा बहुत इंटरवीन, इनको थोड़े मिलेगा साहब।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपको प्रिविलेज बार-बार इंटरवीन करने का मिला हुआ है, दिया हुआ है आपको।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्रीजी के बहुत कृपापात्र हो यह मालूम है। आप वफादारी दिखा रहे हो इससे कोई ज्यादा नहीं होगी, आपसे खुश हैं वह।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): वफादारी दिखा रहे हैं। आपको जो प्रिविलेज मिला हुआ है वह कल्ला साहब को नहीं मिल सकता, पहले मिला हुआ था।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्रीजी खुद परेशान हो रही हैं आपसे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वफादारी दिखानी चाहिये कि नहीं दिखानी चाहिये, यह बता दीजिए आप ? आप तो यह बता दीजिए कि वफादारी दिखानी चाहिये कि नहीं।

श्री सभापतिः अब आप बिराजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, सरकार यह कहती है कि हमने अपना राजकोषीय घाटा कम किया है। यदि कोई डवलपमेंट के कामों में पैसा खर्च नहीं करें तो राजकोषीय घाटा कम हो जाएगा? इस

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

सरकार ने 922 करोड़ रुपये से अधिक की राशि राजकोषीय घाटे में कम करने के लिए रेवेन्यू एक्सपंडीचर और कैपीटल एक्सपंडीचर में कमी की उसके कारण से यह राजकोषीय घाटा कम हुआ है। इसके अलावा आपके डवलपमेंट के वर्क के लिए यह सरकार राशि कोई खर्च नहीं कर रही है। ब्याज की दर 12 प्रतिशत की थी डेट-स्वेप के लाभ के बाद भी 11 प्रतिशत की दर है वह कायम है, इसके अलावा...

श्री सभापतिः अब समाप्त करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 31 मार्च, 2005 तक, मैं सरकार को खास तौर से आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बिक्री कर का बकाया, आज तक 2249.17 करोड़ है, राज्य उत्पादन शुल्क में 213.34 करोड़ का बकाया, वाहनों पर कर से 20.55, भू राजस्व पर 67.91, कुलमिलाकर 2977.66 करोड़ करों की वसूली का बकाया है।

(समय : 18.00 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

इसके अलावा, इस सरकार ने बिक्री कर के अलावा पेट्रोल और डीजल के ऊपर सैस लगाकर वृद्धि की, बिजली की दरों में वृद्धि की। स्टाम्प ड्यूटी में डी.एल.सी. की रेट में 3 बार परिवर्तन करके जो वृद्धि की, इससे लगभग 3500 करोड़ रुपये का भार राज्य की गरीब जनता पर डाला। अब मैं जानना चाहता हूं, इस एप्रोप्रिएशन बिल के बाद, मैंने पिछली बार भी अपने उद्बोधन में कहा था कि आप पिछले दरवाजे से क्या-क्या बिजली पानी और सिंचाई की दरों में वृद्धि करने वाले हो और कौन-कौन से नॉन-टैक्स रेवेन्यु को बढ़ाने वाले हो, इसके बारे में भी खुलासा करें। क्योंकि आपने हमेशा बजट के अलावा भी अलग-अलग प्रकार से, राजस्थान के लोगों के ऊपर करों का बोझ बढ़ाया है। इस बार भी आपने बजट में केबल के ऊपर, 10 रुपये प्रति केबल कनेक्शन की दर से वृद्धि की। अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ठीक बता रहे थे कि आप पड़ोसी राज्यों से यदि बिक्री कर और वेट में एक जैसी दरें निश्चित नहीं करेंगे तो आज निश्चित रूप से घी है, हमारे जो कृषि उपकरण हैं उनके ऊपर टैक्स लगाकर आप क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं। आज राजस्थान में एक ओर ओलावृष्टि से लोग दुःखी हैं अकाल और अभाव से लोग दुःखी हैं। सरसों की खरीद नहीं हो रही है। ऐसी परिस्थिति में आपको राज्य की जनता

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

को राहत देने के लिये कृषि उपकरण के ऊपर टैक्स की माफी करनी चाहिए। घी और मावे के ऊपर टैक्स माफ करना चाहिए और पड़ोसी राज्यों में जो करों की दर है वही करों की दर राज्य में लगानी चाहिए। तब जनता को एक तरह से राहत मिलेगी। मैं खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि किसानों के लिये बीमा योजना है, वह ग्राम पंचायत वार होनी चाहिए। इसके लिये हम भी केन्द्रीय सरकार को कहेंगे और आपको भी यह अभिशंसा करनी चाहिए। दूध की कीमत में वृद्धि करनी चाहिए। गांव में बेरोजगारी बढ़ रही है इसके लिये आपके पास कोई योजना नहीं है आपको गांव की बेरोजगारी दूर करने के लिये कोई न कोई योजना बनानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एस.सी. और एस.टी. के लिये सरकार ने खास तौर से जो बैक लॉग का प्रश्न उठा था, इस बैक लॉग को आप योजनाबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। जो भी बैक लॉग है, उसमें परमोशन में हो चाहे नौकरियों में हो, उसको पूरा करना चाहिए। एस.टी., एस.सी. की महिलाओं को, जो परित्यक्ताएं हैं, उनको नौकरी नहीं दी गयी है, उनका आरक्षण 16 और 12 प्रतिशत था, उसको भी आपको करना चाहिए। आपके नागरिक सुरक्षा का एक मद है, एस.सी. और एस.टी. के लोगों पर जब अत्याचार होता है तो अत्याचार जिन लोगों पर होता है उनके लिये एस.सी. के लिये 5 करोड़ 10 लाख का और एस.टी. के लिये एक करोड़ के बजट का प्रावधान है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में जो बजट प्रावधान किया गया है वह बजट प्रावधान आपका पूरा नहीं हुआ है। आपने, एक लाख पचास हजार रुपये की राशि श्रीमती संतोष देवी की मंजूरी हो रखी है, वह राशि भी आपने उनको प्रदत्त नहीं की है, जबकि बजट का प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए अन्त में यह कहना चाहता हूं, इस सरकार का अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, भ्रष्टाचार में इस सरकार का ग्राफ बढ़ा है। इस सरकार का इस बात के लिये ग्राफ भी बढ़ा है कि इन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट कर दिया है। चुने हुए प्रतिनिधियों को चुन-चुन कर हटाना और चुने हुए प्रतिनिधियों को एक तरीके से असत्य मुकदमें बनाकर उनको फंसाना, यह इस सरकार का रह गया है। इसलिये मैं इस विनियोग विधेयक का विरोध करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भ्रष्टाचार को रोकिये। आज आपके थाने बिक रहे हैं। आपकी रजिस्ट्रियां जहां-जहां हो रही हैं, वहां भ्रष्टाचार हो रहा है। बिक्री कर के विभाग में

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

भ्रष्टाचार और आबकारी विभाग में जितना भ्रष्टाचार हुआ है इसमें आपका और आपकी सरकार का भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ा है। इसलिये मैं इस विनियोग विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने शेर नहीं बोला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं शेर सुनाना चाहता हूं। 'हालत हमारे प्रान्त की खराब है यारों, हर तीसरी दुकान पर शराब है यारों।' यह सरकार की उपलब्धि है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी। अब बीच में नहीं बोलें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबका एक कॉमन आब्जेक्टिव था, राजस्थान का चहुंमुखी विकास । इस कॉमन आब्जेक्टिव को लेकर जनता ने हम सबको चुनकर इस हाऊस में भेजा है। बजट सत्र जब शुरू हुआ तो मैंने छूटते ही एक खुले हृदय से विपक्ष के साथ मिल बैठकर सहयोग की अपील की और कोशिश यह की कि समन्वय और समझदारी के साथ हम लोग उसका लाभ देखें और उसको अपने राजस्थान के अन्दर फैलाने की कोशश करें। इसमें एक उदाहरण तो अभी-अभी आप सभी को देखने को मिलेगा। हम लागों ने इस हाउस के अन्दर, पानी के ऊपर एक संकल्प लिया। हम दोनों की आवाज दिल्ली तक और पंजाब तक बुलन्दी से पहुंची और उसका नतीजा यह हुआ कि पानी जैसे हम लोग चाहते थे उसी तरीके से हम लोगों को मिला। मैं इस हाऊस के अन्दर आप सबको एक दफा बधाई देकर धन्यवाद देना चाहती थी परन्तु अन्फाचर्युनेटली दूसरे दिन ही व्यवधान हो गया और उस बात को आप लोगों के सामने जिस तरीके से रखना चाहती थी वह नहीं रख पायी।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब दे-दें, साहब।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मैं दे रही हूं, आप सब लोगों को धन्यवाद फिर भी देना चाहती हूं। और मैं भृतरिहरिजी के शब्दों में कुछ बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। 'शायद यत्न से पैरने पर रेत से भी तेल निकल आये, शायद प्यासे को मृगतृष्णा में भी पानी मिल जाए। घूमते घामते कहीं पर खरगोश का सींग भी शायद हाथ पड़ जाएगा, किन्तु हठ ठाने हुए व्यक्ति के मन को राज़ी करना सम्भव नहीं है।' यह हमारे लिये बहुत मुश्किल काम हुआ और मैं तो समझती हूं कि वाद-विवाद हो यहां, सक्रिय सुझाव हो जाएं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप लोग करें परन्तु अन्त में लोकतांत्रिक मूल्यों

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

के ऊपर अपन ध्यान रखते हुए उसका एक उदाहरण इस हाउस के द्वारा पूरे देश के अन्दर देने की कोशिश करें। मैं नहीं समझती हूं कि किसी भी तरीके से हाउस को स्टेण्ड-स्टिल में लाना यह प्रतीकों का एक उदाहरण नहीं बनता है। आज मैं समझती हूं कि मैं निराशावादी तो हूं नहीं, इसलिये फिर से एक सच्चे दिल से और साफ मन से विपक्ष से को-आपरेशन की अपील करती हूं। पूर्व बजट में जब सामान्य चर्चा हुई थी तो कई चीजें उस चर्चा के अन्दर निकली थीं मैं यहां देखती हूं कि फिर से उनमें से कई बातें दोहरायी गयी हैं। मैं चाहती हूं कि उनके ऊपर भी मैं कुछ प्रकाश डालूं और इस सत्र में उन चीजों के ऊपर थोड़ी सी नजर डालना चाहूंगी। माननीय सदस्यों ने राज्य पर बढ़ते कर्ज भार का मुद्दा उठाया, आक्षेप जिस तरीके से लगाये, जैसे राज्य को कर्ज में हम लोगों ने डूबो ही दिया है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि एक निगाह अगर आप डालेंगे, हमारी फाइनेंशियल पेरामीटर्स को देखेंगे तो यह मेजर फिस्कल इम्प्रूवमेंट आपके सामने दिखाई देगा। यह पूरी तरह से स्पष्ट है। इसलिये मैं समझती हूं कहने के लिये बाकी कुछ बचता नहीं है। सिर्फ रेवेन्यु डेफिसिट के ऊपर और इसलिये मैंने एक टेबल के द्वारा उसको आपके सामने रखने का सोचा है। 2003-04 के अन्दर जो आपका एस्टीमेटेड रेवेन्यु डेफिसिट है, मैं इसको फिर दोहरा रही हूं, एस्टीमेटेड डेफिसिट आपका था 3673 करोड़ रुपया, जब एक्चुअल डेफिसिट 3425 करोड़ था। 2004-05 में एस्टीमेटेड रेवेन्यु डेफिसिट घटा, 2143 करोड़ हुआ। 2005-06 के अन्दर यह 1523 करोड़ एस्टीमेटेड रेवेन्यु डेफिसिट रहा और एक्चुअल डेफिसिट 865 करोड़, रिवाइज एस्टीमेट पर आकर रुक गया। 2006-07 के अन्दर, बजट एस्टीमेट के अन्तर्गत हम सोचते हैं कि 43 करोड़ रुपये तक हम लोग आकर रुक जाएंगे और अगर हम अगर इसी प्रकार चले, राजस्व घाटे को हम लोगों ने इस तरह से कण्ट्रोल किया तो जो हम रिजल्ट 2008-09 के अन्दर देखने की सोच रहे थे, मैं समझती हूं कि शायद इसको 2007-08 के अन्दर ही हमको देखने को मिल जाएगा। यह रेवेन्यु रिसीप्ट के अन्दर वृद्धि और अनप्रोडक्टिव रेवेन्यु के अन्दर कमी...

श्री अध्यक्षः किसका मोबाइल बजा? कमाल करते हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): यह सम्भव हुआ है, और मैं समझती हूं कि यह 3 बजट के अन्दर 3424 करोड़ रुपये के रेवेन्यु डेफिसिट को हम लोगों ने 43 करोड़ पर लाकर रख दिया है। मैं समझती हूं कि

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

राजस्थान के अन्दर यह ऐतिहासिक टर्न अराउंड हुआ है। और हमेशा मीन-मेख नहीं करते हुए थोड़ा सा बड़ा दिल रखकर शाबासी देने में क्या बात है, उसमें से अपने को कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। कभी-कभी कह दो कि हां, अच्छा हुआ। वैसे जब बाहर हाउस से जाते हैं आप लोग, वह तो मानते भी हो और अपने यहां तो अपने को सबको अपना धर्म निभाना पड़ता है। इसीलिए मैं इसमें कुछ फिसकल डेफिसिट की तरफ निगाह आपकी डालना चाहूंगी। इसके बारे में भी हमारे सदस्यों ने बात की है। 2003-04 के अन्दर 7367 करोड़ रुपया और फिसकल डेफिसिट परसेंटेज आफ जी.एस.टी.पी. के हिसाब से आप चलो तो 7 परसेंट था। 2004-05 के अन्दर यह नीचे आया 6146 करोड़ और 5.5 परसेंट फिसकल डेफिसिट टू जी.एस.टी.पी. था। 2005-06 के अन्दर 6069 करोड़, यानि रिवाइज्ड एस्टीमेट के हिसाब से 4.9 परसेंट फिसकल डेफिसिट परसेंटेज आफ जी.एस.टी.पी. हुआ और 2006-07 के अन्दर यह और घटकर बजट एस्टीमेट के हिसाब से 5141 करोड़ और 3.8 परसेंट फिसकल टू जी.एस.टी.पी. हुआ। इसमें मैं यह कहना चाहूंगी कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट का जो फिसकल डेफिसिट रिडक्शन का जो एनुअल टार्गेट पाइंट 4 परसेंट है, वह 2005-06 के अन्दर हमने पाइंट 6 परसेंट और 2006-07 के अन्दर 1.14 परसेंट कर दिया और इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट की रिक्वायरमैंट के अनुरूप ही नहीं बल्कि हम उससे कहीं ज्यादा आगे चल रहे हैं। इसके लिए मैं समझती हूं कि हम लोगों को, इस सरकार को कांग्रेचुलेट करने की जरूरत है।

डैट और इण्ट्रेस्ट पेमेंट वाली बात जहां पर हुई। वहां मैं यह कहूंगी कि डैट और इण्ट्रेस्ट की लायबिलिटी का जहां प्रश्न आता है वहां रेट आफ इण्ट्रेस्ट के अन्दर हम लोगों ने कमी किया है और प्लान साइज को बढ़ाने के साथ-साथ हम लोगों ने डिपेंडेंस ऑन डैट को प्लान फंडिंग के अन्दर हमने बहुत सारी कमी कर दी है। और इसके अन्दर भी अगर आप देखोगे, उसके फिगर्स देखोगे तो जो 2002 के अन्दर 5901 का लोन और प्लान एक्सपेंडिचर केवल 4431 वह 2003-04 के अन्दर लोन का हिसाब जो था वह 7490, क्योंकि पूरा साल तो आप थे परन्तु प्लान एक्सपेंडिचर का जहां टाइम हुआ, चार हजार कुछ का आपने प्लान दिखाया था। उसको हमने बूस्ट अप करके लास्ट क्वार्टर के अन्दर 6044 हम लोगों ने किया। और यहां आप 2004-05 के अन्दर इसका रिवर्सल देखना शुरू कर लेंगे क्योंकि लोन अकाउंट में हम लोगों ने थोड़ा

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कम करके 6773 करोड़ रुपया और प्लान एक्सपेंडिचर को बूस्ट करके 6591 करोड़ रुपया हम लोगों ने कम किया। 2005-06 के अन्दर इसको और कम करते हुए 2006-07 के अन्दर 5202 बजट एस्टीमेट के अन्दर और प्लान एक्सपेंडिचर दुगना 8563 करोड़ रुपया। यह तो फिगर्स हैं और मैं समझती हूं कि राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, पूर्व वित्त मंत्री होने के नाते इस चीज को एप्रिशिएट जरूर करेंगे। जहां तक इण्ट्रेस्ट बर्डन की बात है उसके रेट आफ इन्क्रीज के ऊपर भी हम लोगों ने पूरी तरीके से नियंत्रण किया है। जहां 2002 के अन्दर, 2002-03 के अन्दर 33 परसेंट था वहां 2006-07 के अन्दर बजट एस्टीमेट के हिसाब से 24 परसेंट तक हम इसको लाने की फिराक में है। मैं समझती हूं कि उसको पूरी तरह से हम लोग कर पाएंगे।

हमारे कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि आंकड़ों का मैनिपुलेशन होता रहा है। और इस आंकड़े के मैनिपुलेशन को आप लोग बड़ी चतुराई से, कुशल वित्तीय प्रबंधन की बात करते हो। परन्तु एक्चुअल अगर देखा जाए बजट एस्टीमेट्स की तुलना में, सच्चाई आपको मालूम पड़ जाएगी कि कुछ और है, यह कहना था। अभी 2004-05 के जो वास्तविक आंकड़े हैं वह हम लोगों के सामने उपलब्ध हैं और उससे यह क्लियर हो जाता है कि 2004-05 के अन्दर जो रिवाइज्ड एस्टीमेट हम लोगों ने प्रस्तुत किये थे वे सिर्फ सही साबित नहीं हुए हैं बल्कि उसके अन्दर बहुत अच्छा सुधार हुआ है। तो इसीलिए मेरे को तो पूरा विश्वास है कि 2005-06 के अन्दर यह रिवाइज्ड एस्टीमेट जो हमारे हैं वह सही साबित होंगे और मुझे बेक डोर से कुछ कर लगाने की जरूरत जो अभी तक मैंने नहीं किया है, उसको मेरे को करने की जरूरत नहीं होगी। जहां तक रेवेन्यू डेफिसिट और जी.एस.टी.पी. की ग्रोथ की बात है। वहां भी आप अगर देखेंगे तो 2002-03 के अन्दर – Revenue deficit as a percentage of revenue receipts, 30 प्रतिशत और 2006-07, बजट एस्टीमेट के हिसाब से – Revenue deficit as a percentage of revenue receipt. खाली पाइंट वन एट्थ परसेंट, 30% to .18% । और यह बात भी कटु सत्य है कि 2001-02 और 2002-03 के अन्दर राजस्व घाटे के अन्दर जो फाइव परसेंट प्रतिवर्ष की कमी की जानी चाहिए थी वह पूर्ववर्ती सरकार नहीं कर पायी। और मैं समझती हूं कि 30 परसेंट से घटाकर पाइंट वन एट्थ परसेंट तक बजट एस्टीमेट हम लोगों ने लाकर कर दिया है, वह भी अपने आप में एक मिसाल है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अब एफ.आर.बी.एम. एक्ट, इसके ऊपर हमको बहुत कुछ सुनने को हुआ। कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट के तहत जो प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट है उसमें जी.एस.टी.पी. के अन्दर जो 10 परसेंट ग्रोथ का सब्मिशन है वह तो बिलकुल ही गलत है। मैं आप सबको यह सूचित करना चाहूंगी कि वही ट्वेलथ फाइनेंस कमीशन, टी.एफ.सी. की जो बार-बार सब माननीय सदस्यों ने बात की है कि कितना पैसा आया और उस पैसे की वजह से ही हम लोग अभी तक मैनेज कर पा रहे हैं वह सब बातें हुईं। कई लोगों ने कही और उस टी.एफ.सी. की रिपोर्ट के अन्दर यह बताया गया है कि जी.एस.टी.पी. ग्रोथ राजस्थान के अन्दर 12.8, इसका अजम्प्शन है, मैंने तो बड़ा कंजरवेटिव होकर अजम्प्शन 10 परसेंट का यहां फोरकास्ट किया। मैं यह मानती हूं कि जब अकाल होता है तो जी.एस.टी.पी. के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट होता जरूर है। परन्तु मैं यह भी मानती हूं कि जब अच्छा वर्ष निकलता है तो उसका भी जो ग्रोथ होता है, स्टेट के अन्दर उसके ऊपर भी अपन को ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए अगर पांच वर्ष का ग्रोथ अगर अप एण्ड डाउन अगर आप उसको देख लेंगे तो एवरेज ग्रोथ इवन आउट हो जाती है 10 परसेंट इसलिए कंजरवेटिवली मैंने 10 परसेंट का इसके ऊपर मैंने नोट किया था।

इसी तरीके से कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि प्लान बजटेड एक्सपेंडिचर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर के अन्दर कितना फर्क है? मैं तो इसमें यह कहना चाहूंगी कि हां, कुछ-कुछ फर्क कहीं-कहीं जरूर हुआ होगा। परन्तु अगर हमारा पैसा जो अवार्ड के अन्दर हम लोगों को अगर मिल जाता तो मैं समझती हूं कि उसमें बहुत कुछ फर्क हम ला भी सकते थे। परन्तु खुद अपनी सरकार के दौरान जो बजटेड और वास्तविक व्यय के अन्दर जो गेप रहा है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी निगाह आप डालें। अपन तो एक्चुअल से एक्चुअल कम्पेयर कर लें तो अपन देख लेंगे कि प्लान का एक्चुअल खर्चा कब-कब बढ़ा है तो 1999-2000 के अन्दर अगर एक्चुअल प्लान एक्सपेंडिचर आप देख लें तो 3685, इसी तरीके से यह 2001-2002 में 4219, 2003-2004 के अन्दर जो आपने प्लान बनाया था वह 4258 करोड़ रुपये, जिसको हम लोगों ने बूस्ट करके 6044 किया और अब 2005-06 के अन्दर 8155 करोड़ रुपया, वह भी मैं समझती हूं कि बहुत अच्छा है।

कल्ला साहब ने अभी स्टेट फाइनेंस कमीशन के संबंध में परेशानी दिखाई। उन्होंने बहुत परेशानी दिखाई बिजली के उत्पादन पर, इन्फ्रास्ट्रक्चर के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ऊपर भी उन्होंने कहा कि यह इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट में खर्चे की बात आप लोग करते हैं। केपिटल एक्सपेंडिचर के फिगर्स मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहती हूं।

वही 1999-2000 के अन्दर 1517 को 2006-07 के अन्दर हम लोगों ने 5024 कर दिया है। यानि almost 4500 to 5000 crore rupees as against 1500 to 2000 crore का केपिटल एक्सपेंडिचर। यानि इतना डिफरेंस में आपको यही दिखाई देगा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कहां होगा और साथ-साथ एस.आर.एस. तो हमने बनाया है। मेगा हाईवेज हम बना रहे हैं। हमारे रोड प्रोग्राम्स हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पर इतने सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट का काम हो रहा है। अगर आप जनरेशन के अन्दर ही देख लीजिए कि आपके समय के अन्दर आपने खाली सेंक्शन वन थाउजेंड एण्ड सेवंटी किया था। हम लोगों ने तो आलरेडी 1525 तो सेंक्शन अपने जनरेशन प्रोजेक्ट्स बना लिये, कर लिये हैं, जिसमें गिरार-1 का काम कम्प्लीट हो गया। 2 अभी चल रहा है। धौलपुर, छबड़ा, के.टी.पी.एस., एस.टी.पी.एस., यह सब चल रहे हैं और जो आपके समय के अन्दर यानि पूरे होकर ऑन लाइन आये हैं, वह भैरोंसिंहजी साहब के टाइम में उसके ऊपर पूरा काम हुआ और उसका बेनिफिट आपको देखने को मिला। मैं समझती हूं कि उसके लिए भी आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही धन्यवाद देने की जरूरत है।

फिर यह प्लान वर्सेज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। यह जुबेर साहब ने बजट के टाइम पर इश्यू उठाया था। मैं फिर इसको दोहरा देती हूं, क्योंकि आपने उसको उठाया। मैं यह कहना चाहूंगी कि प्लान एक्सपेंडिचर के मुकाबले में आपने नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बात की है। मैं बताऊंगी आपको कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वर्ष 2000-2001 में प्लान एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट 3.6 गुना था। और 2005-06 में यह घटकर 2.2 गुना हो गया, अनुमानित है यह और दूसरी तरह से अगर आप देखेंगे तो 2002-03 से 2006-07 तक इंक्रीज इन प्लान एक्सपेंडिचर 93 परसेंट, इंक्रीज इन नोन प्लान एक्सपेंडिचर ओनली 37 परसेंट जबकि कांग्रेस रीजिम के अंदर इंक्रीज इन प्लान एक्सपेंडिचर 16 परसेंट, इंक्रीज इन नोन प्लान एक्सपेंडिचर वह 45 परसेंट, मैं समझती हूं यह सब अपनी बात तो नहीं कर रहे हैं। पुराने कागजों की बात कर रहे हो, मुझे

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

समझ में नहीं आता। इसी तरह से राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात उठाई थी, वही उनका फेवरेट सब्जैक्ट टी.एफ.सी. और उसमें ट्रांसफर्स हमको हुए हैं। और इसकी वजह से अगर वह नहीं हुए होते तो हमारा क्या हाल हो जाता, इसका उल्लेख फिर उन्होंने किया है। वास्तव में यह बढोतरी आप सब जानते हैं कि यह चलती हुई प्रक्रिया है, इसको तो अपन रोक नहीं सकते, पहले भी हुआ है, अब भी हुआ है, बाद में भी होगा। दसवें वित्त आयोग के अंदर करीबन 10,401 करोड़ रुपये और ग्यारहवें वित्त आयोग, जिसमें 24,027 करोड़ रुपये मैंने आपको उस टाइम भी पाइंट आउट किया था कि 130 प्रतिशत अधिक और यह आप लोगों का पीरियड था, आपका बहुत बड़ा ओवर लेप इसमें था। और बारहवें वित्त आयोग का अगर आप देखेंगे तो थर्टी नाइन थाउजेंड करोड़ की बात आप कर रहे हो और फिगर देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत अच्छा बड़ा फिगर है । अगर आप उसके आंकड़ों के परसन्टेज ले लोगे तो जो हमको फायदा मिला है तो ओनली एट दी रेट ऑफ 63 परसेन्ट, अगर अपन क्विबल करेंगे इन चीजों के ऊपर मैं समझती हूं इस पर अपने को ध्यान नहीं देना। क्योंकि यह प्रक्रिया आपके समय में होगी और आने वाले समय के अंदर भी होने वाली है। यह हमको अवार्डेड पैसा है, यह आयेगा। राजस्थान का पैसा है, राजस्थान को मिलेगा।

अब इसी तरीके से आपने वैट के अंदर कुछ बातें कीं। मैं जब वैट के ऊपर आऊंगी तो उन चीजों को मैं उस समय उठाऊंगी पर मैं एक घोषणा यह करना चाहूंगी कि राज्य के साहित्य संगीत एकेडमी इस समय दो हिस्सों में बंटी हुई हैं। और इसकी वजह से इनका प्रशासनिक प्रबन्धन, इनका कार्यक्रम, समन्वय और इनकी समस्याओं का सामना हमको करना पड़ता है। इसलिए राजस्थान साहित्य एकेडमी, राजस्थान संगीत एकेडमी, चित्रकला एकेडमी, उर्दू एकेडमी, सिन्धी एकेडमी, राजस्थानी भाषा एकेडमी, इन सबको एक छत के नीचे लाने का हमने सोचा है और इसे कला और संस्कृति विभाग के साथ जोड़ने का हम लोगों ने प्रस्ताव करके इसी क्रम में इस विभाग का नाम बदलकर कला, संस्कृति और साहित्य विभाग यानि डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एण्ड लिट्रेचर कर दिया है। इसी तरीके से डिस-एडवांटेज ग्रुप जो अपने हैं, उनके ऊपर हमको कोई भीख देने की जरूरत नहीं है और ना वो हमारे हमदर्दी की या पिटी की अपेक्षा करते हैं। मैं समझती हूं कि इनको भी अच्छी अपोर्चुनिटी मिलनी चाहिये। भले ही वह अनुसूचित जाति हो, भले ही वह

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

महिला हो, भले ही वह फिजिकल चेलेंज्ड हो, वह समाज के किसी भी दूसरे वर्ग से कम नहीं है और इसलिये हम लोगों को पूरी तरह से एम्पॉवर्ड करने की जरूरत है। सामाजिक न्याय उनको देने की जरूरत है और इसको ध्यान में रखते हुए हमने समाज कल्याण विभाग को भारत सरकार के अनुरूप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग यानि सोशल जस्टिस एण्ड एम्पावर्डमेंट डिपार्टमेंट किये जाने की मैं घोषणा यह करना चाहूंगी।

इसी तरीके से पुलिस विभाग में वर्ष 2005-06 के अंदर 4000 जवानों की भर्ती की प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारम्भ की थी। कमी को देखते हुए 2006-07 में 2000 और कांस्टेबलों की नियुक्ति हम लोग प्रस्तावित करते हैं जिसमें से 1000 एक्साइज प्रोटेक्शन फोर्स के लिये होंगे।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग और भाखड़ा परियोजना क्षेत्र में बकाया राशि जमा करवाने के लिये ब्याज राशि में छूट की अवधि 31-3-2006 को समाप्त हो जाएगी। कई लोगों ने आकर हम लोगों का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है जबकि हजारों किसानों ने इस छूट का लाभ उठाया है। इस अवधि को और बढ़ाये जाने की मांग हमारे पास अक्सर आती रहती है। कृषकों ने इस सुविधा के लिये फिर यह कहा है कि 30 जून, 2006 तक इसको बढ़ाया जाए। यह देखते हुए दिनांक 6-8-2004, मैं एक दफा लास्ट बताऊंगी कि 6-8-2004 से इस छूट को लगभग दो साल हो गये बढ़ाते-बढ़ाते दो महीने, तीन महीने करते-करते और इसे जून से अधिक बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। हमने जून तक इसको बढ़ा दिया है। अब इसके बाद यह आखिरी बढ़ोतरी है। इसमें जिसको लाभ उठाने की जरूरत है, वह लाभ उठाये।

एक करेक्शन मैं करना चाहूंगी जो मेरे ध्यान में लाया गया था। मेरे बजट भाषण में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का भवन पुराना हो जाने की वजह से नया भवन बनाने का हम लोगों ने प्रस्ताव किया था। उक्त घोषणा में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ का उल्लेख हो गया था तो एक्चुअली यह घोषणा करते समय मेरा आशय था राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से ही, तो इसका करेक्शन मुझे करना है।

जनता और जन प्रतिनिधियों से हमको कुछ फीड बैक भी मिला है और इस फीड बैक के द्वारा लोगों का यह कहना है कि कृषि भूमि संबंधी बहुत

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सारे मुकदमे जैसे बिना फैसले के पड़े हुए हैं और उनके अंदर काफी देरी हो रही है और इसकी वजह से जनता को काफी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। उन सभी जगहों पर जहां पर बड़ी संख्या में मुकदमे विचाराधीन पड़े हुए हैं, ऐसे 34 स्थान हैं, उन 34 स्थानों पर दो वर्ष की अवधि के लिये नये ए.सी.एम. कोर्ट खोले जायेंगे।

बजट भाषण में निजी सहभागिता के आधार पर हम लोगों ने नये कालेज खोलने की योजना भी लागू की थी और आसीन्द और टोडाभीम के अंदर कालेज खोलने की हम लोगों ने घोषणा की थी। इसी पैटर्न में टोंक जिले के उनियारा में आवश्यकता को देखते हुए कालेज खोलने की घोषणा हम करना चाहते हैं। अब इस मामले के ऊपर मैंने काफी सुगबुगाहट इस हाउस के अंदर सुनी थी, मैं क्लेरिफिकेशन करना चाहूंगी कि लैण्ड टैक्स के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां आज भी सुनने को मिली। सुन नहीं रही हूं पर आज भी सुनने को मिलीं। मैं इसमें यह कहना चाहूंगी कि चार हैक्टेयर से कम की होल्डिंग पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। चार हैक्टेयर के होल्डिंग से कम पर टैक्स नहीं लिया जाएगा और जो टैक्स की रेट है वह मिनिमम रखी जाएगी। यह भूमि की दर का 5 प्रतिशत या एक रुपये प्रति वर्ग मीटर, जो भी कम हो, उसी दर से वह देय होगा और इस आशय के नोटिफिकेशन शीघ्र ही हम लोग जारी करने वाले हैं। मैं सदन को यह भी याद दिलाना चाहती हूं कि एग्रीकल्चर लैण्ड, रेजीडेंशियल लैण्ड, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। (व्यवधान)...

अब इसी प्रकार ग्रीन टैक्स की हम लोगों ने बात की। आजकल की दुनिया के अंदर पूरी दुनिया की निगाह पोल्यूशन के ऊपर है। मैं समझती हूं कि इस पर भी पूरा हाउस एक होगा कि जहां पोल्यूटेंट है, पोल्यूटेंट मस्ट पे, और इस वजह से ग्रीन टैक्स के संबंध में भी आशंकाओं को आज मैं यहां एड्रेस करना चाहूंगी। नोन-ट्रांसपोर्ट व्हिकल्स को 15 साल के बाद और उसके बाद हर 5 वर्ष पर रि-रजिस्टर कराना होगा। इस रि-रजिस्ट्रेशन के समय वाहनों को 250 रुपये का ग्रीन टैक्स देना होगा। इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट व्हिकल्स को हर वर्ष फिटनैस सर्टिफिकेट तो लेना पड़ता ही है This is under the Motor Vehicles Act of the Central Law. इसके अंदर तो लेना ही पड़ता ही है। ऐसे वाहनों को रजिस्ट्रेशन के समय 7 वर्ष के बाद केवल 200 रुपये

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्रति वर्ष ग्रीन टैक्स देना होगा। मैं समझती हूं यह जरूरी है, अपने को सबको इस व्यवस्था में लगना चाहिये।

आज वैट व्यवस्था अपने लिये बड़ी इम्पोर्टेन्ट और जरूरी व्यवस्था है। बजट भाषण में 1 अप्रैल, 2006 से राज्य में वैट लगाना प्रस्तावित किया था और यह व्यवस्था जब हमने चालू की थी तो जैसे आप सबने कहा तो राजस्थान की स्थिति के ऊपर ध्यान रखते हुए हम लोगों ने यह भी तय किया कि सी.एस.टी. अगर कम हो जाता है तो इसे समाप्त करने का रोड मैप क्लियरली दिखाई दे जाता है तो हम इसके ऊपर अपने अगले डिविजन पर आधारित करेंगे। राज्य में वित्त मंत्री की एम्पावर्ड कमेटी ने भी इस अभिशंसा को दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से सी.एस.टी. की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत लाने की उन्होंने अनुशंसा की। परन्तु मुझे कहते हुए बहुत दुःख है कि केन्द्र सरकार और एम्पावर्ड कमेटी अपने वायदे से पीछे हट गये।

और सी.एस.टी. की दर हर वर्ष एक परसेंट से घटाने की बात कही। जहां चार परसेंट से दो परसेंट पर जाने वाले थे वहां मुकर के उन्होंने यह कह दिया कि सी.एस.टी. से हम अब एक परसेंट हर साल करेंगे। इसलिए फिलहाल सी.एस.टी. चार परसेंट से अब 3 परसेंट हो जायेगा पर किस तरीके से होगा भी घोषणा नहीं की है और उन्होंने सिर्फ इतना ही कह दिया कि, भाई, हम एक टास्क फोर्स बना देंगे, अब वो वैसे भी एम्पावर्ड कमेटी थी जो इस चीज को देख रही थी परन्तु उन्होंने कहा कि अभी एडीशनल टु एम्पावर्ड कमेटी, हम एक टास्क फोर्स बना देंगे। जो अब इस चीज के ऊपर बात करेगा और डिसाइड करने की कोशिश करेगा। माने यह सिर्फ डिलेईंग टैक्टिक्स है और इससे मैं समझती हूं कि और ज्यादा देर हो जायेगी।

जाने माने अर्थशास्त्रियों से, उद्योगपतियों से, ट्रेड चैम्बर्स से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अनेक विशेषज्ञों से हम लोगों ने विचार-विमर्श किया है। क्यों? मैं यह समझती हूं कि यह इतना इम्पोर्टेंट सब्जैक्ट है, पूरा देश इसके अन्दर जा रहा है और अगर राजस्थान उसका हिस्सा बनने जायेगा तो इसके ऊपर बहुत लम्बे तरीके से और बहुत प्रिसाईज तरीके से हम लोगों को यह समझने की जरूरत है कि हम किस चीज के अन्दर और कहां जा रहे हैं और हम लोगों के ऊपर क्या भार आने वाला है। उनकी सलाह के ऊपर, क्योंकि मैंने यह सोचा कि, भाई, इसके ऊपर हम पीछे चलें क्या पर उनकी सलाह थी कि जो उन्होंने वायदाखिलाफी की है। उसके बाद भी ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

क्योंकि हम को काम्पेटेटिव बनना है, इन्टरनेशनल मार्केट के अन्दर हम को अपने गुड्स को ले जाना है ओर इसीलिए राज्य के बहुत अच्छे और समग्र हित के लिए और छोटे व्यापारियों के हित को अगर आप सर्वोपरि रखना चाहते हो तो एक अप्रैल से वैट की घोषणा के अन्दर आप लोग भी जुड़ जाओ। और इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए मैं इसके साथ कायम हूं।

इसके ऊपर हम लोगों ने स्टैडी किया, इसके ऊपर बहुत बातचीत हुई और मैं समझती हूं कि अगर इसको हम मिस कर जाते हैं तो आगे चलकर राजस्थान को नुकसान होगा। अभी नुकसान हो रहा है परन्तु और भी ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए कमर कस कर हम लोगों को यह कदम उठाना ही पड़ेगा परन्तु मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि वैट के दायरे में पांच लाख रुपये now you cann't go back. जो आपने कहा न कि इसको अपन कैलिबरेट कर सकते हैं, वह कैलिबरेट अपन नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे चारों ओर जो स्टेट्स हैं वो क्या करेंगे, वो भी अपने को ध्यान में रखना है। क्योंकि जैसे आप अच्छी तरह से समझते हैं कि वो एक ऐसा टैक्स है जो अगर एक या दो स्टेट्स भी यूनिफार्म फ्लो रेट से बाहर चले जाते हैं या टैक्सेशंस के अन्दर अलग हो जाते हैं तो फिर वैट का जो मतलब है वो ही खतम हो जाता है और इसीलिए कोशिश यह है कि जो रूल्स या जो बात या यूनिफार्म फ्लो रेट के हिसाब से एम्पावर्ड कमेटी ने हमारे सामने कोई बात रखी है ज्यादा से ज्यादा उसके अन्दर कोई वायोलेशंस नहीं हो ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा राजस्थान को मिल सके। और इसलिए पांच लाख रुपये के टर्न ओवर वाले व्यापारियों को वैट के दायरे में तो आना ही नहीं पड़ेगा, मैं अभी यह घोषणा करना चाहूंगी। और इसके साथ-साथ जो आप कम्पोजिशन वाली बात भी कर रहे थे, पांच लाख रुपये से लेकर पचास लाख तक के टर्न ओवर वाले व्यापारी हैं उनको च्वाइस है वो कम्पोजिशन वाली स्कीम के साथ लग सकते हैं जहां कम्पोजिशन सिर्फ एक परसेंट रखा गया है। और मैं अभी देख रही थी कि rate composition and VAT. जो हमारे पड़ोसी स्टेट्स हैं उनके ऊपर भी अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। तो दिल्ली के अन्दर वन परसेंट है, हरियाणा के अन्दर वन परसेंट है, पंजाब के अन्दर वन परसेंट है, मध्य प्रदेश के अन्दर वन परसेंट है। यह सब चारों और हमारे जो हैं यह सब वन परसेंट है और राजस्थान भी उस कम्पोजिशन रेट को मात्र एक प्रतिशत रखेगा, यह हम लोगों ने तय किया है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इसके साथ-साथ जो टिन नम्बर है, टिन को नयी व्यवस्था में भी हमने यह सोचा है कि यथावत हम रखेंगे नहीं तो लोगों को वैसे ही प्रॉब्लम्स हैं और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जायेंगी और व्यापारियों को दिये जाने वाला जो रिफंड है इस पर इंट्रेस्ट पेयबल भी साथ-साथ मिले ताकि ऐसी व्यवस्था और हम लोग जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। इसके ऊपर हम स्टैडी भी कर रहे हैं और अभी भी हम लोगों ने काफी फास्ट मूवमेंट किया है। इसके अन्दर भी हम चाहते हैं कि हम जल्दी से इसका मूवमेंट करें, हमारे सब लोग इसके ऊपर बैठे हैं और बहुत जल्दी इसको हम आपके सामने रखेंगे।

ट्रेड और इंडस्ट्री ने वैट की करों से सम्बन्धित कई समस्याएं हमारे सामने रखीं। यह बात आपने अभी कही, हमने अभी कमेटी बनायी है और इस कमेटी के दायरे के अन्दर हमने एक साल के लिए, उस कमेटी को एक साल के लिए रखा है कि जो जहां कष्ट और प्रॉब्लम्स हों वह सामने उनके ले आये ताकि वो कमेटी हमारे सामने उसको ला सके और यह आप याद रखें कि पचास साल की व्यवस्था को हम लोग बदलने जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो पिछले दो साल के अन्दर हमने रैशनलाइज कर के टैक्ससेशन को इस तरीके से कर दिया ताकि लोगों के ऊपर ज्यादा भार न पड़े। यह हम लोगों ने कोशिश की। अब उस पूरी व्यवस्था को हम लोग बदल कर नयी व्यवस्था के रूप में आयेंगे तो कुछ तो कठिनाई होगी। जब चैन्ज होता है तो कठिनाइयां कुछ तो होंगी। परन्तु इसको स्मूथ करने के लिए हमने एक तो कमेटी बना दी। और मैं आज हमारे सब माननीय सदस्यों को भी यह कहना चाहती हूं कि कोई भी ऐसा कष्ट आपके सामने आ जाता है तो प्लीज, आप हेजिटेड ना करें, आप हमारे पास आकर हम को बतायें।

मैं एक चीज आपके ध्यान में यह कहना चाहूंगी कि जो वैट प्रणाली के कर की दरें हैं, जैसे आप सब जानते हो एम्पावर्ड कमेटी ने उसको तय किया है और जब पूरे देश के जो टैक्सेशन रेट्स मोर और लैस एक समान हैं। तो हम भी उसके अन्दर रहना चाहेंगे और अगर हमें इन दरों का किसी भी हिसाब से वायोलेशन करते हैं तो केन्द्र सरकार अपने लोसेज का कम्पनसेशन, माने जो लोस है उसका कम्पनसेशन नहीं देगी। तो हम को भी बड़ा सोच-सोच कर और फूंक-फूंक कर चलने की जरूरत है क्योंकि अगर हमारे लोसेज ज्यादा बढ़ जाते हैं, वायोलेशंस ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हम कम्पनसेशन के एलिजेबल

(श्री मती वसुन्धरा राजे)

नहीं होंगे, यह नुकसान राजस्थान को वहन करना पड़ेगा। पर आजु-बाजू के प्रदेशों को देखते हुए हम लोगों ने बहुत ट्रेडर इंडस्ट्रीज से बात करने के बाद उनकी समस्या को समझने के बाद हम लोगों ने कुछ नये फैसले किये हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं।

एक राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह एक्ट वाली बात आपने अभी कही, मैं उसको एक दफे क्लेरिफाई कर दूं कि act is amended immediately but it is not notified and this brought in existence in 2002-03. You know it. It was in your time. और यू सीन कि उस टाइम से जब एग्जिस्टेंस में है तो इसके प्रोविजंस इफैक्ट में तो नहीं आये अभी तक। और इसीलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि these will now come up. The provisions will come into the effect. मैं इसको नोटिफाइ करूंगी। और यह जैसे मैंने कहा फर्स्ट अप्रैल, 2006 की बात मैंने आपके सामने रखी है। दो-तीन वरीज आपने मेरे सामने रखी थीं। एक तो आपने कहा कि what will happen to industry? जिनकी स्कीम्स आलरेडी हैं। तो यह मैं आपको कहना चाहती हूं कि जो इंसेंटिव स्कीम्स हमारे हैं वह डैफरल स्कीम्स के अन्दर कन्वर्ट किये जायेंगे। हमने भी इसके बारे में सोचा है और कोई उपाय और आइडियाज हैं I will be happy to hear. मैं कोई भी सुझाव पर विचार करने के लिए पूरी तरह से ओपन हूं। और आपने कुछ-कुछ और कहा है कि जिसको चार परसेंट, जिसको बारह परसेंट, जिसको जीरो परसेंट अपने को करने की जरूरत है, अभी तो इसके ऊपर चर्चाएं चलेंगी, कुछ कुछ मोटामोटी नोटिफिकेशंस मैंने किये हैं और but we are still open to correction. We are still open to sit down and discuss. और मैं समझती हूं कि यह तो फर्स्ट स्टैप है इसमें। और इसलिए मैं यह घोषणा करती हूं कि ट्रैक्टर और पावर ड्रिवन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मक्का, ज्वार एवं बाजरे का आटा, सूखी अनसील्ड सब्जियां जेसे कैर, सांगरी, अच्छा, एक चीज याद रखें कि दस ही ऐसे आइटम्स हैं जिसे आप जानते हो, जिसको अपन पूरी तरह से एग्जैम्प्ट कर सकते हैं, टेन आइटम्स ओनली। अब उसमें किस तरीके से हम लोग एडजस्ट करते हैं वह एडजस्टमेंट की बात है। तो इसीलिए मैं तो यह घोषणा करूंगी आज कि यह वैट से मुक्त रखे जायेंगे। जो मैं अभी आपको लिस्ट पढ़ रही हूं- ट्रैक्टर, पावर ड्रिवन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मक्का, ज्वार, बाजरे का आटा, सूखी अनसील्ड सब्जियां जैसे कैर,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सांगरी, मेहंदी पत्तियां और उसका पाउडर, पानी का नारियल, मखाणा, बाण, मूंज, हरमाला, मोड़, तुर्रा, कलगी, मांझा, राजगिरा का आटा, साबुदाना, प्रमाणित बीज, राजस्थानी ऑडियो एण्ड वीडियो कैसेट्स इन्क्लूडिंग सीडीज एण्ड डीवीडीज, मंगलसूत्र, देवी-देवताओं की पत्थर की मूर्तियां, 200 रुपये मूल्य तक के रबर, प्लास्टिक, रेग्जिन से निर्मित अनब्रांडेड फुट वेयर, 200 रुपये मूल्य तक के अनब्रांडेड स्कूल बैग्स, यह वैट से मैं देख रही हूं कि यह मुक्त रखे जायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): डेयरी प्रॉडैक्ट के बारे में सोचा क्या?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): यह निपट ले, प्लीज, उसके बाद आप क्वेरी कर लें।

इसके अतिरिक्त देशी घी, हार्डवेयर आइटम जैसे फिटिंग्स फोर डोर्स, विंडोज, नेल्स, स्लाइडिंग डोर फिटिंग, स्प्रिंग्स, डोर स्टोपर्स, कोटा स्टोन, मार्बल एण्ड ग्रेनाइट ब्लोक्स को 12.5 प्रतिशत के स्थान पर चार प्रतिशत की लिस्ट में शामिल किया जायेगा।

एक इन्ट्रेस्टिंग हम लोगों ने नया वो लिया है कि राज्य में जो एयरलाइन्स अपना हब यहां स्थापित करने के लिए यहां आयेंगे, उन्हें एक वर्ष के लिए एवीयेशन टरबाइन फ्यूल पर टैक्स से मुक्ति दी जाएगी। वन फुल ईयर। इसमें यह भी बताना चाहूंगी कि शिड्यूल-4 में सीरियल नम्बर 65 पर आई टी प्रोडक्ट्स की इलस्ट्रेटिव एंट्री है इसे एग्जास्टिव बनाया गया जिसे शिडयूल के पार्ट ए में रखा गया है । शिडयूल-4 जिसमें सीरियल नम्बर 69 इंडस्ट्रियल इन्पुट्स नोटिफाई करने का उसमें उल्लेख है। अब इंडस्ट्रियल इन्पुट्स की एग्जास्टिव लिस्ट पार्ट बी पर हम लोग उपलब्ध करायेंगे और शिड्यूल-4 की एंट्री 27 पर कैपीटल गुड्स को स्पष्ट रूप से हम लोगों ने अंकित किया है । आज हमने यह कोशिश की है कि फाइनैंस बिल 2006 में संलग्न शिड्यूल को की गई घोषणा के अनुरूप नोटिफिकेशन द्वारा हम लोग संशोधित करेंगे। और इसी प्रकार से वैट रूल्स को भी हम लोग नोटिफाई करेंगे और घोषणाएं करते हुए मैं फिर यह बात सदन के सामने रखना चाहूंगी कि यह पूरी-पूरी समस्याएं अभी साथ में हम लोगों ने एड्रेस नहीं की हैं इसको अभी भी हम लोगों को आगे ले जाने की जरूरत है । समस्याएं हैं तो उसका

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

समाधान भी निकलेगा। हम लोग बैठेंगे, चर्चा और करेंगे। और मैं सदन को, सबको यहां आश्वस्त यह करना चाहती हूं कि यह बात यहीं समाप्त नहीं हो रही है । भविष्य में हमारे सामने लाई गई समस्याओं को एक निरन्तर रूप से समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और माननीय सदस्यों को सबको मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर कोई भी प्रेक्टिकली सुझाव है तो मैं उसका स्वागत करूंगी आप आकर लिखकर जरूर हम लोगों को दे सकते हैं ।

इसके बाद हमारे तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य चले गये हैं, बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठे हुए हैं ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): वह बहुत चिन्तित थे कि एग्रीकल्चर का शेयर तो घटता जा रहा है। जी एस डी पी कम हो रहा है हम लोगों का क्या होगा? अब वह रेगिस्तानी इलाके से हैं तो उनकी चिन्ता मैं समझ सकती हूं। और मैं जानती हूं कि ड्राउट ईयर्स के अन्दर एग्रीकल्चर बेडली इफेक्टेड हो जाता है यह बात सही है। और अच्छे विकास के बाद भी अकाल का वर्ष जब होता है तब मैं समझती हूं कि इसको सिर्फ अपन आर्ग्यू कर सकते हैं कि जब अकाल होगा तो अपनी यह स्थिति होगी, जब नहीं होगा तो अच्छा वर्ष होगा, इसमें इतने गेन्स होंगे । परन्तु मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि जब भी राज्य या देश प्रगति करता है तो प्राइमरी सैक्टर का शेयर, आप पूर्व वित्त मंत्री से पूछ लें यह बताएंगे आपको कि जब प्रगति होती है तो प्राइमरी सैक्टर का शेयर कम होता है और इंडस्ट्री का शेयर बढ़ता है और जैसे प्रगति और होती है वैसे इंडस्ट्री का शेयर घटता है और सर्विस सैक्टर का शेयर बढ़ता है। अब यह इकोनोमिक प्रिंसिपल है, माननीय सदस्य बीकानेर से आने वाले इसको जानते होंगे क्योंकि इकोनोमिक्स को वह अच्छी तरह समझते हैं वह बताएंगे आपको This is an economic principle. और इसके लिए कहीं विदेश जाने की जरूरत नहीं है आप यहीं इस चीज को सीख सकते हो। तो मैं तो समझती हूं कि that is a very good sign. वैसे एग्रीकल्चर को हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे परन्तु अगर सर्विस सैक्टर बढ़ रहा है तो मैं समझती हूं It is not a bad thing. इस तरीके से आप चिन्ता कर रहे थे कि कृषि में, सिंचाई में, ऊर्जा में, यह सब चीजों के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है और मैं समझती हूं कि इसमें अपने को और कुछ कहने की जरूरत नहीं है ।

अब आपने जननी सुरक्षा योजना के ऊपर, अब आपको कुछ नहीं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मिला तो आप जननी सुरक्षा योजना को ढूंढ ढांढकर आप आ गए। मैंने एक्चुअली इतना परसीवियरिंग आदमी, मुझे कांग्रेचुलेट करना है आपको कि आपने पूरी किताबों को छानबीन करके ऐसी स्कीम निकाली जिससे आप यह कह सको कि महिलाओं का आप बिलकुल ध्यान नहीं रखते हो। यह योजना मैं आपको बताना चाहती हूं 12 अप्रैल, 2005 को आरम्भ की गई है। और इस योजना के अन्तर्गत यह आप बिलकुल सही कह रहे हो कि बी पी एल के परिवारों की जो महिलाएं हैं वह 19 साल की होनी चाहिए उसके नीचे नहीं और नाइन्टीन प्लस, 19 से नीचे नहीं और अगर महिलाओं को हम यह राशि देते हैं। दो बच्चों से ज्यादा अगर हों तो नहीं मिलेगी राशि तो यह बहुत डिफिकल्ट रूल्स हैं। बिकोज आप जानते हो कि बी पी एल परिवार की महिलाएं शादी बहुत जल्दी कर लेती हैं and by the time they are 19 perhaps एक या दो बच्चे उनके आलरेडी हो जाते हैं। तो यह हमने इन्फार्मेशन हमारे सब सरपंचों को पूरे राजस्थान के अन्दर भेजा हुआ है । उनको हमने बता दिया है कि कितना पैसा मिलता है 700-600 होम डिलीवरी के अन्दर कितना हमने यह सब बता दिया है। और यह जो 2.84 करोड्स हैं, हन्ड्रेड परसेंट सी एस एस स्कीम हैं अंडर एन आर एच एम और मैं समझती हूं कि यह अच्छी स्कीम है। सैण्ट्रल गवर्नमैंट ने हमको इसमें सपोर्ट किया, It is a very good thing. और मैं समझती हूं कि इसको आप भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगा और इसलिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे कि try and keep the pregnancy for 19 and over. इसके लिए हम यह स्कीम लाए हैं । इसमें थोड़ी सी मैं समझती हूं और अपन उसमें जोर लगाएंगे और लोगों को इस बारे में इन्फार्म करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।

अब एक बहुत ही डेंजरस चीज है जिसके बारे में आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं वह है केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के अन्दर एल पी जी को डिक्लियर गुड्स की श्रेणी में जाकर सम्मिलित किया है। मैं इसको डेंजरस इसलिए कहती हूं कि जब भी डिक्लियर गुड्स की कभी बात होती है तो जब तक सैण्टर स्टेट्स के साथ पूरी तरह बात नहीं करती उनको विश्वास में नहीं ले लेती तब तक उनको करना फैडरल स्ट्रक्चर के अन्दर और सी एस टी के अन्दर इनको यह करना नहीं चाहिए और इसीलिए यह बहुत

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ज्यादा गलत है। क्योंकि राज्य के फाइनैंस के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा एल पी जी पर अधिकतम ऐसा करने से चार प्रतिशत इसका कर होगा और राज्य को करीबन नब्बे करोड़ जो वार्षिक हमको देना पड़ेगा। मैं आपको यह समझाना चाहूंगी कि जब अपने बजट भाषण के अन्दर मैंने इस बारे में उल्लेख किया था मैंने यह समझा था कि अगर दाम घटेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी, चलकर गृहिणी को राहत मिलेगी और मैंने इसलिए इसका विरोध नहीं किया। मैंने कहा, हो गया। The matter is done is, done. अब इसको अपन नहीं करेंगे इसका फायदा अगर हमारी गृहणियों को मिलता है तो नौ प्राब्लम, इसकी वास्तविकता कुछ और है। मैं यह बात आपको सबको समझाना चाहती हूं वास्तविकता तो यह है कि इसका पूरा-पूरा लाभ इंडियन आइल कार्पोरेशन या हिन्दुस्तान पैट्रोलियम या भारत पैट्रोलियम या सैण्ट्रल पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग है और जो प्रोफिट बिफोर टैक्स दस हजार करोड़ उसका प्रोफिट है उन लोगों को हमारा सौ करोड़ रुपया उसके अन्दर जाकर जुड़ेगा। मैं समझती हूं कि यह बहुत ही गलत चीज है। क्योंकि अगर हमारे लोगों को और गरीब जनता को इसका लाभ मिलता तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहती परन्तु मैं यह समझती हूं कि कंज्यूमर को कोई राहत नहीं, महिला को, गृहिणी को कोई राहत नहीं और राजस्थान की जनता पूरी तरह से इन बहुत ही रिच सैण्ट्रल पब्लिक अण्डरटेकिंग्स को नब्बे करोड़ देकर सब्सीडाइज करेगी यह कैसे उचित है और केन्द्र के इस कदम पर राज्य का कड़ा विरोध सदन के अन्दर मैं जताना चाहती हूं। क्योंकि मैं यह मानती हूं कि केन्द्रीय पी एस यूज को सब्सीडाइज करने के लिए यह सदन में कोई भी सदस्य जो यहां बैठा हुआ है वह मंजूरी नहीं देगा।

जे डी ए और बजट भाषण के अन्दर मैंने यह कहा था कि इस आने वाले वित्तीय वर्ष के अन्दर सरकारी भूमि के विक्रय के माध्यम से जे डी ए और नगर सुधार न्यास में लैण्ड सेल की अच्छी इन्कम होती है उसका क्रमशः तीस प्रतिशत और पन्द्रह प्रतिशत हिस्सा राजकोष के अन्दर जमा किया जाए। क्योंकि यह बहुत बहुत सेल्स होते हैं और मैं समझती हूं कि इसका भी एक अंश आना चाहिए राजकोष में । इसके बाद में हमारे पास तीसरी राज्य वित्त आयोग की एक सप्लीमैंट्री इंटरिम रिपोर्ट भी आयी है। इस रिपोर्ट के अन्दर उन्होंने यह कहा है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में विक्रय राशि का 20 प्रतिशत हिस्सा, तीस नहीं बीस प्रतिशत हिस्सा राज कोष में जमा करने की

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

उन्होंने अभिशंसा की, तो उस अभिशंसा का हम लोग सम्मान करते हुए मैं आज यह घोषणा करना चाहती हूं कि जे डी ए और नगर सुधार न्यास इनकी भूमि की विक्रय राशि का क्रमशः 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत राज कोष में जमा कराएंगे और यह व्यवस्था इसी वित्तीय वर्ष से हम लोग लागू करना चाहते हैं ।

फिर स्टाम्प शुल्क वाली बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कि 2004-05 के अन्दर हमने स्टाम्प शुल्क को घटाकर आठ प्रतिशत करने की घोषणा कर दी और इसकी वजह से जो इम्मूवेबल प्रापर्टी खरीद रहे थे उनको बहुत राहत मिली । इतना रिलीफ देने के बाद भी हमने यह पाया कि स्टाम्प शुल्क दो वर्ष में लगभग सात प्रतिशत की इसमें वृद्धि हो गयी ।

(समय : 19.00 बजे)

तो मैंने उसको थोड़ा सा नीचे लाने में बहुत सारे लोगों ने जाकर अपने इम्मूवेबल प्रोपर्टी के रजिस्ट्रेशन करने से हमको इतनी अच्छी वृद्धि दी और इस दिशा में थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ना चाहती हूं और मैं इस वर्ष 2006-07 में स्टाम्प शुल्क की जो दर है, जो अभी 8 प्रतिशत है उसकी जगह इसको 6.5 परसेंट करना चाहती हूं।

अब मैं महिलाओं को नहीं भूलना चाहती हूं। थोड़ा सा फर्क मैं आप लोगों के बीच जरूर करना चाहूंगी। यह जेंडर वाली बात है। तो मैं यह कहना चाहूंगी कि जो भी कृषि भूमि का पंजीयन किसी महिला के नाम अगर होगा तो यह स्टाम्प शुल्क जो वर्तमान में 5.5 है उसको अब हम 5 प्रतिशत करके छोड़ेंगे तो मैं समझती हूं इसका बहुत अच्छे तरीके से और जोरदारी से इसका स्वागत होगा। और मैं यही चाहूंगी कि समस्त दस्तावेजों का नियमानुसार पंजीयन करने की सब लोग कोशिश करेंगे। और जो इसका अच्छा रिजल्ट हम लोगों को इस साल मिला है उसी तरीके से हमको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले साल में भी मिलेगा।

मदिरा वाली बात मैं करना चाहूंगी आप लोगों के सामने। हमारे राज्य में कई वर्षों से देशी मदिरा आई एम एफ एल और बीयर की बिक्री एक्सक्लूसिव प्रिविलेज की व्यवस्था के अनुसार ही होती है। यह जो मोनोपोली बनी, इसको खतम करने के लिये हम लोगों ने 2005-06 के आबकारी बंदोबस्त में आई एम एफ एल और बीयर के अन्दर एक्सक्लूसिव प्रिविलेज की व्यवस्था को खतम कर दिया और ऐसा करने से जहां एक और असामाजिक

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

तत्वों को रोकने में हम लोगों को कुछ-कुछ सफलता मिली वहीं राजस्व के अन्दर जो आबकारी से मिलता था उसमें अच्छी वृद्धि मिली। वर्ष 2004-05 की कुल आबकारी आय थी 1276 करोड़ रुपये और 2005-06 के अन्दर 1508 करोड़ रुपये which will be achieved. In fact it has been achieved. मैं समझती हूं कि यह 300 करोड़ की बढ़ोतरी हमको मिली। इस सफलता को हमने देखा और यह हमने एक्सक्लूसिव प्रिविलेज की व्यवस्था को देशी मदिरा के अन्दर भी हम लोगों ने समाप्त करने का इस बार निर्णय लिया है। हो सकता है कि यह मोनोपोली खतम होने से कुछ कठिनाइयां हम लोगों के सामने आयेंगी क्योंकि और कुछ हो सकता है कि इसके अन्दर आय भी कम हो जायेगी। परन्तु हम लोगों ने यह तय कर लिया है और हम लोगों ने यह एक कठिन डिसीजन लिया है। मैं समझती हूं कि एक इससे हमारा ब्रेव डिसीजन भी समझो आप कि हम लोगों ने यह तय किया है कि अब हम लोग हमारे आब्जेक्टिव को देखते हुए कुछ नुकसान सहने के लिये तैयार हैं परन्तु हम इस मोनोपोली को तोड़ कर वह व्यवस्था को बनाना चाहते हैं जिसमें राजस्थान का फायदा हो।

इसके बाद में आप लोगों ने कई दुकानों की भी कई बातें कहीं कि इतनी सारी दुकानें हैं, मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूं कि जो गत साल से दुकानें हैं, फिक्सड नम्बर आफ दुकानें हैं। उन दुकानों से हम लोगों ने एक भी दुकान ज्यादा नहीं की है। एक भी दुकान ज्यादा नहीं की है, यह क्लियरली मैं आपको बताना चाहूंगी।

इसके बीच में मैं बताना चाहूंगी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी नहर के बारे में बहुत चिन्ता व्यक्त की। उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि चक दो जी एस एम के अन्दर पक्के खालों का निर्माण कराया जाकर सिंचाई व्यवस्था अब उपलब्ध करवायी जा रही है। चक दो के अन्दर तो यह हो गया। चक एक के अन्दर जी एस एम घेघड़ा सब माइनर में वर्तमान में चालीस प्रतिशत क्षेत्र में क्षतिग्रस्त खालों से सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है पर इसके लिये हम लोगों ने 25 लाख रुपये अलग से दिये हैं। एक एस्टीमेट भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। टेण्डर आमंत्रित करेंगे और इसी वर्ष 2006 के अंत तक इन खालों का हम लोग निर्माण करके आपको दे देंगे। मैं समझती हूं कि उसका फायदा वहां के लोगों को मिलेगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

एक मुसीबत मैं समझती हूं कि हम लोगों को और हम लोगों को ही नहीं यह तो देश के अन्दर, व्यवस्था के अन्दर थोड़ी सी प्राब्लम हो रही है और वह है नर्सेज की कमी। मैं समझती हूं कि राज्य स्तर पर ही नहीं यह सुदूर आप देखोगे तो भारी मांग है। इनफैक्ट विदेशों से भी इनके लिये बहुत ही मांग है और इसीलिये एक निजी सहभागिता के अन्दर नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल एण्ड सेण्टर्स हम लोगों ने खोलने की एक विशेष योजना प्रस्तावित की है जिसमें संभागीय मुख्यालयों पर शहरी सीमा के बाहर और अन्य शहरों या ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिये राज्य सरकार रियायती दरों के ऊपर भूमि उपलब्ध करवायेगी। और मैं समझती हूं इस कदम से चिकित्सा सेवा में नर्सेज की उपलब्धता हमारे लिये बढ़ जायेगी और युवाओं को एक कैरियर आप्शन भी मिल जायेगा तो इसके ऊपर हम लोग ध्यान देने वाले हैं।

इसी तरीके से साइंटिफिक रिसर्च, अब यह स्थिति हो गयी है कि हरेक स्टेट अपना-अपना साइंटिफिक रिसर्च करने के लिये पैसा भी लगा रहा है, कोशिश भी कर रहा है और हम समझते हैं कि राजस्थान के अन्दर भी साइंटिफिक रिसर्च आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत है। और इसलिये मैं चाहती हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर भी इनोवेशंस में किसी भी तरीके से हम पीछे नहीं रहें। और मेरा यह विचार है कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये रिसर्च को मिलकर हम लोग प्रोत्साहित करें और इसके लिये राज्य सरकार विश्वविद्यालय, महा-विद्यालय, संस्था अथवा किसी व्यक्ति को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने को तैयार है। शर्त सिर्फ इतनी रहेगी कि रिसर्च के आउटकम के मानीटरेबल टार्गेटस होने चाहिये। मानीटरेबल टार्गेट अगर वह देंगे तो आधी राशि अग्रिम रूप में हम लोग उपलब्ध करवा देंगे, सक्सेसफुल रिसर्च अगर उसका हो जाता है तो बाकी राशि भी हम लोग रिलीज कर देंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे हाई ब्रीड बाजरे पर हम लोग रिसर्च का टार्गेट प्रोडक्टिविटी में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी बताते हैं, तो 20 प्रतिशत टार्गेट प्रोडक्टिविटी देने पर ही यह रिसर्च सक्ससेफुल माना जायेगा और फिर हम पैसा उसी हिसाब से रिलीज कर देंगे। तो इसके लिए एक विस्तृत योजना हम तैयार करने जा रहे हैं।

सर्व शिक्षा अभियान हमारे लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल अभियान रहा है और शिक्षा विभाग ने पूरी पुरजोर ताकत उसमें लगाकर उसको एक नया आयाम राजस्थान के अन्दर देने की कोशिश की है। बहुत ही सक्सेसफुल रहा

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

है और मैं समझती हूं कि यह तो इनएवीटेबल हो जाता है कि माननीय सदस्य सब यह कहेंगे जब इतना सक्सेसफुल हो गया है तो आगे सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी का क्या होने जा रहा है? आप लोग इस बारे में चिन्तित होंगे और आप यह कहोगे कि अधिक संख्या में इन्हें खोलना भी आवश्यक हो जाता है। कई माननीय सदस्यों ने अपने स्तर पर स्कूल की मांग यहां सदन में रखी है। हमें उम्मीद है और हमें यह विश्वास दिलाया गया है कि भारत सरकार अगले वर्ष सैकण्डरी एजुकेशन को भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्दर सम्मिलित करने जा रही है। इसीलिए मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि ऐसा होने पर राज्य सरकार अपना हिस्सा देने में सबसे आगे रहेगी और जैसे हम लोगों ने प्राइमरी शिक्षा के अन्दर सबसे आगे होकर पैसा दिया और साथ-साथ राज्य के साधनों को देखते हुए सैकण्डरी स्कूल की आवश्यकताओं के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दिया जायेगा, यह मैं आप सबको यहां बताना चाहूंगी।

साथ-साथ यह मांग भी सब लोगों से यहां उठी है कि पैराटीचर्स समय समय पर नियमित प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की मांग करते रहते हैं। पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह सम्भव नहीं है। वर्तमान में अधिकतर पैराटीचर्स को 2600 से 2800 रुपये मासिक मानदेय प्राप्त हो रहा है। हर वर्ष इसकी बढ़ोतरी 100 या 200 रुपये की दर से होती है। पैराटीचर्स की स्थिति को देखते हुए और क्योंकि विभाग ने भी, आप लोगों ने भी पुरजोर स्वर में यह बात रखी है। इस वर्ष इस मानदेय को 100 रुपये के स्थान पर 300 और 200 रुपये के स्थान पर 400 रुपये प्रतिवर्ष बढ़ाये जाने की मैं यहां घोषणा करती हूं।

प्रेस और मीडिया कहते हैं कि प्रजातंत्र का चौथा स्तम्भ है। वर्तमान में एक्रिडेटेड जर्नलिस्ट को सरकारी अस्पताल के अन्दर निशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाती है। इसके अलावा सरकारी अस्पताल में जब उपलब्ध नहीं होने पर प्रतिवर्ष 1500 की सीमा तक की दवाइयों के खर्च का पुनर्भरण हम लोग करते हैं। दवाई की कुछ बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए इसकी सीमा को हम लोग 2000 रुपये तक करना प्रस्तावित करते हैं। मैं समझती हूं कि इसका भी कुछ फायदा होगा।

मैं सोचती हूं कि आप लोगों ने सबने इस डिबेट के अन्दर इतने प्यार के साथ-साथ दिया है, इसका मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

और इस सदन में माननीय सदस्यों ने भी मेरे सामने एक बात रखी और इसमें भी कुछ तंत है कि इनकी वेतन राशि का निर्धारण अंतिम बार वर्ष 1998 में किया गया था । तब से अब तक काफी समय निकल गया है । अन्य राज्यों में एम.एल.एज. को वेतन महंगाई और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस सदन के माननीय सदस्यों का वेतन बढ़ाया जाना प्रस्तावित है । अभी फिलहाल तीन हजार रूपये का वेतन है और मैं मानती हूं कि प्रत्येक सदस्य को पांच हजार रूपये प्रतिमाह की दर से वेतन हम लोग देना चाहेंगे । इसी प्रकार इस सदन के पूर्व सदस्य उनकी भी पेंशन राशि में हम लोग वृद्वि करना चाहते हैं, पूर्व सदस्यों को मिनिमम अभी दो हजार मिलता है और वह राशि बढ़ाकर के दो हजार पाँच सौ रूपये हम करना चाहते हैं और जिसका एक्सट्रा टर्म हो जाता है उसको अभी 750 रूपये मिलता है। उसको एक हजार रूपये प्रतिमाह से हम बढ़ाना चाहते हैं । अधिकतम सीमा जो 11500 थी उसको बढ़ाकर के 14500 रूपये किया जाना प्रस्तावित है । विधायकों को दिये जाने वाले टेलीफोन अलाउंस के 5000 रूपये, पानी और बिजली अलाउंस के 4000 रूपये, कोरसपोंडेंस अलाउंस के 3000 रूपये, कुल 12000 रूपये को उन्हें दिये जा रहे निर्वाचन क्षेत्र अलाउंस में हम इसको सम्मिलित करके कांस्टिटवेंसी अलाउंस को 20 हजार रूपये प्रतिमाह कर देते हैं । यह सभी वृद्विया‍ं जो भी यह 1 अप्रैल, 2006 से लागू हो जायेंगी । उपरोक्त घोषणाएं करने के साथ ही मैं माननीय सदस्यों का ध्यान, अब यह बहुत जरूरी है आप लोग बात करना अभी शुरू नहीं करना । यह पाइंट भी सुन लेंना क्योंकि इसके ऊपर आधारित है । उपरोक्त घोषणाएं जो भी हैं, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान बजट भाषण के पैरा 45 की ओर पुन: आकर्षित करना चाहूंगी, शायद आपको याद नहीं होगा, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस पुनीत कार्य में बिलकुल पीछे नहीं हटेंगे । क्या ?

एक माननीय सदस्य: मिड-डे मील का ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मिड-डे-मील का । मिड डे मील के अंतर्गत यह सब है तो मैं समझती हूं कि मिड-डे-मील फंड के अंदर और अपने-अपने क्षेत्रों के अंदर आप लोग आगे बढ़कर पूरी तरह से भाग लोगे । किसी भी तरह से पीछे नहीं हटोगे । यह मैं विश्वास करती हूं और अंत में

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आपके सबके प्रश्नों के उत्तर देने के साथ-साथ में यही कहना चाहूंगी कि अपनी जिम्मेदारी जो हैं, जो सरकार रेस्पोंसिबिलिटी हैं, इनके प्रति हम पूरी तरह से वचनबद्व हैं और मैं फिर से भृतरिहरि जी को कोट करना चाहूंगी ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता पर आपने विधायकों के लिए घोषणा की उसमें एक चीज का राइडर पिछली बार भी रह गया, यह रेलवे का किराया और जो दो रुपया बढ़ाया उसका कोई फायदा अब नहीं मिल रहा है । हमने माननीय मंत्री जी से कहा है कि वो फैक्चुवल स्थिति यह कर दें कि चार रूपये कर दें । वह आपने घोषणा नहीं की है । वह घोषणा कर दें जिससे कम से कम हमारी जो प्रेक्टिकल कठिनाई है उसका ठीक ढंग से निराकरण हो जाये । प्रतिपक्ष के नेता ने खुद ने आपसे रिक्वेस्ट कर दी तो आपका दिल बड़ा रखकर के दो हजार की कंजूसी क्यों कर रहे हैं आप, चार हजार की घोषणा करिये ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मैं बड़ा दिल रखकर के इसका थोड़ा कैलकुलेशन करके आप सब लोगों को बताऊंगी । इसमें करेंगें, देखेंगे ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन न केवल विधायक का है, हम चाहते हैं कि हमारे मंत्री, हमारे अध्यक्ष, हमारी जितनी भी व्यवस्था है उसको वन्स फॉर ऑल, आप कोशिश करें कि इसको आप ओरबिट से बाहर निकाल दें ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय सदस्य, मेरी भी पूरी चिंता है और जैसे कि हर फाइनेंस मिनिस्टर आप जानते हैं कि फूंक-फूंककर के चलता है । इसलिए इसमें मुझे और थोड़ा सा अध्ययन करने की जरूरत है। मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाऊंगी तो मैं आप लोगों को सेटिस्फाई करने में पीछे नहीं रहूंगी । यह मैं आपको कहना चाहती हूं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सुंदर सा आश्वासन दे दो ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मैंने क्या कहा, अब आप थोड़ा सा हां, इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी मैं पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को समझ रही हूं, आप लोगों ने ठोक-बजाकर के इधर से, उधर से सब जगह से मेरे सामने रख दिया है । मैं एक दफा और भृतरिहरि जी को कोट करके अपनी बात को यहां खतम करना चाहूंगी, कि क्या कछुए को अपनी पीठ पर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बोझ का कष्ट नहीं है? फेंक नहीं देता है पृथ्वी पर उतारकर? और क्या सूरज को थकान नहीं होती कि स्थिर होकर जो ठहर ले कहीं, किन्तु अपनाये काम को छोड़ना पड़े तो उत्तम जन झुक जाता है शर्म से। किये गये वादों को निभाया जाये यही है सतपुरूषों के कुल का व्रत ।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहती हूं कि हम लोग सब मिलकर के अगेन कॉपरेशन की बात आपके सामने रखते हुए यही कहना चाहूंगी कि हम लोग मिलकर जनता की उम्मीदों पर खरे उतरें और अपने किये गये वादों को जहां तक संभव हो निभाने की हम लोग कोशिश करें । मैं सब माननीय सदस्यों को फिर से धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप लोगों ने मिल-बैठकर इस डिबेट में इतने सक्रिय तरीके से भाग लिया है उसके लिए आप सबको धन्यवाद ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पारित करायें ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक,2006 को पारित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष: नहीं पहले खण्डशः । किसी को बोलना है । अमेंडमेंट कोई है ही नहीं ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2006

खण्डशः विचार ।

खण्ड-2 एवं 3 कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये गये ।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये ।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2006

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से 63 कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 63 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 63 स्वीकार किये गये ।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये ।

आप अब पारित करने का प्रस्ताव करें ।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2006

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2006 को पारित किया जाये ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): खड़े हो ना इसमें क्या है? कहो खड़े होकर के इसमें क्या दिक्कत आ रही है?

श्री अध्यक्ष: अगर कोई सदस्य बोलना चाहे ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह आप हमारे साथ धोखा क्यों कराते हो । जब विधायक विकास कोष की और दूसरी जब बातें तय हो गयी थी फिर उसको उस हिसाब से क्यों नहीं करते हो? कब करोगे ?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): इतना वो नहीं है, हो गयी बात ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुख्यमंत्री जी जब आज इतना बड़ा दिल रख रही हैं तो फिर आज घोषणा करवाओ ना आप ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): बहुत बड़ा दिल करके बहुत अच्छी घोषणाएं हो चुकी हैं । मैंने आपको बता दिया है कि इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वह तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश से भी कर सकती हो जारी, लेकिन यह विधायक विकास कोष की सबकी मांग थी। यह तो विकास के काम में पैसा लगता है । इसको तो साठ लाख से बढ़ाकर के आप एक करोड़ करो । भले ही आप उसमें कोई राइडर लगा देना कि इसको पानी के ऊपर देंगे इतना पैसा, सारे विधायक इस बात से सहमत हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): पानी पर तो वैसे ही दे रहे हैं कोई कमी ही नहीं रख रहे हैं ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): और काहे में भी ले लेना आप ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): और बाद में बात करना न आप ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सड़क में ले लेना । लेकिन इसको बढ़ाकर के एक करोड़ करो यह हमारा निवेदन है, सारे सदस्यों की यह मांग है। अगर सब समर्थन करते हो तो मेजें थपथपाओ ना । चुप क्यों हो अब? पीछे से क्यों कहते हो सब? यह मुख्यमंत्री जी करो आप ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): फाइनेंसियल लाइबिलिटी नहीं आयेगी। अध्यक्ष महोदय, आप पहले एक निवेदन कर दें कोई फाइनेंसियल लाइबिलिटी नहीं है। आप रिकमेंडेशन एक्सट्रा तीस लाख की सड़क हो, पानी हो व्यवस्था करने का एम.एल.ए. को अधिकार दे दें कोई इससे बर्डन नहीं आयेगी आपको। We don't want any financial burden. That's all. That's a simple. आप हैंड पंप खोद रहे हो वह कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्षः कोई और माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बोल चुके, इसी पर करो ना आप तो क्या है ?

श्री अध्यक्षः कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बोल चुके, बोल चुके।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इसी पर करो न आप तो, इसको क्यों पास करा रहे हो? ...(व्यवधान)... माननीय नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे हैं इस बात को।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग संख्या-2 विधेयक, 2006 को पारित किया जाए? ...(व्यवधान)... क्यों? आप क्यों नहीं चाहते? यह सब पैसे कहां से लोगे? यह पैसे कहां से लोगे सब?

(स्वीकृत)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमने आपकी बात मानी और फिर आप यों कर रहे हो?

श्री अध्यक्षः राजस्थान विनियोग संख्या-2 विधेयक, 2006 को पारित किया गया।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2006

श्रीमती वसुन्धरा राजेः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2006 को पारित किया जाए

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2006 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2006 पारित किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार, 31 मार्च, 2006 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.21 बजे, शुक्रवार, 31 मार्च, 2006 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

छोटी सादड़ी तहसील (चित्तौड़गढ़) की जलोत्थान योजनाएं

310. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील छोटी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में विगत पांच वर्षों पूर्व माडा योजना के अन्तर्गत सामुदायिक जलोत्थान योजनाएं (लिफ्ट इरीगेशन) बनाई गई थी? यदि हां, तो इन योजनाओं की स्वीकृति, संख्या, स्थान की जानकारी के साथ वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि योजनाओं को जनजाति क्षेत्र में समितियां गठित कर उन्हें सुपुर्द की गई थी तथा ये योजनाएं वर्तमान में बन्द हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जनजाति क्षेत्र (माडा) के अन्तर्गत बन्द पड़ी जलोत्थान योजनाओं को चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील छोटी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में विगत पांच वर्षों पूर्व माडा योजनान्तर्गत सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की गई थी।

इन योजनाओं की स्वीकृति, संख्या, स्थान एवं वर्तमान स्थिति की सूचना परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि योजनाओं को जनजाति क्षेत्र में समितियां गठित कर उन्हें सुपुर्द की गई थी।

जी नहीं। स्वीकृत की गई सभी योजनायें बन्द नहीं हैं अपितु कुल स्वीकृत 12 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं में से केवल 7 योजनायें वर्तमान में बन्द हैं।

इनके बन्द होने के कारण परिशिष्ट ''अ'' पर अंकित है।

(3) जी हां। आगामी वर्ष में औचित्यता एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर इन्हें पुनः चालू करने पर विचार किया जावेगा।

परिशिष्ट- ''अ''

माडा क्षेत्र की तहसील छोटी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में विगत 5 वर्षों से पूर्व बनाई गई सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (लिफ्ट इरिगेशन) का ब्यौरा

क्र. सं.	नाम स्थान	वर्ष स्वीकृति संख्या	वर्तमान स्थिति (वक्त सर्वे)	बंद होने का कारण
1.	धोलापानी II	1989-90 8878/26.6.89	बन्द	1994-95 विद्युत कनेक्शन विच्छेद होने से
2.	धोलापानी III	1993-94 7798/24.3.94	बन्द	1997-98 योजना की सारसम्भाल नहीं होने से
3.	धोलापानी चतुर्थ	1994-95 2127-31/12.5.94	बन्द	1997-98 योजना के उपकरण चोरी होने से
4.	राजपुरा	1990-91 21557-59/17.5.91	चालू	
5.	हरमरा की रेल II	1989-90 8889/17.10.89	चालू	
6.	ईंटों का तालाब II	1989-90 881-89/20.6.89	चालू	
7.	ईंटों का तालाब III	1992-93 92/12.3.99	बन्द	1996-97 बिजली का बिल नहीं भरने से
8.	कालाकोट	1994-95 28327-30/22.12.95	बन्द	1994-95 विद्युत कनेक्शन नहीं होने से
9.	पीलीखेडा	1994-95 28327-30/22.12.95	चालू	
10.	भाटखेडी I	1994-95 1563-65/1.11.95	बन्द	1997-98 बिजली का बिल नहीं भरने से
11.	भाटखेडी II	1995-96 28319/24.1.96	बन्द	1997-98 बिजली का बिल नहीं भरने से
12.	सांगरीखेड़ा	1995-96 1934-39/24.1.96	चालू	

जगतपुरा महल-गोनेर रोड (जयपुर) की प्रस्तावित चौड़ाई

311. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2011 के मास्टर प्लान में जगतपुरा-महल रोड़ (पूर्व गोनेर रोड़) की प्रस्तावित चौड़ाई 100 फुट थी? यदि हां, तो क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अब इस सड़क की चौड़ाई 200 फुट कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों? उक्त सड़क की चौड़ाई बढ़ाने से कितने लोग प्रभावित होंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त सड़क की चौड़ाई एक तरफ से बढ़ाई जा रही है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त सड़क की चौड़ाई वर्तमान सड़क के मध्य बिन्दु से दोनों ओर समान रूप से बढ़ाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त सड़क का वर्तमान स्वरूप मय प्रस्तावित मानचित्र के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मास्टर प्लान 2011 में जगतपुरा-महल रोड़ पर बनने वाला ओवरब्रिज उसके आगे अरविन्द नगर के पास प्रस्तावित था और मास्टर प्लान के अनुसार सड़क की चौड़ाई 160 फुट प्रस्तावित थी? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि मास्टर प्लान में दर्शाये गये स्थान पर ओवरब्रिज नहीं बनाकर कम चौड़ाई की सड़क पर ओवरब्रिज बनाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इस मामले में जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? उक्त संबंध में लिये गये निर्णयों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त सड़क की चौड़ाई बढ़ाने से प्रभावित लोगों द्वारा अभ्यावेदन कब-कब दिये गये और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण मय अभ्यावेदनों की प्रतियों के सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त ओवरब्रिज के उद्‌घाटन के समय लगाये गये मानचित्र में ओवरब्रिज की चौड़ाई 20 मीटर एवं स्लीप लेन की 10-10 मीटर प्रस्तावित थी? यदि हां, तो क्या अब ओवरब्रिज की चौड़ाई 60 मीटर कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) मास्टर विकास योजना 2011 में जगतपुरा क्रोसिंग से एन.आर.आई. क्रोसिंग तक 100 फीट चौड़ी सड़क तथा एन.आर.आई. क्रोसिंग

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

से गोनेर सड़क तक 160 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। जगतपुरा रेलवे क्रोसिंग से गोनेर रोड़ (महल रोड़) तक की सड़क की चौड़ाई को 200 फीट भविष्य की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए की गई है। इस क्षेत्र में निजी खातेदारी की कई योजनायें प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई है तथा अनेक योजनायें विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण भूखण्ड प्रस्तावित है। राजस्थान आवासन मण्डल की एन.आर.आई. योजना, अनेक इंजिनियरिंग कालेज इस सड़क से जुडे हुये है। इस प्रकार इस सड़क पर भविष्य में यातायात भार अधिक होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बाईपास से गोनेर रोड़ को जोड़ने वाली यही एकमात्र सड़क है इस कारण इस सड़क पर यातायात का दबाव बढ़ेगा। इसलिए प्रश्नगत सड़क की चौड़ाई 200 फीट सैक्टर 29 के अनुमोदन के समय भवन मानचित्र समिति (कापरेटिव) की बैठक दिनांक 3.10.2001 में की गई है। वर्तमान सड़क की चौड़ाई बढ़ाने पर लगभग 188 निर्माण प्रभावित होंगे। प्रभावित निर्माण का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सड़क का मध्य बिन्दु प्राधिकरण के द्वारा पूर्व में अनुमोदित की हुई योजनाओं को यथासम्भव समायोजित करते हुये निर्धारित किया गया है जिससे कि निर्धारित सड़क सीमा में कम से कम स्ट्रक्चर आवें। उक्त सड़क का वर्तमान स्वरूप मय प्रस्तावित मानचित्र परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। मास्टर प्लान में आर.ओ.बी. नहीं दर्शाया जाता है। यह सही है कि 160 फीट की रोड़ के स्थान पर कम चौड़ाई की 100 फीट की सड़क पर आर.ओ.बी. बनाया जा रहा है। इस संबंध में उचित स्तर पर जांच करवायी जावेगी एवं जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) आर.ओ.बी. के शिलान्यास के पश्चात सड़क की चौड़ाई बाबत कब-कब अभ्यावेदन प्राप्त हुए इसकी सूची परिशिष्ट-3 पर है। जिस पर समय-समय पर अधिकारी स्तर पर चर्चा/विचार विमर्श किया गया है व अन्त में आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ सम्पन्न चर्चा दिनांक 27.01.2006 के अनुसार व्यवहारिक एवं मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा एक परिपत्र दिनांक 03.02.2006 को जारी किया गया। जारी परिपत्र के अनुसार है :-

1. प्रशासनिक एवं मानवीय दृष्टि से यह उचित समझा गया है कि विस्थापित आम जन के प्रति अधिक उदार रवैया रखा जावे।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

2. सड़क की निर्धारित सीमा में आने वाले वे निर्माण/भाग जो कि गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाओं के अनुमोदित मानचित्र, अनुमोदित नहीं किये गये हो या गैर अनुमोदित योजना (ऐसी योजना जिनका मानचित्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया हो) परन्तु वह सरकारी भूमि न होकर खातेदार की भूमि हो के मुआवजे का निर्धारण एवं आरक्षित दर पर भूमि आवंटन हेतु सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व एवं पश्चिम), निदेशक (आयोजना) एवं निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (अभियांत्रिकी) सदस्य रहेंगे तथा संबंधित जोन के उपायुक्त इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। ऐसे प्रकरणों की पुष्टि बाद में एल.पी.सी. की बैठक में करवा लिया जाएगा।

(5) जी हां। जी नहीं। ओवरब्रिज की चौड़ाई पूर्ववत ही है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तारांकित प्रश्न संख्या-312

(स्थगित)

शराब ठेकेदारों में बकाया राशि की वसूली

313. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आबकारी नीति के तहत आबंटित शराब के ठेकों से राजस्व आय में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो वर्ष 2003-04 व 2004-05 में राज्य को हुई आय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शराब ठेकेदारों में पिछले कुछ वर्षों से राशि बकाया है? यदि हां, तो किन-किन में तथा कितनी-कितनी व कब से? सरकार द्वारा इस बकाया की वसूली के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

(3) क्या सरकार बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाले ठेकेदारों को अयोग्य (ब्लैकलिस्टेड) करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में आबकारी राजस्व क्रमश: राशि रु. 1163.14 करोड़ एवं 1276.06 करोड़ रहा है।

(2) जी हां। मंदिरों के ठेकेदारों में राशि रु. 15698.05 लाख बकाया

(आबकारी मंत्री)

है। जिनका जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 में है। राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है। राज्य से बाहर अन्य राज्यों में निवास कर रहे बाकीदारों से केन्द्रीय राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के तहत बकाया राशि वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जिन ठेकेदारों के विरूद्ध राशि बकाया चल रही है उन ठेकेदारों को ठेके स्वीकृत नहीं किये जाते हैं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कानोड़ एवं भीण्डर (उदयपुर) के विद्यालयों में स्टेडियम निर्माण

314. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) : क्या युवा एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में सभी जिला मुख्यालयों पर स्टेडियम निर्माण व मरम्मत के कार्य स्वीकृत किये गये थे?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2005-06 में जिलों में स्थित अन्य नगरों में भी स्टेडियम का निर्माण होना था? यदि हां, तो सरकार द्वारा उदयपुर जिले के कानोड़ व भीण्डर नगर में स्टेडियम निर्माण के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक राशि स्वीकृत कर दी जायेगी?

(3) कानोड़ व भीण्डर स्थित सीनियर व सैकेण्डरी स्कूलों में स्टेडियम निर्माण की सरकार की क्या योजना है? सरकार द्वारा अब तक कितनी राशि बल्लभ नगर विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों को आबंटित की गई?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। उदयपुर जिले के कानोड़ शहर व भीण्डर नगर में स्टेडियम निर्माण के लिए कोई भी राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

स्टेडियम निर्माण की योजना केवल जिलों मुख्यालयों पर ही है।

(3) स्टेडियम निर्माण/खेल मैदानों के विकास की योजना भारत

(युवा एवं खेल मंत्री)

सरकार द्वारा दिनांक 01.4.2005 से राज्यों को हस्तान्तरित कर दी है। इस मद में भारत सरकार द्वारा कोई भी राशि का प्रावधान नहीं किया है।

बल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र के किसी भी स्कूल को कोई राशि आबंटित नहीं की गई है।

रेवतड़ा ग्राम पंचायत (जालौर) में वृक्षारोपण पर व्यय

315. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जालौर पंचायत समिति, सायला की ग्राम पंचायत रेवतड़ा को कार्यकारी एजेन्सी बनाकर वर्ष 2003-04 एवं वर्ष 2004-05 में गांव रेवतड़ा एवं बीराणा में वनीकरण एवं वृक्षारोपण के कार्य करवाए गए थे? यदि हां, तो किस-किस योजना में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? स्वीकृति आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत रेवतड़ा द्वारा वृक्षारोपण एवं वनीकरण का कोई काम नहीं करवाया गया फिर भी भुगतान उठा लिया गया? यदि हां, तो ग्राम पंचायत को कुल कितनी राशि हस्तांतरित की गई? योजनावार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र तथा उपयोग प्रमाण-पत्र सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गए कार्य का भौतिक सत्यापन करवाया गया था? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा उसका क्या परिणाम रहा? ग्राम पंचायत द्वारा कितने वृक्ष लगाए गए तथा कितने वृक्ष वर्तमान में मौजूद हैं?

उत्तर

(1) जी हां। कार्य वर्ष 2003-04 में मरू प्रसार रोक परियोजना (सी.डी.पी.) के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये थे। स्वीकृत परियोजना अन्तर्गत कार्यवार स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

कार्य का नाम	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
अ. शेल्टरबेल्ट प्लानटेशन रेवतडा	10	4.24
ब. वनीकरण प्रथम वीराणा	20	7.09

(ग्रामीण विकास मंत्री)

स्वीकृति आदेशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत रेवतड़ा द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है। कार्य की अवधि 5 वर्ष है अतः पूर्णता प्रमाण पत्र अभी प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है।

(3) जी हां। ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गये कार्य शेल्टरबेल्ट प्लान्टेशन (कतारबद्ध वृक्षारोपण) रेवतड़ा का भौतिक सत्यापन दिनांक 30.9.2003 को निम्नांकित के उपस्थिति में किया गया :-

1. श्री छोगाराम, वन संरक्षक
2. श्री दूदाराम, ग्राम सेवक
3. श्री रामलाल मेघवाल, सरपंच

इसी प्रकार वनीकरण प्रथम वीराणा के सम्बन्ध में दिनांक 27.07.04 को निम्नांकित की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन किया गया:-

1. श्री भेराराम विश्नाई, कनिष्ठ अभियन्ता पं.सं. सायला
2. श्री छोगाराम, वन संरक्षक, सायला
3. श्री रामलाल, सरपंच ग्राम सरपंच, रेवतड़ा
4. श्री दूदाराम, ग्राम सेवक

भौतिक सत्यपान करने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि अनुसार कार्य पाया गया।

शेल्टरबेल्ट प्लान्टेशन (कतारबद्ध वृक्षारोपण) रेवतड़ा में 5000 पौधे लगाये गये एवं वर्तमान में 254 पौधे जीवित हैं। इसी प्रकार वनीकरण प्रथम वीराणा में 9000 पौधे लगाये गये थे जिसमें से वर्तमान में 1584 पौधे जीवित हैं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

किशनगंज में निर्मित सहरिया आवास

316. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विगत दो वर्षों में कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी लागत से सहरिया आवासों का निर्माण करवाया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हेमराज मीणा)

(2) क्या यह सही है कि इन आवासों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया व मकानों में दरारें पड़ गई हैं?

(3) क्या सरकार इसमें दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विगत दो वर्षों में 44 ग्राम पंचायतों में 951 लाख रू. डीपीआईपी लागत के सहरिया आवासों का निर्माण करवाया गया। सूची पत्र के साथ संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है कि सभी आवासों में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिससे मकानों में दरारें पड़ गई हैं। आवासों का निर्माण समान रूचि समूहों में सम्मिलित सहरिया व्यक्तियों ने अपने-अपने मकानों का निर्माण किया है तथा सामग्री का क्रय एवं उपयोग उनके द्वारा ही किया गया है। इस प्रकार यह आशा नहीं की जा सकती है कि लाभार्थी ने स्वयं अपने आवासों के लिये घटिया सामग्री उपयोग में ली है। ग्राम पंचायत शुभघरा के ग्राम भोयल में निर्माणाधीन सहरिया आवास की पट्टी टूटने की सूचना मिलने पर जांच उपरान्त कुछ आवासों में इस प्रकार की दरारें या अन्य कोई कमी पायी गयी है। इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को निर्माण के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतने एवं प्रभावी पर्यवेक्षण के लिये निर्देशित किया गया तथा समय-समय पर पाये जाने वाली कमियों के लिये सुधारात्मक उपाय करवाये गये।

(3) जी हां। आवास के निर्माण में यद्यपि कार्य करने वाले स्वयं लाभान्वित परिवार थे, फिर भी ग्राम पंचायत शुभघरा के ग्राम भोयल में निर्माणाधीन सहरिया आवास की पट्टी टूटने की सूचना मिलने के बाद इसकी तकनीकी जांच डीपीआईपी के सिविल इन्जिन्यिर के माध्यम से करवाई गई। जांच रिपोर्ट में पट्टियों की गुणवत्ता मापदण्ड से कमजोर पायी गयी। जिसमें सम्बन्धित ग्राम सचिव को निलम्बित किया गया तथा कनिष्ठ अभियन्ता के विरूद्ध 17 सीसीए के तहत कार्यवाही विचाराधीन है।

जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डीपीआईपी) कलेक्ट्रेट, बारां

ग्राम पंचायत वार स्वीकृत उप परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत	आवासों की संख्या	स्वीकृत उप परियोजनाओं की कुल लागत (रु. में)	डीपीआईपी अंशदान स्वीकृत (रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	किशनगंज	काकडदा	70	2800000	1750000
2.	किशनगंज	सकरावदा	46	1840000	1150000
3.	किशनगंज	बकनपुरा	238	9520000	5950000
4.	किशनगंज	गरडा	75	3000000	1875000
5.	किशनगंज	छत्रगंज	91	3640000	2275000
6.	किशनगंज	रामगढ़	75	3000000	1875000
7.	किशनगंज	रानी बडोद	180	7200000	4500000
8.	किशनगंज	परानिया	45	1800000	1125000
9.	किशनगंज	भंवरगढ़	60	2400000	1500000
10.	किशनगंज	बिलासगढ़	73	2920000	1825000
11.	किशनगंज	बरूनी	100	4000000	2500000
12.	किशनगंज	सुवास	60	2400000	1500000
13.	किशनगंज	नाहरगढ़	30	1200000	750000
14.	किशनगंज	खण्डेला	56	2240000	1400000
15.	किशनगंज	करवरी कलां	60	2400000	1500000
16.	किशनगंज	दीगाद पार	75	3000000	1875000
17.	किशनगंज	घट्टी	75	3000000	1875000
18.	किशनगंज	रेलावन	15	600000	375000
19.	किशनगंज	ख्यावदा	45	1800000	1125000
20.	किशनगंज	रामपुरिया टोडिया	15	600000	375000
21.	किशनगंज	छिनोद	31	1240000	775000
कुल (21)			**1515**	**60600000**	**37875000**

जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डीपीआईपी) कलेक्ट्रेट, बारां
ग्राम पंचायत वार स्वीकृत उप परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत	आवासों की संख्या	स्वीकृत उप परियोजनाओं की कुल लागत (रु. में)	डीपीआईपी अंशदान स्वीकृत (रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	शाहाबाद	आगर	60	2400000	1500000
2.	शाहाबाद	सनवाड़ा	57	2280000	1425000
3.	शाहाबाद	सेमली फाटक	20	800000	500000
4.	शाहाबाद	शुभघरा	222	8880000	5550000
5.	शाहाबाद	गणेशपुरा	50	200000	1250000
6.	शाहाबाद	कस्बाथाना	51	2040000	1275000
7.	शाहाबाद	पीपलखेड़ी	99	3960000	2475000
8.	शाहाबाद	कस्बानोनेरा	285	11400000	7125000
9.	शाहाबाद	खुशियारा	101	4040000	2525000
10.	शाहाबाद	बमनगंवा	101	4040000	2525000
11.	शाहाबाद	बैंहटा	105	4200000	2625000
12.	शाहाबाद	ढिकवानी	45	1800000	1125000
13.	शाहाबाद	बिंची	71	2840000	1775000
14.	शाहाबाद	राजपुर	105	4200000	2625000
15.	शाहाबाद	खाण्डा सहरोल	146	5840000	3650000
16.	शाहाबाद	बीलखेडा डांग	316	12640000	7900000
17.	शाहाबाद	महोदरा	148	5920000	3700000
18.	शाहाबाद	केलवाड़ा	45	1800000	1125000
19.	शाहाबाद	शाहाबाद	48	1920000	1200000
20.	शाहाबाद	मुण्डियर	75	3000000	1875000
21.	शाहाबाद	देवरी	64	2560000	1600000
22.	शाहाबाद	बाल्दा	45	1800000	1125000
23.	शाहाबाद	गदरेटा	30	1200000	750000
शाहाबाद (23)		**कुल**	**2289**	**91560000**	**57225000**
किशनगंज (21)		**कुल**	**1515**	**60600000**	**37875000**
शाहबाद + किशनगंज (44)		**कुल योग**	**3804**	**152160000**	**95100000**

गंगापुर (भीलवाड़ा) नगरपालिका क्षेत्र की आबादी भूमि पर अतिक्रमण

317. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका क्षेत्र गंगापुर, जिला भीलवाड़ा की आबादी भूमि पर किन-किन व्यक्तियों द्वारा कितनी-कितनी भूमि पर अतिक्रमण/नाजायज कब्जा कर रखा है।

(2) कब्जा हटाने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) हटाये गये अतिक्रमियों की सूची एवं वर्तमान में काबिज अतिक्रमियों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका गंगापुर की आबादी भूमि पर जिन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण/नाजायज कब्जा कर रखा है, सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) अतिक्रमण एवं नाजायज कब्जों से संबंधित परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध सूची में वर्णित 93 प्रकरणों में 25 अतिक्रमियों के कब्जे हटाये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त कुल 48 व्यक्ति पालिका को आबादी विस्तार हेतु प्राप्त भूमि पर पूर्व से ही काबिज है तथा इस भूमि के संबंध में एक प्रकरण उपखण्ड अधिकारी के यहां जेरकार है, जिसमें न्यायालय का स्थगन आदेश 07.10.05 तक प्रभावी था। उक्त स्थगन आदेश 07.10.05 को खारिज होने के बाद पालिका द्वारा इन अतिक्रमियों के विरूद्ध नोटिस जारी किए जा कर कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त दो प्रकरणों में मा. उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन हो कर स्थगन आदेश प्राप्त है तथा शेष प्रकरण पालिका स्तर पर नियमन हेतु विचाराधीन है।

(3) हटाए गए अतिक्रमियों एवं वर्तमान में काबिज अतिक्रमियों की सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

नागौर जिले में आरक्षित वर्गों की आर्थिक सहायता

318. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में समाज कल्याण की विभिन्न

(श्री रामचन्द्र जारोड़ा)

योजनाएं संचालित हैं? यदि हां, तो इन योजनाओं का लाभ कितने प्रतिशत प्रार्थियों को मिला है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक के परिवारों से संबंधित प्रभावितों के कितने प्रकरण बतौर आर्थिक सहायता विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। योजनाओं का लाभ परिशिष्ट 1, 2, 3 अनुसार लाभार्थियों को मिला है।

(2) अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक परिवारों से सम्बन्धित विचाराधीन प्रकरणों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 4, 5 अनुसार है।

परिशिष्ट-1

नागौर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वित्तीय योजनाएं एवं लाभार्थियों के प्रतिशत की सूचना निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम योजना	कुल प्राप्त आवेदन	स्वीकृत	बकाया	निरस्त	प्रतिशत लाभान्वित
1	2	3	4	5	6	7
1.	विधवा की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान	109	42	52	15	38.53
2.	विकलांग छात्रवृत्ति	359	282	56	21	78.55
3.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	1358	386	941	31	28.42
4.	विकलांग विवाह पर अनुदान	32	9	18	5	28.13
5.	गाडिया लुहारों को भवन निर्माण के लिए अनुदान	1490	340	1150	-	22.81
6.	गाड़िया लुहारों को कच्चा माल क्रय करने के लिए अनुदान	45	45	-	-	100.00
7.	पालनहार योजना	60	47	-	13	78.33

1	2	3	4	5	6	7
8.	आस्था योजना	60	60	-	-	100.00
9.	विस्वास योजना	162	30	123	9	18.51
10.	अनुप्रति योजना	-	-	-	-	-
11.	संयुक्त सहायता	43	32	11	-	74.41
12.	सहयोग योजना	23	23	-	-	100.00
13.	छात्रावास संधारण	-	780	-	-	100.00
14.	निराश्रित बालगृह	-	75	-	-	100.00
15.	सामाजिक सहायता-सम्बन्धित स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को सामाजिक सहायता कार्ड भिजवाये जा चुके हैं, वितरण प्रक्रिया जारी है।					
16.	पेंशन योजना	20967	20967	-	-	100.00
17.	अनु.जाति/ जनजाति अत्याचार पर आर्थिक सहायता	7	7	7	-	-
18.	भक्त श्रवण कुमार योजना	-	-	-	-	संचालित नहीं
19.	अर्न्तजातीय विवाह	-	-	-	-	आवेदन प्राप्त नहीं

परिशिष्ट-2

अनुजा निगम के जिला कार्यालय नागौर द्वारा वर्ष 2005-06 में अनुसूचित जाति हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति

(दिनांक 24.3.06)

क्र.सं.	योजना	लक्ष्य	वितरण	प्रतिशत	कारण
1	<u>विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के तहत</u>				
	(i) शहरी पोप	450	432	96	
	(ii) ग्रामीण पोप	1050	977	93	
	(iii) उन्नत नस्ल भैंस	30	18	60	
	(iv) कार्यशला योजना	630	253	40	
	(v) उन्नत कृषि यंत्र	150	77	51	
	(vi) कूप विद्युतीकरण	25	15	60	
	<u>राज्य योजना</u>				
	(vii) स्वावलम्बन योजना	225	206	92	

1	2	3	4	5	6
2	राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजना	899	225	25	भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पर्याप्त संख्या में पात्र स्वच्छकार उपलब्ध नहीं होने के कारण बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं किया जा रहा है।
3	एनएसएफडीसी	23	-	-	एक आशार्थी को लाभान्वित करने हेतु वित्तीय दि. 4.3.06 को जारी हो चुकी है चयनित आशार्थियों को लाभान्वित करने हेतु कार्यवाही जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है। शेष 22 आशार्थियों को लाभान्वित करने हेतु एनएमएफडीसी, नई दिल्ली से ऋण राशि जारी करने की मांग की हुई है। इन आशार्थियों की ऋण राशि प्राप्त होने पर नियमानुसार लाभान्वित करने की कार्यवाही जिला स्तर से कर दी जावेगी।
4		18	-	-	लक्ष्य 18 के विरूद्ध 17 व्यक्तियों का जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन किया गया। इनमें से 16 को लाभान्वित करने हेतु वित्तीय स्वीकृति दिनांक 20.3.06 को जारी हो गयी, लाभान्वित करने की जिला स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 01 व्यक्ति की राशि एनएसकेएफडीसी से प्राप्त होनी है, राशि प्राप्ति पर नियमानुसार लाभान्वित कराया जावेगा।

परिशिष्ट-3

जिले में राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा संचालित योजनाओं का मय लाभार्थी प्रतिशत विवरण

क्र. सं.	नाम योजना	कुल प्राप्त आवेदन	स्वीकृत	बकाया	निरस्त	प्रतिशत लाभान्वित
1	2	3	4	5	6	7
1.	सामान्य ऋण योजना	247	34	0	226	13.77
2.	न्यू स्वर्णिमा योजना	31	6	0	25	19.35
3.	शिक्षा ऋण योजना	6	3	0	3	50.00
4.	माईक्रो वित्त	0	0	0	0	0.00
5.	मार्जिन मनी	35	13	0	20	39.39

जिले में राजस्थान अल्प संख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा संचालित योजनाओं का मय लाभार्थी प्रतिशत विवरण

क्र. सं.	नाम योजना	निर्धारित लक्ष्य	कुल प्राप्त आवेदन	स्वीकृत	बकाया	निरस्त	प्रतिशत लाभान्वित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सामान्य ऋण योजना (टर्म लोन)	29	84	26	-	58	89.65
2.	माईक्रो फाईनेंस योजना	-	-	-	-	-	-
3.	व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट-4

जिला नागौर में संचालित विभिन्न योजनाओं में आर्थिक सहायता विचाराधीन अनु. जाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक परिवारों से सम्बन्धित प्रकरणों का विवरण

क्र. सं.	नाम योजना	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति	अल्प संख्यक	सामान्य	योग
1.	विधवा की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान	20	18	5	9	52
2.	विकलांग छात्रवृत्ति	13	16	5	22	56
3.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	542 अनु. जन. 83	306	10	-	941
4.	विकलांग विवाह पर अनुदान	7	7	2	2	18
5.	गाड़िया लुहारों को भवन निर्माण के लिए अनुदान	-	1150	-	-	1150
6.	गाड़िया लुहारों को कच्चा माल क्रय करने के लिए अनुदान	-	-	-	-	-
7.	पालनहार योजना	-	-	-	-	-
8.	आस्था योजना	-	-	-	-	-
9.	विस्वास योजना	23	66	20	14	123
10.	अनुप्रति योजना	-	-	-	-	-
11.	संयुक्त सहायता	3	2	5	1	11
12.	सहयोग योजना	-	-	-	-	
13.	छात्रावास संधारण	-	-	-	-	
14.	निराश्रित बालगृह	-	-	-	-	
15.	सामाजिक सहायता	-	-	-	-	
16.	पेंशन योजना	-	-	-	-	
17.	अनु.जाति/जनजाति अत्याचार पर आर्थिक सहायता	7	-	-	-	7

परिशिष्ट-5

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. जयपुर निगम योजनाओं में अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता के विचाराधीन प्रकरण संख्या दिनांक 24.3.06

(दिनांक 24.3.06)

क्र. सं.	योजना	आर्थिक सहायता हेतु विचाराधीन प्रकरण संख्या	कारण
1.	**<u>विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के तहत</u>** 1. शहरी पोप 2. ग्रामीण पोप 3. उन्नत नस्ल भैंस 4. कार्यशाला योजना 5. उन्नत कृषि यन्त्र 6. कूप विद्युतीकरण **<u>राज्य योजना</u>** 7. स्ववलम्बन योजना	 20 72 7 191 - - 4	केन्द्रीय सरकार से विशेष सहायता अन्तर्गत राशि प्राप्त होने की स्थिति में विचाराधीन आवेदन पत्रों का निस्तारण कर दिया जावेगा। आर्थिक सहायता की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2.	राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजना	17	अनुदान वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3.	एनएसकेएफडीसी	17	16 आशार्थियों को लाभान्वित कराने हेतु वित्तीय स्वीकृति दिनांक 20.3.06 को जारी हो गयी है, लाभान्वित कराने की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है। एक आशार्थी की राष्ट्रीय निगम (एनएसकेएफडीसी) से ऋण राशि प्राप्त होनी है, राशि प्राप्त होने पर नियमानुसार वितरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।
4	एनएसएफडीसी	23	एक आशार्थी को लाभान्वित करने हेतु वित्तीय स्वीकृति दिनांक 4.3.06 को जारी हो चुकी है चयनित आशार्थियों को लाभान्वित करने हेतु कार्यवाही जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है। शेष 22 आशार्थियों को लाभान्वित करने हेतु एनएसएफडीसी. नई दिल्ली से ऋण राशि जारी करने की मांग की हुई है। इन आशार्थियों की ऋण राशि प्राप्त होने पर नियमानुसार लाभान्वित करने की कार्यवाही जिला स्तर से कर दी जावेगी।

सलूम्बर में अविद्युतीकृत राजस्व ग्राम

319. श्री अर्जुन मीणा (सलूम्बर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के कौन-कौन से राजस्व गांव विद्युतीकृत नहीं हैं? क्या सरकार उक्त राजस्व गांवों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती हैं यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उदयपुर जिले के जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा बस्ती विद्युतीकरण हेतु वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में कितने गांवों को विद्युति करण हेतु राशि जारी की गई? अब तक कितने गांवों को विद्युत लाइन से जोड़ा गया? बस्ती विद्युतीकरण के अन्तर्गत जारी राशि के उपयोग में विलम्ब के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें। विलम्ब के लिए जिम्मेदार अभियंता के विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की पंचायत समिति सलूम्बर के 7 आबाद राजस्व गांव आडाबेला, रमीणा, वालियाखेड़ा, कुण्डा, सरवणी, वेणु एवम् श्यामपुरा विद्युतीकृत नहीं है। इन गांवों का विद्युतीकरण राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा गैर पारम्परिक स्रोतों से किया जाना प्रस्तावित है।

भीमागांव गैर आबाद होने के कारण इसका विद्युतीकरण प्रस्तावित नहीं है।

(2) उदयपुर जिले में वर्ष 2004-05 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से बस्ती विद्युतीकरण हेतु विद्युत विकास विभाग से बस्ती विद्युतीकरण हेतु विद्युत निगम में कोई राशि जमा नहीं कराई गई। वर्ष 2005-06 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा 22 जनजाति बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु राशि जमा कराई गई है। इन 22 गांवों में से उन 10 बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है जिनकी राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा माह मई, 2005 में जमा कर दी गई थी। जिन 5 बस्तियों के लिये माह अक्टूबर, 2005 एवं माह दिसम्बर, 2005 में राशि जमा करवाई गई है उनके विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है एवं शेष 7 बस्तियों के लिये राशि माह फरवरी, 2006 में जमा कराई गई है उनके विद्युतीकरण हेतु निविदा जारी की जा रही है। बस्तीवार कार्य विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है। इस राशि के उपयोग में कोई देरी नहीं हुई है। अतः किसी भी अभियन्ता के विरूद्ध कार्यवाही का मामला नहीं बनता है।

परिशिष्ट 'अ'

बस्ती का नाम	टी.ए.डी. से अनुदान प्राप्त होने की दिनांक व राशि लाख रु. में		निविदा आमंत्रित करने की दिनांक	कार्यादेश देने की दिनांक	कार्यादेश अनुसार कार्य पूरा होने की दिनांक	कार्य पूरा होने की दिनांक/कार्य पूरा नहीं होने पर देरी का कारण
कोटड़ा पंचायत समिति						24 फरवरी 2006 को राशि का चैक प्राप्त हुआ है टेण्डर हेतु कार्यवाही चल रही है।
बडली (बडली)	24-2-06	2.34	-	-	-	
टाडला (जुडा)	24-2-06	3.48	-	-	-	
लखुम्बरों का फला (डेढमारिया)	24-2-06	3.77	-	-	-	
पालेसर (पालेसर)	24-2-06	4.26	-	-	-	
गमारों का फला (डेढमारिया)	24-2-06	3.96	-	-	-	
परमारों का फला (पत्थरपडी)	24-2-06	2.72	-	-	-	
पंचायत समिति गिर्वा			-	-	-	
केली (केली)	24-2-06	6.00	-	-	-	
पंचायत समिति सलूम्बर						
आदिवासी बस्ती (मेजुडी)	13-10-05	1.55	सी.आर.सी. भरी	2-3-05	31-3-06	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7
बस्ती विजानिया गांव सामसोत	13-10-05	1.92	सी.आर.सी. भरी	2-3-05	31-3-06	कार्य प्रगति पर
राजपुरा (समोडा)	13-10-05	1.25	सी.आर.सी. भरी	2-3-05	31-3-06	कार्य प्रगति पर
पंचायत समिति धरियावाद						
दामणिया (धोगाघाटी)	31-5-05	1.62	-	-	-	नवम्बर 05
मानाबावडी (नटेला)	31-5-05	2.10	-	-	-	सितम्बर 05
पंचायत समिति खैरवाड़ा						
पीपली (अ)	31-5-05	1.28	22-9-05	31-12-05	-	फरवरी, 06
पीपली (ब)	13-10-05	2.28	22-9-05	31-12-05	-	फरवरी, 06
चोरा फला	13-10-05	2.25	22-9-05	31-12-05	-	फरवरी, 06
रेछडा उपलाफला	13-10-05	2.79	22-9-05	31-12-05	-	फरवरी, 06
लापाफला	13-10-05	4.39	22-9-05	31-12-05	-	फरवरी, 06
उगमडा कोटड़ा	13-10-05	2.88	22-9-05	31-12-05	-	फरवरी, 06
नेहरू फला	31-5-05	2.25	22-9-05	31-12-05	-	फरवरी, 06
कालाभाटा	31.5.05	2.58	22.9.05	31.12.05	-	फरवरी, 06

देवगढ़ (राजसमंद) के निगम बस स्टैण्ड का उपयोग

320. **श्री हरिसिंह रावत** (भीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका देवगढ़ द्वारा 3 वर्ष पूर्व राजस्थान पथ परिवहन निगम के लिए 16 लाख की लागत से यात्रियों की सुविधा हेतु बस स्टैण्ड भवन का निर्माण किया गया था?

(2) क्या यह सही है कि लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने पर भी निगम द्वारा उक्त बस स्टैण्ड का उपयोग नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अब उक्त बस स्टैण्ड का उपयोग करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका देवगढ़ द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में बस स्टैण्ड (टर्मिनल) का निर्माण कराया गया। जिस पर 13.60 लाख रुपये की लागत आई।

(2) पूर्व में नगरपालिका, देवगढ़ से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण बस स्टैण्ड, देवगढ़ का उपयोग नहीं किया जा सका। दिनांक 18.3.2006 से उक्त बस स्टैण्ड से राजस्थान परिवहन निगम द्वारा वाहन संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

बूंदी जिले के स्वतंत्रता सैनानियों के नाम पर राजकीय भवनों/मार्गों का नामकरण

321. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने स्वतंत्रता सैनानियों के नाम से राजकीय भवनों के नामकरण करने की नीति निर्धारित की है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किस-किस जिले में किस-किस भवन का नाम, किस-किस स्वतंत्रता सैनानी के नाम पर रखा गया?

(2) क्या बून्दी जिले के शहीद श्री रामकल्याण जी शर्मा, श्री ऋषिदत्त मेहता, श्रीमती सत्यभामा मेहता एवं श्री गोपीदत्त दौराश्री को स्वतंत्रता सैनानियों का दर्जा दे रखा है? यदि हां, तो उक्त स्वतंत्रता सैनानियों के नाम पर बून्दी में किन-किन भवनों का नामकरण का प्रस्ताव किसके द्वारा कब से

(श्री हरिमोहन शर्मा)

प्रस्तावित किया गया अब कब तक उन प्रस्तावों पर विचार कर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। दिवगंत स्वतंत्रता सैनानियों के नाम से राजकीय भवनों के नामकरण के लिए नीति निर्धारित है। गत तीन वर्षो में राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुमोदित स्वर्गीय स्वतंत्रता सैनानियों के नाम से राजकीय भवनों के नामकरण की सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) श्री रामकल्याण शर्मा, श्री ऋषिदत्त मेहता एवं श्रीमती सत्याभामा मेहता को स्वतंत्रता सैनानी का दर्जा नहीं दिया गया है। श्री गोपीदत्त दौराश्री को स्वतंत्रता सैनानी का दर्जा दिया गया है। श्री गोपीदत्त दौराश्री के नाम से राजकीय कृषि उपज मण्डी भवन बून्दी का नामकरण का प्रस्ताव माननीय विधायक द्वारा प्रस्तावित किया गया है जिस पर जिला स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट ''क''

गत तीन वर्षों में राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुमोदित स्वर्गीय स्वतंत्रता सैनानियों के नाम से भवनों के नामकरण की सूची

क्र.सं.	स्वतंत्रता सैनानी का नाम	नामकरण प्रस्ताव
1	2	3
जिला बाड़मेर		
1.	स्व. श्री तेजूराम मेघवाल	राजकीय उ.मा. विद्यालय, गडरारोड़
जिला करौली		
1.	स्व. किशन प्रसाद भटनागर	राजकीय उ.मा. विद्यालय, नं. 3
जिला डूंगरपुर		
1.	स्व. श्री करूणाशंकर पण्डया	राजकीय उ.मा. विद्यालय, पुंजपुर
2.	स्व. श्री छगन लाल संघवी	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सागवाड़ा

1	2	3
जिला दौसा		
	1. स्व. श्री टीकाराम पालीवाल	राजकीय उ.मा. विद्यालय, मण्डावर
जिला चूरू		
	1. स्व. श्री चौधरी बलाराम आर्य	राजकीय उ.मा. विद्यालय, गुडाण तहसील राजगढ़, चूरू
जिला उदयपुर		
	1. स्व. श्री मोती लाल तेजावत	राजकीय .मा. विद्यालय, कोत्यारी तहसील झाडोल
जिला जयपुर		
	1. स्व. श्री कपिल गौतम	राजकीय मा. विद्यालय, सरस्वती कुण्ड
	2. स्व. श्री सदाशिव व्यास	राजकीय उ.मा. विद्यालय, सांभरलेक
जिला झुंझुनूं		
	1. स्व. श्री ताराराम	राजकीय उ.मा. विद्यालय, मुरोत, पो. इस्लामपुर
	2. स्व. श्री सावंतराम	राजकीय मा. विद्यालय, सौलाना
	3. स्व. श्री वंदगीराम	राजकीय प्रा. विद्यालय, गिडामिया
जिला जोधपुर		
	1. स्व. श्री आनन्द राज सुराणा	जूनी मण्डी डिस्पेन्सरी
	2. स्व. श्री छगनराज चौपासनी वाला	राजकीय उ.मा. विद्यालय, जालौरी गेट
	3. स्व. श्री गंगादास व्यास	आयुर्वेदिक अस्पताल, खाण्डाफलसा
	4. स्व. श्री बंशीधर पुरोहित	उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्याशाल
	5. स्व. श्री रूपराज व्यास	नववोकिया डिस्पेन्सरी
	6. स्व. श्री मूलराज घेरवाणी	व्यास पार्क के पीछे निर्मित सामुदायिक भवन
जिला भरतपुर		
	1. स्व. श्रीमती प्रीतम कौर	राज. कन्या मा. विद्यालय, किला भरतपुर

1	2	3
2.	स्व. श्री गोपालदास गुप्ता	राजकीय प्रा. विद्यालय, नई मण्डी, भरतपुर
3.	स्व. श्री देवीदास गोयल	राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, डीग
4.	स्व. श्री गिरधर सिंह	राजकीय प्रा. विद्यालय, पथैना
5.	स्व. श्री मेढूराम	राजकीय उ. मा. विद्यालय, निठार
6.	स्व. श्री केहरी सिंह पाण्डे	राजकीय चिकित्सालय, भुसावर
7.	स्व. श्री किरोड़ी लाल मीणा	राजकीय प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, निठार
8.	स्व. श्री लटूर सिंह	राजकीय उ. प्रा. विद्यालय, भरतपुर (केन्देर)
9.	स्व. सांवतप्रसाद चतुर्वेदी	राजकीय मा. विद्यालय, रेलवे, भरतपुर
10.	स्व. श्री रामचन्द्र माथुर	राजकीय प्रा. विद्यालय, अनाहगेट, भरतपुर
11.	स्व. श्री झंवरास्वरूप शर्मा	राजकीय उ.प्रा. विद्यालय, अंधियारी
12.	स्व. श्री हरीशचन्द शर्मा	राजकीय कन्या मा. विद्यालय, कुम्हेर
13.	स्व. श्री किरोड़ी लाल स्वर्णकार	राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र, जुरहरा, तह. कांमा
14.	स्व. श्री गुरुदयाल प्रसाद	राजकीय प्रा. विद्यालय, जुरहरा, तह. कौमा
15.	स्व. श्री पं. नत्थीलाल	राजकीय सी. मा. विद्यालय, भुसावर
16.	स्व. श्री कमलसिंह बंसल	राजकीय मा. विद्यालय गुदड़ी कुम्हेर

बाली एवं फालना नगरपालिका क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्य

322. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका क्षेत्र बाली एवं नगरपालिका क्षेत्र फालना में विकास कार्यों हेतु 2003, 2004, 2005 व 2006 के दौरान आम जनता नगरपालिका,

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

जनप्रतिनिधियों, नगरपालिका कार्यालय एवं क्षेत्रीय विधायक द्वारा कौन-कौन से कार्यों हेतु कब-कब सरकार को पत्र प्राप्त हुए? प्राप्त प्रस्तावों/पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्तानुसार कार्य स्वीकृत कर पूर्ण कर दिये गये? यदि नहीं, तो कौन-कौन से कार्य आज भी प्रस्तावित, अस्वीकृत या अपूर्ण हैं एवं क्यों?

(3) क्या सरकार इन कार्यों को शीघ्र स्वीकृत कर पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्र बाली एवं फालना के पिछड़ेपन को देखते हुए इन क्षेत्रों के विकास हेतु अतिरिक्त बजट राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) नगरपालिका क्षेत्र बाली एवं फालना में विकास कार्य हेतु वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान आम जनता नगर पालिका, जन प्रतिनिधियों, नगर पालिका कार्यालय एवं मा. क्षेत्रीय विधायक से प्राप्त प्रस्तावों/पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

उक्त पत्र/प्रस्ताव विकास कार्य हेतु राशि उपलब्ध कराने एवं विशेष अनुदान दिये जाने से संबंधित है।

(2) वर्ष 2003-04, 2004-05 व 2005-06 के दौरान प्रस्तावित कार्यों में से स्वीकृत, अस्वीकृत तथा स्वीकृत कार्यों के पूर्ण एवं अपूर्ण होने के संदर्भ में सूचना विवरण परिशिष्ट ''ब'' संलग्न है।

(3) जी हां। अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा।

(4) राज्य की सभी निकायों को जिनमें नगर पालिका बाली व फालना भी सम्मिलित है, को विभिन्न योजनान्तर्गत राशि उपलब्ध कराई जाती है। नगर पालिका उन्हें आवंटित राशि से निर्धारित नोर्म्स के अनुसार विकास कार्य करवा सकती है।

विभागीय बजट में विशेष अनुदान के रूप में अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृत नहीं है।

इन दोनों नगर पालिकाओं को वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक विभिन्न योजनान्तर्गत निम्न प्रकार राशि आवंटित की गई है :-

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

क्र.सं.	नाम नगर पालिका	वर्ष	आवंटित राशि (लाखों में)
1	फालना	2003-04	2.72
		2004-05	2.51
		2005-06	13.89
2	बाली	2003-04	2.92
		2004-05	2.33
		2005-06	14.12

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल का कृषकों को हस्तान्तरण

323. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज मण्डी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल जिला बून्दी को किसानों की सहकारी समिति बनाकर चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि केशोरायपाटन शुगर मिल सरकार द्वारा बन्द किये जाने के बाद क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानों की माली हालत काफी खराब हो गई है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

गंगानगर शुगर मिल का आधुनिकीकरण

324. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य में कुल कितनी शुगर मिल वर्ष 1990 तक चालू थी?

(2) राजस्थान में अभी कितनी शुगर मिल चल रही है?

(3) क्या सरकार राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. जो अब पुरानी हो चुकी है का पर्याप्त आवश्यक पूंजी लगाकर आधुनिकरण करने का विचार रखती है?

(श्री शांतिलाल चपलोत)

(4) क्या यह सही है कि उक्त शुगर मिल घाटे में चल रही है? यदि हां, तो कितने घाटे में?

(5) क्या गंगानगर शुगर मिल में डिस्टलरी है? यदि हां, तो उसकी आज की स्थिति क्या है?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में वर्ष 1990 तक 3 शुगर मिल चालू थी।

1. गंगानगर मिल लिमिटेड

2. केशोरायपाटन शुगर मिल

3. भोपाल सागर शुगर मिल

(2) वर्तमान में गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड़ ही चल रही है।

(3) राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की गंगानगर स्थित शुगर फैक्ट्री का संयंत्र वर्ष 1904 का निर्मित है। शुगर फैक्ट्री, श्रीगंगानगर की प्लान्ट एवं मशीनरी को लगभग 15 करोड़ रुपये व्यय कर आधुनिकीकरण किया जा सकता है। लेकिन शुगर फैक्ट्री में लगातार घाटा होने को मद्देनजर रखते हुये निर्वाण समिति द्वारा दिनांक 12.09.2001 को दी गई रिपोर्ट में शुगर यूनिट को बन्द करने हेतु राज्य सरकार को सिफारिश की है। अतः शुगर फैक्ट्री श्रीगंगानगर के लगातार घाटे में रहने के कारण शुगर फैक्ट्री के आधुनिकीकरण करने पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

(4) जी हां। वर्ष 2004-2005 में उक्त शुगर फैक्ट्री का घाटा 310.15 लाख रुपये था। जो इस वर्ष (2005-06) घाटा 700.00 लाख रुपये होने की संभावना है।

(5) जी हां। यह डिस्टलरी वर्तमान में चालू स्थिति में है।

जहाजपुर (भीलवाड़ा) पंचायत समिति का मगरा विकास योजनान्तर्गत विकास

325. **श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा में मगरा विकास योजना चलाई जा रही है? यदि हां, तो इसमें किस-किस समिति को शामिल किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शिवजीराम मीणा)

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जहाजपुर क्षेत्र मगरा क्षेत्र है? यदि हां, तो वहां इस योजना को लागू नहीं करने के क्या कारण है? क्या सरकार जहाजपुर पंचायत समिति क्षेत्र को इस योजना में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मगरा क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति आसीन्द के 65 गांव, पंचायत समिति मांडल के 73 गांव एवं पंचायत समिति रायपुर के 23 गांव सम्मिलित किये गये हैं। पंचायत समितिवार सम्मिलित गांवों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। अरावली संस्था द्वारा कराये गये बैंच मार्क सर्वे के अनुसार पंचायत समिति जहाजपुर को मगरा क्षेत्र में सम्मिलित करने की सिफारिश नहीं की गयी हैं। अतः इस पंचायत समिति को मगरा क्षेत्रीय विकास योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-1

मगरा क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत सम्मिलित भीलवाड़ा जिले की पंचायत समितियों का विवरण

पंचायत समिति	सम्मिलित क्षेत्र	गांवों की संख्या
आसिंद	आंशिक	65
मांडल	आंशिक	73
रायपुर	आंशिक	23

गोविन्द सागर एनीकट ग्राम बिछोछ (सवाईमाधोपुर) की मरम्मत

326. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माडा योजनान्तर्गत जिला सवाई माधोपुर के ग्राम बिछोछ में गोविन्द सागर एनीकट का निर्माण वर्ष 2000 से 2002 के मध्य कराया गया जिसकी लागत 9 लाख रुपये थी?

(श्री हीरालाल)

(2) क्या यह भी सही है कि जुलाई, अगस्त, 2005 में अतिवृष्टि के कारण उक्त एनीकट क्षतिग्रस्त हो गया? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त एनीकट का पुनर्निर्माण/मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। मरम्मत हेतु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता योजना से उक्त एनीकट का मरम्मत कार्य करवाया जा रहा है। यह कार्य जून, 2006 तक पूर्ण करवा लिया जावेगा।

केसुपुरा ग्राम (जयपुर) की ट्रक टर्मिनल हेतु अवाप्त भूमि

327. श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर के ग्राम केसुपुरा में ट्रक टर्मिनल योजना के लिए वर्ष 1989 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन अवाप्त की गई थी? यदि हां, तो किस-किस काश्तकार की कितनी-कितनी जमीन?

(2) किस-किस काश्तकार को जमीन का कब्जा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किस-किस तारीख को प्राप्त किया गया तथा किस-किस काश्तकार को कितना-कितना मुआवजा दिया गया व किस-किस काश्तकार ने मुआवजा स्वीकार नहीं किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने उक्त ट्रकटर्मिनल योजना रदद कर दी है तथा ग्राम केसुपुरा की अवाप्त जमीन का उद्देश्य ही समाप्त हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार ट्रकटर्मिनल हेतु अवाप्त भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रकटर्मिनल हेतु ग्राम केसुपुरा की अवाप्त शुदा भूमि जिसका मुआवजा खातेदारों ने नहीं लिया है उनको 25 प्रतिशत विकसित भूमि दे रही है? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। धारा 6 के गजट की प्रति परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है।

(2) खातेदार अनुसार कब्जे की सूचना परिशिष्ट ''2'' पर संलग्न है। इस प्रकरण में किसी भी खातेदार द्वारा मुआवजा स्वीकार नहीं किया गया व भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा खातेदरान की मुआवजा राशि के चैक सिविल न्यायालय को भिजवाये गये जिसकी सूची परिशिष्ट ''3'' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। योजना क्रियान्विति की कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) जी नहीं। जिनका अवार्ड दिनांक 27.10.05 से पूर्व जारी हो चुका है उनमें 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिये जाने के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोतर

पंजीयन शुल्क सम्बन्धी अपील की सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी

627. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उप महानिरीक्षक, स्टाम्प्स को ही अधिक राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य दे रखा है? यदि हां, तो उप रजिस्ट्रार द्वारा लगाई गई स्टाम्प ड्यूटी की अपील सुनने का अधिकार भी उप महानिरीक्षक, स्टाम्प्स को ही दिये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पाली जिले में उप महानिरीक्षक, स्टाम्प्स के समक्ष गत दो वर्षों में कितनी अपीलें आई? उनमें से कितने अपीलार्थी स्टाम्प ड्यूटी कम करवा सके?

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में उप रजिस्ट्रार द्वारा लगाई गई स्टाम्प्स ड्यूटी की अपील, सेशन्स कोर्ट में की जा सकती थी? यदि हां, तो न्यायाधीश के स्थान पर ऐसे अधिकारी को ही अपील सुनने का अधिकार क्यों दे रखा है जिसे अधिक राजस्व वसूली का लक्ष्य दे रखा हो?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पाली जिले में उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) पाली के न्यायालय में पाली जिले के उप पंजीयकों द्वारा गत दो वर्षो में कुल 453 रेफ्रेन्स दर्ज करवाये गये जिनमें से 19 रेफ्रेन्सों में गुणावगुण आधार पर पक्षकारों को राहत दी गई है।

(3) जी नहीं।

सरकार द्वारा पैट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स वसूली

628. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में पैट्रोल डीजल पर लिये जा रहे टैक्स कई अन्य पड़ौसी राज्यों से ज्यादा है? यदि हां, तो किन-किन पड़ौसी राज्यों से? राज्य एवं अन्य पड़ौसी राज्यों द्वारा लिए जा रहे टैक्सों का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी है कि सरकार द्वारा अधिक टैक्स वसूल जाने के कारण राज्य में से होकर गुजरने वाले वाहन राज्य के पैट्रोल पम्पों से पैट्रोल, डीजल नहीं लेकर अन्य पड़ौसी राज्यों के पैट्रोल पम्पों से लेते हैं, जिससे राज्य को आर्थिक हानी उठानी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पड़ रही है? यदि हां, तो क्या सरकार पैट्रोल, डीजल पर लिये जा रहे अधिक टैक्स को कम करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजस्थान में डीजल की कर दर दिल्ली, हरियाणा एवं पंजाब से अधिक है तथा पैट्रोल की कर दर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश एवं गुजरात से अधिक है। राजस्थान एवं अन्य पड़ौसी राज्यों द्वारा पैट्रोल व डीजल पर लिए जा रहे बिक्री कर का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	राज्य का नाम	विक्रय कर दर प्रतिशत	
		डीजल	पैट्रोल
1.	राजस्थान	20.00	28.00
2.	दिल्ली	12.50	20.00
3.	हरियाणा	12.00	20.00
4.	पंजाब	08.80	27.50
5.	उत्तरप्रदेश	21.00	25.00
6.	मध्यप्रदेश	25.00	25.00
7.	गुजरात	24.00	26.00

(2) राजस्थान के पैट्रोल सीमावर्ती जिले एवं डीजल की बढ़ी हुई दरों से निश्चित रूप से प्रभावित हुए हैं। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने डीजल पर 20 प्रतिशत की यूनिफार्म फ्लोर रेट प्रस्तावित की हुई है एवं राजस्थान उसका पूर्ण रूप से पालन कर रहा है। हमारे पड़ौसी राज्य पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली इसका उल्लंघन कर रहे हैं एवं इस संबंध में राजस्थान में अधिकार प्राप्त समिति में अपना विरोध दर्ज किया है। हालांकि राज्य के सीमावर्ती जिले पैट्रोल, डीजल की अधिक दरों से प्रभावित हुए हैं लेकिन राज्य के अन्य जिलों में यूनिफार्म फ्लोर रेट ही लेने के कारण हमें समग्र रूप से अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है।

राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध चालान की अनुमति

629. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध वर्ष 2005 में चालान

(श्री संयम लोढ़ा)

प्रस्तुत करने हेतु सरकार से अनुमति मांगी गई एवं किन-किन के मामलों में अनुमति नहीं दी गई और क्यों? प्रत्येक मामले का पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2005 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 35 प्रकरणों में 41 अधिकारियों के विरूद्ध संबंधित न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं।

वर्ष 2005 में प्रस्तावित प्रकरणों में से एक प्रकरण में एक अधिकारी श्री राजेन्द्र मकवाना के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गई है। प्रकरण में प्रापत साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामला अभियोजन स्वीकृति योग्य नहीं पाये जाने के कारण अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गई। (विवरण संलग्न है।)

वर्ष 2005 में अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों की सूची

क्र.सं.	प्रकरण सं.	प्राप्ति दिनांक	आरोपित अधिकारी का नाम
1.	89/03	10.1.05	श्री प्रेमराज नुवाल
2.	69/00	10.1.05	श्री चन्द्रप्रकाश श्रीमाली
3.	326/03	10.1.05	श्री उमेश काबरा
4.	83/04	10.1.05	डा. रमेश चन्द्र सुन्दरिया
5.	36/03	19.1.05	श्री राजेन्द्र प्रसाद
6.	102/04	2.3.05	डा. दुर्गा शंकर कश्यप
7.	225/02	5.3.05	श्री अशोक कुमार राहुल
8.	84/04	16.3.05	डा. आनंद स्वरूप सिंह
9.	208/04	8.4.05	डा. राजेश गुप्ता
10.	10/03	13.5.05	श्री वी.पी. मित्तल
11.	136/02	19.5.05	श्री सुभाष चन्द मीणा
12.	88/04	24.5.05	श्री सत्यनारायण शर्मा
13.	405/01	24.5.05	श्री सी.एल. वर्मा

क्र.सं.	प्रकरण सं.	प्राप्ति दिनांक	आरोपित अधिकारी का नाम
14.	151/03	26.5.05	श्री सोहन लाल कलाल, दशरथ सिंह एवं श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत, स.अ.
15.	28/04	30.5.05	श्री जगदीश प्रसाद यादव
16.	374/02	1.6.05	श्री रामजी लाल मीणा
17.	34/04	9.6.05	डा. सुरेश चन्द कालानी
18.	266/04	11.7.05	डा. हरबंश कौर
19.	141/04	11.7.05	डा. मदन मोहन अग्रवाल
20.	71/94	1.8.05	श्री बाबूलाल कोठारी, महावीर पाटनी, क.लि.
21.	23/05	2.8.05	डा. श्याम सुन्दर गुप्ता
22.	72/04	6.8.05	श्री महेश चन्द सक्सैना
23.	238/03	31.8.05	श्री लड्डूलाल पहाड़िया
24.	271/04	9.9.05	श्री श्याम लाल माथुर
25.	108/04	22.9.05	श्री रामचन्द कसेरा
26.	200/04	27.9.05	डा. जे.पी. लखोटिया
27.	95/04	29.9.05	श्री शंभु दयाल शर्मा
28.	60/02	29.9.05	श्री भंवर सिंह चारण
29.	253/04	17.10.05	श्री करतार सिंह
30.	135/04	27.10.05	डा. पी.सी. सोनी
31.	33/04	1.12.05	डा. डी.डी. चौहान
32.	108/02	1.12.05	श्री अशोक कुमार
33.	58/02	1.12.05	श्री भवर सिंह चारण
34.	323/99	6.12.05	श्री अशोक निर्वाण एवं बनवारी लाल यादव
35.	17/02	23.12.05	डा. अंगदेव झोरड, श्री ओम प्रकाश मायव, श्री रामजी लाल बंसल

विभिन्न सेवा संवर्गों में नियुक्ति प्रक्रिया

630. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने विभिन्न सेवा संवर्गों की नियुक्ति प्रक्रिया में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में अनुसूचित जाति, जनजाति व ओ.बी.सी. विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण की व्यवस्था अधिसूचित कर रखी है?

(2) राजस्थान के पुनर्गठन के पश्चात अर्थात 1 अप्रैल, 1951 से आज तक इस आशय की अधिसूचना, आदेश एवं परिपत्र कब-कब जारी हुए? समस्त आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि हर बार के बदलते रोस्टर बिंदुओं की नई व्यवस्था अधिसूचित करते ही उन रोस्टर रजिस्टरों को बंद कर दिया? यदि हां, तो क्या उस आधार तिथि को जो पद बैकलाग से भरे जाने अवशेष थे, वे स्वतः विलोपित मान लिये गये? यदि नहीं, तो रजिस्टर बिन्दु बदलने पर उन्हें अग्रेषित करने की नियमान्तर्गत क्या व्यवस्था आदेशित की गई?

(4) क्या यह सही नहीं है कि एक पद रिक्त होने पर उसे अनारक्षित माना जाने के निर्देश है, तो यह भी कार्यालयिक संरचना में कई-कई पद तो सिर्फ एक-एक ही हैं, ऐसी स्थिति में उस एक मात्र पद पर कभी भी किसी कार्मिक को पदोन्नति का लाभ मिलता ही नहीं है?

(5) इस तरह से प्रतिवर्ष एक अप्रैल को कुल रिक्तियां 50-50 प्रतिशत के अनुपात से सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भरे जाने हेतु पदों का परिनिर्धारण किया जाना है और ऐसी स्थिति में उस एक मात्र रिक्त पद को पदोन्नति से भरे जाने वाले पद से चिन्हित कर दिया जाता है? ऐसी स्थिति में क्या यह सही नहीं है कि वह एक मात्र पद कभी भी सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद से चिन्हित नहीं किया जा सकेगा?

उत्तर

(1) अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.वर्ग/विकलांग व भूतपूर्व सैनिकों हेतु सीधी भर्ती के पदों अनु जाति/अनु जनजाति को पदोन्नति के पदों पर आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है।

(2) विवरण प्रतियां संलग्न है। (परिशिष्ट-अ, ब, स)

(कार्मिक मंत्री)

(3) 1. अजा/अजजा हेतु दिनांक 20.11.97 के परिपत्र द्वारा पदों पर आधारित रोस्टर व्यवस्था लागू कर दी गई है अतः इसके अनुसार जो पद भरे जाने से अवशेष रहते हैं, उनकी 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के हिसाब से गणना कर भरे जाने की व्यवस्था है।

2. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित रिक्त पदों को अग्रेषित करने का कोई नियम नहीं है।

3. विकलांगों एवं भूतपूर्वों सैनिकों हेतु किये गये आरक्षण में रोस्टर व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(4) जी हां। यदि मात्र एक पद है तो पदोन्नति का लाभ नियमानुसार किसी भी योग्य व्यक्ति को मिल सकता है।

(5) किसी संवर्ग के एक मात्र पद जिसे 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है, को एक बार रिक्त होने पर सीधी भर्ती से तथा दूसरी बार रिक्त होने पर पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लिपिकीय संवर्ग को कम्प्यूटर कार्य हेतु प्रोत्साहन राशि

631. श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय विभागों में कार्यरत मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों एवं आशुलिपिकों, निजी सहायकों को अपने कार्य के साथ-साथ कम्प्यूटर पर कार्य करने के फलस्वरूप प्रोत्साहन राशि दी जाती है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रोत्साहन राशि प्रशिक्षण उपरांत कर्मचारियों को दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात दी जाती है?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अब दक्षता परीक्षा का आयोजन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार दक्ष कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य मंत्रालयिक कर्मचारी, जो कम्प्यूटर पर कार्य कर रहे हैं, को भी प्रोत्साहन राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम वर्ष तक रुपये 150/- प्रतिमाह एवं एक वर्ष पश्चात पुनः दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात सफल कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि रुपये 150/- से बढ़ाकर रुपये 200/- प्रतिमाह देय है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। वर्तमान में सरकार के द्वारा दक्षता परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है, क्योंकि यह कार्यक्रम वर्ष 1996-97 में राजकीय विभागों में कम्प्यूटराईजेशन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था। वर्तमान में अधिकांश विभागों में कम्प्यूटर प्रशिक्षित कर्मचारियों की निरन्तर बढ़ती उपलब्धता के कारण इस कार्यक्रम की उपयोगिता महसूस नहीं की जा रही हैं।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार में इन कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य मंत्रालयिक कर्मचारियों को अलग से प्रोत्साहन राशि देने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। चूंकि अब अधिकांशतः सभी राजकीय विभागों में कम्प्यूटर प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होते जा रहे हैं। अतः इस परिप्रेक्ष्य में प्रोत्साहन राशि कार्यक्रम पुनः प्रभावी करने की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है।

गंगापुर (भीलवाड़ा) नगरपालिका के स्वीकृत कार्य

632. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका गंगापुर जिला भीलवाड़ा में दिनांक 1 जनवरी, 2000 से किस-किस योजना में किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई?

(2) क्या स्वीकृत हुए सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर पालिका क्षेत्र गंगापुर में दिनांक 01.01.2000 से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत राशि एवं कार्यों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2002-03 में ट्यूबवैल खुदाई कार्य सूखा निकालने से अपूर्ण है। शेष अन्य सभी कार्य पूर्ण किये जा चुके है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सफाई निरीक्षक नगरपालिका डूंगरपुर द्वारा सफाई कर्मियों के विरुद्ध अनियमित कार्यवाही

633. श्री राईया मीणा (आसपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सफाई निरीक्षक द्वारा नगरपालिका में कार्यरत स्थाई सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका में बिना नियम-प्रक्रिया अपनाये अनुपस्थिति लगाकर वेतन काटा जा सकता है?

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका डूंगरपुर में सफाई निरीक्षक द्वारा गत 10 वर्षों से हरिजन कर्मचारियों की प्रतिमाह अनुपस्थिति लगाकर वेतन काटा जा रहा है, जिससे सेवा में नियमानुसार प्रभाव पड़ता है क्या यह कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत है? क्या सरकार उक्त अवधि का वेतन का पुनः भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त कार्यवाही में लिप्त निरीक्षकों या दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। नियमानुसार नगर पालिका में कार्यरत स्थाई सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका में बिना निर्धारित प्रक्रिया अपनाए अनुपस्थिति लगा कर वेतन नहीं काटा जा सकता।

(2) नगर पालिका डूंगरपुर में सामान्यतः सफाई निरीक्षक द्वारा हल्के में अनुपस्थिति पाए जाने वाले सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति अवैतनिक अवकाश में शुमार कर वेतन कटौती की जाती है।

सफाई निरीक्षक द्वारा की गई यह कार्यवाही नियमों के अंतर्गत नहीं है। प्रकरण की जांच क्षेत्रीय उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर से शीघ्र कराई जाकर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(3) जी हां। क्षेत्रीय उप निदेशक की जांचोपरान्त दोषी पाए निरीक्षक एवं कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

इटावा (कोटा) में नगरपालिका की स्थापना

634. श्री प्रभुलाल वर्मा (बारां): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री प्रभु लाल वर्मा)

(1) क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्बा इटावा (जिला–कोटा) की आबादी 1991 की जनगणना के आधार पर नगरपालिका स्थापना हेतु मानदण्ड अनुसार पूर्ण थी?

(2) क्या सरकार इटावा (जिला–कोटा) में ग्राम पंचायत के स्थान पर नगरपालिका की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यद्यपि जनगणना में जनसंख्या का मानदण्ड पूर्ण करती है, परन्तु इस हेतु उचित निर्णय लेने के लिये कई अन्य मानदण्ड भी ध्यान में रखे जाते हैं यथा जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व, प्रति व्यक्ति आय आदि।

(2) इस संदर्भ में प्रकरण के सभी मानदण्डों यथा कस्बे की जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व प्रति व्यक्ति आय आदि के परीक्षणोपरान्त विचार किया जावेगा।

निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) का नवीन मास्टर प्लान

635. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ का मास्टर प्लान वर्ष 1984 में राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट, 1959 के अन्तर्गत बनाया गया था, जिसकी अवधि वर्ष 2006 में समाप्त हो रही है? यदि हां, तो निम्बाहेड़ा शहर के आगामी मास्टर प्लान तैयार करने हेतु सरकार की क्या योजना है?

(2) निम्बाहेड़ा के मास्टर प्लान 1984–2006 की समयावधि में मास्टर प्लान की भावना के अनुरूप क्या–क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए तथा क्या–क्या कार्य नहीं हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निम्बाहेड़ा का मास्टर प्लान राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अंतर्गत बनाया गया था, जिसकी अवधि वर्ष 2006 में समाप्त हो रही है। नगर नियोजन विभाग के स्तर पर मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की स्थिति पर स्टेट्स रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके पश्चात

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

ही यह तय किया जायेगा कि मास्टर प्लान का क्षेतिज वर्ष बढ़ाया जाना है अथवा नया मास्टर प्लान तैयार होने के बाद इस संबंध में यथोचित निर्णय लिया जा कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

(2) निम्बाहेड़ा के मास्टर प्लान 1984–2006 की समयावधि में मास्टर प्लान की भावना के अनुरूप शहरी विकास, मुख्यतः सड़कें विकसित की गई हैं। आवासीय जोन आर–1, आर–2, आर–3 आरक्षित क्षेत्र में नई आवासीय योजनाएं विकसित की गई तथा राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित क्षेत्र को विकसित किया गया। पार्क डवलप कराये गये तथा सामुदायिक केन्द्र निर्माण, बस स्टैण्ड निर्माण, राजकीय रेफरल हास्पीटल भवन का निर्माण कार्य करवाए गए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर एवं अम्बामाता राक गार्डन विकसित किया जाना शेष है तथा शेखावत सर्कल को चित्तौड़ रोड़ से लिंक किया जाना शेष रहा है, जिसे आगामी कार्य योजना में सम्मिलित किया जा कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

भीनमाल (जालौर) नगरपालिका में विधायक अभिशंसित कार्य

636. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल (जालौर) में विधायक कोष से नगरपालिका, भीनमाल को वर्ष 2004–05, 2005–06 में कुल कितनी-कितनी राशि किस–किस कार्य के लिये स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत राशि का उपयोग हो चुका है? यदि नहीं, तो बकाया रहे कार्यों को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल (जालौर) में विधायक कोष से नगर पालिका, भीनमाल को वर्ष 2004–05, 2005–06 में स्वीकृत कार्य एवं राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

क्र. सं.	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
1.	2004-05	1. वार्ड सं. 9 में बचनाराम रवारी के मकान से हरिसिंह के प्लाट तक सड़क निर्माण कार्य	3.748 लाख
		2. वार्ड संख्या 10 में बशीर खां पुत्र इब्राहिमखा के मकान से खजुरिया नाला तक डामर सड़क निर्माण कार्य	3.797 लाख
		3. रेल्वे स्टेशन चौराहे पर डा. भीमराव अम्बेडकर सर्कल व स्टेच्यू स्टेण्ड का निर्माण	1.610 लाख
		योग	9.155 लाख
2.	2005-06	1. वार्ड सं. 8 में सीमेन्ट कंकरीट सड़क निर्माण कार्य नवदुर्गा कालोनी में लाखाराम मेघवाल के मकान से जमना देवी के मकान तक	2.214 लाख
		2. भीनमाल में वार्ड सं. 6 में डामर सड़क निर्माण कार्य	2.612 लाख

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से 2004-05 के क्रम संख्या 1 व 3 तथा वर्ष 2005-06 के क्रम संख्या 1 पर वर्णित कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष 2 कार्यों के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं, जिन्हें शीघ्र पूर्ण करा लिया जाएगा।

डूंगरपुर नगरपालिका के वार्ड नम्बर 29 के बंजारा जाति के परिवारों को आवसीय पट्टे

637. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका डूंगरपुर के वार्ड नम्बर 29 की नई बस्ती में पिछले 25-30 वर्षों से बन्जारा जाति के लोग निवास कर रहे हैं? यदि हां, तो वहां कितने परिवार निवास करते हैं?

(2) क्या सरकार वर्षों से एक ही स्थान पर बसे लोगों को पट्टा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नगर पालिका डूंगरपुर के वार्ड नं. 29 नई बस्ती में पिछले 25-30 वर्षों से 30 परिवार निवास करते हैं।

(2) जी हां। क्राउन एक्ट के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

15.09.1983 एवं उक्त अधिसूचना में समय–समय पर किए गए संशोधनों की पूर्ति करने पर रुपये 5/- में पट्टा देने तथा अन्यथा स्थिति में पुराने कब्जों को नियमित करने के संदर्भ में जारी परिपत्रों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

कानोड़ नगरपालिका के कर्मियों के बकाया वेतन भुगतान हेतु अनुदान

638. **श्री रणधीर सिंह भीण्डर** (बल्लभनगर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका कानोड़ में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन काफी समय से बकाया चल रहा है? यदि हां, तो कुल कितना वेतन बकाया व किस–किस समय का?

(2) क्या सरकार उक्त बकाया भुगतान हेतु नगरपालिका कानोड़ को राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) ऐसी छोटी नगरपालिकाओं को ऋणमुक्त करने की सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका कानोड़ में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन माह जून, 2005 से तथा अन्य बकाया भविष्य निधि, ग्रेच्यूटी तथा महंगाई भत्ता एरियर सहित कुल 40.50 लाख रुपया बकाया चल रहा है।

(2) उक्त बकाया के भुगतान हेतु विभाग द्वारा स्वीकृति क्रमांक 5258–271 दिनांक 07.07.05 द्वारा राज्य वित्त आयोग के तहत स्वीकृत राशि में से 10.00 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये हैं।

(3) विभाग द्वारा सभी निकायों को चुंगी पुनर्भरण एवं सामान्य अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध कराई जाती है तथा लैण्ड बैंक की स्थापना करने, गृहकर वसूली को प्रभावी बनाने एवं शुल्क तथा शास्ति की दरों में वृद्धि कर संसाधन बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया, ताकि निकायों के संसाधनों में वृद्धि हो सके।

गेटोर (जयपुर) ग्राम हेतु मूलभूत सुविधाएं

639. **श्री शंकर सिंह राजपुरोहित** (आहोर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम के वार्ड–28 में गेटोर गांव वर्ष 1967 से स्थित है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गांव अभी भी मूलभूत सुविधाओं यथा, सीवर लाईन व नाली निर्माण इत्यादि की सुविधाओं से वंचित है?

(3) तो सरकार द्वारा उक्त गांव में मूलभूत सुविधायें कब तक प्रदान कर दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

.। नगर निगम सीमा में वर्ष 1992 में सम्मिलित हुआ है।

(2) जी हां।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस क्षेत्र हेतु मुख्य/उपमुख्य सीवर लाईन डालने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसके पूर्ण होने के पश्चात तकनीकी रूप से फिजीबल क्षेत्र में आंतरिक सीवर लाईन डालने का कार्य, कार्य की प्राथमिकता व वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा। चूंकि इस क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है अतः अन्य क्षेत्रों के लिये, लिए गये नीतिगत निर्णय के अनुसार इस क्षेत्र में भी नाली निर्माण की आवश्यकता नहीं रहेगी।

मूलभूत सुविधायें जैसे सड़क निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। उक्त गांव में पेयजल योजना का कार्य माह जून, 2006 में पूर्ण होने की संभावना है।

शहरी आधारभूत योजनान्तर्गत चौमूं क्षेत्र का विकास

640. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार की शहरी आधारभूत योजना के अन्तर्गत कौन–कौनसे शहरों को विकसित करने की योजना है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस योजना में चौमूं शहर को भी सम्मिलित किया गया है? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आर.यू.आई.डी.पी. के अन्तर्गत राज्य के छः प्रमुख शहर जयपुर,

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर एवं अजमेर में आधारभूत सुविधाओं की क्षमता बढ़ाने के कार्य करवाये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं।

भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर की मुरलीपुरा आवासीय योजना का नियमन

641. **श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची** (टिब्बी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर द्वारा (मुरलीपुरा सीकर रोड़) पर कोई आवासीय योजना बनाई गई? यदि हां, तो कब? उक्त योजना के प्लाट आवंटियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सोसायटी ने इस कालोनी की सूची मय रिकार्ड नियमितीकरण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को सुपुर्द कर दी है? यदि हां, तो कब व उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आवासीय योजना की धारा 90 बी की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों तथा अब तक धारा 90 बी की कार्यवाही कर ली जायेगी?

(4) क्या सरकार उक्त आवासी योजना का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो, क्यों? नियमितीकरण के क्या दिशा निर्देश है? योजना का नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त आवासीय योजना का वास्तुविद द्वारा सर्वेक्षण कराया जा चुका है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों तथा अब तक सर्वेक्षण करवा लिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर (मुरलीपुरा) सीकर रोड) पर कोई योजना का रिकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। समिति द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में इस कलोनी का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं। उक्त आवासीय योजना का रिकार्ड पेश नहीं है अतः 90–बी की कार्यवाही भी नहीं की गई है।

(4) जी नहीं। उक्तानुसार नियमन की कार्यवाही नहीं की गई है।

(5) जी नहीं। योजना का वास्तुविद सर्वे नहीं कराया गया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-642

(स्थगित)

बनीपार्क के सामुदायिक केन्द्र

643. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम/राजस्थान आवासन मण्डल के कौन–कौन से सामुदायिक केन्द्र बने हुए हैं? सामुदायिक केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखें। इनका संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है? इन सामुदायिक केन्द्रों के आरक्षण की दर क्या है? गत दो वर्षो में इन पर किये गये व्यय तथा आय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण के 6 सामुदायिक केन्द्र हैं। इनके संचालन, आरक्षण दर, गत दो वर्षों की आय–व्यय की स्थिति दर्शाते हुये विशेष विवरण सहित परिशिष्ट–''अ'' संलग्न है।

उक्त क्षेत्र में राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर योजना में चार सामुदायिक केन्द्र बने हैं जिसकी सूची निम्न है :-

1. एस.एफ.एस. कालोनी, मानसरोवर, जयपुर

2. सैक्टर 8 अरावली मार्ग, मानसरोवर, जयपुर

3. सैक्टर 9 गोखले मार्ग, मानसरोवर, जयपुर

4. सैक्टर 10 मानसरोवर, जयपुर–नवनिर्मित (संचालन अभी किया जाना है।)

शेष तीनों सामुदायिक केन्द्रों का संचालन स्थानीय समितियों द्वारा किया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट–''ब'' पर संलग्न है। तीनों सामुदायिक केन्द्रों के आरक्षण की दर का विवरण परिशिष्ट–''स'' पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

गत दो वर्षों में चारों सामुदायिक केन्द्रों पर किये व्यय तथा आय का विवरण परिशिष्ट– ''द''' पर संलग्न है।

उक्त क्षेत्र में जयपुर नगर निगम के दो सामुदायिक केन्द्र

1. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस सामुदायिक केन्द्र वार्ड नं. 4 व

2. हसनपुरा ''ए' हनुमान जी के मंदिर के पास वार्ड नं. 7 बने हुए हैं।

(क) वार्ड 4 में स्थित सामुदायिक केन्द्र का संचालन जयपुर नगर निगम द्वारा किया जा रहा है तथा इसकी आरक्षण दर 1,500/- रुपये प्रतिदिन है। इस केन्द्र में वर्ष 2004–05 में कोई आय नहीं हुई तथा वर्ष 2005–06 में 12,000/- रुपये आय हुई। इस पर गत दो वर्षों में व्यय प्रतिवर्ष 74,088/- रुपये किया गया।

(ख) वार्ड 7 में स्थित सामुदायिक केन्द्र का संचालन मौहल्लेवासियों द्वारा किया जा रहा है। इस हाल की आरक्षण दर का नगर निगम द्वारा निर्धारण नहीं किया हुआ है। इस केन्द्र से गत दो वर्षों में नगर निगम को न तो कोई आय हुई और न ही कोई व्यय किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त के कक्ष हेतु क्रय फर्नीचर

644. श्री अर्जुन सिंह (रानपुर) व श्री **संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2005–06 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किस–किस अधिकारी के कमरे की साज सज्जा पर कितनी–कितनी राशि व्यय की गई व किस फर्म से यह कार्य करवाया गया?

(2) उक्त अवधि में किस–किस अधिकारी के कमरे में फर्नीचर के क्रय पर कितनी–कितनी राशि व्यय की गई व किस फर्म से कार्य करवाया गया?

(3) क्या यह सही है आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण के वैश्म हेतु भी फर्नीचर खरीदा गया? यदि हां, तो कितनी राशि का व किस फर्म से एवं फर्नीचर किस जगह से आया?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सभी कार्यों हेतु टेण्डर किया गया था? यदि नहीं, तो बिना टेण्डर कार्य कराने का क्या औचित्य था? टेण्डर नहीं कराने

(श्री अर्जुन सिंह)

का निर्णय किसने किया? क्या उक्त अधिकारी बिना टेण्डर कार्य करवाने हेतु सक्षम हैं? अधिकारी के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2005–06 में अधिकारियों के कमरों की साज–सज्जा पर कुल खर्च की गई राशि का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में अधिकारियों के कमरों में फर्नीचर पर क्रय की गई राशि परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। संबंधित फर्म मैसर्स ए.के. जैन एण्ड एसोसिएट्स द्वारा उक्त कार्य बाबत 10,60,770/- रुपये का बिल प्रस्तुत किया है। जिसका परीक्षण किया जा रहा है। संबंधित फर्म द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में उपलब्ध कराये गये दस्तावेज के अनुसार फर्नीचर दिल्ली की फर्म मैसर्स एम्पायर सेफ कम्पनी एवं अशोक इन्टरनेशनल से खरीदा गया है।

(4) जी नहीं। उक्त सभी कार्य हेतु टेण्डर आयोजित नहीं किये गये थे बल्कि कार्य की विशिष्ट प्रकृति एवं तात्कालिक आवश्यकता के कारण जयपुर विकास आयुक्त की अनुमति से बिना टेण्डर सम्पन्न हुये। यह निर्णय जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रभावी एस.ओ.पी. में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निदेशक वित्त की सहमति पर जयपुर विकास आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया गया है। आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण उपरोक्त कार्य करवाने में सक्षम हैं। उक्त कार्य तत्कालीन आयुक्त श्री ललित के पंवार के कार्यकाल के दौरान कराया गया था।

परिशिष्ट-1

वर्ष 2005-06 में अधिकारियों के कमरों पर साज-सज्जा पर व्यय की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	व्यय की गई राशि	फर्म का नाम
1	आयुक्त	16,53,737/-	मै. ऐ.के. जैन एण्ड एसोसिएट्स
2	निदेशक विधि	8,02,924/-	मै. ऐ.के. जैन एण्ड एसोसिएट्स
3	निदेशक आयोजना	7,92,429/-	मै. ऐ.के. जैन एण्ड एसोसिएट्स

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	व्यय की गई राशि	फर्म का नाम
4	उपायुक्त जोन-2	52,854/-	मै. राजस्थान सेन्ट्रल स्टोर प्रा.लि.
5	उपायुक्त जोन-3	66,284/-	मै. राजस्थान सेन्ट्रल स्टोर प्रा.लि.
6	उपायुक्त जोन-5	48,998/-	मै. राजस्थान सेन्ट्रल स्टोर प्रा.लि.
7	उपायुक्त जोन-7	86,408/-	मै. गोविन्द कन्स्ट्रक्शन, मै. इन्टीरियर्स इण्डिया तथा मै. राज. सेन्ट्रल्स स्टोर्स
8	उपायुक्त जोन-8	68,998/-	मै. राजस्थान सेन्ट्रल स्टोर प्रा.लि.
9	उपायुक्त जोन-9	68,284/-	मै. राजस्थान सेन्ट्रल स्टोर प्रा.लि.
10	उपायुक्त जोन-11	55,152/-	मै. राजस्थान सेन्ट्रल स्टोर प्रा.लि. एवं मै. सेजल एन्टरप्रिन्योर
11	उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम एवं द्वितीय	24,840/-	मै. मेटल्स एण्ड मेटल्स

परिशिष्ट-2

अधिकारियों के कमरों में फर्निचर क्रय पर व्यय की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	व्यय की गई राशि	फर्म का नाम
1	निदेशक विधि	10,5,690/-	मै. ए.के. जैन एण्ड एसोसिएट्स
2	निदेशक आयोजना	12,6,750/-	मै. ए.के. जैन एण्ड एसोसिएट्स
3	उपायुक्त जोन-2	52,854/-	मै. ए.के. जैन एण्ड एसोसिएट्स
4	उपायुक्त जोन-3	66,284/-	मै. राजस्थान सेन्ट्रल स्टोर प्रा.लि.
5	उपायुक्त जोन-5	43,898/-	मै. राजस्थान सेन्ट्रल स्टोर प्रा.लि.
6	उपायुक्त जोन-7	86,408/-	मै. राजस्थान सेन्ट्रल स्टोर प्रा.लि.
7	उपायुक्त जोन-8	68,998/-	मै. गोविन्द कन्स्ट्रक्शन, मै. इन्टीरियर्स इण्डियातथामै.राज.सेन्ट्रल्सस्टोर्स प्रा.लि.
8	उपायुक्त जोन-9	68,284/-	मै. राजस्थान सेन्ट्रल स्टोर प्रा.लि.
9	उपायुक्त जोन-11	55,152/-	मै. राजस्थान सेन्ट्रल स्टोर प्रा.लि.
10	उपनियंत्रण प्रवर्तन-प्रथम एवं द्वितीय	24,840/-	मै. मेटल्स एण्ड मेटल्स

जयपुर, तिलक मार्ग की राजकीय भूमि ''फूल कुंज'' पर अतिक्रमण

645. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ''फूल कुंज'' तिलक मार्ग, सी–स्कीम जयपुर, खसरा नं. 415 व 416 सरकारी भूमि है? यदि हां, तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक वहां अपनी संपत्ति का बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि के तीन चौथाई हिस्से को किसी भू–माफिया द्वारा बेचान कर दिया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त भू–माफिया के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ''फूल कुंज'' तिलक मार्ग, सी–स्कीम, ग्राम हथरोई तहसील जयपुर की जमाबन्दी सम्वत 2052 से 2055 तक के अनुसार खसरा नम्बर 415 रकबा 16 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी खाता संख्या 1 में मिलकियत सरकार दर्ज है व खसरा नं. 416 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा किस्म बंजड सी–स्कीम खाता संख्या 1 में मिलकियत सरकार दर्ज है। यह भूमि राजस्व रिकार्ड में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम दर्ज होने के कारण सम्पत्ति का बोर्ड नहीं लगाया गया है।

(2) भूमि के बेचान सम्बन्धी कोई अधिकारिक सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

नाथद्वारा मंदिर क्षेत्र के जीर्णोद्धार हेतु राशि की स्वीकृति

646. डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम के समय सरकार द्वारा नाथद्वारा नगर के विकास के लिये सड़कों के निर्माण हेतु वित्तीय राशि की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कितनी राशि की तथा कौन–कौन सी सड़कों के निर्माण करने का प्रावधान वर्ष 2005–06 में किया गया तथा कितनी राशि दिनांक 1 फरवरी, 2006 तक व्यय की गई? यदि नहीं, तो क्या सरकार वर्ष 2006–07 के बजट में उक्त प्रावधान रखने का विचार रखती है?

उत्तर

मंदिर मण्डल द्वारा मंदिर जीर्णोद्धार कार्यक्रम के समय सरकार द्वारा नाथद्वारा के विकास हेतु सड़कों के निर्माण हेतु वित्तीय राशि की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा इस प्रकार की गई थी कि नाथद्वारा के सड़कों के विकास में किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं आने दी जावेगी। किन्हीं विशेष सड़कों के निर्माण या उनके लिये किसी विशेष राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।

करौली एवं मण्डरायल तहसील क्षेत्र की मंदिर माफी भूमि पर अतिक्रमण

647. **श्री सुरेश मीणा** (करौली) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली की तहसील करौली के करौली शहर एवं मंडरायल में मंदिर माफी की कितनी भूमि स्थित है? खसरा नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मंदिर माफी की भूमि/भवन पर पुजारियों द्वारा बिना अनुमति के पिछले पांच वर्षों में परिवर्तन/परिवर्धन किया गया है? यदि हां, तो किन–किन मन्दिरों में तथा क्या–क्या एवं किन नियमों के तहत?

(3) क्या यह भी सही है कि मंदिर माफी की भूमि एवं भवनों/सम्पत्तियों को पुजारियों द्वारा बेचान किया गया है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में किस–किस सम्पत्ति को किस–किस व्यक्ति को बेचा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की मंदिर माफी की भूमि में से कुछ भूमि पर भू–माफियाओं द्वारा अवैध कालोनियों का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसी भूमि पर एवं किन–किन व्यक्तियों द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार पुजारियों द्वारा करौली शहर एवं तहसील क्षेत्र मण्डरायल में अवैध रूप से किये गये परिवर्तन/परिवर्धन को ध्वस्त करने एवं अवैध रूप से बनवाई गई कालोनी को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली की तहसील करौली में मंदिर माफी की 17494.09 बीघा भूमि है तथा तहसील मण्डरायल में 816.17 बीघा भूमि है खसरा नम्बरान की ग्रामवार सूची क्रमश परिशिष्ट–1 एवं परिशिष्ट–2 संलग्न है।

(2) हां यह सही है कि माफी मंदिर की भूमि/भवन पर पुजारियों द्वारा पिछले पांच वर्षों में परिवर्तन/परिवर्धन किया गया है। तहसील करौली से संबंधित सूचना परिशिष्ट–3 संलग्न है।

तहसील मण्डरायल में मंदिर श्री बिहारी जी महाराज एवं मंदिर श्री राधामोहन जी महाराज की भूमि पर भवन बनाये गये हैं।

(3) तहसील करौली में मंदिर माफी की भूमि एवं भवनों/सम्पत्तियों के बेचान का कोई दस्तावेज पंजीकृत नहीं हुआ है।

तहसील मण्डरायल की सूचना परिशिष्ट–4 पर संलग्न है।

(4) यह सही है कि तहसील करौली में मंदिर माफी की भूमि में से कुछ भूमि पर भू–माफियों द्वारा अवैध कालोनियों का निर्माण किया जा चुका है मकान काफी बड़ी मात्रा में बन चुके हैं। जिनकी सूची सर्वे के उपरांत ही संभव है।

तहसील मण्डरायल में ख. नं. 1071 ग्राम मण्डरायल की भूमि पर कालोनियों का निर्माण किया हुआ है यह बेचान भगवती उमाकान्त पिलोहरे पुजारी मण्डरायल द्वारा किया गया है। सूची परिशिष्ट–5 के अनुसार है।

(5) अवैध रूप से किये गये परिवर्तन/परिवर्धन एवं अवैध रूप से बनाई गई कालोनियों/निर्माण को हटाने हेतु प्रावधन विद्यमान है जिनके तहत कार्यवाही की जावेगी।

(6) जी हां। अवैध निर्माण करने वाले दोषियों के विरुद्ध विद्यमान प्रावधानों में कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सलूम्बर के प्रस्तावित ग्रिड सब–स्टेशन

648. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत ग्राम डगार (इन्टालीखेड़ा) एवं खरका में 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उक्त दोनों सब स्टेशन के निर्माण के प्रस्तावों की क्या प्रगति है? प्रगति रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलम्बूर के ग्राम डगार (इन्टालीखेड़ा) में 33/11 के.वी. सब–स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गयी है। इसका निर्माण जून 2006 तक किया जाना प्रस्तावित है किन्तु खड़का मोड 33/11 के.वी. सब–स्टेशन तकनीकी एवं वित्तीय रूप से साध्य नहीं है।

(2) डगार (इन्टालीखेड़ा) में 33/11 के.वी. सब–स्टेशन के निर्माण के कार्यादेश सी.एल.आर.सी. के अन्तर्गत जारी किये जा चुके हैं एवं इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

पंचशील चन्द्रवरदाई एवं जयपुर रोड (अजमेर) में प्रस्तावित ग्रिड सब–स्टेशन

649. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अजमेर में पंचशील, चन्द्रबरदाई व जयपुर रोड़ हेतु 32 के.वी. ग्रिड सबस्टेशन स्वीकृत हुए थे? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त सब स्टेशनों के निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। उक्त स्थानों पर 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशनों की स्वीकृति ही नहीं है, अत: निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीडूंगरगढ़ तहसील में नवीन ग्रिड सब स्टेशन

650. **श्री मंगला राम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील श्रीडूंगरगढ़ में 220, 132 व 33

(श्री मंगला राम गोदारा)

के.वी. के ग्रिड सब स्टेशन बने हुए हैं? यदि हां, तो कहां–कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तहसील श्रीडूंगरगढ़ में कृषि कनेक्शनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ग्रिड सब स्टेशन पर्याप्त है? यदि नहीं, तो सरकार कौन–कौनसी श्रेणी के नये ग्रिड सब स्टेशन कहां–कहां स्थापित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) वर्तमान में श्रीडूंगरगढ़ तहसील में 132 के.वी. का एक ग्रिड सब–स्टेशन श्रीडूंगरपुर में बना हुआ है तथा 33/11 के.वी. के 24 उपकेन्द्र वर्तमान में कार्यरत है जिनकी नामवार सूची निम्न प्रकार से है :-

1. बाना 2. उपनी 3. रोडी 4 भीमसरीयां 5. सूडसर 6. दुलधसर 7. सांवतसर 8. श्रीडूंगरगढ़ 9. भोमासर 10. लिखमादेसर 11. बिगाबास रामसरा 12. अमृतवास 13. आडसर 14. बापेऊ 15. ठकुरोयासर 16. बरजनसर 17. सेरूणा 18. लिखमादेसरउत्तर 19. धीरदेसर चोटियान 20. दुसारना 21. बिनजासर 22. तेजराजसर 23. अभयसिंहपुरा 24. सोनियासर।

(2) वर्तमान में बढ़ते हुए विद्युत भार को देखते हुए हाल ही में 132 के.वी. ग्रिड सब–स्टेशन श्रीडूंगरगढ़ पर एक ओर 132/33 के.वी. 25 एम.वी.ए. का ट्रांसफार्मर वर्ष 2005–06 में लगाया गया है तथा इसी तहसील में एक नये 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन भोमासर का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं श्री डूंगरगढ़ तहसील में 33/11 के.वी. का केन्द्र गुसाईसर स्वीकृत है जिसका कार्य भी प्रगति पर है। आगामी वर्षों में कृषि कनेक्शनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए देराजसर, लिखमीसर, दिवखनानाड़ तथा कल्याणसर नया में 33/11 के.वी. उपकेन्द्र के प्रस्ताव विचाराधीन है।

फतेहपुर के लम्बित विद्युत आवेदन पत्र

651. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में विद्युत कनेक्शन हेतु वर्तमान में किस–किस श्रेणी के कितने–कितने आवेदन पत्र कब से किन–किन कारणों से लम्बित है? लम्बित आवेदनों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कर आवेदकों को

(श्री भंवरू खान)

विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में विभिन्न श्रेणियों के विद्युत कनेक्शन हेतु लंबित आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है। घरेलू, अघरेलू एवं औद्योगिक कनेक्शनों के आवेदन पत्रों का निस्तारण लंबित नहीं है। कृषि कनेक्शनों के आवेदनों का निस्तारण कृषि कनेक्शन नीति के अनुसार ही किया जाता है।

(2) जी हां। लंबित कृषि कनेक्शन के आवेदनों का निस्तारण आगामी वर्ष के लक्ष्य एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर किया जाएगा।

प्रपत्र ''अ''

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

विधान सभा क्ष्ोत्र फतेहपुर में लम्बित विभिन्न श्रेणियों के आवेदन पत्रों का विवरण

वर्ष	लम्बित पत्रावलियों की संख्या				
	घरेलू	अघरेलू	लघु उद्योग	कृषि सामान्य	कृषि स्पेशल
1993-94	-	-	-	6	-
1994-95	-	-	-	19	-
1995-96	-	-	-	14	-
1996-97	-	-	-	2	-
1997-98	-	-	-	9	-
1998-99	-	-	-	23	-
1999-2000	-	-	-	132	-
2000-01	-	-	-	35	-
2001-02	-	-	-	12	-
2002-03	-	-	-	3	-
2003-04	-	-	-	16	-
2004-05	-	-	-	10	14
2005-06	435	11	7	19	10
योग	**435**	**11**	**7**	**300**	**24**

विद्युत छीजत रोकने हेतु ट्रांसमिशन पर व्यय

652. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा छीजत कम करने के लिये ट्रांसमिशन हेतु जो नो योजनायें प्रस्तावित की गई हैं, उन पर कितना व्यय किया जाना प्रस्तावित है तथा अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छीजत को कम करने हेतु व्यय की गई राशि के बाद कितने प्रतिशत छीजत की कमी हुई?

उत्तर

(1) विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत छीजत कम करने के लिये राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में फीडर रेनोवेशन प्रोग्राम, शहरी क्षेत्र में अरबन फोकस व औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्रीयल फोकस प्रोग्राम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

फीडर रेनोवेशन प्रोग्राम के तहत वर्ष 2005–06 में राज्य में 1125 फीडरों का रेनोवेशन प्रस्तावित है जिन पर अनुमानित रु. 754 करोड़ व्यय होगा। माह फरवरी, 2006 तक 334 फीडरों का रेनोवेशन किया जा चुका है जिन पर लगभग 228.80 करोड़ रु. व्यय किया जा चुका है। फीडर सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों का विवरण प्रपत्र–अ में संलग्न है।

अरबन फोकस कार्यक्रम के तहत जयपुर विद्युत वितरण निगम में रु. 68.96 करोड़ के अजमेर विद्युत वितरण निगम में रु. 43.56 करोड़ के एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम में रु. 52.00 करोड़ के कार्य चिन्हित किए गए हैं।

इसी प्रकार इंडस्ट्रीयल फोकस योजना के तहत जयपुर विद्युत वितरण निगम में रु. 13.00 करोड़ के कार्य चिन्हित किए गए हैं एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम में ये कार्य अभी चिन्हित किए जा रहे हैं।

(2) विद्युत की छीजत करने एवं आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से गत वर्ष आरम्भ किए गए फीडर सुधार कार्यक्रम के अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। जिन फीडरों पर सुधार कार्यक्रम के अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। जिन फीडरों पर सुधार कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है उनका विद्युत छीजत जो पहले औसतन 62.20 प्रतिशत था, घटकर 22.10 प्रतिशत आ गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 तक छीजत को लगभग 20 प्रतिशत के स्तर तक लाना प्रस्तावित है।

प्रपत्र–अ

फीडर रेनोवेशन प्रोग्राम

फीडर सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न कार्य किये जा रहे हैं :-

- सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की स्थापना।
- 25 केवीए वितरण ट्रांसफार्मर से कनेक्शन देना जिनमें वितरण बाक्स लगा हुआ है उसमें मीटर, एमसीबी व कैपेसिटर लगाने की व्यवस्था है।
- वितरण ट्रांसफार्मर से सीधे कृषि उपभोक्ता तथा इन्सूलेटेड सर्विस लाइन डालना।
- एल टी ओवरहैड लाइन को एबीसी केबल से बदलना।
- उपभोक्ता की वर्तमान सर्विस लाइन को आर्म्ड पीवीसी/एक्सएलपी केबिल से बदलना।
- पुराने मीटरों को पुश फिट मीटरों से बदलना।
- गुणवत्ता एवं बाधा रहित विद्युत आपूर्ति संभव हो पायेगी।
- विद्युत चोरी पर नियंत्रण करना।
- घरेलू एवं कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति को अलग-अलग करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में तार टूटने से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी करना।
- उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ाना।

जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा सिविल कार्यों का बकाया भुगतान

653. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सिविल कार्यों को करवाने हेतु निविदा आमंत्रित कर ठेके दिये जाते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि निगम द्वारा गत दो वर्षों में राज एण्ड कम्पनी कान्ट्रेक्टर को भी ठेका दिया गया है? यदि हां, तो कब–कब एवं कहां कहां का? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) निगम द्वारा ठेकेदार को उक्त ठेका कितनी–कितनी राशि का दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(4) क्या उक्त ठेकेदार द्वारा समय पर निगम द्वारा दिये गये ठेके के कार्यों को सम्पन्न करा दिया गया है? यदि हां, तो क्या निगम द्वारा ठेकेदार के कार्यों का भुगतान समय पर कर दिया गया?

(5) निगम द्वारा ठेकेदार को कितना भुगतान अब तक कर दिया गया एवं कितना भुगतान शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) सरकार उक्त कम्पनी के ठेकेदार को बकाया राशि का भुगतान कब तक करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ द्वारा सिविल कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित कर ठेके दिये जाते हैं।

(2) जी हां। गत दो वर्षों में मै. राज एण्ड कम्पनी, जयपुर को भी दिये गये हैं। दिये गये ठेकों का विवरण परिशिष्ट–अ पर उपलब्ध है।

(3) दिये गये ठेकों की राशि को उपरोक्त परिशिष्ट–अ के कालम संख्या 3 में दर्शाया गया है।

(4) सम्बन्धित फर्म द्वारा जिन–जिन कार्यों को पूरा कर दिया गया है या जो कार्य प्रगति पर हैं, उनके भुगतान संबंधी सूचना उपरोक्त परिशिष्ट–अ के कालम संख्या 4 में दर्शायी गयी है।

(5) ठेकेदार को किये गये भुगतान का विवरण उपरोक्त परिशिष्ट–अ के कालम संख्या 4 में दर्शाया गया है। दुर्घटनाग्रस्त कामगार को देय मुआवजे के भुगतान होने तक पांच लाख रुपये का भुगतान रोका गया है जिसका विवरण परिशिष्ट–ब पर उपलब्ध है। अन्य कोई भुगतान शेष नहीं है।

(6) सरकार द्वारा उक्त कम्पनी के ठेकेदार को बकाया भुगतान नियमित तौर पर किया जा रहा है। किन्तु उसके एक कामगार के दुर्घटनाग्रस्त होने से मुआवजा भुगतान संपादित करने हेतु शेष भुगतान में से 5 लाख रुपये की राशि पत्र संख्या जेपीडी/अअ/काउ/जनवृ/प्रे. 846 दिनांक 17.1.2006 के तहत सुरक्षित रखी गयी है जो उसके द्वारा कोर्ट द्वारा निर्णीत मुआवजा अदा करने पर उसे जारी किया जा सकेगा। शेष सभी भुगतान किए जा चुके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुंझुनूं जिले के डे–केयर सेन्टर/वृद्धाश्रम संस्थाओं का निरीक्षण

654. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झुंझुनूं में किस–किस स्थान पर डे–केयर सेन्टर/वृद्धाश्रम किस–किस संस्था द्वारा किस दिनांक से कहां–कहां संचालित किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त डे–केयर सेन्टर/वृद्धाश्रम के संचालन पर दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2006 तक कितनी राशि किस–किस संस्था को जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त डे–केयर सेन्टरों का कब–कब किस–किस अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया? निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन सेन्टरों से लाभान्वित व्यक्तियों के नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) झुंझुनूं जिले में कौन–कौनसी स्वयं सेवी संस्थाएं कौन–कौनसी सरकारी योजनाओं की आर्थिक सहायता लेती हैं एवं क्या–क्या कार्य सम्पादित करती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले में स्वयंसेवी संस्था नीलम महिला एवं बाल कल्याण समिति, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं द्वारा वार्ड नं. 15 उदयपुरवाटी में दिनांक 01.12.04 से डे–केयर सेन्टर का संचालन किया जा रहा है।

(2) दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2006 तक स्वयंसेवी संस्था नीलम महिला एवं बाल कल्याण समिति, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं को रुपये 1,62,120 का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

(3) उक्त डे–केयर सेन्टरों का निरीक्षण कब–कब किस–किस अधिकारी द्वारा किया गया की सूची परिशिष्ट–अ पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) झुंझुनूं जिले में कौन–कौनसी स्वयं सेवी संस्थाएं जो सरकारी योजनाओं की आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं, की सूची परिशिष्ट-ब पर सदन की मेज पर रख दी गई है।।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भीम में आवासीय विद्यालय

655. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरिसिंह रावत)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भीम में विकलांगों की बहुतायत है किन्तु शिविर अल्प समय के लिये चलाये जा रहे हैं?

(2) क्या सरकार विकलांगों के उज्जवल भविष्य के लिये विधान सभा क्षेत्र भीम में शिक्षा एवं उनके आर्थिक, सामाजिक विकास के लिये आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भीम में विकलांगों की बहुतायत है तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान के अतिरिक्त शिविरों के माध्यम से विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी तथा वर्ष 2006-07 में शिविर लगाया जाना प्रस्तावित है।

(2) राजसमन्द जिले में श्री द्वारकेश अक्षम सेवा संस्थान द्वारा विकलांगों हेतु विद्यालय चल रहा है तथा भीम में विभाग द्वारा राजकीय अम्बेडकर छात्रावास संचालित है जिसमें विकलांग छात्रों को भी प्रवेश दिया जा रहा है। वर्तमान में यहां आवासीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा।

कपासन में बाह्य सहायता योजनान्तर्गत आवासीय विद्यालय

656. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2006-07 में जर्मन बाह्य सहायता योजना अन्तर्गत आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र कपासन में कहां-कहां आवासीय विद्यालय कब तक खोलने की स्वीकृति जारी की जावेगी?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कपासन में बी.पी.एल. परिवारों के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है? यदि हां, तो किस-किसको किस मानदण्डानुसार? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा स्वच्छकारों की मुक्ति व पुनर्वास योजना अन्तर्गत स्वच्छकारों का चिन्हीकरण किया गया है? यदि हां, तो विधान सभा

(श्री बद्रीलाल जाट)

क्षेत्र कपासन में किस एजेन्सी द्वारा सर्वे किया जाकर, कितने परिवारों को चिह्नित किया गया एवं उन्हें किस प्रकार लाभान्वित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जर्मन बाह्य सहायता योजना अन्तर्गत शेष 20 जिलों में आवासीय विद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार के माध्यम से के.एफ.डब्ल्यू. जर्मनी को स्वीकृति हेतु भिजवाये गये हैं।

स्वीकृति प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित जिलों में स्थान चिन्हित कर आवासीय विद्यालय खोले जावेंगे।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र कपासन में बी.पी.एल. परिवारों के 8 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है। यह भत्ता बी.पी.एल. परिवारों के उच्च माध्यमिक स्तर के योग्यताधारी एक सदस्य को, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 12000/- से अधिक नहीं है तथा जो तीन वर्ष या अधिक समय से रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, उसे रुपये 300/- प्रतिमाह की दर से 2 वर्ष की अवधि अथवा रोजगार पाने तक जो भी पहले हो, के मानदण्डानुसार मासिक बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है। लाभार्थियों की सूची निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	बेरोजगार का नाम	पता
1.	माधव लाल/गुलाब रैगर	निवासी तहसील कपासन
2.	सत्यनारायण/मदनलाल	निवासी तहसील कपासन
3.	राधेश्याम/कस्तुर भाण्ड	निवासी तहसील कपासन
4.	मोहनलाल/गोपीलाल रैगर	निवासी तहसील कपासन
5.	शंकरलाल/मांगीलाल रैगर	निवासी तहसील कपासन
6.	छगनलाल/शंकरलाल	निवासी तहसील कपासन
7.	हीरालाल/धनराज जाट	निवासी तहसील कपासन
8.	नानालाल/हजारीलाल माली	निवासी तहसील कपासन

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र कपासन में नगर पालिका एवं पंचायत समिति द्वारा सर्वे कार्य किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र स्वच्छकार नहीं होने के कारण चिन्हीकरण की सूचना शून्य है। अतः इन्हें लाभान्वित करने का कोई प्रश्न नहीं है।

हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना

657. चौधरी विनोद कुमार (हनुमानगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में वित्तीय संसाधनों के मध्यजर छात्रावास बनाने का कोई विचार नहीं है।

पाली जिले के सहकारी बैंकों में ऋण प्राप्ति हेतु लम्बित आवेदन

658. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली के सहकारी भूमि विकास बैंकों में विधान सभा क्षेत्र बाली के सहकारी साख के आवेदक कृषकों, छात्र-छात्राओं, महिलाओं, पशुपालकों को आवास हेतु भूमि सुधार-कूप निर्माण, कूप गहरा कराने, बाग लगाने, डीजल इंजन, विद्युत मोटर ट्रैक्टर कृषि यंत्र, डेयरी विकास, गोबर गैस, स्प्रींकलर, ड्रिप सेट, मछली पालन, कुक्कुट पालन, फार्म सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, फल, वृक्षारोपण हरा चारा, मेहंदी पौधा रोपण, फसली ऋण बंजर भूमि विकास, कला एवं शिल्प कुटीर, लघु उद्योग, ग्रामीण आवास, एग्रीक्लीनिक शैक्षणिक संस्थान ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, स्वास्थ्य सेवा ऋण, व्यक्तिगत वाहन ऋण, सूचना प्रौद्योगिक ऋण आदि प्राप्ति के लिए वर्ष 2001 से अब तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुये?

(2) क्या उक्त आवेदकों में से अधिकांश को आज तक साख/ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई? यदि हां, तो साख/ऋण स्वीकृत किये जाने संबंधी कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार स्वीकृति हेतु बचे सभी आवेदकों को ऋण/साख सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला पाली सहकारी भूमि विकास बैंक में विधान सभा क्षेत्र बाली

(सहकारिता मंत्री)

के कुल 374 ऋण आवेदन पत्र प्राप्त हुए। सूची संलग्न परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। उक्त 374 आवेदन पत्रों में से 361 आवेदन पत्रों में 241.15 लाख रुपये का ऋण जिला पाली सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा स्वीकृत कर वितरित किया गया है। 13 आवेदन पत्र 9.03 लाख के अस्वीकृत किये गये हैं। आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जाने का कारण संलग्न परिशिष्ट–2 में अंकित है।

(3) उक्त अस्वीकृति के कारणों की नियमानुसार पूर्ति के साथ आवेदन–पत्र पुनः प्राप्त होने पर नियमानुसार ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-1

वर्ष 2001 से 28-2-2008 तक प्राप्त ऋण आवेदन पत्र का विवरण

क्र.सं.	उद्देश्य	आवेदन पत्र प्राप्त		आवेदन पत्र स्वीकृत		आवेदन पत्र अस्वीकृत	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	नलकूप	60	40.35	55	21.13	5	3.50
2	चाहगहरा	28	5.38	27	4.48	1	0.33
3	पम्प सैट	67	12.66	64	11.16	3	0.55
4	विद्युत मीटर	1	0.36	1	0.24	-	-
5	पाइप लाइन	8	7.03	8	2.71	-	-
6	ट्रैक्टर	42	138.03	41	123.27	1	3.87
7	थ्रेसर	1	1.30	1	1.30	-	-
8	डेयरी	7	2.50	7	2.22	-	-
9	हरा चारा	91	18.21	89	14.82	2	0.28
10	वर्मीकम्पोज	2	1.90	2	1.40	-	-
11	फसली ऋण	16	7.40	15	6.30	1	0.50
12	अकृषि ऋण						

क्र.सं.	उद्देश्य	आवेदन पत्र प्राप्त		आवेदन पत्र स्वीकृत		आवेदन पत्र अस्वीकृत	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
	होटल कार्य	1	0.90	1	0.9	-	-
	ईट भट्टा	2	3.40	2	1.70	-	-
	जाली उद्योग	1	3.00	1	1.50	-	-
	टेन्ट हाउस	1	0.40	1	1.12	-	-
	साबुन उद्योग	1	2.00	1	1.90	-	-
	जीप	3	9.40	3	8.75	-	-
	रिक्शा	1	1.42	1	1.28	-	-
	दुपाहिया वाहन	1	0.26	1	0.26	-	-
	स्वरोजगार कार्य	4	1.00	4	0.95	-	-
	आवास ऋण	12	19.75	12	17.35	-	-
13	महिला विकास						
	सिलाई कार्य	13	3.25	13	2.81	-	-
	पापड़ कार्य	9	2.25	9	2.10	-	-
	आटा चक्की	1	0.25	1	0.25	-	-
	अगरबत्ती	1	0.25	1	0.25	-	-
14	गोबर गैस	-	-	-	-	-	-
15	ड्रीपसैट	-	-	-	-	-	-
16	मछली पालन	-	-	-	-	-	-
17	कुक्कट पालन	-	-	-	-	-	-
18	वर्मी	-	-	-	-	-	-
19	सुअर पालन	-	-	-	-	-	-
20	मधुमक्खी	-	-	-	-	-	-
21	वृक्षारोपण	-	-	-	-	-	-
22	मेहन्दी पौध	-	-	-	-	-	-
23	बंजरभूमि	-	-	-	-	-	-

क्र.सं.	उद्देश्य	आवेदन पत्र प्राप्त		आवेदन पत्र स्वीकृत		आवेदन पत्र अस्वीकृत	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
24	शैक्षिण संस्थान	-	-	-	-	-	-
25	सूचना प्रायोगिक	-	-	-	-	-	-
	योग	374	283.50	361	241.15	13	9.03

परिशिष्ट-2

जिन आवेदन पत्रों में साख/ऋण सुविधा स्वीकृत नहीं की गई उसका कारण

क्र. सं.	उद्देश्य	संख्या	राशि	अस्वीकृति का कारण
1	नवकूप पम्प सैट	5 3	3.50 0.55	1. जडावकंवर/चन्द्रसिंह कोरापुरा (बाली) ने कुआ खातेदारी में नहीं खोदा। 2. दलाराम/मोटाराम ग्रासीया नाणा (बाली) ने कुआ खातेदारी में नहीं खोदा। 3. भाणा/कपूरा भाट फालना (बाली) ने पुराने कुऐं पर ऋण लेना चाहता था। 4. नेदा/देवा फालना ऋण लेना नहीं चाहता 5. बाबूलाल/प्यारेलाल फालना ने पावर आफ ऐटार्नी पेश नहीं की।
2	चाहगहरा	1	0.35	दोला धन्ना ग्रासीया भोमाणा ऋण लेना नहीं चाहता।
3	ट्रैक्टर	1	3.87	बापू/माना ग्रासीया खेतरली बाली के खातेदारी कृषि भूमि कम होने के कारण अस्वीकृत।
4	सुखाचारा हराचारा	2	0.28	1. बदा, सपा/राजा ग्रासीया चामूण्डेरी की भूमि कम होने के कारण ऋण नहीं बनता। 2. किसनसिंह/भंवरसिंह पुरोहित बारवा (बाली) प्रार्थी स्वयं ऋण नहीं चाहता था।
5	फसलीऋण	1	0.50	3. केसरसिंह/करणसिंह राजपूत आमलिया (बाली) के कृषि भूमि कम होने के कारण भूमि मूल्यांकन नहीं बनता।

केन्द्रीय सहकारी एवं भूमि विकास बैंकों द्वारा 12वें वेतन समझौते की पालना

659. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान राज्य के केन्द्रीय सहाकरी बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों में 12वां वेतन समझौता लागू किया गया है? यदि हां, तो किन–किन बैंकों में व किन–किन में नहीं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष सभी बैंकों में 12वां वेतन समझौता लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के निम्न केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों में 12वां वेतन समझौता लागू नहीं किया गया है :-

नाम केन्द्रीय सहकारी बैंक	नाम प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक
अजमेर, अलवर, बाड़मेर, झालावाड़, जोधपुर, सिरोही, श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, जयपुर, कोटा, नागौर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झुंझुनूं, चूरू, भीलवाड़ा एवं भरतपुर	नागौर, टोंक, बीकानेर, हनुमानगढ़ रायसिंहनगर, झुंझुनूं, सीकर, बालोतरा बिलाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर, राजसमन्द चित्तौड़गढ़, जयपुर, पाली, सिरोही एवं श्रीगंगानगर

राज्य के निम्न केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों में 12वां वेतन समझौता लागू नहीं किया गया है :-

नाम केन्द्रीय सहकारी बैंक	नाम प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक
जैसलमेर	अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, केकड़ी, भरतपुर, धौलपुर हिण्डौन, सवाईमाधोपुर, चूरू, दौसा, जालौर, बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर

(2) जी हां। शेष केन्द्रीय सहकारी बैंक व प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा में योग्य नहीं पाये गये। योग्य होने पर समझौता लागू किया जा सकेगा।

बारां जिले की सहकारी समितियों द्वारा जैविक खाद का विक्रय

660. श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में कितनी सहकारी समितियां हैं एवं ये किस–किस गांव/कस्बे में स्थित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2005–06 में बारां जिले की किस–किस सहकारी समिति द्वारा किस–किस मार्का के कितने–कितने जैविक खाद की बिक्री किसानों को की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जैविक खाद का कृषकों को किस–किस दर पर व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विक्रय किया गया जैविक खाद की निर्माता कम्पनी का नाम क्या है एवं यह कहां पर स्थित है?

(5) विक्रय किये गये जैविक खाद का पंजीकरण किस राज्य का है एवं पंजीकरण नम्बर कितने हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में कुल 421 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, जो संबंधित गांव/कस्बों में स्थित है, सहकारी समितियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2005–06 में बारां जिले में जिन–जिन क्रय विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा जिस–जिस मार्का की जैविक खाद कितनी–कितनी बिक्री किसानों को की गई है उसकी सूची परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(3) कृषकों को विक्रय की गई जैविक खाद की दर का विवरण परिशिष्ट–2 में दे दिया गया है।

(4) विक्रय की गई जैविक खाद कृषक मित्र, मैसर्स हर्षिता फर्टिकैम प्रा. लि. जयपुर (जो मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज लि., भोपाल द्वारा उत्पादित है) व जैविक खाद बायोगोल्ड– जी, मैसर्स शुभम बायोटेक कार्पो. जयपुर का है।

(5) कृषि विभाग के अनुसार उनके द्वारा किसी प्रकार का पंजीकरण नहीं किया जाता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान सहकारी आवासन संघ द्वारा विद्याधर नगर जयपुर के फ्लैट्स का रखरखाव

661. **श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची** (टिब्बी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सहकारी आवासन संघ द्वारा विद्याधर नगर जयपुर में आवासीय फ्लेट्स का निर्माण करवाया जाकर बेचान किया गया है? यदि हां, तो कुल कितने फ्लेट्स किस-किस श्रेणी के किस किस संस्था/व्यक्तियों को किन-किन शर्तों पर कितनी-कितनी राशि में कब कब बेचा गया? बेचते समय क्रेता से संघ द्वारा क्या-क्या समझौता/शर्तें तय की गई थी? क्या संघ एवं क्रेता द्वारा वर्तमान में उक्त समझौता/शर्तों का पालन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि संघ द्वारा निर्मित फ्लेट्स में कतिपय क्रेता अपनी सुविधानुसार कोई परिवर्तन कर सकता है? यदि हां, तो किस आधार पर तथा कहां-कहां एवं नहीं तो विभिन्न क्रेताओं द्वारा किये गये परिवर्तन/परिवर्धन के विरूद्ध सरकार द्वारा क्रेतागण एवं लापरवाही बरतने वाले संघ के कार्मिकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या एवं तथा नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ क्रेताओं द्वारा फ्लेट्स के सामने आवश्यक सुविधाओं हेतु छोड़ी गई भूमि पर अनधिकृत रूप से लान लगाकर/ लोहे की रेलिंग लगाकर अतिक्रमण कर रखा है और पेयजल का दुरुपयोग करते हैं? यदि हां, तो अब तक उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने के लिए कौन दोषी है तथा सरकार द्वारा अतिक्रमण कर्ताओं एवं लापरवाही बरतने वाले सेवाकर्मियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सहकारी आवासन संघ एवं क्रेताओं के मध्य पेयजल साफ सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था के संबंध में भी कोई समझौता हुआ था यदि हां, तो क्या? उक्त समझौते में क्या-क्या शर्तें तय थी तथा क्या सुविधायें देना तय हुआ था? क्या वर्तमान में उक्त शर्तों का संघ एवं क्रेता द्वारा पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो किस पक्ष द्वारा किन शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है? उल्लघंन करने वाले के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी नहीं तो क्यों?

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)

(5) क्या यह सही है कि कुछ आवंटियों/क्रेताओं द्वारा पानी के बिल का भुगतान समय पर नहीं किया गया? यदि हां, तो किस–किस द्वारा कितनी कितनी राशि किस कारण से जमा नहीं करवायी गई? संघ द्वारा राशि जमा नहीं करवाने वालों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की जानी थी जो किस कारण से नहीं की गई एवं उक्त के लिए कौन–कौन दोषी हैं? क्या सरकार क्रेता एवं लापरवाही बरतने वाले कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही कर बकाया राशि वसूलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? अब तक इनके पानी के कनेक्शन क्यों नहीं काटे गये तथा भविष्य में इस संबंध में क्या योजना है?

(6) क्या यह सही है कि कुछ माह पूर्व संघ द्वारा पेयजल/साफ सफाई प्रकाश व्यवस्था पेटे ली जाने वाली राशि में वृद्धि की गई है? यदि हां, तो कितनी एवं क्यों तथा राशि बढ़ाये जाने के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या संघ द्वारा उक्त फ्लैट्स में पेयजल पूर्ति हेतु विद्युत कनेक्शन व्यावसायिक श्रेणी में लिया हुआ है जिसके कारण विद्युत राशि अधिक आती है और घरेलू उपभोक्ता होते हुए भी उपभोक्ताओं को व्यावसायिक दर से राशि देनी पड़ रही हैं? क्या सरकार अब उक्त विद्युत कनेक्शन को व्यावसायिक की जगह घरेलू श्रेणी में करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) जी हां। बेचे गये फ्लैट्स की श्रेणी एवं संस्था/व्यक्तियों को बेचे गये फ्लैट की राशि का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। फ्लैट्स बेचते समय संघ द्वारा व्यक्तिगत क्रेताओं व राज्य सरकार के लिए निर्धारित की गई शर्ते परिशिष्ट–ब एवं व–1 पर अंकित है। आवंटन पत्र की शर्त संख्या–7 में विकास समिति का गठन क्रेताओं द्वारा किया जाना था, जो उनके असहयोग व अरुचि के कारण नहीं किया गया है।

(2) फ्लैट्स के बेचान के पश्चात संघ का कोई दायित्व नहीं है। बेचान के पश्चात उत्तरदायित्व नहीं होने के कारण कार्यवाही करने का कोई विचार नहीं है।

(3) संघ स्तर पर कुछ निवासियों को अनाधिकृत कब्जे हटाने हेतु तीन–चार निवेदन किया जाता रहा है किन्तु निवासियों द्वारा कोई सहयोग

(सहकारिता मंत्री)

प्रदान नहीं किया जाता है एवं अनाधिकृत रूप से लान लगाकर/रेलिंग लगाकर अतिक्रमण करते हैं। संघ द्वारा समुचित व्यवस्था कायम रखने के लिए एक कर्मचारी की ड्यूटी लगा रखी है। क्रेताओं को विकास समिति बनाने हेतु निरन्तर अनुरोध किया गया किन्तु क्रेताओं द्वारा रुचि नहीं लेने के कारण विकास समिति का गठन नहीं किया गया है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। सूची परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है। बकायादारों को राशि जमा कराने हेतु नोटिस दिये गये हैं। संघ का पानी वितरण का कोई दायित्व नहीं है। तथापि राज्य सरकार प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ग्रुप-4) के यहां हुई बैठक के निर्णयानुसार मानवीय आधार पर संघ पेयजल की व्यवस्था दिनांक 31.3.2006 तक करेगा।

(6) जी हां। दिनांक 1.1.2006 से 50/- रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है जो बिजली की दरों व अन्य खर्चों आदि में वृद्धि के कारण की गई है।

(7) जी नहीं। यह सही है कि वर्तमान में विद्युत बिल व्यावसायिक दर से आ रहा है। आवासीय कनेक्शन के लिए विद्युत वितरण निगम को पत्र लिखे गये हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा जिले की ग्राम पंचायतों द्वारा वाहन प्रवेश पर अवैध कर वसूली

662. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या किसी ग्राम पंचायत को यह अधिकार है कि उस पंचायत की सीमा में प्रवेश करने वाले ट्रैक्टर, जीप, कार, व अन्य वाहन से पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 65(ग) का उल्लेख कर राशि वसूल करे।

(2) क्या यह सही है कि नियमानुसार परिवहन में पंजीकृत वाहनों से इस प्रकार का शुल्क वसूल नहीं किया जा सकता?

(3) क्या यह सही है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को इस बाबत लिखित में शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ ग्राम पंचायतें ठेकेदार के माध्यम से पंचायत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों से अवैध शुल्क वसूल कर

(श्री भरत सिंह)

रही हैं? यदि हां, तो कोटा जिले की कितनी ग्राम पंचायत इस प्रकार के टैक्स (शुल्क) कब से वसूल कर रही हैं तथा उन्होंने अब तक कुल कितना शुल्क वसूल किया?

(4) लिखित शिकायत प्राप्त होने पर भी जिला परिषद द्वारा अवैध वसूली को रोकने हेतु कार्यवाही किन कारणों से नहीं की गई?

उत्तर

(1) राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 65(1)ग में प्रावधन किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित बनाये गये नियमों और किन्हीं आदेशों के अध्यधीन रहते हुये कोई पंचायत ऐसे यानो को छोड़कर जो खेती के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाये जाते है, यानकर अधिरोपित कर सकेगी। परन्तु यह भी उप धारा (1) खण्ड ग के अधीन का कर मोटरयान अधिनियम 1998 में यथा परिभाषित किसी मोटर यान या किसी भी अन्य यंत्र नोदित यान पर उदगृहीत नहीं किया जायेगा।

(2) जी हां।

(3) जी हां। वाहनों के प्रवेश पर अवैध रूप से शुल्क वसूल किये जाने को तत्काल बन्द करवाने बाबत शिकायत प्राप्त हुई थी। कोटा जिले की पंचायत समिति, इटावा की ग्राम पंचायत इटावा एवं खातोली इस प्रकार टैक्स वसूल कर रही थी। ग्राम पंचायत इटावा द्वारा वर्ष 2000–01 से 2005–06 तक कुल 24,99,115/- तथा ग्राम पंचायत खातोली द्वारा वर्ष 2001–02 से 2005 06 तक कुल 8,74,900/- रुपये शुल्क वसूल किया गया है।

(4) लिखित शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा ने ग्राम पंचायतों की उक्त कार्यवाही को स्थगित कर दिया है।

राष्ट्रीय समविकास योजनान्तर्गत जिला बांसवाड़ा में स्वीकृत सड़कें

663. **श्री जीतमल खांट** (बागीडोरा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय समविकास योजना के शुरू से दिसम्बर, 2005 तक कुल कितनी सड़कें स्वीकृत हुई विवरण निम्न सारणी में सदन की मेज पर रखें :-

(श्री जीतमल खांट)

1- स्वीकृत की तारीख, 2- प्रशासनिक स्वीकृति की तारीख, 3- कार्यकारी एजेन्सी का नाम।

उत्तर

बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय समविकास योजना के शुरू से दिसम्बर, 2005 तक कुल 78 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा करवाये गये कार्यों की गुणवत्ता जांच

664. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास में करवाये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरह प्रत्येक दिन के उपयोग की जाने वाली सामग्री का ब्लाक बनवाकर गुणवत्ता जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या वर्तमान में पंचायती राज विभाग में गुणवत्ता जांच करने बाबत कोई संस्था कार्य कर रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रायः विभाग के कार्य छोटे होते हैं और इन्हें साधारण तकनीक के आधार पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से करवाया जाता है। इन छोटे कार्यों हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के बड़े कार्यों की तर्ज पर ना तो तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध है और ना ही प्रयोगशालाऐं। जहां कार्यों को अन्य विभागों से करवाना आवश्यक हो तो उन कार्यों की गुणवत्ता की जांच भी उन्हीं विभागों के मापदण्डों के अनुसार ही करवाई जाती है।

(2) जी नहीं।

समेकित वेतन प्राप्त ग्राम सेवकों का नियमितीकरण

665. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार 1200/- रुपये प्रतिमाह समेकित वेतन पाने वाले ग्राम सेवकों को नियमित वेतन श्रृंखला देने एवं स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

इस संबंध में समिति गठित की हुई है। समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

पंचायती राज विभाग में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभियन्ता

666. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चालू वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा अभियन्ताओं की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो कितने अभियन्ताओं की?

(2) अभियन्ता पद पर नियुक्ति हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये उनमें से कितने आशार्थियों को नियुक्ति दी गई तथा नियुक्ति का आधार क्या रहा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) कनिष्ठ अभियन्ताओं की भर्ती हेतु विज्ञप्ति दिनांक 21.2.2004 का प्रकाशन समाचार पत्रों में करवाया गया था। उक्त विज्ञप्ति के क्रम में 3091 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

चूरू पंचायत समिति में प्रावधायी निधि राशि में गबन प्रकरण

667. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति चूरू में प्रावधायी बीमा की राशि का गबन का मामला प्रकाश में आया है? यदि हां तो कितनी राशि का व इसमें कौन–कौन अधिकारी व कर्मचारी लिप्त पाये गये? सरकार द्वारा अब तक उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्राथमिक जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने वालों के विरूद्ध अंकेक्षण विभाग से अंकेक्षण करवाया गया? यदि हां, तो अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में शामिल कर्मचारियों व अधिकारियों के विरूद्ध कोई केस दायर किया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? इस प्रकरण में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं करवाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(4) क्या सरकार उक्त दोषियों से गबन की राशि वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) लागू नहीं।

(3) लागू नहीं।

(4) लागू नहीं।

पंचायती राज स्थापना स्थल का संरक्षण

668. श्री रामलाल (बनेड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नागौर में स्थित पंचायती राज स्थापना स्थल (चबूतरा) को संरक्षित स्मारक का दर्जा देकर स्मृति भवन का निर्माण तथा ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए राज्य स्तर पर कमेटी गठित करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो इस चबूतरे को कब तक स्मारक का दर्जा देकर स्मृति भवन का निर्माण करवा दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि सरकार 8 से 10 पंचायतों के समूह क्षेत्र बनाकर न्याय प्रशासन (दीवानी एवं फौजदारी मामलों) के लिए उस क्षेत्र की न्याय पंचायत सर्किल के प्रावधान पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों के विभिन्न कार्यकलापों, विभिन्न विकास योजनाओं की सुदृढ़ क्रियान्विति एवं पर्यवेक्षण के साथ-साथ मार्ग-दर्शन हेतु पंचायती राज प्रशासन में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के मध्य प्रशासनिक सर्किल बनाने के उद्देश्य से, राजस्व प्रशासन में भू अभिलेख निरीक्षक सर्किल के पैटर्न के अनुरूप ही 8 से 10 पंचायतों का एक एक समूह क्षेत्र बनाकर ''पंचायत विस्तार अधिकारी सर्किल'' के प्रावधान पर विचार कर रही है? यदि हां, तो सरकार कब तक ये सर्किल बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य स्तर पर कमेटी गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

बहरावण्डा (दौसा) ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन निर्माण

669. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बहरावण्डा, तहसील सिकराय, जिला–दौसा की ढाणी सीमल के शिव मंदिर पर एक सामुदायिक भवन का निर्माण किए जाने हेतु ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया था? यदि हां, तो ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव व स्थानीय नागरिकों के प्रार्थना पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा शिव मंदिर पर सामुदायिक भवन का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 30 प्रतिशत में पंचायत समिति सिकराय द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी लेकिन स्थान विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं करवाया जा सकता।

भम्भोरी ग्राम (झोटवाड़ा) की इन्दिरा आवास योजना में जारी दोहरे पट्टे

670. श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत सिवार (वर्तमान ग्राम पंचायत भम्भोरी), पंचायत समिति झोटवाड़ा, जयपुर द्वारा ग्राम भम्भोरी में वर्ष 1985–86 में इन्दिरा आवासीय योजना हेतु सरकार से भूमि किस्म परिवर्तन करवाकर आवासीय पट्टे जारी किए गए हैं? यदि हां, तो कितनी भूमि का परिवर्तन कराया गया एवं कितने ब्लाक आवासीय बनाये गये? स्वीकृत योजना के नक्शे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि के पट्टे जारी किए गए थे? यदि हां, तो प्रत्येक ब्लाक में कितने–कितने प्लाट बनाए गए व कितने–कितने पट्टे जारी किए गए? जारी पट्टों के पट्टाधारियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामरतन बैरवा)

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नक्शे के विपरीत प्रत्येक ब्लाक में राजकीय भूमि पर अतिरिक्त प्लाट काटकर पट्टे जारी किए गए हैं? यदि हां, तो किस–किस ब्लाक में कितने–कितने अतिरिक्त पट्टे जारी किये गये?

(4) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय योजना में कई भूखण्डों के एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पट्टे जारी किए गए हैं? यदि हां, तो किस–किस भूखण्ड से एवं किस–किस के नाम से एवं यह दोहरे पट्टे किस के द्वारा बनाए गऐ?

(5) क्या यह सही है कि दोहरे पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में पुलिस थाना कालवाड़ (जयपुर) में माह फरवरी–मार्च, 2006 में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है? यदि हां, तो किस के द्वारा व किस–किस भूखण्ड के प्रति?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि के ब्लाक ए में भी कुछ पट्टे दोहरे जारी किए गए हैं? यदि हां, तो किस–किस भूखण्ड के? भूखण्ड संख्या ए–78 से ए–9 2 तक के पट्टे–धारियों की सूची मय उन्हें जारी पट्टों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार दोहरे पट्टे जारी करने वाले सरपंच/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही कर मूल आवण्टित पट्टाधारियों को भूमि कब्जा दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(8) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि के ''डी'' ब्लाक पर कुछ भू–माफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है? यदि हां, तो किन के द्वारा व कब से? सरकार द्वारा भू–माफियाओं से उक्त भूमि को रिक्त कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। तत्कालीन ग्राम पंचायत सिवार (वर्तमान ग्राम पंचायत भम्भोरी), पंचायत समिति झोटवाड़ा ग्राम भम्भोरी द्वारा वर्ष 1985–86 में 24 बीघा भूमि किस्म परिवर्तन करवाकर चार आवासीय ब्लाक बनाये गये। स्वीकृत योजना के नक्शे की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट 'अ'

(2) जी हां। ब्लाक वार पट्टाधारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट–'ब'

(3) जी हां। ब्लाक डी में उपलब्ध नक्शा ट्रेस से 10 अतिरिक्त पट्टे जारी किये गये हैं।

(4) जी हां। तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों के नाम जारी पट्टों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट–'स'

(पंचायती राज मंत्री)

(5) जी नहीं।

(6) भूखण्ड संख्या ए–78 से ए–92 तक पट्टे धारियों की मय पट्टों की प्रति सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट 'द'

(7) प्रकरण की जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(8) ब्लाक 'डी' में जारी पट्टे धारियों के अलावा किसी का भी कब्जा नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अलवर उत्सव हेतु निर्धारित समयावधि में परिवर्तन

671. श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला अलवर में वर्ष 2002 में आगामी 10 वर्षों के लिए अलवर उत्सव मनाने का कलेण्डर तैयार किया गया था? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा इसमें कोई परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो किन मानदण्डों के आधार पर व क्या परिवर्तन किया गया?

उत्तर

जी हां। अलवर में वर्ष 2002 में आगामी 10 वर्षों के लिए अलवर उत्सव मनाने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा कलेण्डर तैयार किया गया था, लेकिन अलवर में पर्यटन हित को दृष्टिगत रखते हुए इसमें परिवर्तन किया गया था। प्रतिवर्ष किस माह अलवर उत्सव आयोजित किया जावे इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

निवाई में स्वयं सहायता समूहों द्वारा अनियमितताएं

672. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में स्वयं सहायता समूह का गठन कहां कहां किया गया? गठित समूह के सदस्यों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वयं सहायता समूहों की देखरेख किस अधिकारी द्वारा की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समूहों में से कितने समूहों को दो वर्षों में बैंक से जोड़कर कितना ऋण उपलब्ध कराया गया? पंचायतवार व समूहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल)

(4) क्या यह सही है कि कुछ समूहों द्वारा भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस समूह की तथा प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में कुल 571 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। जिसमें से महिला एवं बाल विकास द्वारा 510 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कुल 61 समूहों का गठन किया गया है। गठित समूहों के सदस्यों की सूची परिशिष्ट ''अ'' (1-7) संलग्न है।

(2) स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली पूर्णतः स्वतंत्र है। उक्त समूहों का गठन, बैठकें, आंतरिक लेन-देन समूहों के सदस्यों की सहमति से किया जाता है। स्थानीय स्तर पर महिला पर्यवेक्षकों, ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक/पदेन सचिव, ब्लाक, बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा उपनिदेशक (ICDS) एवं पदेन परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण द्वारा समूहों को कार्य संचालन हेतु सहयोग एवं मार्ग दर्शन दिया जाता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र निवाई में कुल 215 समूहों को कुल 79.46 लाख रुपये का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है। जिसमें से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विगत 2 वर्षों में 208 समूहों को 59.66 लाख रुपये का बैंक ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इसी तरह ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा 7 समूहों को 19.80 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया है। उक्त की सूची ''परिशिष्ट ''ब'' (1-2) संलग्न है।

(4) दोनों ही विभागों में किसी भी समूह द्वारा भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रामगंजमण्डी (कोटा) में शिशु पालन केन्द्र

673. **श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रामगंज मंडी जिला कोटा की निर्धन व ग्रामीण कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिये 9 शिशु पालना केन्द्र खोलने का निर्णय किया गया था? यदि हां, तो वर्तमान में कितने केन्द्र

(श्री प्रहलाद गुंजल)

काम कर रहे हैं और नहीं, तो अब सरकार कब तक उक्त केन्द्र प्रारंभ करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सभी 9 शिशु पालना केन्द्र नियमित रूप से प्रारम्भ हो गये हैं।

राज्य के पंचायत मुख्यालयों हेतु सीधी निगम बस सेवा

674. श्री गोपाल लाल धोबी (केकड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के मार्ग से प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राजस्थान परिवहन निगम के सीमित संसाधनों को देखते हुए फिलहाल निगम बसों के मार्गों पर प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को जोड़ने का विचार नहीं है।

चित्तौड़गढ़–भीलवाड़ा वाया गंगरार–सोनियाना मार्ग पर निगम बसों का संचालन

675. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगानगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चित्तौड़गढ़–भीलवाड़ा वाया गंगरार–सोनियाना मार्ग पर ग्रीनकार्ड योजना से पूर्व निगम की कितनी बसें किस–किस समय पर संचालित थीं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में इस मार्ग पर कितनी बसें संचालित हो रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बन्द की गई बसों को पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़–भीलवाड़ा वाया गंगरार–सोनियाना मार्ग पर ग्रीनकार्ड योजना से पूर्व निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं की मार्गवार सूची समय दर्शाते हुये विवरण परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है।

(यातायात मंत्री)

(2) वर्तमान में उक्त मार्ग पर संचालित बस सेवाओं का विवरण परिशिष्ट ''2'' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। चित्तौड़ से साडास वाया मेडीखेड़ा–सुवानिया मार्ग के निजी वाहन स्वामी राष्ट्रीयकृत मार्ग पर वाया गंगरार गांव होकर साडास तक निगम वाहनों की प्रतिस्पर्धा में कम किराये पर अपनी वाहनें संचालित कर रहे है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा भी भीलवाड़ा से गंगरार उप नगरीय मार्ग का निर्धारण कर निजी वाहनों को परमिट देने एवं चित्तौड़गढ़ से गंगरार गांव व सोनियाना तक निजी वाहनों के संचालन में वृद्धि हुई है जिससे निगम की बसों का गंगरार व सोनियाना में होकर संचालन करना अनार्थिक हो गया है।

माह सितम्बर, 2005 से फरवरी, 2006 तक छः माह की अवधि में इस मार्ग की औसत आय प्रति कि.मी. 8.79 रु. एवं यात्रीभार 45 प्रतिशत प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में पुनः बस संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट-1

चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा वाया गंगरार-सोनियाना मार्ग पर ग्रीनकार्ड योजना से पूर्व संचालित बस सेवाओं का मार्गवार विवरण

क्र.सं.	मार्ग का नाम	संचालन समय
1.	भीलवाड़ा-नीमय वाया गंगरार-चित्तौड़	0600
2.	भीलवाड़ा-इन्दौर वाया गंगरार-चित्तौड़-मन्दसौर	0700
3.	भीलवाड़ा-मन्दसौर वाया गंगरार-चित्तौड़	0900
4.	भीलवाड़ा-ओंकारेश्वर वाया गंगरार-चित्तौड़	1630
5.	उदयपुर-भीलवाड़ा	1400 0930
6.	भीलवाड़ा-उदयपुर	0930 1115 1145
7.	बान्सी-भीलवाड़ा	0700
8.	चित्तौड़-भीलवाड़ा	0800 0915 1545 1130 1215

क्र.सं.	मार्ग का नाम	संचालन समय
9.	भीलवाड़ा-चित्तौड़	1730 1630 0830 1030 1430 1520
10.	गंगरार-भीलवाड़ा	0700
11.	भीलवाड़ा-गंगरार	1800
12.	भीलवाड़ा-बडीसादडी	1330
13.	बेगू-भीलवाड़ा	1130

परिशिष्ट-2

वर्तमान में संचालित बस सेवाओं का विवरण

क्र.सं.	मार्ग का नाम	संचालन समय
1.	भीलवाड़ा-अहमदाबाद वाया गंगरार-चित्तौड़	0630
2.	भीलवाड़ा-इन्दौर वाया चित्तौड़-नीमच	0700
3.	भीलवाड़ा-मन्दसौर वाया चित्तौड़-नीमच	0945
4.	चित्तौड़-भीलवाड़ा	0915 1335 1630 1345
5.	भीलवाड़ा-चित्तौड़	1220 1145 1525 0900 1420 1030
6.	भीलवाड़ा-गंगरार	1900
7.	गंगरार-भीलवाड़ा	0645

राजकीय वाहनों पर लाल बत्ती/लाल पट्टी हेतु अधिकृत अधिकारी

676. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार द्वारा किन आदेशों के तहत किस-किस स्तर के अधिकारियों को गाड़ी पर लालबत्ती/लाल पट्टी लगाने को अधिकृत किया गया है? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जो अधिकारी अधिकृत नहीं हैं उनके द्वारा गाड़ी पर लाल बत्ती लगाई जाने पर सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार सम्पूर्ण राजस्थान में एक अभियान चलाकर अवैध लाल बत्ती का प्रयोग कर रहे वाहनों/व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि जिला परिषद/नगर पालिका/निगम बोर्ड/मण्डल/अर्द्ध सरकारी स्वायत्तशाषी निकाय आदि के अधिकारी व पदाधिकारी लाल बत्ती लगा सकते हैं? यदि हां, तो कौन-कौन? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) अवैध लाल बत्ती लगाने पर कानूनी रूप से क्या कार्यवाही की जा सकती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 108 के परन्तुक के खण्ड (iii) के अन्तर्गत कतिपय उच्च पदस्थ/अधिकारियों को ले जाने एवं उनका अनुरक्षण करने वाले यानों के सामने लाल बत्ती लगाने हेतु अनुज्ञात किया हुआ है? ऐसे उच्च पदस्थों/अधिकारियों की सूची परिशिष्ट 1 पर है। इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-2 पर है। लाल पट्टी लगाने के लिए मोटर वाहन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जिन अधिकारियों को उनके वाहन के सामने लाल बत्ती लगाने हेतु अनुज्ञात नहीं किया गया है, उनके द्वारा लाल बत्ती लगाया हुआ पाया जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु समय-समय पर प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है।

(3) राज्य सरकार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम, 1977

(यातायात मंत्री)

के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को समय–समय पर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिये जाते रहे हैं।

(4) राज्य सरकार द्वारा जिला प्रमुख (जिला परिषद) महापौर नगर निगम जयपुर, जोधपुर एवं कोटा उनको ले जाने वाले यानों के सामने लाल बत्ती लगाने हेतु अनुज्ञात किया हुआ है। आदेश की प्रति परिशिष्ट–2 पर है।

(5) लाल बत्ती के प्रयोग के लिए अनधिकृत व्यक्ति/अधिकारी द्वारा अपने वाहन पर लालबत्ती लगाते हुए पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। नियम की प्रति परिशिष्ट–3 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट–1

1. राज्यपाल, राजस्थान।
2. मुख्य मंत्री, राजस्थान।
3. मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय।
4. अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा।
5. लोकायुक्त, राजस्थान।
6. मंत्रिमण्डल के सदस्यगण, राजस्थान।
7. मुख्य सचेतक, राजस्थान विधान सभा।
8. नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधान सभा।
9. न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय।
10. राज्यमंत्री/उपमंत्री, राजस्थान।
11. उपाध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा।
12. उप मुख्य सचेतक, राजस्थान विधान सभा।
13. मुख्य सचिव, राजस्थान।
14. आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग।
15. एडवोकेट जनरल, राजस्थान सरकार।
16. समस्त प्रमुख शासन सचिव।
17. पुलिस महानिदेशक।
18. सम्भागीय आयुक्त/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज।

19. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।

20. समस्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश।

21. रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, जोधपुर।

22. नगर निगम जयपुर, जोधपुर एवं कोटा के महापौर।

23. समस्त जिला प्रमुख, राजस्थान।

24. अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग।

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार

परिवहन

क्रमांकःप. 13(11)परि/2000/   जयपुर दिनांक, 14 मई, 2001

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 13 (14)परि/90 दिनांक 22.10.94 जिसे अधिसूचना संख्या प. 13(11)परि/2000 दिनांक 12/16.04.2001 से संशोधित किया गया है के अतिक्रमण में राज्य सरकार केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1989 के नियम 108 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित उच्च पदस्थों को ले जाने वाले या उनका अनुरक्षण करने वाले यानो के सामने लाल बत्ती के उपयोग को अनुज्ञात करती है।

1. राज्यपाल, राजस्थान।
2. मुख्य मंत्री, राजस्थान।
3. मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय।
4. अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा।
5. लोकायुक्त, राजस्थान।
6. मंत्रिमण्डल के सदस्यगण, राजस्थान।
7. मुख्य सचेतक, राजस्थान विधानसभा।
8. नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधानसभा।
9. न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय।
10. राज्यमंत्री/उपमंत्री, राजस्थान।

11. उपाध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा।
12. उप मुख्य सचेतक, राजस्थान विधान सभा।
13. मुख्य सचिव, राजस्थान।
14. आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग।
15. एडवोकेट जनरल, राजस्थान सरकार।
16. समस्त प्रमुख शासन सचिव।
17. पुलिस महानिदेशक।
18. सम्भागीय आयुक्त/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज।
19. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
20. समस्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश।
21. रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, जोधपुर।
22. नगर निगम जयपुर, जोधपुर एवं कोटा के महापौर।
23. समस्त जिला प्रमुख, राजस्थान।

सरकार यह आदेश भी करती है कि चिकित्सा, नागरिक सुरक्षा और रेडक्रास के एम्बुलेन्स यान के सामने बैंगनी रंग के कांच से ढकी हुई लाल बत्ती का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है।

सरकार यह आदेश और करती है कि निम्नलिखित विभागों/पदाधिकारियों के यानों के सामने नीली बत्ती का उपयोग किया जा सकेगा :-

1. जिलों में पदस्थापित समस्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
2. जोधपुर शहर में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ड्रेट (मोबाईल)
3. गश्ती ड्यूटी के लिए प्रयुक्त पुलिस, परिवहन विभाग के यान। यह भी आदिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त के सिवाय कोई भी यान, यान के सामने लाल या नीली बत्ती का उपयोग नहीं करेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांकःप.13(11)परि/2001 जयपुर, दिनांक 4 जुलाई, 2002

<u>अधिसूचना</u>

केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 108 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 13(11) परि/2000 दिनांक 14.5.2001 में उल्लिखित उच्च पदस्थों की सूची में विद्यमान प्रविष्टि ''23- समस्त जिला प्रमुख राजस्थान'' के पश्चात एतद्द्वारा निम्नांकित प्रविष्टि जोड़ी जाती है :-

24. अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान।

राज्यपाल के आदेश से

शासन उप सचिव

परिशिष्ट-3

CHAPTER XIII

OFFENCES, PENALTIES AND PROCEDURE

177. **General provision for punishement of offences.** – Whoever contravenes any provision of this Act or of any rule, regulation or notification made thereunder shall, if no penalty is provided for the offence be punishable for the first offence with fine which may extend to one hundred rupees, and for any second or subsequent offence with fine which may extend to three hundred rupees.

जनजाति क्षेत्रों में झोपड़ी बीमा राशि में वृद्धि

677. **श्री बाबूलाल खराड़ी** (फलासिया) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जनजाति क्षेत्र में झोपड़ी बीमा की कितनी राशि प्रस्तावित है? क्या सरकार इस राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में संचालित प्राकृतिक आपदा दुर्घटना एवं गंभीर बीमारी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में रुपये 10.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई। जिसमें झोपड़ी जल जाने पर राशि रु. 2500/- स्वीकृत

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

की जाती है। इस कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार राशि की वृद्धि किये जाने पर विचार किया जाता है।

जनजाति आबादी अनुपातानुसार जिलेवार आबंटित राशि

678. श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र दिनांक 02 मई, 2003 के भाग (1) के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के तहत जनजाति के बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित किया जाता है? यदि हां, तो इसके तहत जिलों एवं ब्लाकवार लाभान्वितों की संख्या कितनी है?

(2) उक्त पत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2004-05 व 2005-06 में आबादी के अनुपात में किस-किस जिले को कितनी-कितनी राशि अनुसूचित जनजाति के लिए आबंटित की गई है?

(3) वर्ष 2004-05 में आबंटित के विरुद्ध जनगणना वर्ष 1991 के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत माडा, लघुखण्ड, माडा कलस्टर, सहरिया तथा बिखरी आबादी क्षेत्रों के लिए किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है?

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 2 मई, 2003 के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता मद के तहत जनजाति के बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित किया जाता है।

जिलों एवं ब्लाकवार लाभान्वितों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2004-05 व 2005-06 में जिलेवार बजट प्रावधान की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2004-05 में आबंटित राशि के विरुद्ध जिलेवार व्यय की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

किशनगंज में सहरिया विशेष योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवार

679. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या जन जाति एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहाबाद में विगत दो वर्षों में सहरिया विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत 158.22 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि किन-किन ग्रामों में व किस-किस कार्य पर व्यय की गई? कार्यवार व राशिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में किसी भी व्यक्ति को मजदूरी (रोजगार) नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो कितने व्यक्तियों को मजदूरी दी गई?

उत्तर

(1) जी नहीं। सहरिया जनजाति परिवारों हेतु संचालित विशेष रोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2004-05 एवं वर्ष 2005-06 में कुल 930.00 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। योजनान्तर्गत 491 कार्यों को अन्य योजनाओं से डावटेल करते हुए 990.49 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें 754.13 लाख रुपये की राशि सहरिया जनजाति परिवारों के लिए संचालित विशेष रोजगार योजना की भी सम्मिलित है।

स्वीकृत कार्यों की ग्रामवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध कार्यवार व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। योजनान्तर्गत लगाये गये मजदूरों के आधार पर सृजित मानव दिवसों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उदयपुर जिले की कथोड़ी जनजाति के विकास हेतु विशेष कार्य

680. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रघवीर सिंह मीणा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला उदयपुर के कोटड़ा एवं झाडोल क्षेत्र के कथोड़ी जनजाति के लिए कोई वृहद् विकास कार्यक्रम की योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो कब और इसमें क्या-क्या कार्यक्रम बनाये गये इस हेतु कितनी राशि का प्रावधान था तथा इसके तहत क्या-क्या कार्य करना प्रस्तावित था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रस्तावित योजना के तहत भौतिक उपलब्धि क्या रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जनजाति विकास विभाग द्वारा उदयपुर के कोटड़ा एवं झाडोल पंचायत समिति क्षेत्र के कथौड़ी जनजाति के लिये कथौड़ी समग्र विकास योजना वर्ष 2004-05 में बनाई गई थी।

योजना में लिये गये कार्यक्रम एवं उनके लिए प्रावधित राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

1.	कृषि एवं पशुपालन	रू. 16.00 लाख
2.	सिंचाई सुविधा हेतु	रु. 82.12 लाख
3.	आवास निर्माण	रु. 104.15 लाख
4.	स्वास्थ्य एवं शिक्षा-मां बाड़ी सहित	रु. 78.00 लाख
5.	स्वच्छता एवं स्वास्थ्य हेतु जनचेतना	रु. 26.20 लाख
6.	स्वरोजगार हेतु आर्थिक गतिविधियां	रु. 28.40 लाख
7.	पर्यवेक्षण एवं अन्य	रु. 33.49 लाख
	योग :	**रु. 368.36 लाख**

(2) प्रस्तावित योजना के तहत भौतिक उपलब्धियां निम्नानुसार रही :-

	योजना	**2005-06**
1	कथौड़ी आवास निर्माण	85
2	हैण्ड पम्प	1
3	एनीकट निर्माण	1
4	मां-बाडी केन्द्र का संचालन	5
5	स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध करवाना	43

चावण्डपुरा (बूंदी) ग्राम के अपूर्ण इन्दिरा आवास

681. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम चावण्डपुरा (ग्राम पंचायत समिधि) जिला बूंदी में वर्ष 1995 से फरवरी, 2005 तक कितने इंदिरा आवास स्वीकृत किये गये तथा उनमें कितने, किस स्टेज तक निर्मित हुये तथा उनका किस-किस तारीख को, कितना कितना भुगतान नगद या किस नम्बर के चैक से किया गया? स्वीकृति आदेशों की प्रति सहित निर्मित आवास के पूर्ण नाम का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त का भौतिक सत्यापन किया गया है? यदि हां, तो किसके द्वारा किस तारीख को? सत्यापन रिपोर्ट तथा सत्यापन की तारीख एवं किये गये नाप के विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवासों में से किसे नियम विरुद्ध भुगतान किया गया तथा किसको कितना भुगतान किया जाना शेष है? नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ग्राम पंचायत समिधि में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत आवास अपूर्ण हैं? यदि हां, तो किस-किस के कितने तथा उनके अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं?

(5) सरकार उक्त अपूर्ण आवासों को कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) ग्राम चावण्डपुरा (ग्राम पंचायत समिधी) जिला बूंदी में वर्ष 1995 से फरवरी, 05 तक 3 इंदिरा आवास स्वीकृत किये गये हैं तथा सभी पूर्ण है। भुगतान का विवरण परिशिष्ट-अ के क्रम संख्या 1, 2 एवं 3 पर अंकित है। स्वीकृति आदेश की प्रतियां परिशिष्ट बी (1 से 2) पर संलग्न है।

(2) जी हां। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट परिशिष्ट क- 1, क- 2 एवं क- 3, सत्यापन की तिथि तथा नाप का विवरण परिशिष्ट-अ में अंकित है।

(3) उपरोक्त में से किसी को भी नियम विरूद्ध भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान का विवरण परिशिष्ट-अ में अंकित है। उपरोक्त तीनों आवासों का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(4) जी हां। ग्राम पंचायत समिधी में इंदिरा आवास योजना के तहत वर्ष 1998-99 में स्वीकृत आवास श्रीमती मनभर पत्नी टीकाराम मीणा निवासी समिधी परिशिष्ट-अ के क्रम संख्या 4 पर अंकित) का निर्माण लिंटल लेवल के बाद लाभार्थी द्वारा द्वितीय किश्त की मांग हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में प्रेषित नहीं करने एवं लाभार्थी द्वारा आवास पूर्ण कराने में रूचि नहीं लिये जाने के कारण आवास अपूर्ण है।

(5) उपरोक्त अपूर्ण आवास बाबत प्रार्थी ने निर्धारित अवधि (एक वर्ष) में द्वितीय किश्त प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया अतः अब आवास को पूर्ण कराने हेतु लाभार्थी को प्रेरित किया जा रहा है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

फुलेरा में विधायक स्थानीय कोष से स्वीकृत कार्य

682. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को वर्ष 2004-05 व 2005-06 के लिए विधायक स्थानीय विकास कोष के लिए क्या-क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए और उन प्रस्तावों के अनुसार किन-किन प्रस्तावों पर प्रशासनिक व किन-किन पर वित्तीय स्वीकृति जारी हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में अनेक प्रस्तावों पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौनसे प्रस्ताव हैं और उन पर वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में उक्त कोष से क्या क्या कार्य कहां-कहां और कितनी-कितनी राशि के कराये गये व क्या सभी कार्य पूर्ण हो गये? यदि नहीं, तो कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं और उनके अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं तथा उन्हें अब कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र के फुलेरा के लिये जिला ग्रामीण विकास

(ग्रामीण विकास मंत्री)

अभिकरण को वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के लिये विधायक स्थानीय विकास के लिये जिन-जिन कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुये और उन प्रस्तावों के अनुसार जिन कार्यों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी हुयी है, उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त अवधि में प्राप्त 118 कार्यों के प्रस्तावों में से 25 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है उनके कारण परिशिष्ट ''अ'' के कालम 7 पर अंकितानुसार है।

(3) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में विधायक कोष से स्वीकृत 118 कार्यों के स्थान व राशि संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के कालम सं. क्रमशः 3 व 5 पर अंकित है। इन कार्यों में से 51 कार्य पूर्ण हो गये हैं, 40 कार्य प्रगतिरत हैं। 22 कार्यों पर मा. विधायक महोदय की अभिशंषानुसार रोक लगाई हुई हैं एवं शेष 5 कार्य निरस्त किये गये हैं। प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

गरीबी उन्मूलन परियोजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किए गये कार्य

683. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत कितनी स्वयंसेवी संस्थाएं संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में क्या-क्या कार्य कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि के किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत निम्न चार स्वयं सेवी संस्थाऐं कार्यरत हैं :-

1. लोक विकास शिक्षण संस्थान, अलवर
2. उपकार संस्थान, थानागाजी, अलवर

(ग्रामीण विकास मंत्री)

3. सोसायटी फार डवलपमेन्ट स्टडीज, दिल्ली

4. जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड़, जयपुर

(2) जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना अन्तर्गत कार्यों की क्रियान्विति समान रुचि समूह तथा ग्राम पंचायतों के द्वारा की जाती है। स्वयंसेवी संस्थाओं/गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा आबंटित कार्यों के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र में गरीब परिवार के समूह का गठन कर व समूह के स्वयं की इच्छा क्षमता के अनुरुप उप परियोजना निर्माण में सहायता तथा उप परियोजना के प्रस्तावों का डीपीएमयू के माध्यम से अनुमोदन करवाना तथा इन उप परियोजनाओं की क्रियान्विति में विषय विशेषज्ञों के माध्यम से पूर्ण करवाने में सहायता प्रदान करने का कार्य किया जाता है। उप परियोजना की राशि सीधे ही समान रुचि समूह के बैंक खाते में जमा करवाई जाती है, जिसका प्रयोग समूह के द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जाता है।

बांदीकुई में डीपीआईपी के तहत गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से समान रुचि समूह द्वारा किये गये कार्यों की वांछित सूची परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बूंदी जिले की ग्राम पंचायतों को विभिन्न मदों से स्वीकृत राशि

684. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004-05, 2005-06 में बूंदी जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी राशि विधायक कोष, सांसद कोष, पंचायत समिति जिला परिषद एस.जी.आर.वाई. वित्त आयोग एवं डी.आर.डी.ए. अन्य विभिन्न मदों से दी गई और प्रत्येक ग्राम पंचायत ने प्राप्त राशि से कौन-कौनसे कार्य करवाये?

(2) किस-किस ग्राम पंचायत ने प्राप्त राशि में से कार्य आरम्भ कर पूर्ण करवाये और कितने कार्य अधूरे रहे तथा किस-किस ग्राम पंचायत ने धनराशि प्राप्त होने के बाद कार्य आरम्भ नहीं किये? किस-किस ग्राम पंचायत के पास राशि बच रही है? बची हुई राशि बैंक में जमा है अथवा पंचायत के पास? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(3) गत 2 सत्रों में कितने कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किये गये? कितने कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी जारी नहीं किये गये? इन्हें जारी नहीं करने के क्या कारण रहे और कितने कार्यों का मूल्यांकन कम किया गया?

उत्तर

(1) वर्ष 2004-05, 2005-06 में बूंदी जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में विधायक कोष, सांसद कोष, पंचायत समिति जिला परिषद एस.जी.आर.वाई., वित्त आयोग एवं डी.आर.डी.ए. अन्य विभिन्न मदों में से गई राशि और प्राप्त राशि से प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 1 से 4 पर उपलब्ध है।

(2) ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त राशि में से कराये गये कार्यों के समक्ष कार्यों की स्थिति संलग्न परिशिष्टों पर उपलब्ध है। वर्ष 2004-05 एवं 2005 06 में स्वीकृत 3381 कार्यों में से 3133 कार्य पूर्ण कराये गये, 206 कार्य अधूरे रहे एवं 42 कार्य प्रारम्भ नहीं हुए। ग्राम पंचायतवार बची राशि का विवरण सम्बन्धित कार्य के सम्मुख परिशिष्ट 1 से 4 पर उपलब्ध है।

(3) गत 2 सत्रों में स्वीकृत कार्यों में से 2966 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा 415 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने शेष हैं। उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी नहीं करने के मुख्य कारण कार्यों का प्रारम्भ नहीं होना, कार्यों का प्रगति पर होना तथा कार्यों का मूल्यांकन नहीं होना इत्यादि रहे हैं। कुल स्वीकृत कार्यों में से 117 कार्यों का मूल्यांकन व्यय राशि से कम किया गया है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कर्मियों की जमा राशि

685. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में जिला ग्रामीण अभिकरणों को भंग करके जिला परिषदों में विलय कर दिया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि डी.आर.डी.ए. के कर्मचारियों को जिला परिषद के कर्मचारी मान लिये गये हैं? यदि हां, तो डी.आर.पी.ए. के

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

कर्मचारियों के वेतन से आर.पी.एम.एफ और स्टेट इंश्योरेन्स की कटौती क्यों नहीं की जा रही है?

(3) क्या यह भी सही है कि डी.आर.डी.ए. के कर्मचारियों की जी.पी.एफ. की रकम अभी तक ट्रेजरी में जमा है? यदि हां, तो यह रकम जी.पी.एफ. में क्यों नहीं जमा हो रही है?

(4) क्या यह भी सही है कि डी.आर.डी.ए. के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन की रकम का भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से किया जा रहा है? यदि हां, तो पेंशन की रकम का भुगतान पेंशन विभाग द्वारा कब तक किया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का पंजीकरण समाप्त कर दिनांक 30.8.03 से जिला परिषदों में विलय किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। डी.आर.डी.ए. के कर्मचारियों के विलय की प्रक्रिया विचाराधीन है।

(4) जी हां। प्रकरण प्रक्रियाधीन, नीतिगत निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

गोगुन्दा के विधायक अभिशंसित अपूर्ण कार्य

686. **श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत वर्ष 2003 से 2005 तक विधायक क्षेत्रीय विकास ''कोष'' से कहां-कहां पर स्वीकृति जारी की गई? सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) वर्ष 2003 से 2005 तक जारी स्वीकृतियों में से किस-किस स्थान का कार्य पूर्ण कर दिया गया व किस-किस स्थान का कार्य अपूर्ण है एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1999 से 2003 तक विधायक क्षेत्रीय विकास कोष से स्वीकृत कार्य अपूर्ण हैं? यदि हां, तो कहां पर व क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अंतर्गत वर्ष 2003 से 2005 तक

(ग्रामीण विकास मंत्री)

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से जिन कार्यों की स्वीकृति जारी की गयी है उनकी सूची परिशिष्ट– ''अ'' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2003-05 तक 129 कार्यों की जारी स्वीकृतियों में से 84 कार्य पूर्ण किये गये व शेष 45 कार्यों में से 43 कार्य प्रगतिशील है। केवल 2 कार्य (क्र.सं. 101 व 125) अपूर्ण है। जिनका कारण परि-''अ'' के कालम संख्या 7 पर वर्णितानुसार है।

(3) वर्ष 1999 से 2003 तक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से स्वीकृत दो कार्य अपूर्ण हैं। अपूर्ण रहे कार्य का स्थान व कारण परि-''ब'' के कालम संख्या 7 पर अंकितानुसार है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खानपुर (झालावाड़) पंचायत समिति हेतु सम्पूर्ण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव

687. **श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

खानपुर पंचायत समिति में संपूर्ण रोजगार गारंटी योजना में विभागवार कौन-कौन से कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

खानपुर पंचायत समिति में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत विभागवार प्राप्त प्रस्तावों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है तथा विभागवार कार्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की सं.	कार्यों की अनु. लागत
1.	ग्राम पंचायतें	96	399.64
2.	सिंचाई विभाग	17	99.07
3.	डीपीआईपी	2	33.06
4.	वन विभाग	15	75.53
5.	सा.नि.वि.	26	388.46
	योग्य	**156**	**995.76**

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीकर जिले के राज्यकर्मियों की सामान्य प्रावधायी निधि/राज्य बीमा की अपूर्ण पास-बुकें

688. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या राज्य बीमा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पूरे राज्य में राजकीय कर्मचारियों की सामान्य प्रावधायी निधि की पास-बुकें अद्यतन तैयार नहीं हैं? क्या यह भी सही है कि इससे कर्मचारियों को ऋण एवं अंतिम आहरण लेखे में अत्यधिक कठिनाई होती है एवं अनावश्यक समय व्यय होता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में कोई अभियान चलाकर सभी राज्य कर्मचारियों की सामान्य प्रावधायी निधि कटौतियों की पास-बुक्स अद्यतन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) जिला सीकर के राजकीय कर्मियों की राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि कटौतियों का इन्द्राज संबंधित पास-बुक्स में कब तक का किया जा चुका है एवं सरकार कब तक अद्यतन इन्द्राज पूर्ण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य कर्मचारियों की सामान्य प्रावधायी निधि की पास बुकें उनके आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा तैयार एवं संधारित की जाती हैं। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा तैयार पास-बुक बीमा विभाग को प्रस्तुत करने पर उन्हें सत्यापित किया जाता है। यह भी सही नहीं है कि कर्मचारियों को ऋण एवं अन्तिम आहरण लेने में अत्यधिक कठिनाई होती है एवं समय का अनावश्यक व्यय होता है। क्योंकि विभाग में काउण्टर व्यवस्था लागू की हुई है, जिसमें प्रत्येक प्रकार के आहरण एवं स्वत्व आदि को निस्तारित करने हेतु समयावधि निर्धारित की हुई है। जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों के सभी प्रकार के मामलों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में ही किया जा रहा है। हां, यह सही है कि राज्य सरकार अभियान चलाकर सभी राज्य कर्मचारियों की सामान्य प्रावधायी निधि कटौतियों की पास बुक अद्यतन करवाने का विचार रखती है। परिपत्र क्रमांक एफ. 4(11)वित्त/राजस्व/02 दिनांक 24.12.2002 के द्वारा पास बुक प्रमाणीकरण अभियान चलाया गया है जो निरन्तर जारी है।

(2) सीकर जिले के राज्य कर्मचारियों की बीमा रिकार्ड बुक एवं

(राज्य बीमा मंत्री)

सामान्य प्रावधायी निधि की पास बुकें तैयार करना एवं उनमें कटौतियों का इन्द्राज करने का कार्य उनके आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की बीमा रिकार्ड बुक एवं प्रावधायी निधि पास बुक इस विभाग में प्रस्तुत करने पर उन्हें सत्यापित किया जाता है। सीकर जिले में अब तक प्राप्त वर्ष 2004-05 की समस्त पास बुक्स सत्यापित कर संबंधित विभाग को लौटा दी गई है।

अल्प बचत में वृद्धि हेतु विशेष योजनाओं का पुनर्संचालन

689. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या अल्प बचत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार अल्प बचत अभिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2003-04 से बंद की गई योजना को पुनः शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार दिसम्बर, 2005 तक अल्प बचत की विभिन्न योजनाओं में 5,000/- रुपये या अधिक के निवेश पर जो निःशुल्क उपहार कूपन योजनाओं के तहत कूपन देती थी, को पुनः शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार सितम्बर, 2005 तक अल्प बचत की विभिन्न योजनाओं में 10,000/- रुपये या अधिक के निवेश पर 10 ग्राम चांदी का सिक्का 50,000/- रुपये या अधिक के निवेश पर 1 ग्राम सोने का सिक्का देती थी, को पुनः शुरू करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार तथा कम ब्याज दर पर उपलब्ध अन्य विकल्पों के परिप्रेक्ष्य में अभिकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन योजना पुनः प्रारम्भ किये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) जी नहीं। अल्प बचत योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के परिप्रेक्ष्य में उपहार कूपन योजनाएं संचालित की जा रही थी। अब इन कूपन योजनाओं को संचालित किये जाने के कारण राज्य सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार तथा कम ब्याज दर पर सरकार को उपलब्ध अन्य ऋण विकल्पों के परिप्रेक्ष्य में कूपन योजनाओं को वर्तमान में जारी नहीं रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(अल्प बचत मंत्री)

(3) अल्प बचत योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वर्ष 1996-97 से समय-समय पर विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती रही हैं। 13 अप्रैल, 2005 से 30 सितम्बर, 2005 तक संचालित की गई प्रोत्साहन योजना में रु. 10.000/- पर 10 ग्राम चांदी का सिक्का व रु. 50,000/- पर एक ग्राम सोने का सिक्का व रुपये 1.00 लाख पर 2 ग्राम सोने का सिक्का दिया गया था। राज्य सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार तथा कम ब्याज दर पर सरकार को उपलब्ध अन्य ऋण विकल्पों के परिप्रेक्ष्य में इन प्रोत्साहन योजनाओं को संचालित करने की वर्तमान में आवश्यकता प्रतीत होती हैं।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या- 307 का विवरण)

पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के ग्राम आगरकी, पथरोड़ा व बूलाहेड़ी का विद्युतीकरण किया जा चुका है जिसकी वास्तविक स्थिति निम्न प्रकार है :-

ग्राम आगरकी कोड सं. (5/10/08) – ग्राम आगरकी का विद्युतीकरण दिनाक 31.3.1992 को किया गया था। वर्तमान में इस ग्राम में जलदाय विभाग के 6 कनेक्शन मौजूद हैं और घरेलू कनेक्शन नहीं हैं। इस ग्राम को माह फरवरी, 2005 में डिइलेक्ट्रिफाइड घोषित किया गया है और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल कर लिया गया है जिसका कार्य आदेश टर्न की बेसिस पर माह फरवरी, 2006 में दे दिया गया है।

ग्राम पथरोड़ा कोड सं. (5/10/41) -

ग्राम पथरोड़ा को दिनांक 31.3.1996 को विद्युतीकृत किया जा चुका था। वर्तमान में ग्राम पथरोड़ा में कोई कनेक्शन नहीं है। तीन कृषि पत्रावलियां दिनांक 7.8.1995 से सामान्य श्रेणी में जमा है उनके कनेक्शन कट आफ डेट के आधार पर लक्ष्य प्राप्त होने के उपरान्त ही किये जा सकेंगे। इस ग्राम को माह फरवरी, 2005 में डिइलेक्ट्रिफाइड घोषित किया गया है और यह ग्राम भी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल कर लिया गया है जिसका कार्य आदेश टर्न की बेसिस पर माह फरवरी, 2006 में दे दिया गया है।

ग्राम बूलाहेड़ी कोड सं. (5/10/37)

ग्राम बूलाहेड़ी को दिनांक 20.8.1978 को विद्युतीकृत कर दिया गया था। इस ग्राम में एक कृषि कनेक्शन श्री सुमान खां इस्माईल पुत्र अहमद खां सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत दिनांक 30.3.1995 को जारी किया गया था। इस ग्राम में भी सघन विद्युतीकरण हेतु इसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल कर लिया गया है जिसका कार्य आदेश टर्न की बेसिस पर माह फरवरी, 2006 में दे दिया गया है।

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-309 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र कपासन में स्वीकृत एनीकटों का पंचायत समितिवार विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	जिला	विधान सभा क्षेत्र	पंचायत समिति	स्वीकृत एनीकटों की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1.	चित्तौड़गढ़	कपासन	कपासन	94	171.65	167.96
			भोपालसागर	39	71.80	98.70
			भदेसर	7	11.95	11.50
योग				**140**	**255.40**	**248.16**

परिशिष्ट-3

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बस्सी में कृषि उपज मंडी की सड़कों का डामरीकरण

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर में आज से करीबन 20-22 वर्ष पहले जो कृषि उपज मंडी द्वारा जो रोडें बनाई गई थी आज उनकी हालत इस प्रकार से हो गई है कि रोडो में जगह जगह इतने गहरे गड्डे हो जाने के कारण आये दिन इन सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं साथ ही आवागमन की रफ्तार में भी काफी समय लग जाता है। इन सड़कों पर मोटर साईकिलें, साइकिलें, ट्रैक्टर, जीपें एवं अन्य प्रकार के वाहनों का पर चलना ही बन्द कर दिया वे कच्ची में चल रहे हैं। अतः मैं सदन के माध्यम से कृषि मंत्री महोदय का ध्यान निम्नलिखित ग्रामों की सड़कों की ओर आकर्षित कर पुनः इन्हें डामरीकरण कराने का श्रम करें :-

1. पिलिया से करणगढ़ वाया खेतपुरारामसिंह पुरा, रूपपुरा, मोरण्डी।
2. आगरा रोड से भटेरी दौसा रोड़ वाया हंसमहल, खेडला कानेटी।
3. बांसखो नायला रोड़ से भटेरी वाया पाटन।
4. बस्सी कल्याण रोड़ से मनोहरपुरा।
5. कानोता नायला रोड़ से डयोढा चाड।
6. बैनाड़ा से नायला बृज रोड़ वाया घाटी सेवापुरा में घाटी में सी.सी.रोड़ बनाने हेतु।
7. कानोता नायला रोड़ से बैनाडा वाया कून्थाडा हरडी घाटा।
8. भूडला रोड़ से गुमानपुरा वाया माधोगढ़।
9. देवगांव से काशीपुरा।
10. तूंगा से देवगांव वाया दणाऊ कला नगरराजपुरा।
11. गोनेर से सांख की छतरी कानोता सामरिया रोड़।

अतः आपसे निवेदन है कि इन खराब सड़कों की हालत इतनी खराब है कि वहां से लोगों का आना-जाना एक तरफ से कम हो गया है। अतः तत्काल पुनः उपरोक्त सभी सड़कों का डामरीकरण करवाने के आदेश प्रदान कर उपरोक्त गांवों की जनता को राहत मिल सके।

डा. कन्हैया लाल मीणा

(बस्सी)

किरारपुरा जिला धौलपुर के अतिक्रमण हटाने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम किरारपुरा जिला धौलपुर के आराजी खसरा नं. 231 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा पटवार सर्किल व ग्राम पंचायत करीमपुर तहसील सैंपऊ गै.मु. पोखर पर कुछ लोगों ने काफी समय से अतिक्रमण कर रखा है। इस संबंध में समस्त ग्रामवासी दिनांक 25.10.05 को जन-अभाव अभियोग, कलक्टर महोदय तथा एस.डी.एम. साहब से मिल चुके है। इस संबंध में एस.डी.एम. साहब ने दिनांक 25.10.05 को तहसीलदार महोदय को अतिक्रमण हटाने हेतु पत्र भी लिखा। परन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे ग्रामवासियों में काफी रोष व्याप्त है। तथा कभी भी कोई अनहोनी घटना हो सकती है।

अतः मेरा माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त अतिक्रमण को तत्काल हटवाकर अतिक्रमणकारियों को दण्डित करें ताकि आमजन को राहत मिल सके।

बनवारी लाल शर्मा

(धौलपुर)

हनुमानगढ़ के सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय में अनियमितताओं की जांच

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जिला हनुमानगढ़ में सहायक निदेशक उद्यान का चार्ज 6 वर्ष तक लगातार कृषि अधिकारी उद्यान के पास रहा है, इस अवधि के दौरान राज्य सरकार ने कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को जो अनुदान के रूप में राशि दी थी उस राशि में से लगभग 30 से 40 लाख रुपये का गबन व अनियमितताऐं हुई हैं। विशेष रूप से गबन सन् 2002-2003 व 2003-04 व 2004-05 में हुआ है। संबंधित सहायक निदेशक उद्यान के विरूद्ध काश्तकारों ने कई बार शिकायत की जिस पर उप निदेशक कृषि हनुमानगढ़ के द्वारा जांच की गई, उक्त जांच में सहायक निदेशक उद्यान को दोषी माना गया, उसके बाद में उक्त जांच को गलत साबित करने के लिए निर्देश उद्यान विभाग जयपुर के निर्देश पर पुनः जांच उप निदेशक उद्यान जोधपुर से जांच कराई गई। बड़े दुख का विषय है कि उप निदेशक उद्यान

जोधपुर दिनांक 14, 15 सितम्बर 2005 को हनुमानगढ़ जांच करने गये तो जिस अधिकारी के खिलाफ जांच करने गये थे उसको साथ लेकर गये जिन्होंने काश्तकारों पर सामाजिक दबाव डालकर प्रलोभन देकर कुछ लोगों के ब्यान अपने पक्ष में कराके बचने का प्रयास किया, परन्तु उसके बाद भी एक काश्तकार नाम देवीलाल पुत्र श्री रामगांव खेड़ा तह. टीब्बी ने सहायक निर्देशक उद्यान हनुमानगढ़ के खिलाफ जिला प्रमुख हनुमानगढ़ को जांच कराने बाबत शिकायत की जिस पर प्रमुख जी ने जांच करने बाबत सहायक निदेशक उद्यान हनुमानगढ़ को लिखा जांच में सन् 2003-04 में 81475 रुपये की रिडोमिल कीटनाशक तथा 10412 रुपये की मोनोक्रोटोफोर्स खरीद की गई, व 126 कृषकों वितरण करना दिखाया गया है, इन कृषकों में से 35 कृषकों के बयान किये गये जिन्होंने अपने हस्ताक्षर व अंगूठे ही फर्जी बताये और अनुदानित कीटनाशक नहीं मिलना बताया। उपरोक्त 35 कृषकों में से दो कृषक ऐसे हैं जिनका देहान्त होने के बाद भी उनके नाम से अनुदान देना बताया गया है, जो बिलकुल ही फर्जी कार्यवाही है। इतना ही नहीं माननीय विधायक चांद नाथ जी के नाम से भी अनुदानित कीटनाशक दिखा हुआ है, जिनके हस्ताक्षर भी फर्जी है। कुल मिलाकर कृषकों के फर्जी हस्ताक्षर करके कूटनीति से दस्तावेज तैयार करके अनुदानित कीटनाशक बाजार में बेच दिया गया। यह जांच में पाया गया है, इतना ही नहीं काश्तकारों को कृषि विभाग के माध्यम से अनुदान पर वितरित किये जाते हैं परन्तु काश्तकारों से पूरी कीमत वसूल की गई, इतना ही नहीं कृषक प्रशिक्षण शिविरों में अनियमितताऐं भी पायी गयी है। इतना ही नहीं जिला हनुमानगढ़ व गंगानगर में सरकार द्वारा कृषकों को जितना भी अनुदान दिया गया है। उसमें गबन हुआ था जिसमें जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग व सहायक निदेशक उद्यान हनुमानगढ़ जांच में दोषी पाये गये हैं। फिर भी आज दिन तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई इसमें कौन-कौन व्यक्ति दोषी है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करके दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने का श्रम करें।

रामप्रताप कासनिया

(पीलीबंगा)

पाली जिले से पलायन कर अन्य राज्यों में जाने वाले भेड़पालकों की दुर्दशा एवं क्षेत्र में फसल को रोजड़ों से बचाने बाबत

महोदय,

पश्चिमी राजस्थान में लगातार पड़ रहे अकाल के कारण हमारे पाली जिले के पशुपालक अपने पशुओं को जीवित रखने के लिये अपने परिवार सहित हर वर्ष प्रदेश से बाहर यथा मध्यप्रदेश, हरियाणा, गुजरात में पशुधन लेकर जाते हैं। ये लोग अक्टूबर माह में जाते हैं और प्रदेश में बारिश होने पर वापस आते हैं। ये लोग अनजान क्षेत्रों में पशुओं की चराई करते हैं व रात जंगलों में ही अपने परिवार के साथ बिताते हैं, व सुबह होते ही फिर यही प्रक्रिया अपनाते हैं। अनजान जगह में इनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है कई बार तो स्थानीय लोगों का विरोध भी सहन करना पड़ता है साथ ही अपने जीवन से भी कुछ पशुपालकों हाथ धोना पड़ता है। कई बार इनके पशुओं व सामान इत्यादि की भी चोरी हो जाती है। इनके साथ हमेशा अनहोनी बनी रहती है।

मेरा निवेदन है कि इन भेड़ पालकों को समुचित सुरक्षा प्रदान की जावे तथा इनको शस्त्रों के लाइसेन्स प्राथमिकता के आधार पर दिये जावे। साथ ही हजारों हैक्टेयर बेकार पड़ी गोचर/चारागाह भूमि जिस पर अंग्रेजी बबूल के पेड़ बेकार खड़े हैं, उन्हें कटवाया जाय जिससे वहां पर घास उग सके। इसके अलावा छोटे-बड़े बांधों तालाबों में पेटा काश्त के स्थान पर सेवण घास बोई जावे। जहां घास आसानी से पैदा हो सकती है।

महोदय, इसके साथ ही पाली जिले में रोजड़ों का इतना आतंक हो गया है कि किसानों द्वारा की जा रही थोड़ी बहुत खेती को नष्ट कर दिया जाता है। इसके लिये भी सरकार को कोई व्यवस्था तारबन्दी हेतु अनुदान उपलब्ध करनी चाहिये। अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। जिससे सैकड़ों की संख्या में हर वर्ष पलायन करने वाले पशुपालकों को राहत मिल सके।

खुशवीर सिंह जोजावर

(खारची)

कैथूदा एवं अरियाला (नैनवां) की कब्जा काश्त भूमि का नियमन

महोदय,

ग्राम कैथूदा तथा अरियाली, तहसील नैनवां (बूंदी) के अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकतर व्यक्ति भूमिहीन कृषक है तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं। इन व्यक्तियों के परिवार में मजदूरी एवं कृषि व्यवसाय के अलावा अन्य कोई व्यवसाय नहीं है। खातेदारी की भूमि कम होने से इनके एवं इनके पूर्वजों द्वारा विगत 50 वर्षों से भी अधिक समय पूर्व जीविकोपार्जन के लिए ग्राम की चारागाह भूमि पर काश्त करना प्रारम्भ किया, किन्तु तहसील द्वारा इनके कब्जे काश्त चारागाह भूमि से सम्बन्धित पुराने कब्जे काश्त रेकार्ड को पत्रावली में शामिल नहीं करके इन्हें भू-राजस्व अधिनियम के तहत अतिक्रमी मानकर अधिकतम राशि का जुर्माना किया जाता है। इस वर्ष भी ग्राम कैथूदा के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के प्रति दुर्भावना रखकर उन्हें कानून में वर्णित अधिकतम सजा 90 दिन के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। यह गरीब किसानों के साथ अन्याय की श्रेणी में आता है।

चारागाह भूमि के नियमन बाबत राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.6(39) राजस्व/6/01/6 दिनांक 07.06.2003 तक इसी प्रकार अन्य परिपत्र जारी करके नियमन के लिए आदेशित किया हुआ है।

अतः जनहित में निवेदन है कि ग्राम कैथूदा एवं अरियाली, तहसील नैनवां (बूंदी) की राजस्व सीमा में आने वाली चारागाह भूमि पर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के पुराने कब्जे काश्त की समीक्षा की जावे तथा उनके कब्जे काश्त की भूमि को चिन्हित करके सूची बनाई जाकर उनके नाम पर नियमन किया जावें, ताकि उक्त असहाय एवं रोजगारविहीन गरीब किसानों को भूमि का नियमन किया जाकर राहत प्रदान की जा सके।

उक्त ग्रामों के लिए भू-आबंटन परामर्शदात्री समिति का कार्यक्रम भी अविलम्ब ही बनाया जाना जनहित में आवश्यक है।

रामनारायण मीणा
(नैनवां)

जयपुर के रानी सती नगर योजना, अजमेर रोड के रिवाइज्ड प्लान (संशोधित नक्शे) को जनहित में निरस्त करवाने बाबत

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम

295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा काटी गयी रानी सती नगर योजना अजमेर रोड़ पर निर्माण नगर ई ब्लाक के पास स्थित है, जिसका अभी तक नियमन नहीं किया गया है। उक्त योजना नियमन करने हेतु वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के पास विचाराधीन हैं। उक्त योजना वर्ष 1980 में नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा काटी गई थी जिसमें लगभग 1200 भूखण्ड है। उनमें से 80 प्रतिशत भूखण्डों पर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हैं एवं लगभग 700-800 परिवार वर्तमान में निवास कर रहे हैं। इस रानी सती नगर योजना के उत्तर में निर्माण नगर ई ब्लाक, पूर्व में पार्श्वनाथ कालोनी, निर्माण नगर ए बी ब्लाक, पश्चिम में वर्धमान नगर व दक्षिण में गोपालपुरा बाइपास हैं अर्थात उक्त कालोनी अजमेर रोड़ व गोपालपुरा बाइपास से लगती हुई हैं व चारों तरफ उक्त वर्णित विभिन्न कालोनियों के लोग निवास करते हैं। वर्ष 1996 में नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति ने जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रानी सती नगर कालोनी के सदस्यों की सूची मांगने पर सदस्यों की सूची के साथ साथ उक्त कालोनी का मानचित्र भी प्रस्तुत किया था जिसमें कालोनी के उत्तरी भाग में लगभग 300 फुट बाई 250 फुट का सुविधा क्षेत्र (पार्क) दर्शाया गया है जिसके चारों ओर प्लाट नम्बर 237 से 243, 180 से 188, 111-112, 124-125 तथा 154 से 169 स्थित हैं। उक्त पार्क में करीब 20-25 बणजारों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है जो आये दिन उत्पात मचा कर कालोनी की शांति भंग करते हैं तथा वहीं पर मल-मूत्र त्यागकर वातावरण को प्रदूषित करते हैं। इस सुविधा क्षेत्र में पूर्व में राज्य सरकार ने स्वयं के खर्चे से कालोनीवासियों की पेयजल की समस्या के निवारण हेतु एक ट्यूबवैल भी खुदवाया है। अब कालोनीवासियों की जानकारी में यह आया है कि नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति ने रानी सती नगर योजना का संशोधित मानचित्र (रिवाइज्ड प्लान) प्रस्तुत किया है जिसमें उक्त सुविधा क्षेत्र को समाप्त करके प्लाट काट दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि यह सुविधा क्षेत्र कालोनी के मध्य क्षेत्र में स्थित है जिससे आसपास की कालोनियों के निवासी भी लाभान्वित होंगे। यदि इस पार्क को समाप्त कर समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र स्वीकार किया गया तो इससे कालोनीवासियों की समस्त सामाजिक गतिविधियों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं रह पायेगा, न ही बच्चे खेलकूद पायेंगे एवं कालोनीवासियों में भयंकर आक्रोश व असन्तोष व्याप्त हो जायेगा। इस सुविधा क्षेत्र को समाप्त करने की प्रस्तावित योजना से उक्त समस्त

कालोनीवासियों में घोर असंतोष व्याप्त है। अतः नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र में रानी सती नगर योजना को जो उक्त सुविधा समाप्त कर नये प्लाट दर्शाये गये हैं उस मानिचत्र को निरस्त करावें एवं उक्त पार्क में अवैध अतिक्रमणकारी 20-25 बणजारों परिवारों को स्थानीय शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से बेदखल करने के साथ पार्क का विकास कार्य द्रुत गति से प्रारम्भ किया जावे।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़
(बनीपार्क)

नगर के संस्कृत विद्यालय का अधिग्रहण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत में निवेदन है कि सन 1932 से संचालित नगर का एक मात्र संस्कृत विद्यालय जो कि राज्य सरकार संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा 80 प्रतिशत अनुदान प्राप्त है। इस विद्यालय को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित करवाने हेतु 10 वर्ष पूर्व माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया साहब शिक्षा मंत्री थे तब भवानी मण्डी के अनेक लोग मेरे साथ आकर गुलाब चन्द जी कटारिया साहब से मिले थे। उनके द्वारा आश्वासन मिला था कि इस विद्यालय को अवश्य सरकारी करवा दिया जावेगा परन्तु कुछ समय बाद तुरन्त चुनाव हो गये और हमारी सरकार नहीं रही। इस विद्यालय में अत्यन्त निर्धन एवं दलित वर्ग के छात्र-छात्रायें अध्ययन करते हैं। यह वर्तमान में राजकीय अनुदान एवं दानदाताओं के सहयोग से चल रहा है। इस विद्यालय के पास मुख्य सड़क मार्ग पर आलिशान भवन एवं लम्बा चौड़ा मैदान है जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत करने पर उक्त अचल सम्पत्ति हासिल हो सकती है। इस विद्यालय में राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप छात्र संख्या एवं पर्याप्त सुविधायें मौजूद हैं। अगर राज्य सरकार इस विद्यालय को अधिगृहीत कर लेती है तो विद्यालय में अध्ययनरत गरीब एवं दलित वर्ग को शिक्षण शुल्क, पाठ्य पुस्तकें, उच्च शिक्षा इत्यादि सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं।

अतः माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी एवं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि उक्त विद्यालय की शीघ्रातिशीघ्र सरकारी कर गरीब एवं दलित वर्ग के छात्र-छात्राओं को अपना आशीर्वाद प्रदान करें।

श्रीमती स्नेहलता
(डग)

जमवारामगढ़ के महल, शिकारगाह हवा ओदी स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित कर जीर्णोद्धार

महोदय,

जयपुर शहर के मात्र 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जमवारामगढ़ कस्बा जयपुर की प्राचीन राजधानी रहा है। आमेर से पहले जमवारामगढ़ ही जयपुर की राजधानी और यहां पुरातत्व व पर्यटन की विपुल संभावनाएं होने के बावजूद यह क्षेत्र अब तक उपेक्षित है। यहां का ऐतिहासिक महल, राजा महाराजाओं के शिकार के लिये बनाया गया शिकारगाह हवा ओदी, ग्राम बिशनपुरा स्थित श्री रघुनाथजी का मन्दिर, जयपुर के पेयजल का मुख्य स्रोत रामगढ़ बांध, बांध में स्थित शिवालय, जमवा माता का मन्दिर तथा कई बावाड़ियां ऐतिहासिक गवाह रहे हैं, लेकिन उचित देखरेख व संरक्षण के अभाव में यह जीर्ण-शीर्ण हो रहे हैं और इनका अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। यदि समय रहते कार्य योजना बना इनके संरक्षण के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये तो यह पुरा सम्पदा लुप्त हो जाएगी।

यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला से घिरा होने के कारण सुरम्य और रमणीय है और यहां स्थित ऐतिहासिक स्मारक, मन्दिर, बावडी व बांध के कारण यहां ग्रामीण पर्यटन की विपुल सम्भावनाएं हैं। जैसा कि मा. मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हरसम्भव प्रयास करेगी और इस कड़ी में खोले के हनुमानजी मन्दिर जैसे कई मन्दिरों के विकास की कार्ययोजना भी तैयार की गई है, लेकिन जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, उस ओर अभी तक ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है।

अतः मैं, अपने उक्त प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि एक कार्य योजना तैयार कर अब तक उपक्षित रहे जमवारामगढ़ के उक्त वर्णित रामगढ़ महल, बावडी, शिकारगाह हवा ओदी, श्री रघुनाथजी, भगवान शंकर व जमवारामगढ़ माता के मन्दिर तथा रामगढ़ बांध को संरक्षित कर इनका जीर्णोद्धार करवाकर इन्हें पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए अन्यथा यह ऐतिहासिक धरोहर आने वाले कुछ वर्षों में ही इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह जाएगी।

बृजकिशोर शर्मा

(जयपुर ग्रामीण)

चित्तौड़गढ़ में अत्यधिक भूजल दोहन से उत्पन्न स्थिति

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रक्रिया के नियम 295 के तहत अन्तर्गत निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ जिले में अत्यधिक भूजल दोहन से जल की कमी से उत्पन्न स्थिति के समाधान की काफी आवश्यकता है। चित्तौड़गढ़ जिला अधिकांश रूप से कृषि उत्पादन पर निर्भर है। यहां की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। यहां के किसान अपनी कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए पूर्णतया भूमिगत जल का दोहन कर उपयोग करते हैं। पिछले कई वर्षों से वर्षा की कमी के कारण भूमिगत जल स्तर में काफी कमी आई है, जिसके कारण किसानों की निर्भरता वर्षा जल पर काफी बढ़ गयी है।

उल्लेखनीय है कि जिला चित्तौड़गढ़ में कृषि के साथ-साथ उद्योगों को भी भूजल पर निर्भर रहना पड़ता है तथा यहां के बडे उद्योग भी भूजल दोहन बड़ी मात्रा में करते रहे है यही नहीं जिले में खनिज के प्रचुर भण्डार होने से यहां के उद्योगों द्वारा बड़ी भारी संख्या में खनन कार्य किया जा रहा है। जिले में विभिन्न खदानों से पत्थर, लाइम स्टोन, फेल्सपायर, चाइना क्ले रेड आकर, सहित कई अन्य खनिज पदार्थों का दोहन प्रचुर मात्रा में किया जाता है जिससे ये खदाने सैकडो फिट नीचे चली गई है जिस कारण भी जल स्तर काफी गिर गया है।

जिले में भूजल का दोहन पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहा है। यहां 95 से 162 प्रतिशत तक भूजल दोहन होने से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी हैं। इससे किसानों के सामने संकट होने की स्थिति बन रही है। यहां के किसानों की निर्भरता पूर्णतया भूमिगत जल पर निर्भर होने से जिले में भूमिगत जल के स्तर को बनाये रखना एक बड़ी आवश्यकता के रूप देखा जा रहा है।

जिले में सिंचाई के स्रोत के रूप में कुछ स्थानों पर बांध व एनीकटों का निर्माण हुआ है लेकिन वह भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। भूमिगत जल के काफी नीचे चले जाने से न केवल कृषकों के सामने सिंचाई की समस्या उत्पन्न हुई है वरन पेयजल व विद्युत संकट का भी जिले को सामना करना पड़ा रहा है।

यदि चित्तौड़गढ़ जिले में वर्षा जल के समुचित संग्रहण एवं भूमिगत जल स्तर को बनाये रखने के लिये ठोस एवं कारगर योजना बनती है तो ही

जिले कि किसानों का भला हो सकता है व कृषि उत्पादन के साथ-साथ जिले की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ बनी रह सकती है। सरकार द्वारा कृषि उत्पादन क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि के प्रयास से कृषि का रकबा बढ़ने, नये विद्युत कनेक्शन जारी करने से भूमिगत जल स्तर का अधिक दोहन होने के कारण जल स्तर में कमी से जिले की पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। समूचे चित्तौड़गढ़ जिले में पेयजल व्यवस्था भी एक दो स्थानों को छोड़कर पूर्णरुपेण नलकूप व हैण्ड पम्प के स्रोत पर ही निर्भर है ऐसी स्थिति में सिंचाई व पेयजल की भविष्य में समुचित व्यवस्था एवं आने वाले संकट से निजात पाने के लिये राज्य सरकार से चित्तौड़गढ़ जिले के लिये विशेष पैकेज की अपेक्षा है।

मेरा इस सम्बन्ध में आग्रह है कि सिंचाई स्रोत एवं पेयजल स्रोत के रूप में वर्तमान व्यवस्था को सुचारू रखने के साथ-साथ नये स्रोत का सर्वे कराना व इस सम्बन्ध में कारगर कदम उठाने की नितान्त आवश्यकता है। इस हेतु जिले में वर्षा जल के संग्रहण के लिये भूजल संरक्षण कार्यों को व्यापक रूप से स्वीकृत करवाने, लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करवाने तथा जिले के नदी नालों पर छोटे बड़े एनीकट निर्माण करवाने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम व विशेष पेकेज तैयार करवाने की आवश्यकता है।

मेरा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से आग्रह है कि चित्तौड़गढ़ जिले में सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास, विभाग, वन विभाग व जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की संयुक्त एवं समन्वित योजना तैयार करने के लिये अतिशीघ्र कार्यवाही की जाये जिससे की जिले में अत्यधिक भूमिगत जल दोहन से आने वाले समय में जो संकट आने की संभावना है उससे जिले की जनता को राहत मिल सके।

अशोक नवलखा

(निम्बाहेड़ा)

बाड़मेर के माना कल्याणपुरा के पुलिस कर्मी गंगाराम को शहीद का दर्जा

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दिनांक 01-08-2005 को पुलिस कर्मी श्री गंगाराम पुत्र श्री उमाराम जाति-जाट निवासी पूनियों का तला तहसील-बायतु तत्कालीन पुलिस कर्मी पुलिस थाना-कल्याणपुर

जिला-बाड़मेर की निर्मम वन्य जीवों हरिण आदि के कुख्यात शिकारी मांगीलाल पुत्र श्री रावताराम जाति-भील, निवासी-चिचड़ली पुलिस थाना-झंवर, जिला जोधपुर की बन्दूक की गोली से मांगीलाल के हाथ से की गई थी। इस प्रकार गंगाराम ने वन्य जीवों की रक्षा करते-करते अपनी जान की बाजी वन्य जीवों की रक्षा में लगा दी थी। उक्त सिपाही का यह कार्य देश की सेवा का एक अच्छा उदाहरण एवं अन्य सिपाहियों के लिए अनुकरणीय कदम है।

अतः अध्यक्ष महोदया मैं आपकी अनुमति से माननीया मुख्य मंत्री महोदया एवं माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि स्वर्गीय गंगाराम को एक शहीद का दर्जा दिलवाकर एवं इस बहादुर सिपाही को मरणोपरान्त सम्मान दिलवाकर पुलिस का भी सम्मान करते हुए सम्पूर्ण पुलिस विभाग का मनोबल बढ़ाने की कृपा करावें।

तगाराम चौधरी

(बाड़मेर)

मुण्डिया ग्राम के थाना देवली के रंगलाल मीणा के ट्रैक्टर पर अवैध कब्जा

महोदया,

ग्राम मूण्डिया थाना देवली जिला टोंक के अनुसूचित जाति के श्री रंग लाल मीणा ने एक ट्रैक्टर स्वराज आर जे 26/आर/6298 एस.बी.बी.जे. (देवली) (टोंक) से ऋण लेकर अग्रवाल ट्रैक्टर से खरीदा तथा ट्रैक्टर की कीमत बैंक में ड्राफ्ट के द्वारा विक्रेता अग्रवाल ट्रैक्टर को दे दी। उस ट्रैकटर का रजिस्ट्रेशन श्री रंग लाल मीणा के नाम है। और बैंक के हायर परचेज है। और रंगलाल की भूमि बैंक में गिरवी रखी हुई है।

दिनांक 8.01.05 को दो पुलिसकर्मी मय वर्दी तथा तीन अन्य व्यक्ति रंगलाल के खेत पर गये और जबरदस्ती ट्रैक्टर को टोंक ले गये और ट्रैक्टर को कंपनी मालिक श्री रघुनन्दन के वहां खड़ा कर दिया। दिनांक 11.2.05 को श्री रंगलाल टोंक गया और कंपनी मालिक ने 5 हजार रुपये उससे लेकर खाली पन्नों पर हस्ताक्षर करवा कर उसे वहां से बाहर निकाल दिया, उसके बाद रंगलाल ने पुलिस अधीक्षक टोंक को तथा अन्य सभी अधिकारियों को पत्र लिखे, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई, एस.पी. टोंक ने आवश्यक कार्यवाही हेतु एस.एच.ओ. टोंक को लिखा लेकिन कोई नहीं हुई। सभी अधिकारी टोंक भाजपा के पदाधिकारियों के दबाव में असहाय बने रहे। मुकदमा दर्ज नहीं हो सका,

बाद में रंगलाल ने राजस्थान उच्च न्ययायालय में सिविल रिट 7010/05 दर्ज की, जिस पर माननीय न्यायालय ने तुंरत टोंक जिले के बाहर से जांच आदेश प्रदान किया तब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन आज तक, एक साल और तीन माह बीत जाने के बाद भी ना तो ट्रैक्टर बरामद किया और ना ही कोई कार्यवाही की गई, ट्रैक्टर आज भी रघुनंदन गोयल के पास ही है। राजनैतिक प्रभाव के कारण श्री गोयल मनमाने तरीके से पुलिस की वजह से ट्रैक्टर ले गया। श्रीमती मनभर मीणा निवासी देवली उनियारा, हजरी गुर्जर निवासी बनेठा, मोहन बैरवा ग्राम लसाडिया निवासी, रामदेव निवासी ग्राम छान, सूरजमल निवासी छान, व अन्य बनेठा के माली परिवारों के ट्रैक्टर इस विक्रेता ने पुलिस की मदद से लाकर, जबरन पैसे वसूल किये।

मान्यवर, जब रक्षक ही भक्षक बन रहा है, और पुलिस ही ट्रैक्टर मालिक के इशारों पर कार्य कर रही है तो ऐसे ही ट्रैक्टर मालिक आखिर कहा जाये, आपसे निवेदन है कि इस विषय में उचित कार्यवाही हो, तथा ट्रैक्टर मालिकों को वापस ट्रेक्टर मिले और उन्हें राहत मिल सके।

धन्यवाद

सी.डी. देवल

(रायपुर)

शाहपुरा कस्बे में पानी की निकासी अवरुद्ध होने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के शाहपुरा कस्बे से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के तल को ऊंचा उठाते समय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शाहपुरा कस्बे के पानी की निकासी का ध्यान नहीं रखने से कस्बे का पानी अवरूद्ध हो गया है जिससे कस्बे के निवासियों के साथ-साथ आस-पास के निवासियों एवं अन्य आगन्तुकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस संबंध में निवेदन है कि समस्या के निराकरण हेतु मैंने कई बार विधान सभा में कई माध्यमों से सरकार का ध्यान आकर्षित किया और सरकार द्वारा इस बात को स्वीकार भी कर लेने के उपरान्त भी अभी तक इस दिशा में कोई सार्थक कार्यवाही नहीं की गई है। चूंकि शाहपुरा कस्बे के पानी की निकासी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ थी और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के तल को ऊंचा उठाते समय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सार्वजनिक

निर्माण विभाग दोनों द्वारा ही कस्बे की पानी की निकासी व्यवस्था को अनदेखी करने से शाहपुरा कस्बे का सारा पानी अब राष्ट्रीय राजमार्ग का तल ऊंचा होने से राजमार्ग को पार नहीं कर पाता और राजमार्ग के पश्चिम दिशा में ही इकट्ठा हो जाता है जिससे कस्बेवासियों के मकान जलमग्न हो जाने एवं यातायात व्यवस्था में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

महोदय, अभी हाल ही में जब शाहपुरा कस्बे में बरसात हुई तो पानी की निकासी नहीं होने से जनता आक्रोशित हो गई एवं राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरूद्ध कर दिया गया इस पर एस.डी.एम., ए.डी.एम. और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाने पर राष्ट्रीय राजमार्ग खोला जा सका। लेकिन अभी तक इस समस्या के समाधान की दिशा में कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गई है।

इस संबंध में मेरे द्वारा विभिन्न माध्यमों से विधान सभा में यह मुद्दा उठाने पर सरकार द्वारा यह उत्तर दिया गया कि कस्बे की पानी की समस्या के निराकरण हेतु प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भिजवाये गये हैं और शीघ्र ही इस समस्या को दूर कर दिया जाएगा किन्तु दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरान्त भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि शाहपुरा कस्बे की इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब दूर करने के लिए सरकार को निर्देश जारी करने की कृपा करें।

राव राजेन्द्र सिंह

(बैराठ)